दशम माला, खण्ड 43, अंक 7

मंगलवार, 8 अगस्त, 1995
17 श्रावण, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौदहवां - सत्र
(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 54
Date 5.7.96

(खण्ड 43 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय सूची

दशम माला खंड : 43, चौदहवां सत्र, 1995 / 1917 (शक)

अंक : 7, मंगलवार, 8 अगस्त, 1995 / 17 श्रावण, 1917 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	121-125	1-26
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	126-140	27-41
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1180-1409	41-231
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		241-244
श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति		245
पन्द्रहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश-प्रस्तुत		245
गृह कार्य संबंधी समिति		245
बाईसवां प्रतिवेदन		245
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य		245-249
(एक) विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत सेवा संबंधी वार्ताएं		
श्री पी. चिदंबरम		245-248
(दो) महिलाओं के बारे में 'सार्क' देशों के मंत्रियों की बैठक		
श्रीमती बासवा राजेश्वरी		248-251
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए निर्वाचन		252
सभा की बैठकों को रद्द/स्थगन किये जाने संबंधी घोषणा		252
नियम 377 के अधीन मामले		252-257
(एक) इलायची उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता		
श्री के.एस. मैथ्यू		252-253
(दो) पंजाब के पलाही शहर में बेहतर डाक सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता		
श्रीमती संतोष चौधरी		253
(तीन) पंजाब को आतंकवाद पर काबू पाने के लिए दिए गए ऋणों को माफ किये जाने की आवश्यकता		
श्री जगमीत सिंह बरार		253-254
(चार) वर्तमान चीनी मिलों की अधिष्ठापित पिराई क्षमता को बढ़ाने और नई चीनी मिलों को, विशेष रूप से तमिलनाडु में, स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी किए जाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता		
श्री पी.पी. कालियापेरुमल		254

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित +चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(पांच) उत्तर प्रदेश में कम्पीयरगंज- बस्ती, बांसी, बिदहरघाट सिकरीगंज, रामजानकी मार्ग और वाल्टरगंज - अयोध्या मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल 254-255

(छः) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गावों में विकास संबंधी गतिविधियों के लिए राजस्थान को दी गई राशि को बढ़ाने तथा इसके उपयोग पर लगाये गये प्रतिबन्धों को हटाये जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव 255-256

(सात) स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री सुकदेव पासवान 256

(आठ) नौवहन एजेन्टों और कलकत्ता पत्तन न्यास के बीच विवाद को शीघ्र सुलझाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल 256-257

प्रारूप कृषि नीति संकल्प (यथा उपान्तरित) पर विचार करने के संबंध में प्रस्ताव 257-340

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे 257-265

श्री सुकदेव पासवान 265-270

श्री प्रतापराव बी. भौंसले 270-279

श्री भोगेन्द्र झा 281-287

श्री नीतीश कुमार 287-300

श्री अशोकराव आनन्दराव देशमुख 300-305

श्री राजवीर सिंह 305-321

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा 321-328

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन 328-333

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव 333-340

कार्य मंत्रणा समिति

तिरपनवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत 328

लोक सभा

मंगलवार, 8 अगस्त, 1995 / 17 श्रावण, 1917 (शक)
लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मध्याह्न-भोजन योजना

[हिन्दी]

*121. डा0 अमृतलाल कालिदास पटेल :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की सुविधा प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इन विद्यालयों को प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता देती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुचार स्कूली बच्चों को पोषाहार संबंधी सहायता प्रदान करने के कार्यक्रम असम, बिहार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, दमन तथा दीव, दिल्ली तथा पांडिचेरी में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। तथापि, उनके सीमा क्षेत्र तथा रूपात्मकताएं एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसे 15 अगस्त, 1995 से कार्यान्वित किया जाएगा।

डा0 अमृतलाल कालिदास पटेल : अध्यक्ष महोदय, दोपहर के भोजन के कार्यक्रम का स्वागत है और सभी द्वारा सराहा गया है। गुजरात में हमारे अनुभव के अनुसार जहां यह स्कीम पिछले कुछ वर्षों में लागू की गई है, प्रति छात्र हम एक रूपया खर्चा कर रहे है। एक रूपए में 60 पैसे रख रखाव पर खर्च होते है और 40 पैसे छात्र को दिए जाते हैं।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वह नई कौन सी योजनाएं हैं जिन्हें वे लागू करने जा रहे है जिससे अधिक से अधिक लाभ छात्रों को जा सकें।

कुमारी शैलजा : महोदय इस नई योजना के अन्तर्गत जिसे हम चला रहे हैं, हम पूरे देश में अगले तीन वर्षों में सभी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को गर्म व पका भोजन प्रदान करने जा रहे हैं। किन्तु हम दो वर्ष संक्रमण काल के रूप में दे रहे हैं जिससे इसको स्थानीय निकायों की इच्छानुसार संचालित किया जा सकें। किन्तु, इस समय हमारा प्रस्ताव यह है कि 100 ग्राम की दर से सभी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को खाद्य पदार्थ दिए जाएंगे और यह योजना चरणबद्ध रूप में लागू की जाए।

अब, यदि आप चाहें तो मैं यह बता सकती हूं कि इस वर्ष हम क्या करने जा रहे हैं। पंजाब राज्य में 1995-96 में हम नवीकृत पी. डी.एस. विकास खंडों के अंतर्गत और 40 विकास खंडों में जहां महिला साक्षरता कम है के अंतर्गत लगभग 2,368 रोजगार सुनिश्चित योजना लागू करने जा रहे है दिल्ली पांडिचेरी और चण्डीगढ़ की अधिसूचित शहरी बस्तियों में और प्राइमरी स्कूल खोलने जा रहे है। वर्ष 1996-97 में हम सभी अन्य अशिक्षित विकास खंडों को इस योजना में ले रहे हैं जिनकी संख्या लगभग 2,005 तक के करीब है। वर्ष 1997-98 तक देश की सभी विद्यालयों को जो 828 विकास खंडों में स्थित है इस योजना में लिया जाएगा और लगभग 3,000 नगर पालिकाओं का अगले तीन वर्ष में इस कार्यक्रम के अंतर्गत ले लिया जाएगा।

डा0 अमृतलाल कालिदास पटेल : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि गुजरात में भाजपा शासन के दौरान कड़े अनुभव के बाद हम एक कार्यक्रम लाये है जहां हम प्रतिछात्र 10 किलोग्राम खाद्य दे रहे हैं और यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। छात्रों की संख्या भी बढ़ी थी और उस कार्यक्रम में कोई कदाचार भी नहीं हुआ। क्या माननीय मंत्री महोदय इस कार्यक्रम के बारे में भी सोचेंगे।

कुमारी शैलजा : महोदय, हमने जो प्रारूप बनाया है वह सारे देश के लिए है। यदि कोई राज्य इसमें और कुछ करना चाहते हैं तो उनका हम स्वागत करेगें।

पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, मुझे शुरूआत में ही इस योजना का स्वागत करना चाहिए, जिसके बारे में मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया। कभी-कभी सरकार द्वारा शुरू की गई योजना एक साधारण कारण से भी लड़खड़ा जाती है कि निचले स्तरों पर लागू करने का तरीका ही ठीक नहीं है। इस मामले में, मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस योजना के वास्तविक रूप से उस उद्देश्य की पूर्ति हो जो प्रधानमंत्री महोदय इससे चाहते हैं अर्थात शिक्षा को बढ़ावा मिले और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की दर पर अंकुश लगे। क्या ग्रामों में स्वैच्छिक संगठनों और पंचायतों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा।

कुमारी शैलजा : महोदय, योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना और प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या को बढ़ाना,

छात्रों को स्कूल छोड़ने से रोकना और उपस्थिति बढ़ाना है। इस योजना का बच्चों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसी उद्देश्य से प्रधान मंत्री द्वारा मध्याहन भोजन योजना पर विचार किया गया और इसे शीघ्र ही 15 अगस्त से शुरू किया जा रहा है।

श्री पवन कुमार बंसल : स्वैच्छिक संगठनों के इस योजना से संबंध करने के बारे में क्या विचार है।

कुमारी शैलजा : हम स्वैच्छिक संगठनों को इस योजना से संबंध करने पर अवश्य विचार करेंगे। इसमें कुछ लचीले तथ्य भी है और इस तरह की पोषक सहायता गैर सरकारी संगठनों पर महिला समूहों अथवा किसी अन्य स्थानीय समूहों के द्वारा भी दी जा सकती है जैसा कि स्थानीय निगम चाहते है।

[अनुवाद]

श्री हरि केवल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने जिन राज्यों का ब्यौरा दिया है कि कितना धन किस राज्य में खर्च हुआ वह विस्तृत नहीं है। इसलिए इस दृष्टि से मैं जानना चाहता हूं कि बिहार राज्य में पिछले दो वर्षों में इस स्कीम में कितना खर्च हुआ है और क्या इस दृष्टि से बिहार राज्य की उपेक्षा की गई है।

कुमारी शैलजा : अध्यक्ष जी, जैस मैंने कहा, अभी तक यह स्कीम सेंट्रल की तरफ से लांच नहीं हुई थी और जिन राज्यों का मैंने ब्यौरा दिया है उन्होंने अपना पैसा ही इसमें खर्च किया है।

श्री रतिलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जिन राज्यों में यह "मध्याह्न भोजन योजना" चल रही है, उनमें यह योजना असफल रही है, क्या इस प्रकार की कोई रिपोर्ट राज्यों से मिली है और क्या ऐसी सूचना भी मिली है कि इस योजना के अन्तर्गत दिया जाने वाला अनाज इतना घटिया होता है कि जिसके कारण अनाज का बिगाड़ होता है क्योंकि इसको आधे से ज्यादा बच्चे खाते नहीं है और इसके परिणामस्वरूप बच्चे दोपहर के बाद स्कूल में उपस्थित नहीं होते हैं? अगर मिली है, तो क्या इसके अलावा कोई नयी और योजना चालू करने पर सरकार विचार कर रही है?

कुमारी शैलजा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा, सभी राज्यों में अलग-अलग स्कीमें चल रही थी, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमने इसमें लोकल बाडीज का, विमैन ग्रुप्स का और लोकल लैवल पर एजूकेशन कमेटीज का इन्वाल्वमेंट रखा है ताकि इस तरह की शिकायत न हो।

श्री भेरू लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है, जैसा सदस्य महोदय ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पहले जो दलिया प्राइमरी स्कूलों में दिया जाता था वह सही ढंग से नहीं मिलता था और उसमें कई तरह के घोटाले होते है और कुछ तो खाते भी नहीं हैं, फैंक देते हैं, तो जो नयी योजना आपने बनाई है, उसमें इसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा?

मंत्री महोदया ने दूसरी बात कही कि इसको निजी संस्थाओं को दिया जाएगा, तो निजी संस्थाएं किस तरह से काम करती है, यह तो हम सभी जानते हैं, तो क्या निजी संस्थाओं पर सरकार का अंकुश रहेगा?

कुमारी शैलजा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि यह योजना ठीक ढंग से चले, इसीलिए इसमें लोकल लैवल पर जो पंचायतें हैं, विमेन ग्रुप हैं, विलेज एजुकेशन कमेटियां हैं या वार्ड कमेटियां है या ग्राम सभाएं हैं, इन सबका इन्वाल्वमेंट होगा, ताकि इस तरह की शिकायतें न आएं।

[हिन्दी]

इसीलिए हम इस कार्यक्रम में समाज की भागेदारी इसे सफल बनाने के लिए चाहते है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जैसा मेरे साथी मित्रों ने कहा, मैं भी 20 साल तक टीचर रहा हूं, जो यह योजना विफल रही है उसके कारण है। कई-कई जगह तो विद्यार्थी को बुक, नोटबुक के साथ-साथ स्कूल अपना बर्तन लेकर भी जाना पड़ता है जिसमें वह दोपहर का भोजन जो इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है, वह खाकर फिर घर पर आता है। इसीलिए मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में दलित, शोषित और ट्राइब्स के जो क्षेत्र है, उनके बच्चों के लिए इस नयी योजना के अन्तर्गत कोई विशेष प्रावधान करेंगे ताकि उनको विशेष सुविधाएं मिल सकें हालांकि यूनैनिमिटी होती है, लेकिन गांवों में, पहाड़ों के इलाकों में, झुग्गी-झोपड़ी और अन्य ऐसी बस्तियों में जो स्कूल हैं, वहां के दलित, शोषित, पिछड़े और गरीब बच्चों के लिए इस योजना में क्या कोई विशेष सुविधा देना चाहेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसमें सभी सम्मिलित हैं। मैं यह नहीं समझता कि उत्तर देना आवश्यक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सबके लिए है।

डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी तमिलनाडु सरकार न केवल मध्याह्न भोजन की योजना लागू कर रही है बल्कि पिछले 20 वर्षों से पोषक आहार की योजना भी चला रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि क्या राज्य सरकार को धन उपलब्ध कराया जाएगा या केन्द्रीय सरकार स्वयं ही इस योजना को कार्यान्वित करेगी। तमिलनाडु की राज्य सरकार इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू कर रही है केवल दोपहर का भोजन देकर ही नहीं बल्कि पोषक आहार अण्डे और विटामिन युक्त आहार भी दिया जाता है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु सरकार की मांग पर विचार करेगी जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने इस योजना के लिए 600 करोड़ रुपये

देने की घोषणा की थी। जनसंख्या अनुपात के अनुसार कम से कम 10 प्रतिशत निधि तमिलनाडु सरकार को प्रदान की जानी चाहिए। मैं आप के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से यह जानना चाहूंगी कि क्या केन्द्रीय सरकार हमारी तमिलनाडु सरकार की मांग पर विचार करेगी जो पोषाहार से संबंधित है।

कुमारी शैलजा : महोदय, योजना यह है कि हम भारतीय खाद्य निगम से अनाज देंगे। हम भारतीय खाद्य निगम को इसका भुगतान करेंगे। जैसा कि मैंने कहा है, 100 ग्राम प्रति बच्चे के हिसाब से हम भारतीय खाद्य निगम को भुगतान करेंगे। केन्द्र सरकार भी इस अनाज को नजदीक के भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से विद्यालय तक ले जाने के लिए सहायता प्रदान करेगी। और वह, जैसा कि मानक स्तर है, प्रति क्विंटल 25 रुपये की दर से दी जायेगी। इस प्रकार से हमने इस पर विचार किया है। हम भोजन पकाने का मेहनताना भी देंगे और यह कार्य हमारी ग्रामीण विकास योजनाओं जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना और शहरी क्षेत्र कार्यक्रम इत्यादि के अंतर्गत किया जाएगा।

इस प्रकार से हम इसे केन्द्र से कार्यान्वित करने जा रहे हैं। अगर राज्य सरकारें कुछ अलग से प्रदान करना चाहें तो वे अपनी ओर से ऐसा कर सकती हैं और इसके लिए सारे देश में एक समान पैटर्न अपनाया जायेगा।

डॉ. श्रीमती के.एस. सौन्दरम : जी नहीं, महोदय। प्रश्न में यह पूछा गया था कि क्या संघ सरकार ऐसे स्कूलों को प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : सभी राज्यों में वे इसी प्रकार से मध्याह्न भोजन की योजना में अंशदान करने जा रहे हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : महोदय, क्या मैं इसका स्पष्टीकरण दे सकता हूं? इस प्रकार से राज्य सरकार को बचत होगी क्योंकि हम खाद्यान्नों जैसे चावल अथवा गेहूं की आपूर्ति की पूरी लागत देंगे और साथ ही, जैसा कि उपमंत्री महोदय ने कहा है हम, परिवहन लागत भी 25 रुपये प्रति क्विंटल की दर से देंगे। बाद में, जब खाद्यान्न वहां पहुंच जाता है और पकाया हुआ भोजन परोसा जाता है, तो उसका मेहनताना भी केन्द्रीय योजनाओं से दिया जायेगा। इस प्रकार से, यह एक प्रकार की बचत होगी। लेकिन राज्य सरकारों से हमारा विनम्र अनुरोध है कि जितनी भी बचत की जाये, उसे किसी अन्य मद के लिए परिवर्तित अथवा आवंटित करने के स्थान पर, शिक्षा पर खर्च किया जाये। यही हमारा अनुरोध है।

डॉ. कृपासिंधु भोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह मध्याह्न-भोजन की योजना अत्यंत प्रशंसनीय है और मैं इसके लिए सरकार का अभिनंदन करता हूं। लेकिन साथ ही मैं माननीय मंत्री से, जिन्होंने कहा है कि इस मध्याह्न भोजन की योजना के अंतर्गत प्रतिदिन प्रति बच्चे के लिए 100 ग्राम चावल अथवा गेहूं उपलब्ध कराया जायेगा, यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वे इसमें चावल और दाल को मिलाकर बनायी गयी खिचड़ी भी शामिल करने जा रहे हैं और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि एक बार यह मध्याह्न भोजन लेने से एक बालक को कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी।

कुमारी शैलजा : महोदय, इस समय हम सिर्फ आपूर्ति किये जाने वाले खाद्यान्न के बारे में बात कर रहे हैं। यह वर्ष में बच्चों की उपस्थिति के आधार पर लगभग 200 दिनों के लिए होगा।

डॉ. कृपासिंधु भोई : मैं आपसे खिचड़ी की कैलोरी मूल्य के बारे में बात कर रहा हूं, जिससे आपको सिर्फ चावल तथा गेहूं से कहीं अधिक कैलोरी मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : यह एक तकनीकी बात है और मंत्री महोदय इसकी जानकारी एकत्र करके माननीय सदस्य को ब्यौरे दे सकते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं अनुमानित जानकारी दे सकता हूं। जैसा कि मैंने कहा जब यह खाद्यान्न के अन्तरण की अवधि पूरी हो जाती है और जब स्थानीय निकाय पके हुए अथवा भोजन पकाने से पूर्व की व्यवस्थायें करते हैं, सामान्य तौर पर गुजरात के अनुभव को ध्यान में रखते हुए पकाने से पूर्व अथवा पकाये हुए भोजन का कैलोरी मूल्य प्रति बालक लगभग 350 से 450 कैलोरी होता है। इसी बीच, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी जानकारी के अनुसार गुजरात प्रति बालक एक रूपया नहीं बल्कि 1.50 रुपया खर्च कर रहा है।

श्री अनन्तराव देशमुख : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य में यह मध्याह्न भोजन उबले हुए अण्डे और सुखड़ी के रूप में दिया जाता है। अण्डे सहकारी समितियों से खरीदे जाते है और सुखड़ी, महिलाओं के अनौपचारिक समूहों, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, से प्राप्त की जाती है। अब, मैं माननीय मंत्री से जबकि इस योजना को 15 अगस्त से लागू किया जा रहा है, यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार महाराष्ट्र राज्य का तरीका अपनाने पर विचार करेगी ताकि महिलाओं के बहुत से अनौपचारिक समूहों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकें।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, किसी अखिल भारतीय योजना में इस प्रकार परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होगा।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, एक सप्ताह के बाद 15 अगस्त से आप इस कार्यक्रम को लागू करने जा रहे है। आपकी ही आई.सी.डी.एस. के तहत एक स्कीम है जिसमें बच्चों को आंगनवाड़ी में कुछ अनाज जैसे चना, दलिया वगैराह दिया जाता है। ऐसी शिकायतें मिलती है कि वह बच्चों को मिलता नहीं है और यदि मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने स्टेटस की स्कीम स्टडी की है लेकिन बच्चों को आई.सी.डी.एस. के तहत आंगनवाड़ी में जो सहायता दी जाती है, क्या आपने उसकी भी स्टडी की है और यदि की है तो उसमें जो कमियां रह गयी हैं, उनको दूर करके आप इस स्कीम को लागू करने का प्रयत्न करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में प्रश्न विषय से हटकर है।

कुमारी शैलजा : जी हां, महोदय।

भूकम्प पीड़ितों के लिए विश्व बैंक सहायता

*122. **श्री राम नाईक** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने महाराष्ट्र के लातूर तथा उस्मानाबाद जिलों के भुकम्प पीड़ित व्यक्तियों के पुर्नवास के लिए सहायता राशि को नई किस्तें जारी न करने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है,

(ग) विश्व बैंक से किस्तों में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा अब तक कितनी राशि का उपयोग किया गया है, और

(घ) अब तक प्राप्त किस्तों का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये है/उठाये जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र भूकम्प पुनर्वास कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक को ऋण सहायता राज्य सरकार द्वारा अपने बजट आवंटनों में किए गए खर्च को प्रतिपूर्ति के रूप में है। जून, 1995 तक महाराष्ट्र ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत 193.49 करोड़ रुपये खर्च किए है और 113.73 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति प्राप्त की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उपयोग की गई राशि प्राप्त हुई किस्तों से अधिक है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, आपके निर्वाचन क्षेत्र में अक्टूबर, 1993 में देश के इतिहास का सबसे भयानक भूकम्प आया था। उसमें हजारों लोग मर गए, अरबों रुपये की वित्त की हानि हुई। राज्य सरकार ने कहा था कि हम सब प्रकार की सहायता देंगे। केंद्र सरकार ने भी कहा था कि हम पुनर्वास के लिए सब प्रकार की सहायता देंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि 52 गांवों में लगभग 25,000 नये घर बनाने है और उसमें स्वयं सेवी संगठनों ने तो 16 गांवों में काम कर लिया हैं, 7,000 घर बनाये है। सरकार की और से अब तक एक भी गांव में कोई घर नहीं बना है। वर्ल्ड बैंक की यह कंडीशन अभी हमको पता चली है कि सहायता के लिए एक करोड़ छयासी हजार में से जो राशि दी जाएगी, वह रीऐमबर्समैंट के रूप में होगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक की द्वारा इस प्रकार की कंडीशन लगाना और राज्य सरकार द्वारा उसे मान्य करना उसे उचित होगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस पर सरकार का मत जानना चाहते हैं?

श्री राम नाईक : जी नहीं, मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने इसे मान लिया है या नहीं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उचित लगता है।

श्री राम नाईक : केन्द्र सरकार ने ऐसा क्यों किया? यदि रिऐमबर्समैंट के आधार पर पुनर्वास होना है तो सरकार के अनुमान से 25,000 नये घर बनाने में कितने साल लगेंगे क्योंकि यहां पर ऐसा बताया गया था कि दो साल में पुनर्वास का सारा काम पूरा करेंगे?

श्री अरविन्द नेताम : यह बात सही है कि स्वयं सेवी संस्थाओं ने उनकी जिम्मेदारी ली थी और वे 7,000 मकान पूरे कर चुके हैं। राज्य सरकार की तरफ से मकानों का कार्य निर्माणाधीन है। अध्यक्ष जी, आप जानते है कि...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में बहुत जानता हूं।

श्री अरविन्द नेताम : शासकीय स्तर पर जो फौर्मैलिटीज होती है उसमें थोड़ा वक्त लगता है और स्वयं सेवी संस्थाओं को वह फौर्मैलिटीज पूरी नहीं करनी पड़ती। इसलिए थोड़ी बहुत देर हुई है। पर कंस्ट्रक्शन का जो टेक-अप हुआ है, वह काफी तादाद से हुआ है। अब दो साल का जो एक टारगेट है, उस दो साल में सारे मकान पूरे हो जाएंगे। ऐसी हमें, राज्य शासन से सूचना मिली है।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, आपने तो कह दिया कि आप बहुत जानते है, लेकिन आप यहां सवाल तो नहीं पूछ सकते है।

अध्यक्ष महोदय : मैं गाईड कर सकता हूं।

श्री राम नाईक : मराठवाडा के उस क्षेत्र का एक भी मान्यवर सदस्य यह सवाल पूछने के लिए दिखाई नहीं देता है...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह गलत बात है। यह राजनीति है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : नहीं अध्यक्ष जी, उनको भी मालूम था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें विपत्ति के समय लाभ उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : वह ठीक है और इसीलिए उस समय पर देश विदेशों से, एक दृष्टि से देखा जाए तो सहायता की बाढ़ आई थी। लगभग एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा रकम सहायता के रूप में केन्द्र सरकार के पास विदेशों से आई थी, ऐसा यहां पर बताया गया था। मेरा प्रश्न यह है कि क्या केन्द्र सरकार ने वह राशि राज्य सरकार को दे दी है, जो सहायता केन्द्र सरकार के पास आई थी, ताकि यह काम जल्दी पूरा हो जाये? यह सहायता कितनी थी और आज तक उसमें से कितनी दी गई है, जिससे यह काम दो साल में पूरा हो सके?

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने

कहा कि जो भी सहायता चाहे विदेश से आई हो चाहे भारत सरकार की हो या राज्य सरकार की अपनी बजटीय स्पोर्ट हो, उसमें जो भी 1087 करोड़ है, टोटल, उतनी तो...

श्री राम नाईक : वह तो वर्ल्ड बैंक का लोन है।

श्री अरविन्द नेताम : नहीं, मैं टोटल कह रहा हूं। 816 करोड़ वर्ल्ड बैंक और अदर एजेंसीज के है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का 130 करोड़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 5 करोड़ से भी कुछ ज्यादा है, 5.5 करोड़ है, डोनर्स का 135.87 करोड़ के करीब है। यह पैसा खर्च करना है हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार अगर तत्परता से, थोड़ी सी गतिशील होकर काम करेगी तो निश्चित है कि दो साल में जितने भी टार्गेट रखे गये है, वह पूरे हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह पैसा पूरे दे देंगे।

श्री अरविन्द नेताम : जी हां, महोदय।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : नहीं अध्यक्ष जी, मेरा सवाल था कि क्यों नहीं दिये हैं?

अध्यक्ष महोदय : खर्चा करने के बाद देना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप खर्च कीजिये और आपको पैसा मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : नहीं, यह वर्ल्ड बैंक की कण्डीशन तो मैं मान सकता हूं।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, बैंक यह पूछे, उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि लेटैस्ट वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी, उसकी नौ जून की उनकी जो रिपोर्ट है, वह उन्होंने दी है, उसका मैं थोड़ा सा बता दूं। क्योंकि, वह उनका काम भी संतोषजनक बताते है और हमारी जो अर्बन डवलपमेंट मिनिस्ट्री है, जिनकी रिहैबिलिटेशन की जिम्मेदारी है, उनके साथ उनकी एक मीटिंग हुई है, उसके लिए बताया है, वह कहते हैं।

[हिन्दी]

> "पहले वर्ष के पश्चात् लाभप्राप्तकर्त्ताओं द्वारा 2,10,000 घरों की मरम्मत और उन्हें मजबूत बनाने का काम अच्छी तरह से शुरू हो गया है। जिसमें 30,000 घरों की मरम्मत, पुनर्निर्माण और उन्हें मजबूत बनाने का काम चल रहा है। 30 जून, 1997 तक इस कार्य को पूरा करने संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मौजूदा कार्य की गति को बनाये रखने और बढ़ाने की आवश्यकता है। 52 गांवों में पुनर्आवंटन के काम में काफी अच्छी प्रगति हो रही है।
>
> ऐसी स्थिति है। लेकिन मुझे और अधिक धनराशि चाहिए। राज्य सरकारों को भी और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है और जितनी भी धनराशि की आवश्यकता होगी, उपलब्ध कराई जायेगी।"

[हिन्दी]

श्री अन्नाजोशी : अध्यक्ष जी, यहां उत्तर में लिखा हुआ है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र सरकार ने 193.49 करोड़ रुपये खर्च किये हैं लेकिन प्रतिपूर्ति 113.73 करोड़ रुपये की गई है।

[हिन्दी]

मेरी जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अभी तक 300 करोड़ रूपया खर्चा हुआ है और उसमें से उनको 164 करोड़ लिया है और 136 करोड़ बाकी है। जो भी हो, आपके कहने के मुताबिक 80 करोड़ और मेरी जानकारी के अनुसार 136 करोड़, यह जो रीअम्बर्समेंट आना है, यह खर्चा तो हो चुका है, इसमें से सही फीगर कौन सी है और वह जल्दी प्राप्त करने के लिए शासन क्या प्रयत्न करेगा?

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, हो सकता है कि माननीय सदस्य के पास लेटस्ट इन्फोर्मेशन होगी, पर हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो सूचना दी है, उसमें हमने कहा है कि 193 करोड़ का खर्चा हुआ, उसका रीअम्बर्समेंट होगा। पर रीअम्बर्समेंट करने की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी खर्चा होगा, हम रीअम्बर्स करेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा : माननीय मंत्री ने कहा है। कि यह बात स्पष्ट थी कि जो किश्त मिली थी खर्चा उससे ज्यादा था। किश्त के बजाय उसका उपयोग हमेशा ही अधिक होगा। समस्या यह है कि आप इसे तेजी से खर्च नहीं कर रहे हैं। महोदय, हम वहां गये और आप स्वयं भी वहां थे। हमने देखा कि जो काम वहां चल रहा है, चाहे वे पुनर्वास कार्यक्रम हो अथवा घरों के निर्माण का, उन की गति बहुत धीमी है। दूसरी ओर, जैसा कि मित्र श्री राम नाईक ने कहा है, स्वयंसेवी संस्थाओं, निजी क्षेत्र के संगठनों जैसे एच.एफ.डी.सी., टाटा, वाडिया, रिलायंस, आर.एस.एस., और हैदराबाद संस्थान ने जो काम शुरू किया वह शीघ्रता से पूरा हो गया। उनका आश्रय स्थलों अथवा आवास निर्माण का काम समाप्त हो गया है। अत:, सरकार द्वारा किये जाने वाले काम में विलम्ब क्यों हो रहा है?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्पष्ट किया है कि निविदायें आमंत्रित करने और अन्य प्रक्रिया संबंधी बातों की वजह से ऐसा हो रहा है।

श्री मुरली देवरा : अनेक एजेंसियों जैसे ओवरसीज डेवेलपमेंट एजेंसी (ओ.डी.ए.) ने विशेष उद्देश्यों के लिए धनराशि दी है; यह आश्रय स्थलों के निर्माण के लिए ही नहीं है बल्कि अस्पतालों, पुनर्वास केन्द्रों और कल्याण केन्द्रों इत्यादि के निर्माण के लिए भी है। इस धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है? गृह निर्माण के लिए कितनी धनराशि का उपयोग किया जा रहा है, पुनर्वास के लिए कितनी धनराशि का उपयोग किया जा रहा है और अन्य परियोजनाओं

जैसे अस्पताल इत्यादि के लिए कितनी धनराशि उपयोग में लाई जा रही है?

[हिन्दी]

श्री अरविंद नेताम : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि स्वयं सेवी संस्थाओं ने अच्छा काम किया है, हम उसके लिए बधाई देते हैं। हाउसिंग के अलावा भी दूसरे सेक्टर हैं। जिसमें करीब 298 करोड़ रुपया है। उसमें भी काम प्रगति पर है, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित हो चुका है। इकोनोमिक रिहैबिलिटेशन के लिए 18 करोड़ रुपये रखे हैं, सोशल रिहैबिलिटेशन के लिए 32 करोड़ रखे हैं, कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन के लिए 30 करोड़ रुपये रखे हैं और टेक्नीकल असिस्टेंस ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट के लिए 66 करोड़ रुपये रखे हैं। इस प्रकार से अलग-अलग क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया गया है।

श्री मुरली देवरा : खर्चा हो गया है?

श्री अरविंद नेताम : राज्य सरकार इसमें और गति दे तो खर्चा दो साल में हो सकता है। हम आपकी भावनाओं को राज्य सरकार तक पहुंचा देंगे।

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ भावनायें ही पहुंचा देंगे?

[अनुवाद]

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : विश्व बैंक ने कितनी धनराशि स्वीकृत की थी और अब तक कितनी धनराशि का उपयोग हुआ है? मुझे बताया गया है 1,200 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये थे जबकि 300 करोड़ रुपये भी खर्च नहीं किये गये हैं। खर्च करने में इतना विलंब क्यों किया जा रहा है?

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि विश्व बैंक ने कुल मिलाकर करीब 816 करोड़ रुपये दिये हैं। मेन कम्पोनेंट हाउसिंग का है। उसमें राज्य सरकार ने काम शुरू किया है। यह ठीक है कि उसमें देरी हुई है। फाइनेंस की वजह से करीब एक साल में काम शुरू हुआ है, दो साल में पूरा हो जायेगा, ऐसी हमें उम्मीद है और उसमें पूरा खर्च भी हो सकेगा।

श्रीमती भावना चिखलिया : अक्सर देखा गया है जहां-जहां सरकार काम कर रही है वहां काम धीरे होता है। लातूर में जिसके घर नहीं बने है, वे लोग रोड पर बैठे हैं। मैंने इसके बारे में महिला स्वयं सेवी संस्था, जो वहां काम कर रही है, से जानकारी ली है। मैं मंत्रीजी से जानना चाहती हूं आपने कहा कि राज्य सरकार किस तरीके से काम करेंगी, उसका जवाब आपने राम नाईकजी को दिया, क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकार को साथ में लेकर समयबद्ध कार्यक्रम बनायेगी जिससे यह काम दो साल में पूरा हो, क्या उसके लिए कुछ ठोस कदम उठायेगी?

श्री अरविंद नेताम : पूरी योजना जून, 1997 में पूरी होनी है, अभी 1995 चल रहा है। राज्य सरकार काम में लगी हुई है, वहां कुछ देरी हुई है, लेकिन काम शुरू हो गया है, टेकअप हो गया है। हाउसिंग के अलावा भी दूसरे कम्पोनेंट्स पर काम शुरू हो गया है, हमें उम्मीद है कि वे भी समय पर पूरे हो जायेंगे।

श्री बलराम जाखड़ : पिछले दिनों अर्बन डवलपमेंट के लोगों के साथ मीटिंग हुई थी और उसमें विचार किया गया कि इसमें देरी न हो। विश्व बैंक भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी पैसा खर्च किया जाये जिससे लोगों को फायदा हो इसलिए इसमें गति तेज करने के लिए कुछ नये कदम उठाये गये है। उन्होंने कहा है कि हम काम कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं, इसीलिए हमने अर्बन डवलपमेंट विभाग से बात करी है कि वह ठीक ढंग से जल्दी इसका निपटारा करने की कोशिश करें।

श्रीमती भावना चिखलिया : अब कमेटी का तो कुछ नहीं होता है। इसके ऊपर ए.टी.आर. आ जायेगा। कमेटी क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरकार को इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाना चाहिए और उसे यह प्रयास करना चाहिये कि इसमें तेजी लाई जाये।

श्री बलराम जाखड़ : मैं शहरी विकास प्राधिकारियों से इस बारे में निश्चित रूप से पूछूंगा।

पूंजी-प्रधान परियोजनाएं

*123. डा0 (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम +
श्री के. प्रधानी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी पूंजी प्रधान तथा ऐसी परियोजनाओं जिनके वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन में अधिक समय लगेगा, में पूंजी निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निजी निवेशकों की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार इसे उत्साहजनक मानती है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) रेलों ने अपनी विकास योजनाओं के लिए बजटीय समर्थन में भारी कटौती के फलस्वरूप निर्माण-स्वामित्व-पट्टा-हस्तांतरण योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र द्वारा निवेश के जरिए कुछ कार्य करने का विनिश्चय किया है, इस योजना में निजी उद्यमियों और वित्तीय संस्थानों को परिसंपत्तियों का निर्माण/विनिर्माण

करने और निर्मित परिसंपत्ति को रेलों को पट्टे पर देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। रेलें परिसंपत्ति के लिए उद्यमियों को पट्टे की अवधि के दौरान परस्पर सहमति के अनुसार पट्टा प्रभारों का भुगतान करेंगी, पट्टा अवधि समाप्त होने पर परिसंपत्ति रेलों को हस्तांतरित कर दी जाती है। बोल्ट योजना के अंतर्गत उद्यमियों और वित्तीय संस्थानों का चयन, निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए खुली बोलियां आमंत्रित करने के बाद किया जाता है। बोल्ट योजना के अंतर्गत शुरू करने के लिए 24 से अधिक परियोजनाओं की पहचान की गई है।

कुछ परियोजनाओं के लिए बोलियां प्राप्त हो गई हैं और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। उनके संबंध में अंतिम निर्णय होने के बाद परिणाम का पता चल सकेगा।

डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम : रेलवे में माल डिब्बों की कमी के कारण बाजार में बहुत सी अनिवार्य वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल और कोयला इत्यादि आसानी से नहीं मिल रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप इनकी कीमतों में वृद्धि हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या माल डिब्बों के निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी और इस दिशा में क्या रेलवे ने निवेशकों को माल डिब्बों के उत्पादन शुरू करने के लिए अब तक कोई अनुमति दी है और यदि हां, तो माल डिब्बों के कारखानों से तैयार होकर आने के लिए कोई अनुमानित अवधि निर्धारित की है।

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक माल डिब्बों की आवश्यकता का संबंध है, हममें से प्रत्येक इसके लिए चिंतित है और बोल्ट की इस योजना के अन्तर्गत अब तक निजी निवेशकों को 4,000 माल-डिब्बों के निर्माण का अर्थात् लगभग 10,000 यूनिटें देने का प्रस्ताव है और अभी तक कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई हैं निविदाएं आमंत्रित की जायेंगी और बाद में जैसी कि प्रक्रिया निर्धारित है, उन्हें प्रसंस्कृत किया जायेगा।

डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम : अपने उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि 24 परियोजनायें ली जायेंगी। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि शुरू की जाने वाली 24 परियोजनायें कौन-कौन सी हैं और वास्तविक रूप से उन पर काम शुरू करने में क्या प्रगति हुई है। चूंकि भूमिगत मैट्रो रेलवे परियोजना में भारी निवेश की आवश्यकता है और रेलवे इस प्रकार की परियोजनायें लेने में समर्थ नहीं है तो सरकार मद्रास, मुम्बई और दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण दूर करने और मैट्रो रेलगाड़ियों में भारी भीड़ को कम करने के उद्देश्य से इन शहरों में भूमिगत रेलवे प्रणाली के लिए निजी निवेशकों जैसे अनिवासी भारतीयों तथा अन्य लोगों को आमंत्रित क्यों नहीं करती?

श्री मल्लिकार्जुन : इन 24 परियोजनाओं की पहचान आमान-परिवर्तन, दोहरीकरण, विद्युतीकरण और चल-स्टॉक के लिए की गई है। लेकिन जहां तक भूमिगत रेलवे परियोजना के संबंध में माननीय सदस्य का सुझाव है, उस प्रस्ताव पर अभी तक विचार नहीं किया गया है।

श्री के.प्रधानी : अध्यक्ष महोदय आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में कच्चा माल बहुतायत में उपलब्ध है जहां अनेक उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। लेकिन चूंकि उद्योगों के निर्माण के लिए रेलवे लाइन मुख्य आधारभूत तत्वों में से एक है, अत: उनकी स्थापना संभव नहीं हो सकती है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर रेलवे लाइन बिछाने पर बी.ओ.एल.टी. योजना के अन्तर्गत विदेशी निवेशकों, अनिवासी भारतीयों अथवा निजी क्षेत्र के अन्य लोगों को आमंत्रित करने पर विचार करेगी।

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों का संबंध है, सरकार का प्रयास यही रहा है कि वहां किस प्रकार से बेहतर आधार संरचना का विकास हो। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं अभी इस महान सभा में मौजूदा शुरू की गई योजनाओं के बारे में बताऊंगा और उन योजनाओं से माननीय सदस्य इस निर्णय पर पहुंच सकेंगे कि रेलवे ने वास्तव में योजनाएं शुरू की हैं।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, रेलों का निर्माण हमारे देश के लिए और देश की प्रगति के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन कहा जा रहा है कि रेल बजट में नई रेलों का प्रावधान करने के लिए यह अवसर नहीं है और इस कारण नए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिन-जिन स्थानों पर गैज-कन्वर्जन होने के काम या डिसमेंटल होने के काम हो गए हैं, उस काम को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। हमारे यहां पर उज्जैन, आगर, झालावार और रामगंज मंडी को जोड़ने का काम प्रस्तावित किया हुआ है। उज्जैन और आगर नैरोगेज-लाइन को पहले ही डिसमेंटल कर दिया है। इस लाइन को पूरा करने के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि इसको ब्राडगेज पर लाकर उज्जैन और कोटा तक जोड़ दिया जाए। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ऐसी कामों को समयबद्ध रूप से कब पूरा करेंगे तथा आप कौन-कौन सी योजनाओं के लेने वाले हैं, उनके बारे में कृपया बतायें, जिससे पता लगे कि कौन-कौन मार्गों पर तत्परता से काम करने की तैयारी कर रहे हैं तथा ऐसी प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी जाएं? यदि इन प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी मिल जाए और आपकी नीति प्रकट हो जाती है, तो लोगों को राहत मिलेगी।...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। यह निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित है। इस प्रश्न की अनुमति नहीं है। हम अगला प्रश्न लेते हैं।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को वित्तीय सहायता

*124. श्री जनार्दन मिश्र :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान राज्यवार विश्वविद्यालयों और कालेजों को कुल कितना सहायता अनुदान दिया गया;

(ख) क्या यह सहायता अनुदान विश्वविद्यालयों और कालेजों के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो विश्वविद्यालयों और कालेजों के सहायता अनुदान में वृद्धि करने तथा यह सुनिश्चित करने के इस प्रकार से दी गई धनराशि का उनके द्वारा समुचित ढंग से उपयोग किया जाए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) एक परिशिष्ट संलग्न है।

(ख और (ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना संसद के अधिनियमों द्वारा की जाती है और उनके पूरे रख रखाव और विकास व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य विधानों द्वारा की जाती है और उनके अनुरक्षण तथा विकास व्यय की व्यवस्था संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को केवल विकास अनुदान प्रदान करता है और वह भी उनकी आवश्यकता के एक अंश के लिए। यह मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों तथा एजेंसियों का उत्तरदायित्व होता है कि वे स्वयं द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को उचित मात्रा में योजनागत और योजनेतर अनुदान प्रदान करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आठवीं योजना में विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली योजनागत सहायता के मान को उदार बना दिया है। सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रदान किए जाने वाले योजनागत अनुदानों में भी वर्ष दर वर्ष लगातार पर्याप्त वृद्धि हो रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनुदान, विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर तथा उनको प्रदत्त एवं अनुदान राशियों से संबंधित अन्य प्रलेखों और उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति के पश्चात प्रदान किए जाते हैं।

परिशिष्ट

वर्ष 1993-94 के दौरान विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को दिया गया अनुदान

(रू. लाख में)

राज्य का नाम	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय
आंध्र प्रदेश	2966.08	311.12
दिल्ली	7465.76	7305.93
अरूणाचल प्रदेश	-	2.89
असम	167.67	85.92
बिहार	924.89	96.49
हरियाणा	109.11	114.75
गुजरात	688.93	77.06
गोवा	37.69	11.80
हिमाचल प्रदेश	48.68	8.51
जम्मू एवं कश्मीर	78.80	4.73
कर्नाटक	707.33	161.09
केरल	318.55	112.24
मणिपुर	52.84	10.21
मेघालय	1687.12	7.95
मध्य प्रदेश	414.74	380.77
महाराष्ट्र	1047.65	384.32
उड़ीसा	139.25	120.43
पंजाब	484.10	113.11
पांडिचेरी	661.76	3.13
राजस्थान	413.56	137.16
तमिलनाडु	1087.20	646.67
त्रिपुरा	11.54	2.52
उत्तर प्रदेश	14037.37	755.01
पश्चिम बंगाल	2490.86	177.85

वर्ष 1994-95 के दौरान विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को दिया गया अनुदान

(रू. लाख में)

राज्य का नाम	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय
1	2	3
आंध्र प्रदेश	2911.59	460.05
दिल्ली राज्य	5024.98	8172.83
मेघालय	1653.10	
अरूणाचल प्रदेश		

1	2	3
असम	623.09	162.47
बिहार	1031.66	291.22
हरियाणा	232.43	231.82
गुजरात राज्य	926.68	92.45
गोवा राज्य	59.21	29.62
हिमाचल प्रदेश	102.13	55.20
जम्मू एवं कश्मीर	217.95	1.57
कर्नाटक राज्य	753.73	353.38
केरल राज्य	387.63	167.00
मणिपुर	44.55	13.69
मध्य प्रदेश	708.49	347.67
महाराष्ट्र राज्य	989.71	637.25
नागालैंड	90.05	-
उड़ीसा राज्य	385.20	242.13
पंजाब राज्य	486.24	222.38
पांडिचेरी	537.91	0.19
राजस्थान राज्य	263.19	250.13
तमिलनाडु राज्य	1404.44	498.16
त्रिपुरा राज्य	29.48	1.61
उत्तर प्रदेश	15261.92	601.61
पश्चिम बंगाल	2703.56	362.36

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को वर्ष 1995-96 (31 जुलाई, 1995 तक) दिया गया अनुदान

(रू. लाख में)

राज्य का नाम	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय
1	2	3
आंध्र प्रदेश	920.59	65.57
अरूणाचल प्रदेश	5.00	-
असम	254.35	38.28
बिहार	269.58	99.74
संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	7391.06	3720.79
हरियाणा	8.73	22.35
गुजरात	148.02	33.60
गोवा	6.27	
हिमाचल प्रदेश	5.50	9.09
जम्मू एवं कश्मीर	17.39	
कर्नाटक	191.63	36.97
केरल	26.71	30.78
मणिपुर	22.84	
मेघालय	708.75	
मध्य प्रदेश	208.47	30.41
महाराष्ट्र	215.45	83.27
उड़ीसा	29.87	32.19
पंजाब	80.33	33.50
राजस्थान	115.00	20.29
तमिलनाडु	250.04	42.20
त्रिपुरा	10.22	1.25
उत्तरप्रदेश	9402.06	126.66
पश्चिम बंगाल	905.48	52.62
पांडिचेरी	268.03	
नागालैण्ड	60.00	

[हिन्दी]

श्री जनार्दन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वर्ष 1991 92 में जो राशि मिलती आई है, वह नाकाफी है और इधर तीन सालों में इन कालेजों के खर्चे दुगुने हो गए हैं और सरकार 1991 92 के अनुसार ही राशि इन कालेजों को दे रही है। यूजीसी के इस रवैये से कालेजों का शैक्षणिक वातावरण स्तर गिर रहा है और शिक्षकों की कमी की वजह से पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है। अनुदान न मिलने की वजह से कुछ नए पाठ्यक्रम जैसे कम्प्युटर कोर्स आदि बेकार साबित हो रहे हैं, क्योंकि विशेषज्ञ शिक्षकों की इन कालेजों में जरूरत है। पिछले वर्ष की तुलना में कम छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, 1995 96 में कालेजों की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार क्या उन्हें धनराशि प्रदान की जाएगी?

कुमारी शैलजा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। यूजीसी जो ग्रांट देती है, वह सिर्फ सैंट्रल यूनिवर्सिटीज को पूरे रूप से फंड करती है। जहां तक दूसरी यूनिवर्सिटीज और कालेजेज का सवाल है, उनके लिए अलग से क्राइटेरिया है, जिसके तहत उनको फंड किया जाता है।

[अनुवाद]

मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है जिन्होंने उन्हें स्थापित किया है। यदि कालेज अनुदान के पात्र पाये जाते हैं तो हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के अन्तर्गत उन्हें अनुदान देते हैं। लेकिन यह नाम मात्र की राशि होती है। यह राशि 1 लाख रुपये से 3 लाख रुपये या 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच होती है। इसलिए, वस्तुत: मैं यह नहीं कह सकती हूं कि हम इसमें पर्याप्त वृद्धि कर पायेंगे। लेकिन माननीय सदस्य जानते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सरकार भी किसी न किसी प्रकार की वित्तीय तंगी का सामना कर रहे हैं। अत: इन सब बातों का इन पर प्रभाव पड़ा है।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यूजीसी के अध्यक्ष रामा रेड्डी जी ने अपनी चिंता व्यक्त की है कि अगर सरकार ने यूजीसी को धनराशि नहीं दी तो कालेजों और विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक स्तर गिर जाएगा। मेरा कहना यह है कि अगर ये शैक्षणिक स्तर गिर गया तो देश का विकास भी रूक जाएगा। मैं विभिन्न राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में और कालेजों में, जोकि अनुदान सूची में लंबित हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 2च व 12ख के अनुसार मान्यता प्राप्त है, क्या उनको विकास अनुदान देंगे और उनकी आवश्यकता अनुसार देंगे?

अध्यक्ष महोदय : इसका तो पहले उत्तर में ही जवाब आ गया है, अगर कुछ दूसरा है तो आप पूछिए।

कुमारी शैलजा : मैं एक चीज जरूर क्लेरीफाई करना चाहूंगी कि यूजीसी के चेयरमैन अब प्रो. रामा रेड्डी नहीं हैं, श्रीमती अल्वर्ती देसाई है। (व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी माननीय शैलजा जी ने कहा है कि जो जिम्मेदारी है, जहां तक स्टेट यूनिवर्सिटीस का सवाल है वह राज्य सरकार की ही है। हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है, जहां तक स्टेट यूनिवर्सिटीस का सवाल है वह राज्य सरकार की ही हैं। हमारी प्रमुख जिम्मेदारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीस और कुछ हद तक डीम्ड यूनिवर्सिटी की है। इसके अलावा जो आपने आर्थिक संसाधनों की कमी का उल्लेख किया है, आर्थिक संसाधनों की कमी निश्चित रूप से हम सब महसूस कर रहे हैं और हमारा यही प्रयास है कि अधिक से अधिक धन निकाल कर आर्थिक संसाधन बढ़ाए जाएं ताकि हमारी यूनिवर्सिटीस को फंड मिले। इस लक्ष्य हेतु फाइनेंस मिनिस्ट्री को हमने पत्र लिखा था और उस पत्र के अंतर्गत लगभग 110 करोड़ रु0 नान प्लान के अंतर्गत और 120 करोड़ रूपए प्लान के अंतर्गत आर्थिक संसाधन की मांग हमने रखी थी, पहले जो बैच ऑफ सप्लीमेंट्री है उस सप्लीमेंट्री बजट में नही सम्मिलित किया गया है। मेरा यह निर्णय है कि मैं दोबारा वित्त मंत्री जी को इस बारे में अनुरोध करूंगा।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों और कालेजों को जो यूजीसी ग्रांट देती है उसके लिए एक मानक बना हुआ है, वह कब बनाया गया है और क्या उस मानक को रिवाइस करने पर सरकार विचार करेगी? इसी प्रश्न का ख भाग है कि उत्तर प्रदेश के कालेजों और विश्वविद्यालयों को 1993-94 में जो अनुदान यूजीसी ने दिया था उससे 1994-95 में विश्वविद्यालयों के अनुदान में तो बढ़ोत्तरी की गई लेकिन कालेजों के अनुदान में कमी कर दी गई, ऐसा क्यों किया गया, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, जो मापदंड होते हैं उन पर समय-समय पर विचार होता है और समय-समय पर आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन और परिवर्तन लाने का प्रयास यूजीसी करती है। जैसे कि यह ऑन गोइंग प्रोसेस है, जो पूर्व के मापदंड थे उसमें कुछ उदारीकरण लाया गया है और पहले यूनिवर्सिटीस को फाइनेंशियल असीस्टेंस दिया जाता था, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग, वूमैन होस्टल, एक्सटेंशन प्रोग्राम आदि के लिए दिया जाता था, अब सौ परसैंट बेसिस पर दिया जाता है। पहले मात्र 75 प्रतिशत बेसिस पर दिया जाता था और इसके अलावा लेबोरेटरीज, क्लास रूम्स, मैस होस्टल में भी 50 प्रतिशत पर सातवें प्लान में दिया जाता था लेकिन अब 75 प्रतिशत पर दिया जाता है। हर जगह इस पर पुनर्विचार हो रहा है और यह नियंत्रण एक धारा है, एक विचार है और इस पर विचार होकर परिवर्तन होता है। इसके अलावा जो यूजीसी ग्रांट्स कालेजों को दिए गए हैं, वह 1994-95 में 121 करोड़ रुपए दिये गये, जहां 1993-94 में मात्र 110 करोड़ रुपए दिए गये थे।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जो स्टेटमेंट में आया है वह संख्या दूसरी है। इसमें जो संख्या दी गई है वह यह है कि 755 लाख रुपए 1993-94 में दिए गए थे और 1994-95 में कालेजों को 601 लाख रुपए दिए गए थे, तो उसमें 155 लाख रुपए की कमी की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कमी क्यों की गई है?

कुमारी शैलजा : यह कमी नहीं की गई है, एलोकेशन 5 साल के लिए करते हैं और उसमें जो बढ़ोतरी करते हैं वह एज पर दी यूटीलाईजेशन बाई दी कालेज करते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस वर्ष जो भी धनराशि बढ़ा कर दी गई है, वह विद्यमान कालेजों और विश्वविद्यालयों के लिए नहीं है अपितु इसकी आवश्यकता कई नए स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए है। हाल ही में विश्वविद्यालय आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों के कई विभागों और संकायों को स्वयं के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु एक परिपत्र भेजा गया है। इसमें संदेह नहीं है कि इस तरह कुछ धनराशि जुटायी जा सकती है लेकिन यदि विश्वविद्यालयों और कालेजों को निजी स्त्रोतों से धनराशि के लिए चक्कर लगाना पड़ेगा तो यह होगा कि उद्योग न तो मूलभूत अनुसंधान और न ही ज्ञात के संवर्धन में इच्छुक होंगे जिसका कि बाजार में तुरंत कोई उपयोग नहीं है। इस तरह, मूलभूत, अनुसंधान और ज्ञान के संवर्धन में लगे कतिपय क्षेत्रों को नुकसान होगा। अत: मैं यह जानना चाहती हूं कि मंत्रालय उन क्षेत्रों में संसाधन का आवंटन बढ़ाने पर विचार करेगा जहां उद्योगों के निवेश करने की संभावना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपको पुन: यह स्पष्ट करना है कि उत्तरदायित्व का कितना हिस्सा राज्य सरकार द्वारा और कितना केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

कुमारी शैलजा : विश्वविद्यालयों और कालेजों के संबंध में जहां तक राज्य का संबंध है, हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सम्पूर्ण बजट में से 40 प्रतिशत राज्यों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए देते हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने नए विश्वविद्यालयों के बारे में जो कहा है, उसके लिए धनराशि वस्तुत: पर्याप्त नहीं है। यह लगभग 30 करोड़ रूपये है....(व्यवधान)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मुझे यह मालूम है। यह नए विश्वविद्यालयों के लिए पर्याप्त नहीं है। यहां तक कि दूसरी तरफ, विद्यमान कालेजों को देने के लिए भी कोई धनराशि नहीं है।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि दिशानिर्देश और सिफारिशें विश्वविद्यालयों को अपनाने और अपने संसाधन बढ़ाने के लिए भेजी गई हैं। लेकिन यह सरकार के मुख्य उत्तरदायित्व के विकल्प नहीं है। हमें इसकी पूरी जानकारी है और हम अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। विश्वविद्यालय जो कुछ भी धनराशि जुटाने में समर्थ होंगे वह अतिरिक्त धनराशि के रूप में होगी। अत: यदि आप किसी परियोजना के लिए कुछ धनराशि जुटाते हैं तो वह पहले से विद्यमान बजट में से कम नहीं की जायेगी, जिसे अन्य अनुसंधान कार्यक्रम के लिए आवंटित किया जायेगा। पहले जब कोई विश्वविद्यालय या कालेज अन्य संसाधनों से धनराशि जुटाते थे तो इस बजट आवंटन में से कम किया जाता था। अब यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इसे अब बजट में से कम नहीं किया जायेगा। जो धनराशि सरकार दे रही है यह उसके अतिरिक्त होगी। यही नहीं, इस राशि को शत प्रतिशत अनुदान दे कर सरकार द्वारा दी गई राशि के बराबर किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर में कहा गया है कि केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को ही वे पूर्ण अनुदान देने के भागी हैं, और कालेजों के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सातवें दशक में यूजीसी द्वारा राज्य के कालेजों को 2 भागों में बांटा गया। एक एफीलिएटेड और दूसरे कांस्टीट्वेंट्स कालेज। कांस्टीटवेंटस कालेजों के खर्चे की जिम्मेदारी इस फिलासफी के साथ यू जी सी द्वारा वहन की गई कि शिक्षा के स्तर में इससे विकास होगा। 10-15 प्रतिशत राज्य सरकारों पर इसका भार दिया गया, बाकी की जिम्मेदारी यू जी सी की थी और उसमें हर वर्ष 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देने की बात कही गई थी। आपने कहा कि यह ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऑन गोइंग प्रोसेस में विकास की नई कड़ी जोड़ें, लेकिन किस आधार पर आज इन कांस्टीट्वेंट्स कालेजों की राशि में कटौती की बात आप कर रहे हैं।

कुमारी शैलजा : कटौती तो नहीं हुई है।

[अनुवाद]

मैं माननीय सदस्य द्वारा उठायी गई इस बात की जांच करूंगी और हम इसे स्पष्ट करेंगे।

डा0 कार्तिकेश्वर पात्र : यह एक तथ्य है कि कई कालेजों ने जिन्हें उनके भवनों, पुस्तकालयों, विज्ञान प्रयोगशालाओं या अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदानें दी गई हैं, उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किये है इसके कारण दूसरी या अंतिम किस्त नहीं दी गई है और इसलिए परियोजना को पूरा नहीं किया जा सका। उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश क्या हैं? क्या यह पता लगाने के लिए कोई युक्ति है कि क्या परियोजना को पूरा कर लिया गया है या इसे कितना पूरा किया गया है और उसके बाद कितनी धनराशि दी जायेगी?

कुमारी शैलजा : यह बहुत विस्तृत प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखित उत्तर भेज सकते हैं।

कुमारी शैलजा : जी, हां।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर दिया कि विश्वविद्यालयों के सहायता अनुदान में वृद्धि करने और इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कि समुचित ढंग से उसका उपयोग हो पा रहा है या नहीं। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय लगभग 26 साल से अध्यादेश के जरिये चल रहा है। क्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित बिल संसद में पेश किया जाएगा जिससे उसकी अनुदान राशि की व्यवस्था हो सके और वहां जो अव्यवस्था फैल रही है उसमें कमी आ सके।

[अनुवाद]

कुमारी शैलजा : इस प्रश्न के लिए अलग से नोटिस की जरूरत होगी।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिन राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं हो सकी है क्या उन राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना सरकार करने जा रही है। उदाहरण के तौर पर बिहार पिछड़ा प्रदेश है तथा वहां विश्वविद्यालयों की मांग की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो यू.जी.सी. की ग्रांट्स के बारे में है।

[अनुवाद]

डा0 सुधीर राय : भारत में 40 प्रतिशत से भी कम कालेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करते है। यह एक तथ्य है कि अधिकांश कालेज निम्नस्तर के हैं और उन्हें अनुदान प्राप्त नहीं होता है। हमने कई बार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष से आग्रह किया कि वे कुछ दिशानिर्देश निर्धारित करें ताकि कालेज और विश्वविद्यालय बहुत अधिक संख्या में न खुल पायें, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कतिपय दिशानिर्देश निर्धारित करेगा ताकि कालेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या में हो रही बहुत अधिक वृद्धि को रोका जा सके।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह वस्तुत: इस प्रश्न का भाग है।

कुमारी शैलजा : राज्य विश्वविद्यालय, राज्य विधानमंडलों द्वारा स्थापित किये जाते हैं।

चीनी का आयात/निर्यात

*125 **श्री राम सिंह कस्वां :**
श्री शिव शरण वर्मा :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान जून, 1995 तक चीनी के आयात/निर्यात के कारण कितनी धनराशि की हानि हुई;

(ख) यह चीनी किन-किन देशों से, कितनी मात्रा में तथा किस मूल्य पर आयात की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(घ) इस संबंध में हुई हानि के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ). एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) वित्तीय वर्ष 1994-95 तथा जून, 1995 तक 9.77 लाख टन चीनी का आयात किया गया। चीनी उत्पादक मौसम 1993-94 में उत्पादन की कमी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति हेतु कम उपलब्धता के कारण चीनी का आयात आवश्यक हो गया। इसमें हुई हानि के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। आयात का डालर मूल्य 37.93 करोड़ बैठता है। जबकि लेखा जोखा को अंतिम रूप दिया जाना है तथापि अब तक एक ओर तो 591 करोड़ रुपये की सब्सिडी के रूप में आयात की लागत तथा वितरण के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए तथा दूसरी ओर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मूल्य प्राप्ति के लिए भुगतान किया गया है। आयात की गई चीनी के देशों के नाम, चीनी की मात्रा तथा जिस दर पर चीनी आयात की गई, का विवरण परिशिष्ठ में है।

भारतीय चीनी तथा सामान्य उद्योग निर्यात आयात निगम लि0 के अनुसार जहां तक चीनी निर्यात का संबंध है वित्तीय वर्ष 1994-95 तथा जून, 1995 तक के दौरान तरजीह कोटे के रूप में 19,336 टन चीनी यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा संयुक्त राज्य अमेरीका को निर्यात की गई तथा इस निर्यात पर कोई हानि नहीं हुई है।

प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट देशों के नाम, चीनी की मात्रा एवं आयातित दर

	देश	मात्रा मी0 टन	औसत दर प्रति मी0 टन
	1	2	3
एस.टी.सी.	थाईलैंड	10,034	13,235 प्रति मी0 टन/सी.आई.एफ0
	नीदरलैंड	19,890	
	यू.के.	11,091	
	पोलैंड	13,357	402.50 अमेरिकी डालर प्रति मी0टन/ सी आई एफ
	फ्रांस	13,000	399.00 अमेरिकी डालर प्रति मी0टन/ सी एंड एफ
	ब्राजील	3,89,113	389.73 अमेरिकी डालर प्रति मी0टन/, सी आई एफ/सी एंड एफ
		4,70,685	
एम.एम.टी.सी.	ब्राजील	4,51,661	
	टर्की	14,000	भारतीय बंदरगाह पर लगभग 383.04 प्रति मी0टन के भारत औसत मूल्य पर
	बेल्जियम	14,000	
	कोलम्बिया	14,000	
	पौलैंड	11,000	
		5,05,261	

श्री अजित सिंह : मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। विवरण की पहली पंक्ति में यह कहा गया है कि 1994-95 और जून 1995 तक, सरकार द्वारा 9.77 लाख टन चीनी आयात की गयी थी। क्योंकि प्रश्न आयात से संबंधित है, अत: खुली सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत भी लगभग 10 लाख टन चीनी का आयात किया गया था। लेकिन उसे इस संख्या में शामिल नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में जवाब दिया है कि कम उत्पादन के कारण चीनी का आयात किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि उत्पादन में कमी के कारण क्या थे व इसका आंकलन समय पर क्यों नहीं किया गया? दूसरा, चीनी के आयात में विलंब होने के कारण देश को जो करोड़ों रूपयों का नुकसान हुआ उसके लिए कौन दोषी थे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी?

[अनुवाद]

अजीत सिंह : पहला प्रश्न क्या था थोड़ा दुबारा बताएं।

अध्यक्ष महोदय : उत्पादन कम होने के क्या कारण हैं।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : चीनी का उत्पादन कम या ज्यादा होने के बहुत से कारण है। गन्ने का उत्पादन कितना है, किसान को उसका पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नहीं तो वह अगले साल पैदा नहीं करेगा। सिंचाई का बहुत असर पड़ता है। मानसून कैसा है? कई बार गुढ़ और खांडसारी में ज्यादा दाम मिल रहे है तो गन्ना बोने वाला किसान जो है वह अपना उत्पादन वहां दे देता है।

जहां तक देरी का सवाल है, इसके बारे में ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। 89-90 के बारे में भी सी.बी.आई. की इनक्वायरी भी हुई थी। उसमें यह कहा गया है कि किसी किस्म का मैलाफाइड इसमें नहीं था, और अत: कोई ऐक्शन लेने की जरूरत नहीं है। उस कमेटी ने कुछ सुझाव भी दिये थे जिससे आगे कोई समस्या पैदा न हो सके। इसे किस तरह से मॉनिटर करना चाहिये, कैसे गन्ना उत्पादन का अनुमान लगाना चाहिये, इसके बारे में भी उसने सुझाव दिये। चीनी उत्पादन के बारे में हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं। उस कमेटी ने जो सुझाव दिये थे, उनके कुछ सुझावों पर हमने ऐक्शन लिया है और कुछ सुझाव विचाराधीन हैं।

श्री राम सिंह कस्वां : 1994-95 में चीनी निर्यात किये जाने से सरकार को कितनी विदेशी आमदनी हुई है तथा 1995-96 में केन्द्र सरकार का चीनी उत्पादन करने का क्या लक्ष्य है?

श्री अजित सिंह : 1994-95 में चीनी का निर्यात नहीं हुआ है। वह मई और जून में हुआ है। इसमें करीब 37-38 करोड़ रूपये की अभी तक आय हुई है। इस साल चीनी का उत्पादन 143 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ऐसे इलाके से आते हैं जहां गन्ने की खेती होती है। हमें हर साल बाहर से चीनी मंगानी पड़ती है। क्या मंत्री जी को ज्ञात है केवल उत्तर प्रदेश में जितना गन्ने का उत्पादन होता है, सरकारी आंकड़े बताते है कि इसकी केवल 32 परसेंट सप्लाई शुगर मिलों को होती है और शेष गन्ना कोल्हू क्रशर में जाता है। चीनी मिलों की कैपेसिटी जो आज 12 और 800 टन की है, अगर उसको बढ़ा कर ढ़ाई और पांच हजार टन तक कर दिया जाये तो केवल उत्तर प्रदेश में ही गन्ने की सप्लाई 75 परसेंट होने लगेगी। इससे हम चीनी विदेशों में भेज सकेंगे। क्या मंत्री जी इसका प्रबन्ध भविष्य में करेंगे जिससे मिलों की कैपेसिटी बढ़े, मिलों को डायरेक्ट गन्ना मिले और चीनी का उत्पादन बढ़ सके तथा हमें विदेशों से चीनी न मंगानी पड़े।

श्री अजित सिंह : माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 37 परसेंट के करीब गन्ना चीनी उत्पादन में इस्तेमाल होता है। पिछले साल उत्तर प्रदेश से 24 शुगर मिलों को लाइसेंस दिये गये और ऐग्जिस्टिंग मिल्स की क्षमता बढ़ाने के लिये काफी लाइसेंस दिये गये हैं। माननीय सदस्य 2500 टन से कम की जो बात कर रहे हैं, वे ज्यादातर शुगर मिलें सरकारी या सहकारी क्षेत्र में हैं जो कि बहुत पुरानी है। 2500 टन बढ़ाने के जो प्रस्ताव आ रहे हैं, उसको हम तत्परता से इजाजत दे देते हैं।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि करोड़ों रुपये की हानि हुई है और इसमें कोई आदमी जिम्मेदार नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन-कौन से कारण हैं जिससे शक्कर की पालिसी में हानि हुई है, उन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है जिससे भविष्य में यह नुकसान न हो।

श्री अजित सिंह : यह हानि असल में एक इमोशनल हानि है क्योंकि यह कमोडिटी ट्रेडिंग है। आपने जिस समय शुगर खरीदी, उस समय यह दाम था। इसके अलावा पी.डी.एस. में वह चीनी डिस्ट्रीब्यूट की गई। चीनी के आयात करने का दाम और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट अलग अलग होती है। पी.डी.एस. में सरकारी दाम से कम चीनी बेची जाती है, इसलिये नुकसान होता है।

श्री राजबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पुराने क्रशर और कोल्हू पर गन्ने की कृषि होती है तो उसमें खांडसारी का परसैंटेज कम आता है और आधुनिकतम मशीनें लगा कर उसका परसैंटेज ज्यादा आता है।

उत्तर प्रदेश ने 45 चीनी मिलों की मांग की थी जिसमें से 24 के लिये लाईसेंस दिये गये हैं। क्या शेष 21 चीनी मिलों के लाईसेंस मिलेंगे जिससे आधुनिक चीनी मिलें बनेंगी, उस पर सरकार की क्या नीति है? जो उदारीकरण की बात की जाती है तो किसानों के उत्पादन पर यह उदारीकण क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? इसको लाईसेंस मुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है? अध्यक्ष जी, यह इनका प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत बड़ा प्रश्न है, इस पर कैबिनेट को डिसीजन लेना पड़ेगा।

श्री राजबीर सिंह : अध्यक्ष जी, इस उदारीकण की नीति से किसानों का फायदा होगा, उसके बारे में बहुत तरह के आर्गूमेंटस हैं और जैसा आपने कहा यह बहुत बड़ा सवाल है, को-आप्रेटिव शुगर मिल्स की क्या राय है, उसमें किसान भी इन्वाल्वड हैं और बहुत से लोगों की अलग राय है। इस पर सरकार विचार कर रही है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सरकार जो भी निर्णय लेगी, उसमें किसानों का हित सुरक्षित रहेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खाद्यान्नों का मूल्य

*126. श्री लोकनाथ चौधरी :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यों की तुलना में 25 प्रतिशत की कटौती करने के पक्ष में हैं;

(ख) क्या सम्बद्ध मंत्रालयों में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्यों को अत्यधिक कम करने के मुद्दे पर भारी मतभेद हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) खाद्यान्नों के वर्तमान केन्द्रीय निर्गम मूल्यों और पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यों के बीच कितना अन्तर होने की संभावना है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ). गेहूं, चावल और मोटे अनाज के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में 50 रूपये प्रति क्विंटल की कमी करके 1992 में सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ब्लाकों में केन्द्रीय निर्गम मूल्यों के बीच 50 रुपये प्रति क्विंटल के इस अन्तर को बदलने के संबंध में अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट

*127. डा. जी.एल. कनौजिया :
श्री पी. कुमारासामी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में टैगोर, रोरिक, राजा रवि वर्मा और थामस डेनियल के चित्रों सहित बहुमूल्य कलाकृतियां समुचित परिरक्षण संबंधी आधारभूत सुविधाओं के अभाव में धीरे-धीरे नष्ट होती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके परिरक्षण और जीर्णोद्धार हेतु कोई उपाए किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन कलाकृतियों को विदेशों में तथा भारत में प्रदर्शनियों के प्रयोजनार्थ ले जाने हेतु कोई दिशा-निर्देश हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

विदेशों में शास्त्रीय भारतीय कला प्रदर्शनियों को भेजने हेतु दिशा निर्देश

आदान-प्रदान

प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान करना प्रसिद्ध संग्रहालयों के लिए आम बात है। इन प्रदर्शनियों में प्रत्येक पक्षकार देश की सांस्कृतिक विरासत की उत्कृष्ट कृतियों का प्रदर्शन किया जाता है। हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाली यथा संभव उत्तम कृतियों को विदेशों में प्रदर्शन के लिए भेजा जाएगा।

जहां तक संभव हो, प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान पारस्परिकता के आधार पर होना चाहिए। प्रदर्शनियों की समय-सारिणी सहित नियमों एवं शर्तों को परिलक्षित करते हुए औपचारिक समझौते किए जायेंगे।

विदेशों में भेजी जाने वाली/नहीं भेजी जाने वाली कला कृतियां

(I) ऐसी कृतियों को जो काफी सुकोमल या अद्वितीय या जो इतनी बहुमूल्य हैं कि उन्हें अस्थायी रूप में भी अलग नहीं किया जा सकता, नहीं भेजा जाएगा। विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा ऐसी कृतियों का एक सार-संग्रह तैयार किया जायेगा तथा आवधिक रूप से इसको अद्यतन किया जायेगा।

(II) धार्मिक भावनाओं से जुड़ी कला कृतियां नहीं भेजी जायेंगी। पूजा की कृतियां नहीं भेजी जायेंगी।

(III) हाल में उत्खनित कला कृतियों को देश में उनका प्रलेखन और प्रदर्शन करने के बाद ही विदेश भेजा जायेगा।

(IV) फ्रेमरहित पेंटिंग नहीं भेजी जायेगी।

(V) प्रत्येक कृति का एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा जिसे संरक्षण रिपोर्टों को ध्यान में रखना चाहिए और इस बात के लिए परामर्श देना चाहिए कि कलाकृति विशेष विदेश भेजी जानी चाहिए अथवा नहीं।

(VI) यदि स्वागतकर्ता देश द्वारा कोई कृति विशेष रूप से मांगी गई है, तो यथा संभव उसे भेजने का प्रयास किया जाना चाहिए बशर्ते कि वह कृति सुकोमल या भेजने लायक न हो।

(VII) इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार सरकार का होगा।

विदेश में प्रदर्शनियों के लिए समितियां

(I) सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति गठित की जायेगी। जिसमें राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक और क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञ शामिल होंगे।

(II) विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति प्रत्येक कला कृति का परीक्षण करेगी और बीमा मूल्य का एक वस्तुपरक निर्धारण भी करेगी।

(III) प्रदर्शित की जाने वाली कृतियों का विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन वस्तुपरक होना चाहिए और उनकी अनुशंसाओं का सम्मान किया जायेगा। तथापि, उनकी अनुशंसाओं पर अंतिम निर्णय सरकार का होगा।

(IV) संरक्षण समिति प्रत्येक कला कृति का संरक्षण के दृष्टिकोण से परीक्षण करेगी और इसकी रिपोर्ट विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

विदेशों में प्रदर्शनियों के लिए कला कृतियों का चयन

(I) विदेश में किसी प्रदर्शनी में दिखायी जाने वाली कला कृतियों का चयन भारत में राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक द्वारा विशेषज्ञों और अध्येताओं के परामर्श से जैसा कि आवश्यक समझा जाये, किया जाना चाहिए। चयन करने में, प्रदायी और प्राप्तकर्ता संस्थाओं की इच्छाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(II) कला कृतियों का निपटान, पैकिंग और प्रेक्षण का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा स्थापित तकनीकी और क्यूरेटोरियल एकक का होगा जिसे आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है।

(III) कला कृतियों के लाने ले जाने को कम करने की दृष्टि से, राष्ट्रीय संग्रहालय को 3-4 अच्छी प्रदर्शनियों का चयन करना चाहिए जिसे बारी-बारी से आयोजित किया जा सकता है, जैसा कि कुछ अन्य देशों द्वारा किया जा रहा है।

(IV) जहां तक संभव हो, कला कृतियों का चयन राष्ट्रीय संग्रहालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केन्द्रीय और राज्य संग्रहालयों से किया जा सकता है।

(V) रत्नों और जवाहरातों का चयन करने में, भारतीय रिजर्व बैंक और आसूचना ब्यूरो के विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए।

(VI) कला कृतियों को सीधे प्रदान करने हेतु संग्रहालय के निदेशकों को वार्ता करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक पुरावशेष अधिनियम के अधीन अपेक्षित सावधानी बरतेंगे।

कलाकृतियों की सुरक्षा

कला कृतियों की सुरक्षा और प्रेषण के संबंध में उपायों की एक व्यापक सूची का अनुसरण किया जाता है जिसे संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

विदेशों में भारतीय मिशनों का उत्तरदायित्व

विदेश स्थित भारतीय अधिकारियों को परिवहन, होटल में आवास आदि के संबंध में कूरियरों को सभी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।

अधिकारियों को विदेशों में प्रदर्शनियों को अभिशासित करने वाले समझौतों की सभी बातों का सावधानी से अनुपालन करना चाहिए।

जहां तक कला कृतियों की सुरक्षा का संबंध है, अधिकारियों को साथ जाने वाले विशेषज्ञों के विचारों को मानना चाहिए।

संग्रहालय अधिकारियों का उत्तरदायित्व

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि असाधारण सावधानी के बावजूद भी किसी कला कृति को क्षति पहुंच सकती है, कला कृति की हानि/क्षति के प्रत्येक मामले की जांच की जायेगी ताकि संबंधित अधिकारियों पर उत्तरदायित्व, यदि कोई हो, निर्धारित किया जा सके।

परिशिष्ट

कलाकृतियों की सुरक्षा

1. कलाकृतियों की पैकिंग करते समय राष्ट्रीय संग्रहालय और कलाकृति प्रदान करने वाले अन्य संग्रहालयों और संस्थाओं द्वारा अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए।

2. भारत के विभिन्न संग्रहालयों/संस्थाओं से कलाकृतियों को लाते समय सामान्यत: राष्ट्रीय संग्रहालय के दो अथवा तीन अधिकारी और सशस्त्र गार्ड साथ आने चाहिए।

3. जिन पुरावस्तुओं को राष्ट्रीय संग्रहालय में पैक किया जा रहा हो और रखा जा रहा हो उनकी रात-दिन निगरानी रखने हेतु सशस्त्र पुलिस गार्डों को तीन समूहों/शिफ्टों में विभाजित किया जाएगा। सशस्त्र गार्डों के अलावा राष्ट्रीय संग्रहालय के चौकीदारों द्वारा सख्त निगरानी रखी जाएगी।

4. कलाकृतियों को राष्ट्रीय संग्रहालय में थर्मोकोल चादरों, लिफाफों, इत्यादि वस्तुओं सहित पैकिंग की सभी आधुनिक विधियों के साथ पूर्णत: सुरक्षित लकड़ी की पेटियों में पैक किया जाना चाहिए।

5. प्रत्येक कलाकृति को पैक करने से पहले राष्ट्रीय संग्रहालय प्रयोगशाला के विशेषज्ञों द्वारा उन्हें साफ और सुदृढ़ कर लेना चाहिए। प्रत्येक कलाकृति की स्थिति रिपोर्ट भी तैयार की जानी चाहिए।

6. समुचित रिकार्ड हेतु प्रत्येक चरण में प्रत्येक कलाकृति का विभिन्न कोणों से फोटो खींचा जाना चाहिए।

7. सीमा-शुल्क परीक्षण की व्यवस्था राष्ट्रीय संग्रहालय में की जानी चाहिए। हवाई अड्डे के लिए कला वस्तुओं का प्रेषण करते समय सशस्त्र गार्ड साथ में भेजे जाने चाहिए।

8. प्रत्येक कलाकृति का मूल्य संस्कृति विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञ और मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

9. कलाकृतियों का बीमा, जैसा कि विविध मंत्रालय ने सलाह दी है, भित्ति-प्रति-भित्ति के आधार पर बीमा कंपनियों द्वारा नई दिल्ली में कराया जाना चाहिए।

10. समझौता प्रपत्र विधि मंत्रालय के परामर्श से संस्कृति विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा और संबंधित संग्रहालय द्वारा इस पर हस्ताक्षर करवाने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा उपयुक्त कदम भी उठाए जाने चाहिए।

11. समझौते पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करने से पहले कलाकृतियों की कोई रेखा प्रेषित नहीं की जाएगी।

12. विदेश में भेजे जाने वाले प्रत्येक परेषण के साथ राष्ट्रीय संग्रहालय का कम से कम एक अधिकारी साथ जाएगा। परेषणों को हवाई अड्डे से संग्रहालयों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए स्वागतकर्ता देश के प्रतिनिधि गन्तव्य स्थान पर उनसे मिलेंगे।

13. विदेश में किसी विशेष प्रदर्शनी की संपूर्ण अवधि के दौरान एक जिम्मेदार अधिकारी को बारी बारी से प्रतिनियुक्त किया जाएगा ताकि, यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राप्तकर्ता संग्रहालय द्वारा कलाकृतियों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए गए हैं और उपचारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता वाली किसी घटना की रिपोर्ट राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक को भेजी जा सके।

14. प्रदर्शनी की समाप्ति पर भारत लाने के लिए कलाकृतियों की दुबारा पैकिंग करते समय प्राप्तकर्ता संग्रहालय द्वारा सभी अपेक्षित सावधानियां बरती जाएंगी। इसके निरीक्षण की जिम्मेदारी भारत से प्रतिनियुक्त किए गए अधिकारी की होगी। पैकिंग और लदान के पर्यवेक्षण के लिए निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ उपस्थित रहेगा।

15. स्वागतकर्ता देशों से प्रदर्शनियों के वापस प्राप्त हो जाने के बाद कलाकृतियों को संबंधित संग्रहालयों/संस्थाओं को वापस कर दिया जाना चाहिए।

16. चोरी से बचने के लिए कलाकृतियों को जहां तक संभव हो एयर इंडिया की उड़ानों से भेजा जाना चाहिए।

अपने आप गिरे चन्दन वृक्ष

***128. श्री एस.एम. लालजान बाशा :**

प्रो. उम्मारे ड्डि वैंकटेस्वरलु :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपने आप गिरे चन्दन वृक्षों की नीलामी राज्य सरकारों द्वारा किए जाने पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नियमों को युक्तिसंगत बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या इन गिरे हुए चंदन के वृक्षों की लकड़ी का निर्यात करने हेतु अनुमति प्रदान करने संबंधी कोई मांग है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :

(क) जी हां,

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, हां।

(ङ) 1992-97 की निर्यात-आयात नीति के अन्तर्गत किसी भी रूप में चंदन की लकड़ी की मदों का निर्यात की निषिद्ध सूची के भाग 1 में शामिल किया गया है, लेकिन चंदन की लकड़ी से बनी पूर्णतः हस्तशिल्प की वस्तुएं तथा मशीन से बनी चंदन की लकड़ी के उत्पाद इसमें शामिल नहीं है। स्वतः गिरी हुई चंदन की लकड़ी के निर्यात की अनुमति की मांग के संबंध में इस नीति की पृष्ठभूमि में जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

समान माप-तोल संबंधी नियम

***129. श्री पंकज चौधरी :**

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए समान माप-तोल संबंधी नियम लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). केंद्रीय सरकार ने बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 के तहत नियम बनाए हैं जो कि सारे देश में एक समान रूप से लागू हैं।

तथापि, बाट तथा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 के तहत कुछ राज्य सरकारों ने नियम नहीं बनाए हैं, हालांकि उन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए मॉडल नियमों की एक प्रति मुहैया करा दी गई थी। इस मामले पर इन राज्यों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

पटसन का उत्पादन

***130. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय पटसन का उत्पादन और खपत कितनी है;

(ख) क्या पटसन के उत्पादन में कमी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो पिछले कुछ वर्ष की तुलना में इस वर्ष पटसन के उत्पादन में कितनी कमी हुई है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार पटसन उत्पादकों को कोई विशेष सुविधा देने का विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) देश में 1994-95 के दौरान पटसन का उत्पादन और खपत प्रत्येक 180 कि0ग्रा0 के क्रमश: 82.72 लाख गांठ तथा 88.2 लाख गांठ रही है।

(ख) और (ग) पटसन का उत्पादन वर्ष 1994-95 के दौरान पिछले वर्ष (1993-94) के मुकाबले अधिक होने की संभावना है।

(घ) से (च). भारत सरकार पटसन का उत्पादन बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता सुधारने के दोहरे उद्देश्य से शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आधार पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना "विशेष पटसन विकास कार्यक्रम" का कार्यान्वयन कर रही है। यह कार्यक्रम पटसन/मेस्ता उगाने वाले आठ राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत जिन मुख्य घटकों के लिए सहायता का प्रावधान है वे इस प्रकार हैं - बीजों, उपकरणों, अनिवार्य पोषक तत्वों, मिनिकिटों का वितरण, फंगल कल्चर, यूरिया का फोलियर स्प्रे, प्रदर्शन और किसानों का प्रशिक्षण।

[हिन्दी]

कोयले की ढुलाई

*131. **श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 के बजट में माल ढुलाई हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक वैगनों की आवश्यकता है;

(ख) कोयले की ढुलाई हेतु कितने वैगनों की आवश्यकता है;

(ग) 30 जून, 1995 तक की स्थिति के अनुसार वैगनों की संख्या कितनी थी; और

(घ) वैगनों की आपूर्ति हेतु की जा रही व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) माल डिब्बों की अपेक्षित संख्या की खरीद की जा रही है।

(ख) कोयले सहित सभी क्षेत्रों की मांग मालडिब्बों के एक सामूहिक पूल से पूरी की जाती है।

(ग) 28.2.95 का चौपहिया यूनिटों में माल डिब्बों की संख्या 466.959 थी।

(घ) रेलों ने मालडिब्बों की यथापेक्षित योजनाबद्ध खरीद करने के अलावा बेड़े की गहन निगरानी करने, गाड़ी जांच के स्वरूप का ग्रेडोन्नयन करके, अनुरक्षण पद्धतियों का सुधार करके, टर्मिनलों पर अधिकतम, कुशलता लाने आदि द्वारा माल डिब्बों की उपलब्धता में सुधार करने के उपाए किए हैं।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का भण्डार

*132. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में हुई एकाएक वृद्धि के कारण भारतीय गेहूं प्रतिस्पर्धा में आ गया है और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारियों की नजरें यहां उपलब्ध गेहूं के भारी भंडार पर टिकी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय बिक्री हेतु अनुमानत: गेहूं कि कितनी मात्रा उपलब्ध है;

(ग) किन-किन विदेशी कंपनियों ने भारत से थोक में गेहूं खरीदने की इच्छा व्यक्त की है;

(घ) इस समय यह मामला किस चरण में है और यह गेहूं किस मूल्य पर बेचे जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार ने वर्ष 1995-96 के दौरान खाद्यान्नों के भंडार की राष्ट्रीय आवश्यकता का आकलन किया है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1995-96 के दौरान निर्यात करने के लिए सरकार ने अप्रैल, 1995 में दुरूम और गैर-दुरूम गेहूं के संबंध में क्रमश: आधा मिलियन मीटरी टन और 2.5 मिलियन मीटरी टन की सीमा निश्चित की है।

(ग) और (घ) भारत से गेहूं आयात करने के लिए विभिन्न विदेशी फर्में, भारतीय खाद्य निगम से सम्पर्क बनाए हुए हैं। भारतीय खाद्य निगम ने अभी तक किसी प्रकार के गेहूं का निर्यात/निर्यात हेतु विक्रय नहीं किया गया है।

(ङ) जी, हां। खाद्यान्नों की राष्ट्रीय आवश्यकता का आकलन करने के बाद ही वर्ष 1995-96 के दौरान निर्यात किए जाने वाले गेहूं की सीमा निश्चित की गई है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताएं

*133. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ ने प्राधिकारियों द्वारा की गई कथित वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त विश्वविद्यालयय में वित्तीय अनियमितताओं की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो/आसूचना एजेंसियों से कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) ये शिकायतें, भंडारण रजिस्टर के अनुरक्षण में अनियमितताओं, (1) मुद्रण कार्यों; (2) कागज की खरीद और (3) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए कार्यों पर हुए अनुपयोगी व्यय और *निधियों को अनधिकृत रूप से अन्य कार्यों में लगाने के संबध में है।*

(ग) और (घ) इस मामले पर जांच हो रही हैं

कृषि अनुसंधान और विकास

**134. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :*

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि अनुसंधान और विकास पर सरकारी क्षेत्र द्वारा अधिक व्यय को सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाने का है जिससे उत्पादकता में तेजी से वद्धि हो सके;

(ख) क्या सरकार का विचार कृषि अनुसंधान और विकास के मामले में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां

(I) विभिन्न फसल के पौधों की उन्नत किस्मों के विकास में गैर-सरकारी क्षेत्र सक्रिय रूप से कार्यरत रहे हैं।

(II) जहां तक बीज उद्योग का संबंध है, गैर-सरकारी क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

(III) सूक्ष्म सिंचाई पर उपदान ने देश में टपकावक तथा छिड़कावक यंत्र निर्माण तथा आपूर्ति के तेजी से प्रसार में मदद की है।

(IV) लघु कृषि ट्रेक्टरों की कीमतों पर 30 प्रतिशत उपदान की अनुमति दी गई है, यह अधिकतम 30000 रुपये है, जिससे गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा ट्रेक्टरों की बिक्री को प्रोत्साहन मिलेगा।

[हिन्दी]

वायु प्रदूषण संबंधी अध्ययन

*135. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल इन्वाइरनमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में देश में वायु प्रदूषण के संबंध में किए गये अध्ययन का क्या परिणाम रहा;

(ख) वर्ष 1993 और 1994 के दौरान दिल्ली और अन्य महानगरों में वायु-प्रदूषण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई;

(ग) क्य परिवेशीय वायु की शुद्धता और उससे मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में आरंभ किए गए निवासियों के स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी अध्ययन के बारे में दिल्ली में कोई निगरानी रखी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में महत्वपूर्ण प्रदूषकों की नियमित रूप से परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कर रहा है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से "मानव स्वास्थ्य के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी" पर दिल्ली में पहले किए गए अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला है कि स्वास्थ्य पर अधिकांश प्रभाव बहुविध कारकों से पड़ा है और किसी एक कारक का सामुदायिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव नहीं दिखाई दिया।

विवरण

नीरी के अनुसार, दिल्ली, बंबई और कलकत्ता में सल्फरडाईआक्साइड (एस ओ 2), नाइट्रोजन डायआक्साइड (एन ओ 2) और निलम्बित धूलकणों की प्रति घनमीटर माइक्रोग्राम में वार्षिक औसत और पूर्व वर्ष में वृद्धि (+)/कमी(-) की प्रतिशतता नीचे दी गई है :

शहर	एसओ/		प्रतिशत परिवर्तन	एनओ2		प्रतिशत परिवर्तन	निलम्बित धूलकरण		प्रतिशत परिवर्तन
	1993	94		1993	94		1993	94	
दिल्ली	20	40	+100	28	60	+114.3	494	589	+19.0
बम्बई	24	33	+37.5	29	40	+37.9	269	204	-27.2
कलकत्ता	45	24	-47	45	20	-55.5	543	266	54.01

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा के लिए विश्व बैंक से ऋण

*136. **श्री खेलन राम जांगडे :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत को देश में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1994-95 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का ऋण दिया गया;

(ग) इस संबंध में राज्य-वार हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है, और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकारें वित्तीय सहायता का उचित ढंग से उपयोग करें; क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विश्व बैंक छः राज्यों - असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के 23 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सात वर्षों की अवधि में लगभग 800 करोड़ रुपये का ऋण दे रहा है। लगभग 728 करोड़ रुपये का ऐसा ही ऋण उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रदान किया गया है जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को शामिल किया गया है।

विश्व बैंक की निधियां प्रतिपूर्ति के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन दिसंबर, 1994 में ही शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1994-95 के व्ययों में से 38.89 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति विश्व बैंक द्वारा की गई है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दिसंबर, 1994 में शुरू किया गया। कार्यक्रम की मानीटरिंग के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरूस्त हैं। कार्यक्रम की शुरूआत अच्छी हुई है। कार्यक्रम के लिए विस्तृत वित्तीय और प्रशासकीय दिशा-निर्देश तैयार कर लिए गए हैं और सभी राज्यों को परिचालित कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश बुनयादी शिक्षा परियोजना की आवधिक समीक्षाओं में कार्यान्वयन के संबंध में संतोषजनक प्रगति की सूचना मिली है।

प्राकृतिक आपदाएं

*137. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारी वर्षा, तूफान एवं बाढ़ से अनेक राज्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं जिससे फसलों, जान-माल तथा पशुधन आदि को भारी क्षति हुई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस क्षति का आकलन करने हेतु किसी विशेषज्ञ दल एवं अधिकारियों को प्रभावित राज्यों में भेजा था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त दल ने राज्य-वार कितनी क्षति की रिपोर्ट दी है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार प्रभावित क्षेत्रों को राहत प्रदान कराने हेतु राज्य सरकारों को राष्ट्रीय आपदा कोष से पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, मई में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने तथा जून तथा जुलाई, 1995 में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के कारण आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल, में अलग-अलग सीमा तक की बाढ़ आई है।

(ख) और (ग) मई, 1995 में भारी वर्षा तथा बाढ़ के कारण उत्पन्न हुई स्थिति का जायजा लेने के लिए भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश, मिजोरम तथा उड़ीसा राज्यों को केन्द्रीय दल भेजे हैं। इन दलों ने उक्त राज्यों में निम्नलिखित नुकसान की सूचना दी है :-

क्र.सं.	मद	आंध्र प्रदेश	मिजोरम	उड़ीसा
1.	प्रभावित जिलों की संख्या	10	3	22
2.	प्रभावित गावों की संख्या	363*	175	31796
3.	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख है. में)	3.20	1.50	1.98
4.	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	42665	3804	149542
5.	मृत व्यक्तियों की संख्या	26	41	45

* मंडल

(घ) और (ङ) केंद्रीय दल की सिफारिशों के आधार पर, "राष्ट्रीय आपदा राहत कोष" से अतिरिक्त सहायता देने के लिए अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

शुष्क खेती क्षेत्र

*138. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुष्क खेती क्षेत्र में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो देश में इस परियोजना के अन्तर्गत अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) शुष्क खेती क्षेत्रों के विकास हेतु अब तक अपनाए गए विभिन्न उपायों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) बारानी खेती वाले क्षेत्रों में वृद्धि नहीं हो रही है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से असिंचित क्षेत्र कम हो रहा है।

(ख) से (घ). इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना आरम्भ नहीं की है। लेकिन, मृदा में नमी के अंश में वृद्धि करने के लिये 25 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेशों के 2497 प्रखंडों में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

आरम्भ की गई है। इस परियोजना के आरम्भ से मार्च, 1995 तक इस परियोजना के अन्तर्गत 571.54 करोड़ रुपये की रकम खर्च की जा चुकी है।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरू विकास कार्यक्रम के माध्यम से पनधारा विकास के आधार पर भी इन क्षेत्रों के विकास के लिये उपाय किए गए हैं। पखंडों तथा सूक्ष्म पनधारा परियोजनाओं की राज्यवार संख्या विवरण 1 और 2 में दी गई है।

विवरण - I

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रखंडों की संख्या	सूक्ष्म पनधारा परियोजना की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	94	94
2.	अरूणाचल प्रदेश	3	3
3.	असम	110	110
4.	बिहार	178	178
5.	गोवा	4	4
6.	गुजरात	168	168
7.	हरियाणा	5	5
8.	हिमाचल प्रदेश	58	58
9.	जम्मू और कश्मीर	44	44
10.	कर्नाटक	85	85
11.	केरल	114	114
12.	मध्य प्रदेश	385	385
13.	महाराष्ट्र	266	266
14.	मणिपुर	5	5
15.	मेघालय	8	8
16.	मिजोरम	20	20
17.	नागालैंड	28	28
18.	उड़ीसा	258	258
19.	पंजाब	13	13
20.	राजस्थान	204	204
21.	सिक्किम	12	12
22.	तमिलनाडु	88	88
23.	त्रिपुरा	17	17
24.	उत्तर प्रदेश	204	204
25.	पश्चिम बंगाल	119	119
26.	दादर और नगर हवेली	3	3
27.	अंडमान और निकोबार	4	4
28.	दमन और दीव	-	-
	कुल :	2497	2497

विवरण - II

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्रखंडों की संख्या		सूक्ष्म पनधारा परियोजनाओं की संख्या	
		डी.पी. ए.पी.	डी.डी. पी.	डी.पी. ए.पी.	डी.डी.पी.
1.	आंध्र प्रदेश	94	16	527	96
2.	बिहार	121	-	449	-
3.	गुजरात	52	47	269	279
4.	हरियाणा	-	44	-	107
5.	हिमाचल प्रदेश	9	3	33	80
6.	जम्मू और कश्मीर	22	10	99	96
7.	कर्नाटक	80	22	453	130
8.	मध्य प्रदेश	134	-	702	-
9.	महाराष्ट्र	148	-	859	-
10.	उड़ीसा	47	-	209	-
11.	राजस्थान	32	85	173	841
12.	तमिलनाडु	80	-	294	-
13.	उत्तर प्रदेश	91	-	397	-
14.	पश्चिम बंगाल	36	-	128	-
	योग :	946	227	4592	1629

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालय

*139. श्री मोहन सिंह (देवरिया)

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवोदय विद्यालयों के छात्रों पर प्रतिमाह कितनी धनराशि खर्च की जाती है;

(ख) क्या यह धनराशि छात्रों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस धनराशि में वृद्धि करने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) नवोदय विद्यालय समिति द्वारा वर्ष 1994-95 में एक छात्र पर किया गया खर्च 4237.00 रूपये है। इसमें फर्नीचर, उपकरण, वेतन आदि संबंधी खर्च शामिल नहीं हैं।

(ख) और (ग) समिति प्रत्येक छात्र की आवश्कता और व्यय का अनुवीक्षण सावधानीपूर्वक करती है और जब कभी आवश्यक हों उन्हें संशोधित करती है। आहार के लिए प्रति छात्र आवंटन पिछली बार जुलाई, 1995 में संशोधित किया गया था।

कैपीटेशन फीस

*140. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कैपीटेशन फीस के संबंध में उच्चतम न्यायालय के मार्गनिर्देशों को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों द्वारा इन मार्गनिर्देशों का कार्यान्वयन सरकार द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित कराया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) निजी व्यावसायिक गैर-सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं में दाखिले और शुल्क विनियमित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के 4.2.93 के निर्णय के अनुसरण में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम 26.5.94 को जारी किए गए हैं। विनियमों के अनुसार 50 प्रतिशत सीटें मुक्त (फ्री) सीटें होंगी और शेष 50 प्रतिशत भुगतान (पेमेंट) वाली सीटें होंगी। दाखिले एक सामान्य योग्यता क्रमसूची पर आधारित होंगे। व्यावसायिक कॉलेज द्वारा वसूल किए जाने वाले शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्क, राज्य स्तर की समितियों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

(ग) इन विनियमों में यह उपबंध है कि यदि कोई व्यावसायिक कालेज इन विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, तो परिषद, जैसा उचित समझे, उस प्रकार की जांच करने के बाद और व्यावसायिक कालेज को, उसकी बात सुनने का अवसर देने के बाद, अपना अनुमोदन वापिस ले सकती है।

[हिन्दी]

सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

1180. श्री एन.जे. राठवा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात तथा अन्य राज्यों के विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों से वित्तीय सहायता हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) राज्य-वार ऐसे स्वीकृत किए गए अथवा विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या कितनी हैं;

(ग) क्या सरकार ने मांगी गई धनराशि अब तक जारी कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन अनुदानों को कब तक जारी किया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

किसानों को संरक्षण

1181. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा किसानों को कृषि उत्पादों के अस्थिर मूल्यों से बचाने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) क्या किसानों को इन उपायों से पूर्ण संरक्षण प्राप्त हो रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई अन्य ठोस उपाय करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) सरकार प्रत्येक मौसम के लिये प्रमुख कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है और सहकारी तथा सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से खरीद संबंधी क्रियाकलाप करती है। औसत उत्तम गुणवत्ता के सभी खाद्यान्नों और अन्य कृषि जिंसों, कृषक जिनकी बिक्री करना चाहते हैं, की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर सार्वजनिक अधिप्राप्ति एजेंसियों द्वारा की जाती है। इस उद्देश्य से समूचे देश में खरीद केन्द्रों का एक विस्तृत तंत्र काम कर रहा है। अधिप्राप्ति संबंधी क्रियाकलापों को मानीटर करने के लिए खाद्य मंत्रालय तथा भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत में आने वाली बागवानी जिंसों के लिये मंडी हस्तक्षेप क्रियाकलाप भी करती हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

सवारी गाड़ियां

1182. श्री हराधन राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी जिला मुख्यालयों को सवारी गाड़ियों से जोड़ने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी नहीं, बहरहाल देश में रेल से जुड़े सभी जिला मुख्यालय यात्री गाड़ियों द्वारा सेवित हैं।

(ग) संसाधनों की तंगी और यातायात के औचित्य का अभाव।

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

1183. श्री मनोरंजन भक्त :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ठप्प हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था करने का प्रस्ताव है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली, केंद्रीय तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। केंद्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जाने वाली छः प्रमुख आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति, भंडारण तथा थोक में उनका आवंटन करने के लिए जिम्मेदार है। सार्वजनकि वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है। सरकार को संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से आदिवासी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समाप्त हो जाने की कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दो समेकित आदिवासी विकास परियोजना ब्लाक पहले ही संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हैं और विशेष रूप से राजसहायतायुक्त खाद्यान्न पाने हेतु पात्र हैं। केंद्रीय सरकार, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को गोदामों का निर्माण करने तथा वाहनों की खरीद के लिए भी वित्तीय सहायता देती रही है, ताकि आदिवासी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की पहुंच में सुधार लाया जा सके।

अबुल कलाम आजाद की जीवनी

1184. डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के अग्रणी योद्धा मोहम्मद अबुल कलाम आजाद की कोई जीवनी प्रकाशित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसे प्रकाशित करने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में एक्सप्रेस गाड़ियों के "स्टोपेज"

1185. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान केरल में किसी भी रेलवे स्टेशन पर "एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के लिए बनाए गए "स्टोपेज" का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल में एक्सप्रेस गाड़ियों के और अधिक "स्टोपेज" के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) केरल में 1994-95 के दौरान निम्नलिखित ठहराव दिए गए थे :-

1. 6349/6330 मंगलौर-तिरूवनन्तपुरम परशुराम एक्सप्रेस को कन्नापुरम में,
2. 6041/6042 मद्रास-अल्लेपी एक्सप्रेस को तुराबूर में,
3. 6305/6306 नागरकोईल-गुरूवायूर एक्सप्रेस की तुराबुर, पुनुकुन्नम और इरिजालकुडा में,
4. 6303/6304 एर्णाकुलम-तिरूवनन्तपुरम वांचिनाड एक्सप्रेस को चेंगन्नूर में।

(ख) और (ग) रेल प्रशासनों के विभिन्न स्तरों पर ठहरावों के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं जिनकी विधिवत् रूप से जांच की जाती है तथा व्यावहारिक और औचित्वपूर्ण पाई जाने वाली कार्रवाई की जाती है।

राजधानी एक्सप्रेस की बारम्बारता

1186. श्री जितेन्द्र नाथ दास :

श्री अमर राय प्रधान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जुलाई 1995 से गुवाहाटी जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस की बारम्बारता (फ्रिक्वेंसी) बढ़ाने संबंधी आश्वासन अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ग) जुलाई, 95 से 2423/2424 नयी दिल्ली-गुवाहाटी एक्सप्रेस के फेरों को साप्ताहिक से सप्ताह में तीन बार करने की प्रस्तावित वृद्धि कतिपय परिचालनिक कठिनाइयों के कारण स्थगित कर दी गई है।

(ग) ज्यों ही परिचालनिक दृष्टि से ऐसा करना व्यावहारिक होगा।

स्टेडियम का निर्माण

1187. श्री थाइल जॉन अंजलोज :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अलेप्पी में स्टेडियम के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में नहीं है और इसके लिए राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है।

(ग) इस समय यह प्रश्न नहीं उठता।

प्राचीन मूर्तियां

1188. श्री विजय कुमार यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में नालन्दा जिले में बिहार शरीफ पुलिस थाना सहित देश के विभिन्न पुलिस थानों में चोरी के बाद बरामद की गई प्राचीन मूर्तियां रखी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इन बरामद की गई सभी प्राचीन मूर्तियों को संरक्षित करने के लिए इन्हें संबंधित क्षेत्र के संग्रहालय में रखने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

पुलिस अधिकारियों को इन पुरावशेषों को तब तक अपनी अभिरक्षा में रखना पड़ता है जब तक मामले न्यायालय में रहते हैं, क्योंकि न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर मामला सम्पत्ति के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है।

(ख) बरामद किए गए पुरावशेष न्यायालय में इन मामलों को निपटा दिए जाने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिए जाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इन पुरावशेषों को समूचे देश में स्थित समुचित संग्रहालयों में वितरित कर देता है।

(ग) पुलिस प्राधिकारियों ने 11 मूर्तियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दी हैं जिन्हें नालन्दा संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है।

टीक के पेड़ लगाना

1189. डा. वसंत पवार :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने क्षेत्र में टीक के पेड़ लगे हुए हैं;

(ख) क्या देश में टीक के पेड़ों में तेजी से कमी आई है; और

(ग) यदि हां, सरकार द्वारा टीक के पेड़ों के संरक्षण तथा इसके रोपण में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए जाएंगे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

बिहार में सामाजिक वानिकी परियोजनाएं

1190. श्री छेदी पासवान :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सामाजिक वानिकी की कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) क्या इनमें से किसी परियोजना के लिए विदेशी सहायता भी प्राप्त की गई है; और

(ग) यदि हां, तो कब से तथा परियोजनावार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) से (ग) स्वीडिश इंटरनेशनल अथॉरिटी (सीडा) की वित्तीय सहायता से बिहार में 1985-86 से 1991-92 तक एक सामाजिक वानिकी परियोजना कार्यान्वित की गई। इस परियोजना पर कुल 48.60 करोड़ रुपए का खर्चा आया जिसमें से लगभग 70 प्रतिशत की सहायता स्वीडन की सरकार से प्राप्त हुई।

गुजरात में सामाजिक वानिकी

1191. श्री महेश कनोडिया :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सामाजिक वानिकी संबंधी कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) क्या इनमें से किसी परियोजना के लिए विदेशी सहायता भी प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो कब से और परियोजना तथा वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) गुजरात में 1985-86 में विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना नामक एक सामाजिक वानिकी परियोजना चलाई गई थी। यह परियोजना मार्च, 1995 में पूरी हो गई। इस परियोजना पर कुल 203.66 करोड़ रुपए खर्च हुए और विश्व बैंक से परियोजना व्यय की 70 प्रतिशत की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। इस परियोजना में कुल 9.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया।

[हिन्दी]

बिहार में केन्द्रीय राज्य फार्म

1192. **श्री राम टहल चौधरी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में केन्द्रीय राज्य फार्मों के अन्तर्गत कुल कितना क्षेत्र है;

(ख) विभिन्न खाद्यान्नों के बीजों के उत्पादन के लिए कितने क्षेत्र का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) 1994-95 के दौरान इन फार्मों से कुल कितने बीजों का उत्पादन किया गया?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारतीय राज्य फार्म निगम का बिहार में कोई केन्द्रीय राज्य फार्म नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कालेजों में "इन्डोर स्टेडियम"

1193. **श्री पी. सी. थॉमस :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के एर्नाकुलम जिले में कोलेन चेरी स्थित सेंट पीटर्स कालेज को "इंडोर स्टेडियम" का निर्माण करने के लिए अनुदान मंजूर किया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह राशि अब तक जारी नहीं की गई है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह राशि कब तक जारी कर दी जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 25.00 लाख रुपये के स्वीकृत अनुदान में से 12.50 लाख रूपये की प्रथम किस्त, 1994 में जारी की जा चुकी है। इसकी दूसरी किस्त, कालेज द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उपयोगिता प्रमाणपत्र/समापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर जारी की जाएगी। इन कागजातों के मिलने की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता

1194. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश ने किन-किन खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता हासिल की है;

(ख) क्या इन में से किसी खाद्यान्न का अभी निर्यात किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त पदों के निर्यात की वार्षिक स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) दलहनों को छोड़कर, सभी खाद्यान्नों में देश आत्मनिर्भर हो गया है।

(ख) और (ग) 1994-95 के दौरान अनन्तिम तौर पर 468.70 हजार टन बासमती चावल, 422.73 हजार टन चावल (बासमती से भिन्न), 59.50 हजार टन दलहन, 58.21 हजार टन गेहूं और 68.60 हजार टन अन्य अनाज का निर्यात किये जाने का अनुमान है।

तकनीकी पाठ्यक्रम

1195. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश हेतु स्वीकृत क्षमता का पाठ्यक्रम-वार, राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा इसमें वृद्धि की प्रतिशतता कितनी है;

(ख) देश में स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु तकनीकी स्तर को विकसित करने, बनाये रखने तथा उसका उन्नयन करने के लिये सरकार की नीति क्या है और इस संबंध में अगर कोई कार्य योजना बनाई गई है तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति हेतु 1994-95 के दौरान प्राप्त, स्वीकृत तथा लंबित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा विशेष रूप से महाराष्ट्र और गोवा राज्यों के लिये विचाराधीन प्रस्तावों की स्थिति क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रमों के विकास से संबंधित संकाय-वार राज्य-वार अनुमान क्या है;

(ङ) क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिये विशेष सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (च) मांगी गई अपेक्षित सूचना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिंगरेनी एक्सप्रेस के मार्ग का विस्तार

1196. **श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्धा-बल्लारपुर-कागज नगर तक दिन में चलने वाली यात्री गाड़ी को गत एक माह से बल्लारपुर से आगे चलाना बंद कर दिया गया है और इसके कारण बल्लारपुर से कागज नगर के बीच आने-जाने वाले यात्रियों को अत्यधिक असुविधा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और बल्लारपुर और कागज नगर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या सिंगरेनी एक्सप्रेस को कागज नगर तक चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) कम लोकप्रियता और परिचालन संबंधी भारी कठिनाइयों के कारण बल्हारशाह-सिरपुर कागज नगर खंड पर 395/396 वर्धा-सिरपुर कागज नगर पैसेंजर गाड़ी के चालन में कटौती की गई है।

(ग) और (घ) 323/324 सिंगरेनी तीव्र पैसेंजर गाड़ी पहले से ही भद्राचलम रोड और सिरपुर कागज नगर के बीच चल रही है।

केन्द्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य

1197. श्री मुहीराम सैकिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों का ब्यौरा क्या है, जिनका सीधी भर्ती के माध्यम से इस महीने के शुरू में केन्द्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य के रूप में चयन किया गया; और

(ख) सामान्य श्रेणी और आरक्षित वर्ग की विभिन्न श्रेणियों के लिए साक्षात्कार के समय उपलब्ध रिक्तियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जिन्हें प्रधानाचार्य चुन लिया गया है :

अनुसूचित जाति	12
अनुसूचित जन जाति	कुछ नहीं।
अन्य पिछड़ी जाति	25
साक्षात्कार के समय रिक्त स्थान	
सामान्य	46
अनुसूचित जाति	14
अनुसूचित जन जाति	07
अन्य पिछड़ी जाति	25

राजस्थान में सामाजिक वानिकी

1198. श्री कुन्जी लाल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में शुरू की गई सामाजिक वानिकी परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इनमें से किसी परियोजना के लिए विदेशी सहायता भी प्राप्त हो रही है;

(ग) यदि हां, तो वह सहायता कब से प्राप्त हो रही है और ऐसी सहायता का वर्षवार तथा परियोजना ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) राजस्थान में जापान की ओवरसीज इकोनोमिक कोऑपरेशन फंड की सहायता से तीन वानिकी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	शुरू होने की तारीख	कुल लागत करोड़ रूपयों में	विदेशी सहायता	मार्च 1995 तक प्राप्त सहायता
1.	इंदिरा गांधी मह्म परियोजना	1990-91	107.50	85%	35.78
2.	अरावली पहाड़ियों का वनीकरण	1992-93	166.90	85%	58.97
3.	राजस्थान वानिकी विकास परियोजना	1995-96	139.00	85%	-

कुमार घाट-अगरतला रेल लाइन

1199. श्रीमती बिभू कुमारी देवी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कुमारघाट-अगरतला रेल लाइन पर कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कार्य के निष्पादन से प्रभावित होने वाले गांवों, अधिगृहीत की जाने वाली भूमि तथा विस्थापित होने वाले परिवारों के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा गांवों और भूपतियों को हुई हानि की पर्याप्त क्षति-पूर्ति हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, सर्वेक्षण परिणामों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात, इसे योजना आयोग को उनके अनुमोदन के लिए भेज दिया जाएगा।

(घ) कार्य की मंजूरी मिलने के पश्चात, मांगे गए विवरण सहित भूमि अधिग्रहण योजना और प्रलेख तैयार कर लिए जाएंगे।

(ङ) क्षतिपूर्ति का भुगतान भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशन

1200. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन रेलवे स्टेशनों की सफाई का दायित्व निजी पार्टियों को सौंपा गया है तथा तत्संबंधी शर्तें क्या हैं;

(ख) निजी पार्टियों को उपरोक्त कार्य सौंपे जाने के परिणामस्वरूप निम्न श्रेणी के फालतू हो गये रेल कर्मियों के पुनर्वास हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा आगामी वर्ष में निजी क्षेत्र को यह कार्य सौंपे जाने हेतु क्या योजना बनाई गई है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में रायपुर स्टेशन पर सफाई से संबंधित कार्य, खुली निविदाएं आमंत्रित करने के बाद 22.1.1993 को एक निजी पार्टी को दिया गया है। फालतू हो गए 18 सफाईवालों को रेलवे द्वारा उपयुक्त रूप से फिर से काम पर लगा दिया गया है। करार एक वर्ष की अवधि के लिए था और उसका वर्ष दर वर्ष के आधार पर नवीकरण किया जाता था। रेलों के पास सात दिन का नोटिस देकर और उसके बाद 48 घंटों का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए ठेके को रद्द करने का अधिकार आरक्षित है। ठेकेदार अपनी लागत पर स्टेशन इमारत, यार्ड और रायपुर स्टेशन के संबद्ध कार्यालयों सहित स्टेशन परिसर की सफाई और रख-रखाव करने के लिए सामग्री, उपस्कर, कीटनाशकों आदि के साथ व्यस्क श्रमिकों की पर्याप्त संख्या की व्यवस्था करेगा। स्वच्छता के स्तर को संतोषजनक बनाए रखने के लिए रेल प्रशासन की मांग पर श्रमिकों की संख्या बढ़ाने का ठेकेदार का दायित्व है। ठेकेदार उनके द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कार्य के परिणामस्वरूप हुई हानि का उसके द्वारा की गई कोई चूक आदि के कारण रेल प्रशासन को हुई हानि के लिए सभी दावों और दंडों के लिए रेल प्रशासन की क्षतिपूर्ति करेगा।

(ग) फिलहाल, ऐसी कोई योजना नहीं है।

भांडागार योजना

1201. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा पूर्णिया (बिहार) में कृषि सहकारिता संस्थानों के लिए भांडागार योजना के सघन कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ख) इस योजना को कब पूरा कर लिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से बिहार में ग्रामीण विकास केन्द्र नामक एक परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत निगम ने उपर्युक्त जिलों में से प्रत्येक 100 मी0 टन क्षमता के 74 गोदामों के निर्माण के एक कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इनमें से 34 गोदामों का निमार्ण कार्य पूरा हो गया है और शेष का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है।

(ख) इस योजना की अवधि 8 साल है जो मार्च, 96 में समाप्त हो जायेगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर

1202. श्री येल्लैया नन्दी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर ने देश की विभिन्न चीनी मिलों का दौरा किया है तथा चीनी उद्योग पर शोध पत्र प्रकाशित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस संस्थान के सुझावों को लागू करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों (1990-91 से 1994-95 तक) के दौरान संस्था के अधिकारियों

द्वारा, फैक्ट्रियों को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं के संबंध में परामर्श देने के लिए विभिन्न चीनी फैक्ट्रियों और इसके सम्बद्ध उद्योगों के 365 दौरे किए गए तथा अध्ययन के प्रयोजन से समन्वित अनुसंधान आधार पर भी चीनी फैक्ट्रियों के 45 दौरे किए गए। इसी अवधि के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में चीनी उद्योग संबंधी 65 अनुसंधान प्रकाशित किए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर द्वारा दिए गए सभी सुझावों का लक्ष्य फैक्ट्रियों की दक्षता में सुधार करना और उत्पादन में वृद्धि करना होता है। फैक्ट्रियों की ये सिफारिशें और सुझाव परामर्श के आधार पर रिपोर्ट के रूप में दिए जाते हैं। इनके कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व संबंधित चीनी फैक्ट्रियों का होता हैं।

न्यू कूच बिहार में गाड़ी को रोकने की व्यवस्था

1203. श्री अमर राय प्रधान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू कूचबिहार में नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस को रोकने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यातायात की दृष्टि से औचित्य न होना तथा परिचालनिक कठिनाइयां।

जोजोबा की खेती

1204. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में जोजोबा की खेती के अन्तर्गत कुल कितना क्षेत्र लाया गया है;

(ख) इन क्षेत्रों में जोजोबा उगाने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता मंजूर और जारी की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित अन्य कृषि विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस0 कृष्ण कुमार) : (क) राजस्थान सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जोजोबा खेती के अंतर्गत लाये गये क्षेत्र का ब्यौरा निम्नलिखित है :

1992-93	30.0 हैक्टेयर
1993-94	71.8 हैक्टेयर
1994-95	30.4 हैक्टेयर

(ख) राजस्थान में जोजोबा की खेती को बढ़ावा देने के लिये इस मंत्रालय के वनस्पति तेल विकास बोर्ड ने 1993-94 और 1994-95 में क्रमश: 1.82 लाख रूपये तथा 3.00 लाख रूपये स्वीकृत किये थे। हालांकि राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं किया और इसीलिए कोई धनराशि जारी नहीं की गयी।

(ग) तेलबीज बोर्ड ने राजस्थान के मरूस्थल क्षेत्रों में कृषि का विकास करने के लिये 1995-96 के दौरान 49.20 लाख रूपये की कुल लागत से वृक्षों से प्राप्त होने वाले तैलीय बीजों के संग्रहण और उनके पौधरोपण के कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान कर दी है। बंजर भूमि विकास विभाग ने 1995-96 से 5 वर्षों की अवधि के भीतर जोजोबा खेती के अंतर्गत 100 हैक्टेयर क्षेत्र को लाने का प्रस्ताव किया है।

केसर की खेती

1205. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 5-6 वर्षों के दौरान देश में केसर जिनके निर्यात की अच्छी संभावनाएं हैं और जिनमें औषधीय गुण हैं तथा जिसे कश्मीर घाटी के कुछ खास क्षेत्रों में और जम्मू के किश्तवाड़ में उगाया जाता है, की खेती को जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद के कारण धक्का लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1990-94 के दौरान केसर की खेती के अन्तर्गत भूमि, इससे उत्पादन, निर्यात की गई मात्रा और इससे अर्जित विदेशी मुद्रा का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही के महीनों में घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कश्मीरी केसर के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश के कुछ ठंडे स्थानों और हिमालय-क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर केसर की खेती के संबंध में प्रयोग करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या किसी अन्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान कराए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रेल लाइन

1206. श्री दत्ता मेघे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महाराष्ट्र में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितना रेल मार्ग है;

(ख) क्या यह पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान राज्य में रेल मार्ग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ) महाराष्ट्र में 31.3.94 को प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 17.74 रेल मार्ग कि.मी. था जो 19.0 के अखिल भारतीय औसत के आस पास है।

महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित लाइनें निर्माणाधीन/विचाराधीन हैं जो, जब पूरी हो जाएंगी तो राज्य के रेल मार्ग में वृद्धि करेंगी :

1. कोंकण रेल लाइन
   (महाराष्ट्र में 3.82 कि.मी.)
2. अमरावती-नरखेड़
3. अहमद नगर-बीड-परली वैजनाथ
4. जालना-खामगांव
5. बेलापुर-पनवेल

[अनुवाद]

"वनों का विनाश"

1207. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जून, 1995 के "इंडियन एक्सप्रैस" में जिप्सी बोर्न मारान्डर्स होल्ड स्वे इन तराई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वन्य जीवों का शिकार और वनों को नष्ट किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को बनाए रखने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश वन विभाग ने रिपोर्ट दी है कि तराई क्षेत्र में वन्यजीवों की बड़े पैमानें पर तबाही नहीं हो रही है। फिर भी, वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार करने के छुटपुट मामलों की सूचना मिली है जिन पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है।

(घ) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार के बहुत से मामलों की रिपोर्ट मिलने पर, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के साथ मामला उठाया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चोरी-छिपे शिकार की घटनाओं पर नियंत्रण करके वनों और वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। राज्य सरकार ने यह सूचना दी है कि उन्होंने तराई क्षेत्र में 17 संवेदनशील वन प्रभाग निर्धारित किए हैं जहां पर स्टाफ को अच्छी गतिशीलता के लिए वाहन, बेहतर आवागमन के लिए वायरलैस सेट और हथियार व गोला बारूद भी दिए गए हैं। एक वन संरक्षण बल भी बनायी गयी है और उन्हें इन क्षेत्रों में चोरी-छिपे शिकार और गैर-कानूनी रूप से पेड़ों को काटने के मामलों पर निगरानी रखने के लिए गश्त पर लगाया गया है।

बॉक्स वैगन तथा बॉक्स "एन" वैगन

1208. श्री सोमजीभाई डामोर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल के पास अलग-अलग कुल कितने बॉक्स वैगन तथा बॉक्स "एन" वैगन हैं;

(ख) बॉक्स वैगन/बॉक्स "एन" वैगन की कुल मियाद कितनी है;

(ग) क्या उपरोक्त वैगनों के पुन निर्माण के लिए कोई निधार्रित कार्यक्रम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने वैगनों का इस मियाद के बीच पुननिर्माण किया गया तथा उपरोक्त कितने वैगनों का पुननिर्माण किया जाना है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) भारतीय रेलों पर 1.3.1995 को बी ओ एक्स तथा वी ओ एक्स एन माल डिब्बों की संख्या निम्नलिखित है :-

बी ओ एक्स माल डिब्बे	बी ओ एक्स एन माल डिब्बे
37014	42571

(ख) प्रत्येक का 35 वर्ष

(ग) केवल बी ओ एक्स माल डिब्बों का पुनर्निमाण की योजना बनाई जाती है।

(घ) बी ओ एक्स माल डिब्बों का, आवश्यकता तथा हालत के आधार पर पुनर्निमाण किया जाता है। 1994-95 के दौरान 900 बी ओ एक्स माल डिब्बों का पुनर्निमाण किया गया था तथा 1995-96 के दौरान 1080 बी ओ एक्स माल डिब्बों का पुनर्निमाण करने की योजना है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान हालत एवं आयु के आधार पर पुनर्निमाण किए गए बी ओ एक्स माल डिब्बों की संख्या इस प्रकार है :-

1992-93	1993-94	1994-95
194	755	900

चूंकि माल डिब्बों के पुनर्निमाण का कार्य हालत एवं आवश्यकता के आधार पर किया जाता है, पुनर्निमाण के लिए बकाया माल डिब्बों की ठीक-ठीक संख्या बता पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

खाद्य तेल

1209. डा0 परशुराम गंगवार :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "पाउच पैकिंग" में खाद्य तेलों की बिक्री शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, विशेष-तौर पर जब जबकि बाजार में पाउचों में पैक किया गया तेल खुले तेल की अपेक्षा महंगा है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियत केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर आयातित खाद्य तेल की थोक में और 15 कि.ग्रा. के टीनों में आपूर्ति कर रही है। जो राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए तेल को छोटे पाउचों में प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं वे सरकारी/निजी अभिकरणों के जरिए इसका प्रबंध कर रहे हैं।

लू के कारण हुई मौतें

1210. श्रीमती सरोज दुबे :

श्रवण कुमार पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इस वर्ष लू के कारण हजारों लोगों की जानें गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष लू के कारण कुल कितनी मौतें हुई तथा इस संबंध में गत दो वर्षों का राज्यवार तुलनात्मक आंकड़ा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित परिवारों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा लू के कारण हो रही मौतों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में लू से होने वाली मौतों के संबंध में सांख्यिकीय सूचना भारत सरकार द्वारा संकलित नहीं की जाती है। फिर भी, ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इस वर्ष भारत में लू के कारण हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मृत्यु के मामले में मृतकों के परिवारों को आपदा राहत कोष की राशि का उपयोग करते हुऐ, अनुग्रह राहत प्रदान करती है जिसमें भारत सरकार 75 प्रतिशत का अंशदान करती है।

(ङ) लू से होने वाली मौतें अधिक व्यापक घटना नहीं है और इसका मुख्य कारण गर्मी के महीनों में अत्यधिक गर्मी का लगना है। इसके लिये लोगों को सलाह दी जाती है कि इस अवधि में वे अत्यधिक गर्मी से बचें और जलशून्यता की रोक-थाम करें। लू से होने वाली बीमारियों का उपचार करने के लिये सार्वजनिक अस्पतालों, तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधायें मौजूद हैं।

जमरानी बांध

1211. श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में जमरानी बांध परियोजना पर्यावरण तथा वन मंजूरी के लिए प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जामरानी बांध परियोजना को अपेक्षित आंकड़ें और पर्यावरण योजना प्रस्तुत न करने के कारण पर्यावरणीय दृष्टि से दिसंबर, 1992 में अस्वीकृत कर दिया गया था। नैनीताल जिले में 368.39 हेक्टेयर वन भूमि को वनेत्तर उपयोग में लाने के प्रस्ताव को भी वानिकी दृष्टि से 1994 में अस्वीकृत कर दिया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महिला समृद्धि योजना

1212. श्री नरेश कुमार बालियान :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को "महिला समृद्धि योजना" के बारे में जानकारी न होने के कारण इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लोगों को इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने हेतु कोई विशेष अभियान चलाने का है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों में पृथक काउंटर खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) जी नहीं।

(ख) स्कीम के एक हिस्से के रूप में जागृति विकास अभियान

सतत् आधार पर चलाये जाते हैं। महिला समृद्धि योजना पर श्रृव्य/दृश्य स्पॉट/फिल्में तैयार की गई है और इनका प्रचार किया गया है। इन्हें दूरदर्शन पर भी दिखाया गया। महिला समृद्धि योजना पर सभी भाषाओं में पोस्टर, पुस्तिकाएं, चौपन्ने और फोल्डर मुद्रित कराए गए और डाकखाना स्तर तक संवितरित किये गये। इश्तिहार तथा दीवारों पर लगाये जाने वाले पोस्टर जिन पर महिला समृद्धि योजना के संदेश लिखे होंगे, भी मुद्रित कराए जा रहे हैं। इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1994-95 और 1995-96 के लिये क्रमशः एक करोड़ और दो करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अधिनियमों में संशोधन

1213. श्री शरत पटनायक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 और सती प्रथा (निवारण) अधिनियम 1987 में संशोधनों की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) जी हां।

(ख) महिलाओं से संबंधित कानून विषयों के आवंटन के आधार पर विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। कानूनों की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं से संबंधित ऐसे विभिन्न कानूनों की जांच का कार्य सौंपा गया है जो उन्हें कानूनी तथा संवैधानिक सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। आयोग की सिफारिशें उपयुक्त मंत्रालयों/विभागों को भेज दी जाती हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग दोनों कानूनों अर्थात् दहेज (निषेध) अधिनियम, 1961 तथा सती (निवारक) अधिनियम, 1987, की सम्बद्ध विभागों/मंत्रालयों के परामर्श से संवीक्षा कर रहा है।

चीनी घोटला

1214. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में 1989 और 1994 के दौरान चीनी घोटलों के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध अपराधिक मुकदमें दायर किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) 1989 में चीनी निर्यात पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच तथा 1994 के दौरान चीनी की कमी पर ज्ञान प्रकाश समिति द्वारा की गई जांच के आधार पर इस संबंध में किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध अपराधिक मामले दर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

1215. श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता कल्याण कोष बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

1216. श्री विश्वेश्वर भगत :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित बेरोजगार युवकों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु कोई योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की गई धनराशि राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का मध्य प्रदेश में ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) सरकार माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना फरवरी, 1988 से लागू कर रही है जिसका लक्ष्य आवश्यकता पर आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को रोजगार प्राप्त करने योग्य कौशल प्रदान करना है। ये पाठ्यक्रम स्कूलों में +2 स्तर पर प्रदान किए जाते हैं तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों सहित सभी छात्र इनका अध्ययन कर सकते हैं।

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर इस योजना के अंतर्गत अब तक 390 स्कूलों में 1112 व्यावसायिक सेक्शन अस्वीकृत किए गए हैं।

[अनुवाद]

मसालों का आयात

1217. श्री रमेश चेन्नितला :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान वस्तुवार मसालों का कितना आयात किया गया; और

(ख) इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान कुल 20906384 किलोग्राम (अनंतिम) मसालों का आयात किया गया (वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, वाणिज्य मंत्रालय, कलकत्ता द्वारा मदवार आंकड़ों का संकलन अब तक नहीं किया गया है)।

(ख) उस पर 17.63 मिलियन अमेरिकी डालर (विनिमय दर 1 अमेरिकी डालर - 31.3986 रू.) की कुल रकम खर्च की गई।

नारियल के तेल का आयात

1218. श्री एम. रमन्ना राय :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियाल के तेल का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नारियल के तेल का कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ग) इसके आयात के क्या कारण हैं; और

(घ) नारियल के तेल के आयात का नारियल उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) नारियल के तेल का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के तहत अनुमत नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार में आंगनवाड़ी कार्यक्रम

1219. श्री साईमन मरान्डी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में झारखंड क्षेत्र के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र चलाए जा रहे हैं और चालू वर्ष के दौरान इन केन्द्रों पर किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इन केंद्रों के कार्यकरण और इस क्षेत्र में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित धनराशि के दुरूपयोग के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच करायी गयी है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले एवं सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) अद्यतन स्थिति के अनुसार बिहार में झारखंड क्षेत्र में 88 आदिवासी ब्लाकों में 7570 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। चालू वर्ष अप्रैल-जुलाई, 1995 के दौरान इन आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन पर 2.33 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है। इसके अलावा, पूरक पोषाहार प्रदान करने के लिये इन केन्द्रों में 26961 बोरे कॉर्न सोया ब्लैण्ड और तेल के 4521 कनस्तर इस्तेमाल किये गये।

(ख) और (ग) हालांकि धनराशि के दुरूपयोग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है किन्तु राज्य सरकार को पूरक पोषाहार के प्रयोजनार्थ रखे गये खाद्य पदार्थों के दुरूपयोग के संबंध में दो विशिष्ट शिकायतें प्राप्त हुई थी। ये दो शिकायतें को-आपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीज, एब्रोव्हेयर के खाद्य पदार्थों के चन्दिल समेकित बाल विकास सेवा परियोजना और आदित्यपुर परियोजना में दुरूपयोग से संबंधित थीं।

(घ) चन्दिल आई सी डी एस परियोजना के बारे में शिकायत पर बिहार समाज कल्याण विभाग के निदेश द्वारा स्थल पर जांच की गई। आदित्यपुर आई सी डी एस परियोजना में शिकायत के पश्चात गमहरिया ब्लॉक विकास अधिकारी और स्थानीय पुलिस द्वारा संयुक्त छापा मारा गया।

(ङ) चन्दिल परियोजना में खाद्य पदार्थों के दुरूपयोग के लिये बिहार समाज कल्याण विभाग के निदेशक की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही शुरू की गई है और आदित्यपुर परियोजना के बारे में बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में प्रथम् सूचना रिपोर्ट दायर कर दी गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलवे द्वारा आयोडीन युक्त नमक की ढुलाई

1220. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जुलाई, 1995 के "द टाइम्स

ऑफ इंडिया'' में ''कैरिंग आयोडीन रेलवेज वे'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या खुले वैगनों में धुलाई के कारण आयोडीन युक्त नमक से आयोडीन लुप्त हो जाता है;

(ग) क्या वैगन प्राप्त करने के लिए मांग पत्र देने और नमक की वास्तविक धुलाई में तीन महीने का अंतराल हो जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार मांग पर तुरंत वैगन उपलब्ध करा कर नमक की गुणवत्ता कैसे बचाने पर विचार कर रही है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कतिपय क्षेत्रीय रेलों पर आयोडीनयुक्त नमक के परिवहन के लिए माल-डिब्बों की मांग और आपूर्ति के बीच समय का अंतराल है। आयोडीनयुक्त नमक को सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक/फिल्म लगी हुई एच डी पी ई ओवर बोरी या पटसन की बोरियों में रखा जाना अपेक्षित होता है। खुले माल-डिब्बों में धुलाई करते समय परिवहन में आयोडीन की कुछ हानि संभव है, बहरहाल, ऐसी हानियों के लिए उपभोग बिंदु पर आयोडीन की मात्रा के 15 भाग प्रति मिलियन की आवश्यकता की बजाय उत्पादन बिंदु पर 30 भाग प्रति मिलियन सुनिश्चित करके कुछ राहत की व्यवस्था की जाती है। वर्षा-ऋतु की कुछ अवधियों के दौरान, रेलें आयोडीनयुक्त नमक बंद माल-डिब्बों की सप्लाई करने का यथा संभव प्रयास करती हैं।

''क्लीनर'' प्रौद्योगिकी के संवर्धन हेतु भारतीय केन्द्र

1221. श्री चेतन पी. एस. चौहान :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ''क्लीनर'' प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए भारतीय केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक हो जाएगी;

(ग) इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) विश्व बैंक एवं अन्य एजेंसियों से अनुमानत: कितनी सहायता राशि प्राप्त होगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रस्तावित केन्द्र के उद्देश्य देश के भीतर व बाहर उपलब्ध स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करना, उनका मूल्यांकन करना और उनकी प्राथमिकता देना, सूचना का प्रसार करना और प्रभावकारी प्रदर्शन के जरिए बड़े पैमाने पर उचित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को सरल बनाना है। केन्द्र का दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है। विश्व बैंक द्वारा हार्डवेयर व साफ्टवेयर खरीदने के लिए 2 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि प्रदान की गई है। संचालन विधियों को अन्तिम रूप देने के बाद ही यह केन्द्र कार्य करना आरम्भ करेगा।

गोश्री द्वीप विकास प्राधिकरण

1222. श्री के. वी. थामस :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोश्री द्वीप विकास प्राधिकरण परियोजनाओं को पर्यावरणीय, स्वीकृति, जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के कारण रोक दिया गया था, दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) कोचीन में द्वीप के समन्वित विकास का गौश्री द्वीप विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवश्यक कुछ विशेष सुरक्षा उपायों का अनुबंध करते हुए मई 1995 में पारित कर दिया गया था।

[हिन्दी]

अंकलेश्वर में रसायन क्षेत्र

1223. श्री काशीराम राणा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार को अंकलेश्वर में एक रसायन क्षेत्र बनाने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति मिल गई हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो उक्त स्वीकृति के संबंध में निर्धारित शर्तें क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) जब भी इस प्रस्ताव को सरकार के विचारार्थ भेजा जाएगा इसकी जांच करने की आवश्यकता पड़ेगी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों के आवागमन में बाधा पड़ना

1224. श्री जायनल अबेदिन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीरताला हाल्ट स्टेशन पर ''रेल रोको'' आंदोलन के कारण पूर्वी रेल के सियालदेह डिवीजन के अंतर्गत सियालदह-लालगोला

सेक्शन में रेल गाड़ियों के आवागमन में तीन दिनों (26.6.95 से 28.6.95) तक गंभीर रूप से बाधा पड़ी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान रेलगाड़ियों के सामान्य रूप से आवागमन को सुनिश्चित करने हेतु कोई उपाय किए गए थे; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) 26.6.95 और 27.6.95 की पीरताला हाल्ट पर आंदोलन हुआ था। उनकी मांगों में 301 अप 302 डाऊन गाड़ियों का ठहराव, कतिपय यात्री सुविधाओं यथा ऊंची सतह वालों प्लेटफार्म, प्रसाधन, प्लेटफार्म सायवान, पीने के पानी पहुंच मार्ग की व्यवस्था, पीरताला हाल्ट स्टेशन को फ्लैग स्टेशन में बदलना, लंबी दूरी के लिए टिकटों की उपलब्धता, आरक्षण कोटों का आवंटन आदि शामिल थे।

(ग) मांगों की जांच की गई है। 301/302 सियालदह-लालगोला फास्ट पैसेंजर को ठहराव देने और पीरताला हाल्ट को फ्लैग स्टेशन में बदलने की मांग औचित्यपूर्ण नहीं पायी गयी है। पूर्व रेलवे को लंबी दूरी की टिकटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पीरताला हाल्ट सहित विभिन्न हाल्ट स्टेशनों के बुकिंग क्षेत्र का विस्तार करने को कहा गया है। नीतिगत मामले के रूप में, हाल्ट स्टेशनों के लिए आरक्षण कोटे की व्यवस्था नहीं की जाती है। जहां तक विभिन्न यात्री सुविधाओं का संबंध है, पीरताला हाल्ट पर पटरी की सतह वाले प्लेटफार्म, पेशाब घर और एक बुकिंग कार्यालय सहित प्रतीक्षा सायवान की पहले ही व्यवस्था है। ये सुविधाएं यातायात के मौजूदा स्तर के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं। जहां तक पहुंच मार्ग का संबंध है, रेलवे भूमि पर एक उपयुक्त सड़क की व्यवस्था करने की कार्रवाई की जा रही है।

(घ) और (ङ) पीरताला से 4 कि.मी. दूर भगवान गोला तक एक डी एम यू रेक से गाड़ी सेवाएं बनाये रखी गई थीं।

यात्री सेवा एजेन्ट

1225. **श्री अन्ना जोशी :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुणे क्षेत्र में रेलवे बुकिंग हेतु कितने यात्री सेवा एजेन्ट कार्यरत हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र में अधिक एजेन्टों को प्राधिकृत करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और इनमें से कितने आवेदकों को मंजूरी प्रदान की गई है; और

(घ) शेष आवेदनों को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) पुणे में दो रेल यात्री सेवा एजेंट कार्यरत हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) 1991 से छः आवेदन प्राप्त हुए हैं और इन आवेदकों में से दो की नियुक्ति के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं, रेलवे द्वारा अन्य आवेदनों के संबंध में विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि रेल यात्री सेवा एजेंट तथा 2 रेल पर्यटन एजेंट और 2 सिटी बुकिंग कार्यालय की मौजूदा सुविधा पुणे शहर में यात्रियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं।

मध्य प्रदेश में अनुसंधान केन्द्र

1226. **श्री फूल चन्द वर्मा :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत अनुसंधान परिषदों, अनुसंधान केन्द्रों तथा परियोजनाओं के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) इन परिषदों, केन्द्रों और परियोजनाओं पर गत तीन वर्षों के दौरान पृथक-पृथक कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) इन अनुसंधान कार्यों का मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) पिछले तीन सालों के दौरान मध्य प्रदेश में कार्यरत भा.कृ.अनु. परिषद के संस्थानों, प्रायोजनाओं और उनके केन्द्रों के नाम, स्थानों और खर्चों के साथ संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) इन केन्द्रों में किये गए अनुसंधानों से खाद्यान्नों और बागवानी फसलों, तिलहनों, कपास की आशाजनक किस्मों और उत्पादन प्रौद्योगिकी के विकास में सहायता मिली हैं।

विवरण

मध्यप्रदेश में अनुसंधान केन्द्र

(रूपये लाख में)

क्र.सं.	भा.कृ.अ.प. के संस्थानों/प्रायोजनाओं/ केन्द्रों के नाम	स्थान/जिला	(निवेश) खर्च/परिव्यय		
			1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6
क.	**संस्थान**				
1.	भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान	भोपाल/भोपाल	105.01	159.25	246.00
2.	केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान	भोपाल/भोपाल	18.70	103.68	150.00
3.	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान का ताजा जल मछली फार्म	पावरखेडा/ हौशंगाबाद		32.21 (तीन साल का खर्च)	
4.	केन्द्रीय अंतर्स्थलीय मात्स्यिकी प्रग्रहण संस्थान का अनुसंधान केंद्र और मात्स्यिकी/जलाशय	रायपुर/ हौशंगाबाद		31.18 (तीन साल का खर्च)	
ख.	**राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र**				
1.	खरपतवार विज्ञान	जबलपुर/जबलपुर	66.69	76.89	120.00
2.	सोयाबीन	इंदौर/इंदौर	57.00	56.34	105.00
ग.	**अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना**				
1.	तिलहन	जबलपुर/जबलपुर	12.00	7.40	8.76
		छिंदवाड़ा/छिंदवाड़ा	2.68	1.71	2.31
		हौशंगाबाद/हौशंगाबाद	2.27	1.71	2.31
		सागर/सागर	2.12	1.54	2.12
		इंदौर/इंदौर	4.28	2.68	3.33
		रायपुर/रायपुर	4.43	3.39	4.08
		टिकमगढ़/टिकमगढ	6.50	3.90	7.76
2.	सोयाबीन	सेहोरे/सेहोरे	4.25	5.12	6.35
		जबलपुर/जबलपुर	1.17	1.95	1.98
		इंदौर/इंदौर	1.81	1.41	2.05
3.	शुष्क पत्ती	ग्वालियर/ग्वालियर	0.76	0.81	1.35
4.	कपास	खंडवा/खंडवा	5.58	5.98	9.65
		इंदौर/इंदौर	3.63	5.44	2.76
		बदनावार/बदनावार	2.06	1.99	1.18
5.	गन्ना	सेहोरे/सेहोरे	2.59	4.66	3.46
6.	कृन्तक नियंत्रण	जबलपुर/जबलपुर	4.30	4.80	11.22
7.	सूत्रकृषि	जबलपुर/जबलपुर	2.91	4.04	3.27
8.	कीटनाशी रसायनों के अवशेष	जबलपुर/जबलपुर	3.80	9.04	4.32

1	2	3	4	5	6
9.	चारा फसलें	जबलपुर/जबलपुर	3.87	4.16	5.33
10.	छोटे अनाज	धींडोरे/मंडला	4.12	4.51	4.95
11.	बाजरा	ग्वालियर/ग्वालियर	3.39	2.84	3.50
		रीवा/रीवा	4.12	4.51	5.45
12.	चावल	रायपुर/रायपुर	8.56	11.14	12.41
		जगदलपुर/बस्तर	3.37	3.52	3.80
		रीवा/रीवा	6.15	6.18	6.98
13.	जौ	रीवा/रीवा	2.44	1.73	2.23
14.	गेहूं	बिलासपुर/बिलासपुर	3.21	4.14	4.46
		सागर/सागर	6.91	7.15	8.32
		ग्वालियर/ग्वालियर	3.46	4.21	4.46
15.	अरहर	खरगौने/खरगौने	4.50	5.27	3.91
16.	चना	सेहोरे/सेहोरे	3.02	11.78	6.79
17.	सुल्लार्प	रायपुर/रायपुर	4.71	5.07	6.03
18.	मूंगफली	खरगौने/खरगौने	-	2.23	1.61
19.	तोरिया और सरसों	मुरैना/मुरैना	-	3.87	3.92
20.	चुनी हुई फसलों में संकर किस्मों पर अनुसंधान बढ़ाना और विकास।	इंदौर/इंदौर	2.10	2.20	2.30
21.	तिलहन फसलों के बीज उत्पादन के लिए आवर्ती कोष।	इंदौर/इंदौर	4.00	-	
22.	मक्का	पावरखेड़ा/होशिंगाबाद	8.83	7.36	7.72
		छिंदवाड़ा/छिंगवाड़ा	5.25	8.46	5.17
		इंदौर/इंदौर	10.14	10.18	12.00
23.	राष्ट्रीय बीज	जबलपुर/जबलपुर	8.80	12.54	16.51
	प्रायेजना (पौध फसलें)	रायपुर/रायपुर	-	3.00	12.28
24.	राष्ट्रीय बीज	इंदौर/इंदौर	36.70	18.37	1.40
	प्रायोजना (विश्व बैंक)	जबलपुर/जबलपुर	36.00	20.25	
		भोपाल/भोपाल	45.00	20.25	
		रायपुर/रायपुर	14.00	7.60	
25.	तिलहन पर प्रजनक	खरगौने/खरगौने	1.17	1.40	1.59
	बीज उत्पादन	इंदौर/इंदौर	2.14	2.08	2.15
		सेहोरे/सेहोरे	1.17	1.40	1.59
26.	फसल प्रणाली अनुसंधान	जबलपुर/जबलपुर	30.06	30.61	21.80
27.	जुताई आवश्यकता	जबलपुर/जबलपुर	4.02	3.55	3.63
28.	खरपतवार नियंत्रण	जबलपुर/जबलपुर	3.28	7.19	5.77

1	2	3	4	5	6
29.	शुष्क भूमि कृषि	इन्दौर/इन्दौर	8.46	20.30	10.55
	शुष्क भूमि (ओ.पी.आर.)	इन्दौर/इन्दौर	3.92	5.90	4.25
30.	कृषि मौसम विज्ञान	रेवा/रेवा	8.28	10.35	9.20
		जबलपुर/जबलपुर	2.52	28.99	3.00
31.	लवणीय प्रभावित मृदा	इन्दौर/इन्दौर	14.22	8.50	11.10
32.	जल प्रबन्ध	बिलासपुर/बिलासपुर	6.81	7.54	8.38
		पावरखेडा/पावरखेडा	8.55	12.40	9.30
33.	कुऐं और पम्प	जबलपुर/जबलपुर	4.47	6.58	5.04
34.	जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण	जबलपुर/जबलपुर	3.00	3.18	2.37
35.	मृदा और पौधों में प्रदुषित तत्वों में सूक्ष्म और गौण पोषक तत्व	जबलपुर/जबलपुर	4.80	5.45	5.70
36.	मृदा परीक्षण फसल प्रतिक्रिया	जबलपुर/जबलपुर	6.07	7.62	7.21
		रायपुर/रायपुर	3.50	4.86	3.12
37.	दीर्घ अवधि उर्वरक परीक्षण	जबलपुर/जबलपुर	1.55	1.58	1.97
38.	कृषि वानिकी	जबलपुर/जबलपुर	3.28	5.10	5.25
39.	उप-उष्णकटिबंधीय फल	रेवा/रेवा	3.56	3.32	
40.	सब्जियां	जगदलपुर/जगदलपुर	3.01	3.49	3.56
41.	आलू	छिंदवाड़ा/छिंदवाड़ा	5.07	4.90	4.11
42.	औष्धीय और सुगंधीय पौधे	मंडसोर/मंडसोर	2.66	7.54	10.58
		इन्दौर/इन्दौर	3.15	7.63	10.42
43.	कंद फसलें	जगदलपुर/जगदलपुर	-	1.03	2.05
44.	बी.एस.पी. के अंतर्गत सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना	रायपुर/रायपुर	6.00	-	-
45.	मूंगफली बीज का उत्पादन	खड़गांव/खड़गांव	3.00	-	-
46.	ताड़	जगदलपुर/जगदलपुर	0.93	1.99	1.78
47.	खुम्बी	रायपुर/रायपुर	4.01	6.57	4.44
48.	पान	जबलपुर/जबलपुर	0.99	5.65	3.46
49.	काजू	जगदलपुर/जगदलपुर	-	-	3.00
50.	राष्ट्रीय बीज प्रायोजना (सब्जी)	जगदलपुर/जगदलपुर	-	1.57	3.57
51.	कृषि औजार और मशीनरी	जबलपुर/जबलपुर	1.68	1.90	0.98
52.	कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी	जबलपुर/जबलपुर	7.59	8.00	11.04
53.	नवीनीकरण ऊर्जा स्त्रोत	जबलपुर/जबलपुर	2.96	1.25	1.37
54.	कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता	जबलपुर/जबलपुर	9.20	8.70	8.67
55.	कृषि जल-निकासी	जबलपुर/जबलपुर	4.92	7.64	7.81

1	2	3	4	5	6
56.	सुअर पर नेटवर्क प्रायोजना	जबलपुर/जबलपुर	7.99	12.37	7.09
57.	मुर्गी	जबलपुर/जबलपुर	8.06	4.47	9.00
58.	पशु पोषण और उत्पादन में सूक्ष्म आहार पर नेटवर्क कार्यक्रम	जबलपुर/जबलपुर		-	7.53
59.	भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी पर नेटवर्क कार्यक्रम	दुर्ग/दुर्ग	-	-	2.75
60.	उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला	भोपाल/भोपाल	30.05	221.13	335.90
61.	विकासीय अनुदान	जबलपुर/जबलपुर	27.00	-	83.00
	जारी की गई	रायपुर/रायपुर	54.00	50.00	-
62.	राष्ट्रीय कृषि उत्पाद	जबलपुर/जबलपुर	179.48	248.37	167.64
	के अंतर्गत अनुदान	रायपुर/रायपुर	25.00	60.53	48.50

[हिन्दी]

औद्योगिक प्रदूषण

1227. **श्री लाल बाबू राय :**
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड और नियम निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में सरकार को राज्यवार प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कानून में संशोधन करना चाहती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) सरकार ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 बनाए हैं तथा औद्योगिक प्रदूषण रोकने के लिए इन अधिनियमों के अन्तर्गत नियमों को भी अधिसूचित किया है। पर्यावरणीय संगत मानक निर्धारित किए गए हैं जिनमें 37 श्रेणियों के लिए बहिस्त्राव मानक और उद्योगों की 40 श्रेणियां के लिए उत्सर्जन मानक भी शामिल हैं। परिवेशी वायु गुणवत्ता, जल खपत, परिसंकटमय रसायनों तथा अपशिष्टों के संबंध में भी मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों (जुलाई, 1992 से जून, 1995) के दौरान राज्यवार प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) संगत अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

(घ) और (ङ) औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण को शामिल करने वाले विभिन्न विद्यमान अधिनियमों को समेकित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों (जुलाई, 1992 से जून, 1995 तक) राज्यवार प्राप्त शिकायतें।

राज्य	शिकायतों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	18
अरूणाचल प्रदेश	0
असम	11
बिहार	51
गोवा	15
गुजरात	29
हरियाणा	42
हिमाचल प्रदेश	8
जम्मू व कश्मीर	21
कर्नाटक	29
केरल	44
महाराष्ट्र	83
मध्य प्रदेश	68
मेघालय	0
मिजोरैम	0
मणिपुर	1

1	2
नागालैण्ड	0
उड़ीसा	36
पंजाब	34
राजस्थान	75
सिक्किम	0
तमिलनाडु	45
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	309
पश्चिम बंगाल	102
अंडमान निकोबार	2
चण्डीगढ़	1
दिल्ली	536
पांडिचेरी	5
दमन द्वीव और दादर और नगर हवेली	2
कुल	1552

[अनुवाद]

पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य

1228. श्री राम विलास पासवान :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995 के मौसम के लिए कच्चे पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 1995-96 मौसम के लिये असम में टी.डी.-5 श्रेणी के कच्चे पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 490 रूपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। सामान्य बाजार मूल्य अवकलों के आधार पर सरकार द्वारा 1995-96 मौसम के लिये अन्य श्रेणियों के कच्चे पटसन के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1995-96 मौसम के लिये पटसन उत्पादक विभिन्न राज्यों में बड़ी मण्डियों में कच्चे पटसन की विभिन्न किस्मों तथा श्रेणियों के लिये निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य

टोसा/सफेद रू. प्रति क्विंटल

क्र.सं.	राज्य का नाम	किस्म	जी टीडी-1 डब्ल्यू-1	आर टीडी-2 डब्ल्यू-2	ए टीडी-3 डब्ल्यू-3	टीडी-4 डब्ल्यू-4	डी टीडी-5 डब्ल्यू-5	ई टीडी-6 डब्ल्यू-6	एस टीडी-7 डब्ल्यू-7	टीडी-8 डब्ल्यू.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	असम/मेघालय	टोसा	690.00	640.00	590.00	540.00	490.00	445.00	400.00	355.00
		सफेद	660.00	610.00	560.00	510.00	460.00	415.00	370.00	325.00
2.	बिहार									
(i)	पूर्णिया, किसानगंज, अरारिया और कटिहाल जिले	टोसा	719.00	669.00	619.00	569.00	519.00	474.00	429.00	384.00
		सफेद	689.00	639.00	589.00	539.00	489.00	444.00	399.00	354.00
(ii)	सहरसा, चम्पारन और अन्य जिले	टीसा	706.50	656.50	606.50	556.50	506.50	461.50	416.50	371.50
		सफेद	676.50	626.50	576.50	526.50	476.50	431.50	386.50	341.50
3.	उड़ीसा	टोसा	721.00	671.00	621.00	571.00	521.00	476.00	431.00	386.00
		सफेद	691.00	641.00	591.00	541.00	491.00	446.00	401.00	356.00
4.	त्रिपुरा	टोसा	657.00	607.00	557.00	507.00	457.00	412.00	367.00	322.00
		सफेद	627.00	577.00	527.00	477.00	427.00	382.00	337.00	292.00
5.	उत्तर प्रदेश	टोसा	675.00	625.00	575.00	525.00	475.00	430.00	385.00	340.00
		सफेद	645.00	595.00	545.00	495.00	445.00	400.00	355.00	310.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	पश्चिम बंगाल									
	(i) कूच बिहार,	टोसा	706.50	656.50	606.50	556.50	506.50	461.50	416.50	371.50
	जलपाईगुड़ी व	सफ़ेद	676.50	626.50	576.50	526.50	476.50	431.50	386.50	341.50
	दार्जिलिंग जिले									
	(ii) दिनाजपुर (उत्तरी	टोसा	721.50	671.50	621.50	571.50	521.50	476.50	431.50	386.50
	व दक्षिणी) और	सफेद	691.50	641.50	591.50	541.50	491.50	446.50	401.50	356.50
	मालदा जिले									
	(iii) मुर्शिदाबाद,	टोसा	727.50	677.50	627.50	577.50	527.50	482.50	437.50	392.50
	बांकुरा और	सफेद	697.50	647.50	597.50	547.50	497.50	452.50	407.50	362.50
	बीरभूम जिले									
	(iv) नादिया, मदनापुरे,	टोसा	736.50	686.50	636.50	586.50	536.50	491.50	446.50	401.50
	वर्दवान 24-परगना	सफेद	706.50	656.50	606.50	556.50	506.50	461.50	416.50	371.50
	(उत्तरी व दक्षिणी)									
	हुगली तथा हावड़ा जिले									

वरली-मुम्बई सम्पर्क परियोजना

1229. **श्री राम कापसे :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण से वरली-मुम्बई सम्पर्क परियोजना के संबंध में पर्यावरण प्रभाव आकलन संबंधी विवरण प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस परियोजना की स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दी जायेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) नरीमन-प्वाईट में वरली तक पश्चिमी मुक्त पथ की समूची दूरी के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा मांगी गई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट मुम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ग) और (घ) परियोजना प्रस्ताव की मंजूरी के बारे में अन्तिम निर्णय, परियोजना सम्बन्धी महत्वपूर्ण कोटे और वांछित सूचना प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन की निर्धारित समयावधि में लिया जाता है। [हिन्दी]

सोनपुर-वाराणसी रेल लाइन का दोहरीकरण

1230. **श्रीमती गिरिजा देवी:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1995-96 के दौरान सोनपुर-छपरा-वाराणसी रेल लाइन के दोहरीकरण संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई में चलने वाली गाड़ियां

1231. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई, 1995 में मुम्बई में चलने वाली कितनी स्थानीय गाड़ियों को रद्द किया गया और कितनी नई स्थानीय गाड़ियां शुरू की गईं ;

(ख) क्या यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वर्तमान गाड़ियां अपर्याप्त हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस समय चल रही गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ): (क) जुलाई, 1995 के दौरान मुम्बई क्षेत्र में छोटी दूरी की 42 ई.एम.यू. शटल रद्द की गई तथा 16 ई.एम.यू. सेवाएं जोड़ी गई जिससे उपनगरीय गाड़ी कि.मी. में समग्र वृद्धि हुई है।

(ख) मौजूदा गाड़ी सेवाएं पूरी तरह से पर्याप्त हैं। तथापि, व्यस्त अवधि के दौरान गाड़ियों में अधिक भीड़-भाड़ होती है।

(ग) से (ङ.). ई.एम.यू. रेलों में यानों की संख्या धीरे-धीरे 9 से बढ़ाकर 12 की जा रही है कुल 10 रेकों को 12 यान वाले रेकों में बदला गया है जिससे जुलाई, 1995 को प्रतिदिन कुल 104 गाड़ी सेवाएं बनती है।

[अनुवाद]

रेलवे उत्पादन एकक

1232. श्री शांताराम पोतदुखे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेल के लिए इंजनों, डिब्बों तथा अन्य कल पुर्जों के उत्पादन में रत एककों के क्या नाम हैं;

(ख) क्या सरकार ने भविष्य में इजनों की आवश्यकता के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने 1994-95 के लिए इंजनों के उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) अपेक्षित अतिरिक्त रेल इंजनों की मांग इस प्रकार है :-

1995-96 में - डीजल 110 रेल इंजन
बिजली 130+16 ए.वी.वी. से आयात किये गये+10 भेल से

1996-97 में - डीजल-113 रेल इंजन
बिजली-115+14 ए.वी.वी. से आयात किए गए

(घ) और (ड.) जी हां वर्ष 1995-96 के लिए रेल इंजनों के उत्पादन के लिए निर्धारित किए लक्ष्य निम्नलिखित हैं :-

(I) भारतीय रेलों के लिए चितरंजन रेल इंजन कारखाने में 130 बिजली रेल इंजन।

(II) भारतीय रेलों के लिए डीजल रेल इंजन कारखाने में 110 डीजल रेल इंजन।

(II) उपर्युक्त के अलावा चालू वर्ष के दौरान मै.ए.वी.वी. से उच्च अश्व शक्ति वाले 16 बिजली रेल इंजन तथा मै. भेल से 10 बिजली रेल इंजन खरीदे जायेंगे।

विवरण

(क) भारतीय रेलों की उत्पादन इकाईयों के नाम निम्नलिखित हैं:

	उत्पादन यूनिट का नाम	निर्मित मद
1.	चितरंजन रेल इंजन कारखाना चितरंजन पश्चिम बंगाल	रेल इंजन
2.	डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी उत्तर प्रदेश	रेल इंजन
3.	सवारी डिब्बा कारखाना पैरम्बूर, मद्रास तमिलनाडु	सवारी डिब्बे
4.	रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला पंजाब	सवारी डिब्बे
5.	डीजल कलपुर्जा कारखाना पटियाला पंजाब	चल स्टाक कलपूर्जे
6.	पहिया एवं धुरा संयंत्र बेंगलूर कर्नाटक	चल स्टाक कलपुर्जे

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर में 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड'

1233. श्री गुमान मल लोढा :
श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जून, 1995 के दैनिक समाचार पत्र "इंडियन एक्सप्रेस" में कैग इन्डाइट्स जे एण्ड के फॉर डावरटिग 'आपरेशन ब्लैकबोर्ड फन्ड्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू-कश्मीर की सरकार ने आपरेशन ब्लैकबोर्ड के प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि का अन्यत्र उपयोग किया है और इससे उक्त योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकार से इस संबंध में जानकारी मांगी है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ड.) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, हां।

(ख) से (ड.). राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

भंडारण क्षमता

1234. श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री सोमजीभाई डामोर :

क्या खाद्य मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष गुजरात में खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता कितनी थी;

(ख) क्या गुजरात में अस्थाई गोदामों की भंडारण क्षमता में वृद्धि की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और राज्य में और अधिक गोदामों के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन गोदामों में क्रमशः 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न नष्ट हुए?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध कुल खाद्यान्न भण्डारण क्षमता (ढकी हुई और कैप) निम्नानुसार थी :

वर्ष (31/3)	कुल भंडारण क्षमता (लाख मीटरी टन में)
1992-93	8.36
1993-94	12.14
1994-95	12.87

(ख) और (ग) जी, हां। 1992-93 से 1994-95 तक के वर्षों के दौरान गुजरात में लगभग 3.2 लाख मीटरी टन कैप भण्डारण क्षमता हासिल की गई है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों की मात्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्न (मीटरी टन में)
1992-93	382.433
1993-94	2022.532
1994-95	747.000(अनन्तिम)

प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक एककों को बंद करना

1235. **श्री जी. देवराय नायक:**
श्री मंजय लाल:
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद:
श्री चन्द्रेश पटेल:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय, विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों तथा अन्य न्यायालयों के आदेशानुसार आगरा, दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में पर्यावरणीय प्रदूषण का खतरा उत्पन्न करने वालों विभिन्न औद्योगिक एककों को बंद करने/स्थानांतरित करने हेतु नोटिस/आदेश जारी कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक क्षेणी के ऐसे औद्योगिक एककों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत ऐसे कितने औद्योगिक एककों को बंद/स्थानांतरित कर दिया गया अथवा कर दिया जायेगा;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों, उद्योगों इत्यादि से कोई ज्ञापन मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सूचना विभिन्न राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे नेटवर्क

1236. **श्री बसुदेव आचार्य:**
श्री जितेन्द्र नाथ दास:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने का विचार कर रही है;

(ख) क्या राज्य में स्थापित किए जा रहे नए उद्योगों को रेलमार्ग से जोड़ने हेतु उक्त विस्तार किया जा रहा है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया है;

(घ) पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में बेहतर रेलवे सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या राज्य की राजधानी एवं जिला मुख्यालय को जोड़ने हेतु एक सीधी रेलगाड़ी शुरू की जायेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उपभोक्ता कल्याण कोष

1237. **श्री शंकर सिंह वाघेला:**
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा:

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में कितने उपभोक्ता कल्याण कोष कार्यरत हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में कितने गैर सरकारी संगठनों को इस कोष से सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) इनकी गतिविधियां उपभोक्ताओं के लिए कितनी लाभकारी रही हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का एक) के तहत एक उपभोक्ता कल्याण निधि स्थापित की गई है जिसे नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप ऐसे उपभोक्ता संगठन मजबूत हो रहे हैं और उपभोक्ता आन्दोलन धीमे-धीमे पर मजबूती से भारतीय दृश्य पर उभर रहा है।

विवरण

उन गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची जिन्हें उपभोक्ता कल्याण निधि से सहायता मंजूर की गई है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	10
2.	असम	1
3.	बिहार	1
4.	गुजरात	6
5.	हिमाचल प्रदेश	2
6.	कर्नाटक	4
7.	केरल	5
8.	मध्य प्रदेश	1
9.	महाराष्ट्र	5
10.	उड़ीसा	6
11.	राजस्थान	4
12.	तमिलनाडु	19
13.	उत्तर प्रदेश	9
14.	पश्चिम बंगाल	2
15.	चंडीगढ़	1
16.	दिल्ली	8

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम

1238. श्री सुकदेव पासवान:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जून, 1995 के "जनसत्ता" में "धान की बिक्री कर दोतरफा नुकसान उठायेगा खाद्य निगम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सम्पूर्ण मामले की जांच कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम और पंजाब राज्य सरकार/इसकी एजेंसियों द्वारा खरीफ वर्ष 1994-95 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए 73 लाख मीटरी टन से भी अधिक धान की मात्रा वसूल की गई थी। इसमें से 28 लाख मीटरी टन मात्रा भारतीय खाद्य निगम/राज्य की एजेंसियों के पास बिना कुटी हुई रह गई थी।

भण्डारण स्थान खाली करने की आवश्यकता, धान/परिणामी चावल की गुणवत्ता में खराबी से बचने के लिए और इस स्टाक पर भारतीय खाद्य निगम की स्टाक रखने की लागत को कम करने की दृष्टि में यह निर्णय किया गया था कि उत्तम धान 442/- रूपये प्रति क्विंटल और बढ़िया धान 422/- रूपये प्रति क्विंटल की निर्धारित दर पर बेची जाये। तथापि, केवल 4.62 लाख मीटरी टन धान का ही खुली बिक्री के जरिये निपटान किया जा सका था। स्टाक को निकालने के लिए आवश्यक हो गया था कि अच्छे मूल्य प्राप्त करने के लिए अल्पावधि टेंडरों के जरिये धान का निपटान किया जाए। इसके फलस्वरूप, उत्तम किस्म की धान के लिए 395/- रूपये प्रति क्विंटल और बढ़िया किस्म की धान के लिए 375/- रूपये प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य पर 5.08 लाख मीटरी टन धान का निपटान किया जा सकता था। यदि इस मात्रा का निपटान नहीं किया गया होता तो भारतीय खाद्य निगम को इस स्टाक को रखने की लागत पर पर्याप्त राशि खर्च करनी होती। अत: स्टाक रखने की लागत और अन्य परिणामी हानियों पर बचत की तुलना में धान का निपटान करने पर हुई हानि नगण्य है।

(ग) जी, नही

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

आंगनवाड़ी कार्यक्रम

1239. श्रीमती गीता मुखर्जी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आंगनवाड़ी कार्यक्रम का निजीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, सरकार समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के कार्यान्वयन में सक्षम और प्रेरित गैर-सरकारी संगठनों, सक्रिय महिला समूहों और महिला मण्डलों को शामिल करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत समुदाय की अधिक कारगर सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है।

मीडिया प्रोडक्शन सेंटर

1240. श्री डी0 वेंकटेश्वर राव:

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में मीडिया प्रोडक्शन सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सेंटर हेतु जापान सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जायेगा;

(ग) यह कब से कार्य करना शुरू कर देगा तथा इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा; और

(घ) क्या यह केन्द्र मीडिया से जुड़े लोगों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र का कार्य करेगा और इलैक्ट्रानिक मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में भी एक

प्रमुख राष्ट्रीय संसाधन होगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (घ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एक मीडिया प्रोडक्शन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। केन्द्र को जापान अर्न्तराष्ट्रीय सहयोग एजेन्सी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान प्रदान किए गये हैं। केन्द्र संभवत: मार्च, 1996 से कार्य करना शुरू कर देगा। मीडिया प्रोडक्शन केन्द्र का मुख्य उद्देश्य श्रव्य तथा दृश्य कार्यक्रमों के निर्माण के लिए निर्माण सुविधाओं में वृद्धि करना होगा। इसे शैक्षिक साफ्टवेयर के निर्माण के लिए सुदूर शिक्षा में मुख्य राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में प्रयोग किया जायेगा। यह सुदूर शिक्षा व्यवस्था में कार्य कर रहे मीडिया व्यावसायियों के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।

प्रदूषण नियंत्रण

1241. **श्री एन. डेनिस:**
डा0 लाल बहादुर रावल:
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान देश में वायु एवं जल आदि में प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने हेतु उठाये गए विभिन्न कदम क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां। जनसंख्या, मोटरगाड़ियों की संख्या तथा औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण प्रमुख शहरों के कतिपय क्षेत्रों में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के स्तरों में बढ़ोतरी हो रही है।

(ख) देश में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्न लिखित शामिल हैं:-

1. नगरों के औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा आवासीय क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता और शोर स्तरों के मानक अधिसूचित किए गए हैं। विविध उपयोगों के लिए जल गुणवत्ता को निर्धारित किया गया है।

2. परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

3. प्रमुख श्रेणियों के प्रदूषक उद्योगों से बहिस्रावों ओर उत्सर्जनों के लिए मानक तैयार किए गए हैं। उद्योगों को समयबद्ध आधार पर निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं और चूककर्ता इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।

4. प्रमुख विनिर्दिष्ट औद्योगिक और अन्य गतिविधियों के लिए स्थल चयन से पूर्व प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर पर्यावरणीय मंजूरी लेना आवश्यक कर दिया है।

5. लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों में साझे बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने की एक स्कीम बनाई गई है।

6. उद्योगों के स्थल नियतन और संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश बनाए गए हैं।

7. प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर लगाने के साथ साथ घने क्षेत्रों से प्रदूषक उद्योगों को अंतरित करने के लिए भी वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

8. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों तथा मोटर गाड़ियों से इतर स्रोतों से होने वाले शोर को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया संहिता बनाई है। इनमें जनता को संबोधित करने की प्रणाली, वायुयान परिचालन, रेलवे परिचालन, निर्माण गतिविधियां और पटाखे चलाना शामिल है। राज्य सरकारों को संगत स्थानीय अधिनियमों के तहत इन प्रक्रिया संहिताओं को लागू करने के लिए कहा गया है।

9. मोटर वाहन नियम, 1989 के अंतर्गत मोटरगाड़ियों, घरेलू उपकरणों और निर्माण उपस्करों के लिए शोर की सीमाओं को अधिसूचित किया गया है।

10. मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत वाहनों के लिए ठोस और द्रव उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया गया है। भूतल परिवहन मंत्रालय ने संबंधित राज्य परिवहन निदेशालयों को ठोस उत्सर्जन मानकों को लागू करने की सलाह दी है।

11. विनिर्माण स्तर पर मोटर गाड़ियों से उत्सर्जनों के और अधिक सख्त मानक अधिसूचित किए गए हैं जो 1.4.1996 से लागू हो गए हैं।

12. बंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के चार महानगरों में उत्प्रेरक प्रवर्तक लगी नई कारों में उपयोग के लिए 1.4.1995 से सीसा रहित पेट्रोल बेचा जा रहा है।

13. प्रदूषण के कुप्रभावों पर जन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना

1242. **प्रो0 पी. जे. कुरियन:**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सलाहकार समिति की सहायता से एक कार्यक्रम सलाहकार देशभर में राष्ट्रीय सेवा योजना(एन.एस.एस.) की देखभाल करता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गत एक वर्ष से राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने अपना काम बंद कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों की एक सलाहकार समिति बनाने का है, और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) से (ग) जी, नहीं। मंत्रालय और राष्ट्रीय सेवा

योजना की संगठनात्मक संरचना में कार्यक्रम सलाहकार की सहायता करने के लिए किसी राष्ट्रीय सलाहकार समिति का प्रावधान नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, सरकार को, युवा नीति, कार्यक्रमों और इसके कार्यान्वयन के बारे में परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम संबंधी समिति (सी.ओ.एन.वाई.पी.) का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

"डायमंड सक्सप्रेस" की दुर्घटना

1243. **श्री मंजय लाल:**
श्री नीतीश कुमार:
श्री नवल किशोर राय:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत माह बिहार में "डायमंड एक्सप्रेस" दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने लोग हताहत हुए;

(ग) पीड़ित व्यक्तियों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस दुर्घटना के कारणों की जांच कराई है;

(ङ.) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) इसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ): (क) जी हां। 03.06.95 को 3318 डाउन धनबाद-हावड़ा ब्लैक डायमण्ड एक्सप्रेस के 10 सवारी डिब्बे पूर्व रेलवे के आसनसोल मण्डल के कालुबाथन स्टेशन पर पटरी से उतर गए थे।

(ख) इस दुर्घटना में कोई यात्री मरा अथवा घायल नहीं हुआ था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) इस दुर्घटना के संबंध में वरिष्ठ ग्रेड अधिकारियों की एक समिति द्वारा जांच की जा रही है। दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

सब-वे

1244. **श्रीमती शीला गौतम:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में रामघाट रोड के निकट रेलवे फाटक पर सब-वे का निर्माण कार्य लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कार्य कब तक पूरा किया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की क्षति

1245. **डा0 पी0 वल्लल पेरूमान:**

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जून, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" (दिल्ली संस्करण) में "एफ0सी0आई0 फूडग्रेन स्टाक्स में पेरिश इन पंजाब" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) जी, हां। पंजाब में गेहूं की वसूली 45 दिन की अल्पावधि में की जाती है। इसी प्रकार, मूल्य समर्थन योजना के अधीन धान की वसूली भी अल्पावधि में सीमित की जाती है जब भारी मात्रा में धान लायी जाती है। सामान्यतया मिल-मालिकों द्वारा भी धान लायी जाती है जो सरकारी एजेन्सियों को चावल के रूप में लेवी देते हैं। पिछले खरीफ मौसम के दौरान मिल-मालिकों ने धान की मिलिंग के बाद धान से चावल तैयार करने के कम अनुपात का निर्धारण करने की अपनी मांग के कारण अत्यधिक मात्रा में धान खरीदने में अरूचि दिखाई थी जिससे भारतीय खाद्य निगम सहित सरकारी एजेन्सियों को अत्यधिक मात्रा में धान खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ा था। अधिकांश मिल-मालिक धान की कस्टम मिलिंग आरम्भ करने के लिए आगे नहीं आए जिसके परिणास्वरूप धान का भारी स्टाक तब भी बिना मिलिंग के पड़ा रहा जब गेहूं की वसूली पिछले रबी मौसम में आरम्भ हो गई थी। चूंकि पंजाब एक अत्यधिक वसूली वाला क्षेत्र है, इसलिए वैगनों के अभाव में वसूल किए अनाज को उपभोक्ता क्षेत्रों को तेजी से नहीं भेजा जा सका। चूंकि ढके हुए सभी गोदाम पहले से ही पूरे भरे हुए थे, इसलिए भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेन्सियों को धान और गेहूं, दोनों का कैप भंडारण के अधीन खुले में भंडारण करने का सहारा लेना पड़ा था।

भारतीय खाद्य निगम के पास कवर और प्लिंथ (कैप) भंडारण में 2 मिलियन मीटरी टन से अधिक खाद्यान्न पड़े हैं। कुछेक जिलों में पर्याप्त भंडराण स्थान के अभाव में, उक्त स्टाक में काफी स्टाक ऊंचे किए गए प्लेटफार्मों अथवा पक्के प्लिंथों या चावल मिल परिसरों में पड़ा है और कुछ स्टाक लकड़ी के क्रेटों पर भूतल पर भी रखा गया है क्योंकि वैगन/ट्रक उपलब्ध न होने के कारण मई और जून, 1995 के महीनों के दौरान की गई समस्त खरीददारी को इस अल्प-अवधि में उपभोक्ता क्षेत्रों को नहीं भेजा जा सकता। कैप भंडारण में रखे स्टाक को प्राकृतिक-आपदाओं से बचाने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा सभी सम्भव सावधानियां बरती गई हैं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा रेल/सड़क मार्ग द्वारा गेहूं और चावल का यथासम्भव अधिक से अधिक स्टाक भेजने के लिए कार्रवाई की गई है।

यथासम्भव अधिक से अधिक गोदाम और प्लिंथ किराये पर लेकर ढकी हुई और खुली भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए भी कार्रवाई की गई थी।

पंजाब को पर्याप्त मात्रा में पोलीथीन की चादरें उपलब्ध की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समूचा स्टाक उपयुक्त रूप से ढका रहे। इसके लिए अन्य क्षेत्रों को जिन चादरों की आपूर्ति की जानी थी, उनकी आपूर्ति भी पंजाब को कर दी गई थी।

भारतीय खाद्य निगम रेलवे से तालमेल करके उपभोक्ता क्षेत्रों को खाद्यान्न भेजने की गति में तेजी लाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। इसके साथ-साथ निकटवर्ती गन्तव्य स्थानों तक सड़क मार्ग द्वारा संचलन करने में भी तेजी लाई जा रही है।

[हिन्दी]

अतिविशिष्ट व्यक्ति/आपातकालीन आरक्षण कोटा

1246. **श्री छीतूभाई गामीत:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में सूरत रेलवे स्टेशन से चलने वाली मेल/एक्सप्रेस गाडियों में अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए आरक्षित तथा आपातकालीन कोटे के सम्बन्ध में अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी गाड़ियों में उक्त कोटे में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) 1.8.95 से 2925 डाउन पश्चिम एक्सप्रेस में शयनयान दर्जे की 2 शयिकाओं तथा 2933 डाउन कर्णावती एक्सप्रेस में कुर्सीयान की 2 सीटों का एक नया आपात कोटा आवंटित किया गया है। अन्य गाड़ियों में उपलबध आरक्षित स्थान का पूरा-पूरा उपयोग किया जा रहा है जिससे सूरत में आपातकालीन कोटा बढ़ाने की कोई गुंजाईश नही है।

विवरण

सूरत स्टेशन से चलने वाली तथा वहां से गुजरने वाली विभिन्न गाड़ियों में उपलब्ध आपात कोटा निम्न प्रकार है:-

गाड़ी संख्या	दूसरा दर्जा वातानुकूलित	पहला दर्जा	शयनयान	कुर्सी यान	दूसरा दर्जा सीट
2925 पश्चिम एक्सप्रेस	2	-	2	-	-
2955 डा. दुर्गापुरा एक्सप्रेस		-	2	-	-
2903 डाउन फ्रंटियर मेल	2	-		-	
1095 अहिंसा एक्सप्रेस	4	-	10		
9057 वलसाड-वडोदरा एक्सप्रेस	-	2			10
9058 वडोदरा-वलसाड एक्सप्रेस	-	2	-	-	10
2933 कर्णावती एक्सप्रेस		-	-	2	
2934 कर्णावती एक्सप्रेस	-	-	-	2	-
9024 अप फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस	-	-	2	2	-
9165 डाउन साबरमती एक्सप्रेस	-	-	2	-	
39 डाउन अहमदाबाद पैसेंजर	-	-	2		-
42 अप वीरमगाम पैसेंजर	2	-	2	-	
4245 डाउन ताप्ती गंगा एक्सप्रेस	2		12	-	
कुल	12	4	34	4	20

इसी कोटे में से अति विशिष्ट व्यक्तियों की मांगों को पूरा किया जाता है।

[अनुवाद]

भूमि का अवक्रमण

1247 **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु:**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड ने भूमि अवक्रमण के संबंध में राष्ट्रव्यापी मानचित्र तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूमि के अवक्रमण को प्रभावित करने वाले कारकों को पता लगाने के लिए इन मानचित्रों की सहायता से कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

नारियल तेल

1248. **श्री वी.एस. विजयराघवन:**

श्री धर्मण्णा मौंडय्या सादुल:

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को नारियल तेल की सप्लाई की संभावनाओं का पता लगाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) मंत्री (नागरिक पूर्ति) जी ने 7.6.95 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति के प्रभारी मंत्रियों को लिखा है कि वे खाना पकाने के माध्यम के रूप में नारियल के तेल के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से नारियल की अधिप्राप्ति और उचित दर दुकानों/सहकारी बिक्री के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनकी समुचित मात्रा में आपूर्ति की संभावनाओं पर विचार करें।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक प्राप्त उत्तरों से पता चलता है कि मामले पर ध्यान दिया जा रहा है।

सिन्धु घाटी की सभ्यता

1249. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता की लिपि को हरियाणा के एक किसान ने समझ लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस खबर की प्रमाणिकता की जांच कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इसके आधार पर सिन्धु घाटी की सभ्यता का इतिहास फिर से लिखा जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

'इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स'

1250. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी:**

डा0 लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अथवा तकनीकी शिक्षा के समन्वय को देखने वाली किसी अन्य शीर्ष संस्था ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री दिए जाने में एकरूपता लाने हेतु ''इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया)'' के शैक्षणिक पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम संरचना तथा परीक्षा प्रणाली की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ''इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया)'' की परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड की स्थापना प्राइवेट निकायों और संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों/ डिप्लोमा की मान्यता पर विचार करने के लिए की गई है। इसके कार्य, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा संबंधी विषयों को छोड़कर सभी शैक्षणिक अर्हताओं के स्तर की जांच करना तथा सरकारी सेवाओं में भर्ती के उद्देश्य से कौन सी मान्यता, यदि कोई है, प्रदान की जानी चाहिए, इसकी सलाह देना है। बोर्ड ने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की अर्हताओं के मान्यता के प्रस्ताव पर विचार किया और वर्ष 1969 में कुछ अर्हताओं को मान्यता प्रदान की जिन्हें भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। बोर्ड ने वर्ष 1994 में संस्थान की नई पाठ्यचर्या को अपनाने का अनुमोदन किया।

(ग) और (घ) इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के छात्रों की ओर से एक अभ्यावेदन राष्ट्रपति सचिवालय के जरिए 28.10.94 को प्राप्त हुआ था जिसमें परीक्षा केन्द्रों के विवेकाधीन आबंटन, प्रवेश पत्रों में विलम्ब और प्राप्त न होना, अंक सूचियां देर से भेजना, केन्द्रों को

परिणाम भेजने में विलम्ब, अधूरे परिणामों की घोषणा, वापस करने में विलम्ब, उत्तीर्ण और अभिप्रस्त छात्रों के प्रमाणपत्र भेजने में अनियमितता जैसी शिकायतें शामिल थी। इस पर संस्थान की टिप्पणियां मांगी गई थी और इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं पाया गया।

फलों/सब्जियों का उत्पादन

1251. **श्री अरविंद त्रिवेदी:**
डा0 गुणवंत रामभाऊ सरोदे:
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान देश में फलों और सब्जियों का राज्य-वार कुल कितना उत्पादन किया गया और इस अवधि में कुल कितने क्षेत्र पर इनकी खेती की गई;

(ख) क्या देश में फलों और सब्जियों के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इनके मूल्यों को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) 1993-94 के लिए फसल आकलन सर्वेक्षणों के अंतर्गत केला, पपीता, आलू शकरकंद, प्याज और कसावा जैसी कुछ मुख्य फल और सब्जी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का राज्यवार अनुमान संलग्न विवरण 1 और 2 में दिया गया है। 1994-95 के लिए इस तरह का अनुमान सभी राज्यों से देय नहीं हुआ है।

(ख) फलों और सब्जियों के मूल्यों में मिश्रित रूख देखने में आया है। जबकि कुछ फलों और सब्जियों के मूल्यों में हाल में गिरावट का रूख देखा गया है। तथापि कुछ फलों और सब्जियों के मूल्यों में नाम मात्र की तेजी आई है जिसका कारण इन वस्तुओं की सप्लाई की मौसमी प्रवृति है।

(ग) फलों और सब्जियों की सप्लाई में सुधार लाने के लिए सरकार इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनायें क्रियान्वित कर रही है। फलों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों में उष्णकटिबंधीय, शुष्क क्षेत्रीय तथा शीतोष्ण फलों के समन्वित विकास के लिए एक योजना क्रियान्वित की जा रही है। सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सब्जियों के बीजों के उत्पादन और सप्लाई तथा मूल और कंद फसलों के विकास के लिए एक योजना क्रियान्वित की जा रही है।

विवरण-I

1993-94 के लिए फलों और सब्जियों का क्षेत्र और उत्पादन

(क्षेत्र-1000 हैक्टेयर)
(उत्पादन 1000 मि.मी. टन)

राज्य	केला		पपीता	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	46.7	740.6	0.4	18.8
अरूणाचल प्रदेश	0.5	8.5		
असम	41.4	572.7	7.2	106.1
बिहार	14.7	94.0	7	
गोवा	-	-	-	
गुजरात	20.7	1159.0	4.2	123.3
हरियाणा	-	-		
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	
जम्मू व कश्मीर	-	-		
कर्नाटक	21.0	611.7	0.6	1.5
केरल	67.5	522.8	12.0	54.8
मध्य प्रदेश	15.5	533.1	0.4	17.1
महाराष्ट्र	74.5	2529.3	1.4	9.2
मणीपुर	3.6	46.3	0.1	1.3
मेघालय	5.0	62.6	0.5	3.8
मिजोरम	2.5	10.7	0.2	1.5

1	2	3	4	5
नागालैंड	..	..	..	..
उड़ीसा	31.1	292.0	11.2	125.0
पंजाब	-	-	-	-
राजस्थान	-	-	0.1	0.2
सिक्किम	0.8	13.0	-	-
तमिलनाडु	67.0	1980.5	-	-
त्रिपुरा	4.9	33.4	0.5	2.3
उत्तर प्रदेश	1.2	29.3	0.7	20.0
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-
अंडमान व निकोबार द्वीप	1.6	7.5	0.2	1.8
दादर व नगर हवेली	-	-	-	-
दिल्ली	-		-	-
लक्षद्वीप	0.1	0.2	-	-
दमन व दीव	-	-	-	-
पाण्डिचेरी	0.2	6.0	-	-
अखिल भारत	420.5	9241.5	39.7	486.5

विवरण-II

वर्ष 1993-94 के लिए फलों और सब्जियों का क्षेत्र और उत्पादन

(क्षेत्र 1000 हैक्टेयर)

(उत्पादन 1000 टन)

राज्य	आलू		कसावा		शकरकंद		प्याज	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	1.0	8.4	16.6	212.7	2.6	20.5	20.0	415.1
अरूणाचल प्रदेश	5.0	37.8	-		-	-	-	-
असम	64.0	506.9	2.1	9.1	9.0	29.9	7.1	15.1
बिहार	160.8	1609.1	-		20.1	203.1	17.0	149.2
गोवा	-		-	-	-	-	-	-
गुजरात	19.5	455.0	-	-	1.5	34.4	25.8	605.3
हरियाणा	10.6	178.2	-	-	0.2	3.2	2.4	41.6
हिमाचल प्रदेश	15.5	169.9	-		-	-	0.7	1.5
जम्मू एवं कश्मीर	1.8	3.2	-	-		-		-
कर्नाटक	23.7	294.4	1.0	8.9	5.1	37.0	60.2	445.0
केरल		-	1376.0	2596.6	2.4	19.7	-	-
मध्य प्रदेश	36.0	487.8	-	-	6.4	38.3	16.8	185.0
महाराष्ट्र	15.2	67.2	-	-	5.9	82.6	62.0	831.6
मणीपुर	3.9	20.4		-	0.2	0.7	-	-
मेघालय	17.6	119.6	4.0	22.1	5.3	17.3	-	-
मिजोरम	0.5	2.5	0.4	7.0	0.6	3.5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
नागालैंड	2.0	16.0	उ.न.	उ.न.	उ.न	उ.न.	नगण्य	नगण्य
उड़ीसा	10.4	117.1	-	-	51.3	397.6	42.3	306.4
पंजाब	47.0	823.0	-	-	नगण्य	0.2	0.5	10.3
राजस्थान	1.7	19.7	0.2	0.3	2.3	5.1	16.1	122.4
सिक्किम	5.2	32.3	0.4	1.0	-	-	-	-
तमिलनाडु	5.8	126.3	82.6	2908.6	2.0	44.0	24.7	217.0
त्रिपुरा	3.9	65.5	-	-	1.3	12.3	0.2	0.3
उत्तर प्रदेश	398.1	7704.0	-	-	30.6	315.4	30.7	370.6
पश्चिम बंगाल	230.9	517.6	-	-	-	-	-	
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-	0.4	3.5	0.1	0.3		
दादर व नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	0.1	0.6	-	-	-		0.1	0.9
दमन व द्वीव	-	-	-	-	-	-	-	
पाण्डिचेरी	-	-	0.8	13.8	नगण्य	नगण्य	नगण्य	0.2
अखिल भारत	1080.3	18036.5	246.1	5783.6	146.9	1265.1	326.6	3717.5

उ.न. - उपलब्ध नहीं

जानवरों की अदला-बदली

1252. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद:

श्री तारा सिंह:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जून, 1995 को 'पायनियर' में 'जू ऑफिसियल्स वरी अबाउट सेफटी ऑफ एनीमल्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या एक चिड़ियाघर से दूसरे चिड़ियाघर में जानवरों की अदला-बदली से जानवरों के स्वास्थ्य पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है;

(ग) क्या एक स्थान से दूसरे स्थान में जानवरों की अदला-बदली के संबंध में विशेषज्ञों के विचार आमंत्रित किए गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) जीवजन्तु उपयुक्त आवास और रख-रखाव के साथ नए पर्यावरण को अपना लेते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सदस्यों के रूप में विशेषज्ञों वाली एक तकनीकी समिति चिड़ियाघरों के बीच पशुओं के आदान-प्रदान को मंजूर करती है।

बाट औरह माप अधिनियम, 1976

1253. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल:

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार से बाट और माप अधिनियम, 1976 और बाट और माप नियमों के कतिपय उपबंधों में और संशोधन करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'फेडरेशन आफ चेम्बर्स आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री' ने बाट और माप के मानकों का हर तीन वर्षों में सुधार करने और मुहर लगाए जाने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार ने राष्ट्रीय मंच की स्थापना की है; और

(ङ.) यदि हां, तो सरकार द्वारा बाट और माप अधिनियम, 1976 के उपबंधों में संशोधन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) से (ग) भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ ने हाल ही में 14 जुलाई, 1995 को सम्पन्न हुई एक संगोष्ठी में सरकार से बाट और माप मानक अधिनियम तथा बाट और माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 में संशोधन करने का अनुरोध किया है। प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ [illegible]

के पुन: सत्यापन की अवधि और पहले से पैक की गई वस्तुएं पद की परिभाषा में संशोधन करने की बात शामिल थी।

(घ) और (ङ.) विधिक माप विज्ञान के संबंध में राष्ट्रीय नीतियों के बारे में सरकार को सलाह देने तथा जहां कहीं आवश्यक हो, विधिक माप विज्ञान कानूनों के उपबंधों में संशोधन हेतु सिफारिशें करने के लिए 6 जुलाई, 1995 को एक स्थाई राष्ट्रीय मंच गठित किया गया है।

[हिन्दी]

पैक वस्तुओं पर मुद्रित मूल्य

1254. श्री बलराज पासी:
श्री रामपाल सिंह:
श्री ए. इन्द्रकरण रेड्डी:
श्री मनोरंजन भक्त:

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री 30 मई, 1995 के तारांकित प्रश्न संख्या 761 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी विभागों, व्यापार और उद्योग संघों एवं उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों सहित विशेषज्ञ समिति ने पूर्व-पैक वस्तुओं पर अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य के संबंध में अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार को समिति की रिपोर्ट कब तक मिल जाने की आशा है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) इस रिपोर्ट के सितम्बर, 1995 के अंत तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

अनुसंधान और विकास कार्य पर व्यय

1255. श्री हरिन पाठक:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में कृषि के अनुसंधान और विकास कार्य पर राज्यवार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) चालू वर्ष के दौरान देश में विभिन्न संस्थानों में किए जा रहे अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) भा.कृ.अनु. परिषद के संबंध में खर्च के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे गये हैं, फिर भी वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 के पिछले तीन सालों के दौरान योजना और गैर-योजना के अंतर्गत हुए कुल खर्च इस प्रकार हैं:-

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	योजना	गैर योजना	कुल
1992-93	176.02	179.44	355.46
1993-94	233.31	208.68	441.99
1994-95	271.14	209.76	480.90

(ख) और (ग) भा.कृ.अनु. परिषद पद्धति में, 88 अनुसंधान संस्थान/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र/प्रायोजना निदेशालय/राष्ट्रीय ब्यूरो हैं। इन संस्थानों द्वारा किये गए अनुसंधानों और उपलब्धियों का विवरण संस्थानों की वार्षिक रिपोर्टों आदि में दिया गया है।

पान-पत्ता उत्पादन

1256. श्री सत्य गोपाल मिश्र:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में पान-पत्ता उत्पादकों के फायदे के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): भारत सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2.00 करोड़ रूपये के परिव्यय से पान की बेलों के विकास की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत देश के पान उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए संरक्षण शालाओं के निर्माण के लिए (कुल लागत का 50 प्रतिशत लेकिन प्रति इकाई अधिकतम 750/- रूपये तक की सहायता (प्रदर्शन प्लांटों की स्थापना के लिए) आदान के लिए प्रति प्लांट 500/- रूपये तक की सहायता (जल स्रोतों के विकास के लिए) 1500 रू. प्रति इकाई तथा पादप संरक्षण द्रव्यों, छिड़काव यंत्रों के वितरण (50 प्रतिशत राज सहायता लेकिन प्रति छिड़काव यंत्र 500/- रू. तक सीमित) के लिए प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

मौंट्रीयल प्रोटोकोल में संशोधन

1257. श्री श्रीकान्त जेना:
श्री राम प्रसाद सिंह:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक राष्ट्रों का विचार मौंट्रीयल प्रोटोकॉल में संशोधन करके विकासशील राष्ट्रों द्वारा अन्य राष्ट्रों के ओजोन समाप्त करने वाले पदार्थों का निर्यात करने पर रोक लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस कदम का विरोध करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां। मांट्रियल प्रोटोकोल में संशोधन करने के लिए यदि औद्योगिकृत देशों के प्रस्ताव को अपनाया जाता है तो इससे उन्हें विकासशील देशों को ओजोन का ह्रास करने वाले पदार्थों के निर्यात का प्रथम अधिकार प्राप्त होगा। विकासशील देश ओजोन का ह्रास करने वाले पदार्थों का निर्यात तभी कर पायेंगे जब विकसित देशों से आपूर्ति में कमी हो और वह भी उनके 1994 के उत्पादन के 15 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक।

(ख) भारत ने प्रस्ताव किया है कि विकासशील देशों से ओजोन का ह्रास करने वाले पदार्थों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाये। इस मामले को कई विकासशील देशों तथा विकसित देशों के साथ समन्वित किया जा रहा है जिनके साथ हमने इस मामले को उठाया है और स्पष्ट किया है कि इस तरह का प्रस्तावित संशोधन मांट्रियल प्रोटोकोल के उद्देश्यों और भावनाओं के अनुरूप नहीं होगा और इसमें तेजी लाने की बजाए इसके कार्यान्वयन में बाधा आयेगी।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में चीनी मिलें

1258. **डा० गुणवंत रामभाऊ सरोदे:**

श्री प्रकाश वी० पाटील:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक चीनी मिल की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त चीनी मिल की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का राज्य में सहकारी चीनी मिलों को प्रोत्साहन देने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ.) यदि हां, तो सहकारिता के आधार पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में कितनी चीनी मिलों की स्थापना का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) केन्द्र सरकार देश के किसी भी भाग में चीनी मिलें स्थापित नहीं करती। तथापि नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए वर्तमान लाइसेंसिंग नीति संबंधी दिशा-निर्देशों के तद्नुसार आशय पत्र औद्योगिक लाइसेंस प्रदान [illegible] है। 7 वीं योजना अवधि (1985 से 90) के दौरान महा[illegible] जलगांव जिले में नई चीनी मिल स्थापित करने के लिए तीन [illegible] पत्र जारी किए गए।

ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) चीनी उद्योग के लिए दिनांक 8.11.1991 के प्रेस नोट के अंतर्गत घोषित लाइसेंसिंग नीति संबंधी दिशा-निर्देश के अनुसार अन्य बातें समान होने पर लाइसेंसिंग में निजी क्षेत्र की तुलना में पहले सहकारी क्षेत्र को तथा फिर सार्वजनिक क्षेत्र को तरजीह दी जायेगी।

(ङ.) 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-93 से 1996-97), 30.6.95 तक के दौरान महाराष्ट्र राज्य में सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए उद्योग मंत्रालय द्वारा 17 आशय पत्र जारी किए गए हैं।

शिक्षा संबंधी समितियां

1259. **श्री नीतीश कुमार:**

श्री जगमीत सिंह बरार:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हाल ही में कुछ उप-समितियों का गठन किया गया है,

(ख) यदि हां, तो कितनी उप-समितियों का गठन किया गया है और उनके गठन का क्या ब्यौरा है,

(ग) क्या इन समितियों से एक निर्धारित समय के भीतर अपनी फिर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निश्चित समय तय किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (घ) प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता, व्यावसायिक शिक्षा भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों (आई.आई.टी.) में प्रौद्योगिकी का विकास एवं हस्तांतरण और भारतीय प्रबंध संस्थानों (आई.आई.एम.) में प्रबंध प्रतिनिधियों का विकास एवं हस्तांतरण जैसे इन चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रणाली को और अधिक कारगर बनाने के लिए शिक्षाविदों, उद्योग, गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) और अन्य कार्य समूहों को एक मंच पर लाने हेतु शिक्षा के संबंध में सहक्रिया समूहों का गठन किया गया है। यह कार्य चालू वर्ष के दौरान पूरा कर लिया जायेगा। सहक्रिया साथ में समूहों की संरचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

शीर्षस्थ सहक्रिया समूह (सिनर्जी ग्रुप)

1.	श्री माधवराव सिंधिया मानव संसाधन विकास मंत्री	अध्यक्ष
2.	कुमारी शैलजा शिक्षा एवं संस्कृति उप मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय	उपाध्यक्ष
3.	केन्द्रीय शिक्षा सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय	

4. *श्री आर.सी. त्रिपाठी*
सलाहकार (शिक्षा)
योजना आयोग
योजना भवन
नई दिल्ली-110001

5. श्री आनन्द स्वरूप
परामर्शदाता
206, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002

6. श्री के.एस. शर्मा
महानिदेशक
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली-110001

7. श्री राजीव कौल
अध्यक्ष
सी-11 डी.जी.-23, 26 संस्थागत लेन
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

8. श्री ए.के. रूंगटा
अध्यक्ष, एफ.आई.आई.सी.आई.
फैडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग
नई दिल्ली-110001

9. श्री तरूण दास
सी-11, डी.जी.23-26 संस्थागत क्षेत्र,
लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

10. डा. अमित मित्रा
महा सचिव
एफ.आई.सी.सी.आई.
फेडरेशन हाउस
तानसेन मार्ग, नई दिल्ली-110001

11. श्री जमशेद एन. गोदरेज
प्रबंध निदेशक
गोदरेज एंड बायसी मैन्यूफैक्चरिंग
कंपनी लिमिटेड, फिरोजशाह नगर
विक्रोली, बम्बई-400079

12. श्री पी. मुरारी
फिक्की के अध्यक्ष के सलाहकार
फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग
नई दिल्ली-110001

13. *डा. नितेश सेन गुप्ता*
महानिदेशक
अंतर्राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान
कुतुब संस्थागत क्षेत्र
मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016

14. श्रीमती मोहिनी गिरी
अध्यक्षा
राष्ट्रीय महिला आयोग
4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली-110002

15. श्री स्वामीनाथन एस.अंदलेसरिया अय्यर
संपादक, इकॉनामिक टाइम्स
टाइम्स हाउस
7, बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002

16. श्रीमती धर्म कुमार
77, सुंदर नगर
नई दिल्ली-110003

17. प्रो0 यशपाल
राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर
11-बी सुपर डीलेक्स फ्लेट्स
सेक्टर 15 ए
नोएडा-201 203
उ0प्र0

18. श्री राजेश शाह
प्रबंध निदेशक
मुकंद लिमिटेड
लाल बहादुर शास्त्री मार्ग
कुर्ला, बम्बई-400070

19. श्री ए.एम. खुसरो
परामर्श संपादक
फाईनेंशियल एक्सप्रेस भवन
9-10 बी.एस. जेड मार्ग, नई दिल्ली-110002

20. श्री आबिद हुसैन
उपाध्यक्ष,
राजीव गांधी प्रतिष्ठान
जवाहर भवन, डा0 राजेन्द्र प्रसाद रोड
नई दिल्ली-110001

21. श्री साम पित्रोदा
प्रौद्योगिकी मिशन के संबंध में प्रधानमंत्री
के सलाहकार, कमरा सं. 213
संचार भवन, अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

22. श्री जय राम रमेश
सलाहकार, योजना आयोग
ई.79, मस्जिद मोठ
ग्रेटर कैलाश-111
नई दिल्ली-110048

23. डा0 श्रीमती चित्रा नायक
सदस्य (शिक्षा)
योजना आयोग
योजना भवन
नई दिल्ली-110001

24. डा0 डी. स्वामीनाथन
सदस्य (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा)
योजना आयोग, योजना भवन
नई दिल्ली-110001

25. डा0 (श्रीमती) ए. देसाई
अध्यक्षा
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110002

26. प्रो0 एस. के. खन्ना
अध्यक्ष
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
इंदिरा गांधी स्पोर्टस कम्पलेक्स
आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली-2

सिनर्जी सब ग्रुप (प्राथमिक शिक्षा)

1. श्री आबिद हुसैन अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
राजीव गांधी प्रतिष्ठान
जवाहर भवन, डा0 आर. पी. रोड
नई दिल्ली-110001

2. श्री एम. वी. सुब्बैया
सी.ई.ओ. टी. टी. ग्रुप
6 कैथ्ड्रल रोड
मद्रास-600086

3. श्रीमती मंजु भरतराम
अध्यक्षा
द् श्रीराम स्कूल
डी-3 वसंत विहार
नई दिल्ली-110057

4. श्री अरूण पुरी
प्रमुख संपादक
इंडिया टूडे
एफ ब्लाक, कनाट प्लेस
नई दिल्ली-110001

5. श्री आनंद शर्मा
47, नार्थ एवेन्यू
नई दिल्ली-110001

6. सुश्री अम्बिका सोनी
201, साउथ एवेन्यू
नई दिल्ली-110011

7. श्री एस. एस. चक्रवर्ती
निदेशक
रामकृष्ण मिशन लोक शिक्षा परिषद
नरेन्द्र पुर, साउथ 24 परगना
पश्चिम बंगाल-743508

8. डा. प्रमोद कुमार
सहयोगी प्रोफेसर
एक्स एल.आर.आई. पोस्ट बाक्स 222
जमशेदपुर - 831001

9. श्री जोन कूरियस
अध्ययन संसाधन केन्द्र
8 डीम कालेज रोड
येरवाड़ा, पुणे - 4110046

10. प्रो0 ए.के. वासवी
आई.आई. एम. अहमदाबाद
वस्त्रपुर, अहमदाबाद-380 015

11. डा. जार्ज मैथ्यू
निदेशक
समाज विज्ञान संस्थान
वी 7/18, ए सफदरजंग इन्कलेव
नई दिल्ली-110028

12. डा0 अनिल सदगोपाल
ई 13/ कालिंदी कालोनी
नई दिल्ली-110065

13. डा0 ए.के. शर्मा
निदेशक
रा0 शै0 अ0 एवं प्र0 परिषद
श्री अरविंद मार्ग
नई दिल्ली-110016

14. श्री एम.पी. परमेश्वरन्
सचिव, भारत ज्ञान विज्ञान समिति
सी-18, डी.डी.एस. फ्लैट्स (एन.आई.जी.)
साकेत, नई दिल्ली-110017

15. श्री मणिरत्नम्
महासचिव, रायल सीमा सेवा समिति
9 ओल्ड हुजूर कार्यालय भवन
तिरूपति, आंध्र प्रदेश-517501

16. श्री विनोद रैना
एकलव्य
ई-1/208, अरेरा कालोनी
भोपाल-462016

17. श्री टी.एस.बरेह
अग्या काटेज
लोवर लचुमिएरे
शिलांग-793001

18. डा0 आर.वी. वैद्यनाथ अय्यर
संयुक्त सचिव (डी.पी.ई.पी.)
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
नई दिल्ली।

सिनर्जी सब-ग्रुप (आई0आई0टी)

1. श्री विनय कुमार मोदी, अध्यक्ष
उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
मोदी रबड़ लिमिटेड
4-7, डी.डी.ए. शापिंग सेन्टर,
न्यू फ्रेंड्स कालोनी,
नई दिल्ली-110065

2. श्री सुबोध भार्गव, उपाध्यक्ष एवं मुख्य प्रशासक
आइसर गुड अर्थ लिमिटेड
आईसर हाउस
12, कमर्शियल कम्प्लेक्स
ग्रैअर कैलाश-2, (मस्जिद मोठ)
नई दिल्ली-110048

3. प्रोफेसर वी0एस0 राजू
निदेशक, आई0आई0टी,
होज खास
नई दिल्ली-110016

4. श्री विनय राय
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
उषा इंडिया लिमिटेड
आंगल चैम्बर-1
3 भीकाजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110066

5. डा0 पी0वी0 इंदिरासन
वी/8, नीपा क्वार्टर्स,
श्री अरविन्दो मार्ग,
नई दिल्ली-110016

6. श्री अनूप सिंह,
16-ए, पालम मार्ग,
वसंत विहार,
नई दिल्ली-67

7. डॉ रीना रामचन्द्रन,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
हिन्दुस्तान ओग्रेनिक केमिकल्स लि.,
हरिचन्द्र राय हाउस
81, महर्षि करू मार्ग,
बंबई-400002

8. डॉ. डी.पी. अग्रवाल
संयुक्त शिक्षा सलाहकार (तक.)
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली-1

सिनर्जी सब-ग्रुप (आई.आई.एम.)

1. श्री एस.एम. दत्ता अध्यक्ष
अध्यक्ष
हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड,
165-166, बैकबे रिक्लेमेशन,
बंबई

2. डॉ. पी.एन. खांडवाला,
निदेशक,
भारतीय प्रबंधन संस्थान,
वस्त्रपुर,
अहमदाबाद-380015

3. श्री मृत्युंजय बी. अथेया,
प्रबंधन सलाहकार,
अर्थेया प्रबंधन प्रणाली,
ए-28, चितरंजन पार्क,
नई दिल्ली-110019.

4. श्री हरीश भार्गव,
एच-3/1 ए.बी., पी.एल.यू.टी.ओ.,
हिन्दुस्तान इस्टेट, कल्याणी नगर
पुणे-411014

5. श्री टी.एन. निवास
बिजनेश स्टेंडर्ड,
प्रताप भवन,
5, बी.एस.जैड. मार्ग,
नई दिल्ली-110002

6. डा. डी.पी. अग्रवाल,
संयुक्त शिक्षा सलाहकार (तक.)
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली-110001

सिनर्जी सब-ग्रुप (व्यावसायिक शिक्षा)

1. श्री सोम पित्रोदा, अध्यक्ष
प्रौद्योगिकी मिशन पर
प्रधानमंत्री के सलाहकार,
कमरा नं. 213,
संचार भवन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001
2. श्री आलोक मुखर्जी,
प्रबंध निदेशक,
एस.ए.ई. (भारत) लिमिटेड,
29 एवं 30 कम्युनिटी कमर्शियल सेंटर,
बसंत लोक, बंसत विहार,
नई दिल्ली-110057
3. श्री के.एस. शर्मा,
महानिदेशक,
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय,
श्रम शक्ति भवन,
नई दिल्ली-110001
4. प्रोफेसर एस.ए. बसु,
शिक्षा परामर्शदाता,
4, एच.आई.जी. डुप्लेक्स-3,
ई-7, एरिया कालोनी,
भोपाल-462016 (मध्य प्रदेश)
5. श्री जमशीद एन. गोदरेज,
प्रबंध निदेशक,
गोदरेज एंड ब्वायस मेनुफेक्चरिंग
कम्पनी लि. फिरोजशानगर, विक्रोली,
बंबई-400079.
6. श्री शाहिद सिद्दिकी,
बी-21, निजामुद्दीन पश्चिम,
नई दिल्ली-110013
7. श्री कल्याण बनर्जी,
निदेशक
यूनाइटेड फोसफोरस लि.,
यूनीफोस हाऊस,
11 वां रोड़, सी.डी. मार्ग,
बंबई-400052
8. डा. ए.के. बसु,
मुख्य प्रशासक,
ग्रामीण औद्योगिकीकरण सोसाइटी,
बरियातु रांची,
बिहार-834009
9. श्री प्रशान्त मेहता,
संयुक्त सचिव (व्या. शि.)
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली-110001

भारत-जर्मन सहयोग

1260. श्री चिन्मयानन्द स्वामी

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि के क्षेत्र में जर्मनी के साथ सहयोग बढ़ाने की कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन क्षेत्रों में जर्मन सहयोग से विकास कार्य किए जायेंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) से (ग) सरकार ने जर्मनी के साथ कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए न तो कोई विशिष्ट नीति तैयार की है और न ही किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। [अनुवाद]

मध्य प्रदेश में लंबित परियोजनायें

1261. श्री सूरजभानु सोलंकी:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं सहित मध्य प्रदेश की कौन-कौन सी परियोजनाएं पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के पास लंबित है;

(ख) ये परियोजनायें कब से लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) परियोजना प्रस्तावकों से सभी अपेक्षित सूचना और संगत ब्यौरे मिलने की तारीख से 90 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर परियोजना प्रस्तावकों की स्वीकृति संबंधी प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय ले लिया जाता है।

विवरण

पर्यावरणीय और वन स्वीकृति के लिए इस मंत्रालय के पास लंबित विकासात्मक परियोजनाओं की सूची।

क्र0सं0	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तारीख	लंबित होने के कारण
1	2	3	4
1.	मेसर्स कार्डिनल ड्रग्स लि0 की एम. सी. ए. के. वी. एन. औद्योगिक क्षेत्र, चिरौंगी मालपूर जिले में बल्क ड्रग्स परियोजना	मई, 1995	कार्रवाई की जा रही है
2.	मेसर्स प्रकाश इन्डस्ट्रीज लि0 की जिला बिलासपुर, म0प्र0 में स्पंज लौह परियोजना	जून, 1995	-वही-
3.	मेसर्स सी आर सी भूपेन्द्र सीमेंट लि0, ग्वालियर का बैनमोर सीमेंट वर्क्स का विस्तार	जून, 1995	निधारित मानकों का मौजूदा इकाई द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने पर परियोजना की अस्वीकृत किया गया।
4.	मेसर्स देई पावर लि0 की कोरबा स्थित 2गुणा500 मे.वा. विद्युत परियोजना	जून, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
5.	मेसर्स ग्वालियर पावर प्रा0 लि0 की ग्वालियर में 120 मे. वा. डीजल विद्युत परियोजना	जून, 1995	-वही-
6.	मेसर्स भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि0 की रऊघाट लौह अयस्क खान	जून, 1987	-वही-
7.	मैसर्स भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि0 की बड़ा द्वार डोलोमाइट खान	सितम्बर, 1994	कार्रवाई की जा रही है।
8	मेसर्स एन.सी.एल. का निघई ओपन-कास्ट (एक्सपे.)	अक्तूबर, 1994	-वही-
9.	मेसर्स हिन्डालको इंडस्ट्रीज लि0 की बॉक्साइट खान	नवम्बर, 1994	-वही-
10.	मेसर्स एस. ई. सी. एल. की दिलवाड़ी भूमिगत खनन परियोजना	मार्च, 1995	-वही-
11.	मेसर्स एस. ई. सी. दल की अपादंड एण्ड केवई परियोजना	मार्च, 1995	-वही-
12.	मेसर्स एस. ई. सी. एल. का राजनगर ओपन कास्ट	मई, 1995	-वही-

1	2	3	4
13.	मेसर्स एस. ई. सी. एल. का कोटमा वेस्ट ओपनकास्ट	जून, 1995	-वही-
14.	220 के वी डी/सी दमोह टीकमगढ़ ट्रांसमिशन लाइन	जुलाई, 1995	-वही-
15.	अपर और लोवर भांडोरा टैंक परियोजना	जुलाई, 1995	-वही-
16.	सहडोल में उत्खनन और केसिंग गतिविधियों के लिए एस. ई. सी. एल. को वन भूमि	जुलाई, 1995	-वही-
17.	सी. पी. ई. ताकू में सिक्यूरिटी पेरीमीटर दीवार का निर्माण	जुलाई, 1995	-वही-
18.	भोपाल में वन ग्रामों में अस्थाई पट्टों का नवीकरण	जुलाई, 1995	-वही-
19.	देवास में, वन ग्रामों में अस्थाई पट्टों का नवीकरण	जुलाई, 1995	कार्रवाई की जा रही है
20.	बेतुल में वन ग्रामों में अस्थाई पट्टों का नवीकरण	जुलाई, 1995	-वही-
21.	सागर में वन ग्रामों में अस्थाई पट्टों का नवीकरण	जुलाई, 1995	-वही-
22.	रायसेन में वन ग्रामों में अस्थाई पट्टों का नवीकरण	जुलाई, 1995	-वही-
23.	टीकमगढ़ में वन ग्रामों में अस्थाई पट्टों का नवीकरण	जुलाई, 1995	-वही-
24.	राजगढ़ में वन ग्रामों में अस्थाई पट्टों का नवीकरण	जुलाई, 1995	-वही-
25.	धार में वन ग्रामों में अस्थाई पट्टों का नवीकरण	जुलाई, 1995	-वही-
26.	विदिशा में वन ग्रामों में अस्थाई पट्टों का नवीकरण	जुलाई, 1995	-वही-
27.	गुना में वन ग्रामों में अस्थाई पट्टों का नवीकरण	जुलाई, 1995	-वही-
28.	छिंदवाड़ा में वन ग्रामों में अस्थाई पट्टों का नवीकरण	जुलाई, 1995	-वही-
29.	रायगढ़ में वन ग्रामों में अस्थाई पट्टों का नवीकरण	जुलाई, 1995	-वही-
30.	बिलासपुर में वन ग्रामों में अस्थाई पट्टों का नवीकरण	जुलाई, 1995	-वही-
31.	सरगुजा में वन ग्रामों में अस्थाई पट्टों का नवीकरण	जुलाई, 1995	-वही-

1	2	3	4
32.	मंदसौर में वन ग्रामों में अस्थाई पट्टों का नवीकरण	जुलाई, 1995	-वही-
33.	दुर्ग में वन ग्रामों में अस्थाई पट्टों का नवीकरण	जुलाई, 1995	-वही-
34.	राजनंदगांव में वन ग्रामों में अस्थाई पट्टों का नवीकरण	जुलाई, 1995	-वही-
35.	इंदौर में वन ग्रामों में अस्थाई पट्टों का नवीकरण	जुलाई, 1995	-वही-
36.	बालाघाट में वन ग्रामों में अस्थाई पट्टों का नवीकरण	जुलाई, 1995	-वही-
37.	श्री सैयद जामिल रजा के पक्ष में डोलोमाइट खनन पट्टे का नवीकरण	जुलाई, 1995	-वही-
38.	मेसर्स स्वास्तिक बग्डा टाइल्स के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	जुलाई, 1995	-वही-
39.	बजग पदरिया सड़क का निर्माण	अप्रैल, 1995	-वही-
40.	खनन पट्टे के नवीकरण के लिए मेसर्स मेहर सीमेंट कं0 को वन भूमि का अंतरण	मार्च, 1995	-वही-
41.	जल टंकी और पेयजल पाइपलाईन, सरगुजा।	अप्रैल, 1944	-वही-

[हिन्दी]

कश्मीर में पेड़ों की कटाई

1262. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार:**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई 1995 के "जनसत्ता" में 'अब घाटी की हरियाली पर भी उग्रवादियों का कहर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या कश्मीर में उग्रवादियों द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई जारी है;

(ग) क्या वहां पेड़ों की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है और इसमें वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी भी शामिल हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/ उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ङ.) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

फूलों का उत्पादन और निर्यात

1263. **श्री राम पाल सिंह:**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रति वर्ष कितने परिमाप में फूलों का उत्पादन होता है;

(ख) इस समय जिन फूलों को उत्पादन किया जा रहा है उनकी प्रमुख किस्मों के क्या नाम हैं;

(ग) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान देश में कुल कितनी मात्रा में फूलों का उत्पादन हुआ;

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान पुष्पकृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी गई और 1995-96 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ङ.) क्या सरकार ने फूलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) मोटे अनुमान के अनुसार 1992-93 के दौरान 2 लाख मी. टन फूलों तथा 45 करोड़ तराशे हुए फूलों का उत्पादन हुआ।

(ख) फूलों के अंतर्गत गुलाब, गैंदा, चमेली, क्रोसांद्रा, क्रिसैन्थेमम आते हैं तथा तराशे हुए फूलों के अंतर्गत ग्लैडिओलसस, ट्यूबरोज, आर्किड और कार्नेशन आते हैं।

(ग) 1993-94 और 1994-95 के उत्पादन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) कृषि मंत्रालय आठवीं योजना के दौरान वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन पर एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित कर रहा है। 1994-95 के दौरान निधियों की राज्यवार निर्मुक्ति तथा 1995-96 के लिए आबंटन संलग्न विवरण-1 में दर्शाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के फूलों सहित बागवानी फसलों के लिए अवसंरचनात्मक विकास हेतु अपनी विभिन्न योजनाओं के अधीन सहायता दी है। 1993-94 और 1994-95 के दौरान बोर्ड के आसान ऋण में सहभागी होने पर अपनी योजना के अंतर्गत नौ (9) विभिन्न राज्यों की उन्नीस (19) पुष्पोत्पादन परियोजनाओं को आसान ऋण के रूप में कुल 1334.40 लाख रूपये दिए हैं। (संलग्न विवरण-2)।

(ङ) और (च) यद्यपि सरकार ने फूलों के निर्यात प्रवर्धन हेतु कोई नीति नहीं बनाई है। तथापि पुष्पोत्पादन को निर्यात के लिए अत्यधिक ध्यान केन्द्रित करने वाले क्षेत्र (एक्सट्रीम, फोकस सैगमेंट) के रूप में अभिज्ञात किया गया है और फूलों सहित बागवानी फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यनीति तैयार की गई है और उसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

विवरण-1

वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन पर केन्द्रीय क्षेत्र की योजना
पुष्पोत्पादन के प्रवर्धन के लिए राज्यों को दी गई सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1994-95 निर्मुक्ति	1995-96 आवंटन
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.50	4.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.50	0.50
3.	असम	0.00	0.50
4.	बिहार	0.00	1.00
5.	गुजरात	0.65	2.00
6.	गोवा	1.00	2.50
7.	हरियाणा	3.00	5.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	2.00
9.	जम्मू व कश्मीर	7.00	19.50
10.	कर्नाटक	39.80	16.00
11.	केरल	12.80	13.00
12.	मध्य प्रदेश	1.00	3.50
13.	महाराष्ट्र	9.00	20.00
14.	मणिपुर	0.50	0.50
15.	मेघालय	0.50	0.50
16.	मिजोरम	1.50	0.50
17.	नागालैंड	0.50	1.00
18.	उड़ीसा	2.00	1.00
19.	पंजाब	7.00	19.00
20.	राजस्थान	2.00	6.00
21.	सिक्किम	11.50	14.00
22.	तमिलनाडु	9.00	21.00
23.	त्रिपुरा	0.50	0.50
24.	उत्तर प्रदेश	34.00	21.00
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	22.00
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.50
27.	चण्डीगढ़	-	-
28.	दादर एवं नगर हवेली	-	-
29.	दिल्ली	3.00	2.50
30	दमन व दीप	-	-
31.	लक्षद्वीप	-	-
32.	पाण्डिचेरी	0.50	0.50
	कुल:	148.75	200.00

विवरण-II

आसान ऋण में सहभागिता के जरिए बागवानी उत्पादों के विपणन के विकास की योजना के अंतर्गत बागवानी परियोजना का ब्यौरा
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
(1993-94 और 1994-95)

(रू० लाख में)

क्र सं.	राज्य/स्थान	लाभानुभोगी	रा.बा.बो. निर्मुक्त रकम (मंजूर किया गया)	
1	2	3	4	
1.	हरियाणा	कोसको राइसमस प्रा० लि०	100.00	100.00
		ग्लोहल इंडस्ट्रीज लि०	76.00	76.00
		विश्वा फलोरा लि०	100.00	100.00
		रोजटा लि०	67.75	-
2.	महाराष्ट्र	नेहा इंटरनेशनल लि०	100.00	100.00
		डेकॉन फलोरेज लि०	100.00	100.00
		वायेप्लस बायोटक लि०	100.00	100.00
		रूहना मेजोर बायोटक प्रा० लि०	93.50	93.50

1	2	3	4	
3.	पंजाब	पंजाब ब्लासमस	75.50	30.50
4.	उ0प्र0	के.एस. उपवन प्रा0 लि0	17.30	-
5.	आ0प्र0	जगदम्बे एग्री जेण्डर लि0	100.00	100.00
		इण्डस फजोरटक प्रा0 लि0	100.00	-
6.	कर्नाटक	इण्डो ब्लूम लि0	75.60	75.60
		कॉमसन एग्रीटेक	69.00	69.00
		जे. डी. आई. केमिक्लस	100.00	100.00
7.	राजस्थान	वर्ल्डवाइड फरोजहार्टी लि0	47.00	47.00
		रोजेण्डिया	100.00	100.00
8.	तमिलनाडु	मनवी डेरी फूडस	42.80	42.80
9.	पश्चिम बंगाल	केवेण्टर एग्रो	100.00	100.00
		कुल:	1564.45	1334.45

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में महिलायें

1264. श्री माणिकराव होडल्या गावीत:
श्री परस राम भारद्वाज:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीया महिला आयोग ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका के संबंध में हाल ही में सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी): (क) से (ग) राष्ट्रीय महिला आयोग ने कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका के बारे में कोई अध्ययन आयोजित नहीं किया है, तथापि राष्ट्रीय महिला आयोग ने अंतराष्ट्रीय कृषि महिला संघ तथा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अकादमी हैदराबाद के साथ मिलकर "कृषि में महिलायें- विकासात्मक मुद्दे" पर दिसम्बर, 1993 में एक संगोष्ठी आयोजित की थी। संगोष्ठी में की गई सिफारिशों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है। हालांकि आयोग ने इस संबंध में कोई औपचारिक सिफारिशें नहीं की हैं फिर भी संगोष्ठी में दिये गये सुझावों को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया गया है।

विवरण

28-30 दिसम्बर, 1993 को आयोजित 'कृषि में महिलायें-विकासात्मक मुद्दे' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में की गई प्रमुख सिफारिशें।

कृषि प्रौद्योगिकी और अंतरण तंत्र

1. कृषक महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त कृषि प्रौद्योगिकियों और बेहतर उपकरणों की आवश्यकता है।
2. डेयरी, रेशम कीटपालन, आदि जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।
3. कृषक महिलाओं को वृक्षों के पट्टे दिये जायें।
4. सामाजिक वानिकी के माध्यम से सामान्सय परिसम्पतियों के प्रबन्धक के लिए कृषक महिलाओं को परती भूमि आवंटित की जाये।
5. तकनीकी महिला विस्तार कर्मियों का एक संवर्ग तैयार किये जाने की आवश्यकता है।
6. महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए।
7. वृहत् पैमाने पर उत्पादन-सह-विपणन केन्द्रों की संकल्पना को बढ़ावा दिया जाये।

व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरें

8. कृषक महिलाओं की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि उपकरणों के प्रयोग में आराम, सामग्री गुणवत्ता, कार्य कुशलता, लागत और समय की बचत के हिसाब से मानकीकरण किये जाने की आवश्यकता है।
9. कृषक महिलाओं को कृषि रसायनों के सही इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें वैयक्तिक सुरक्षा उपाय मुहैया कराये जाने चाहिए।
10. कृषक महिलाओं में खाद्य आवश्यकता और व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागृति पैदा की जाये।

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

11. महिलाओं को उपयुक्त मजदूरी दिलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक महिलाओं को परामर्श देने के लिए कृषि-श्रम निरीक्षक नियुक्त किए जाये।
12. कृषक महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक विधान बनाया जायें।
13. कृषक महिलाओं को दुधारू पशुओं तथा अन्य छोटे पशुओं के मालिकाना अधिकार दिये जायें।
14. पंचायतों की महिला सदस्यों और नामित सदस्यों के ग्राम महिला न्यायालय बनाये जायें।
15. कृषि जनगणना में कृषि में महिलाओं पर एक पृथक खण्ड रखा जा सकता है।
16. राज्य सरकारों को सभी गांवों और पंचायतों में महिला मण्डल बनाने के विचार को बढ़ावा देना चाहिए।
17. वैज्ञानिक तरीके से बीजोत्पादन के लिए कृषक महिलाओं को समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
18. कृषक महिलाओं को ऋण प्राप्त करने में आने वाली कठिनाईयों के समाधान के लिए महिला कोष अथवा महिला बैंक के माध्यम से ऋण प्राप्त करने के वैकल्पिक तरीके को ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है।
19. राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य कृषि विभागों को कृषि

में महिलाओं के कार्य के संवर्धन और प्रबोधन के लिए प्रत्येक में एक-एक प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने चाहिये।

[हिन्दी]

गंज बसोदा स्टेशन पर गाड़ी के रूकने की व्यवस्था करना

1265. श्री राम चंदन:
श्री राम प्रसाद सिंह:
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंज बसोदा स्टेशन (मध्य रेलवे) पर शिप्रा एक्सप्रेस '1171/72' के रूकने की व्यवस्था करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

"स्टाल" ठेकेदार

1266. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे प्लेटफार्मों पर विविध सामान विक्रेता ठेकेदारों द्वारा बिक्री के लिए अनुमत मदों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) रेलवे प्लेटफार्मों पर कैमिस्ट स्टाल ठेकेदार द्वारा बिक्री के लिए अनुमत्य मदों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ): (क) यात्रियों की आवश्यकता वाले सामान जैसे ताले, चैन, हैण्डबैग, पानी की बोतलें, पंखे, सुराहियां आदि; प्रसाधन के सामान जैसे शेविंग सामग्री, साबुन, केश तेल आदि; लेखन सामग्री जैसे पेन्सिल, पेन, स्याही, लेखन पेड, चित्रों की एलबम, ऐतिहासिक स्थलों के पोस्टकार्ड आदि, खिलौने और कलाकृतियां, शिल्पकारिता के लिए प्रसिद्ध स्थानीय विनिर्माण के सामान, इत्र, कंघे, दर्पण, निरोध आदि.

(ख) औषधियां, प्रसाधन सामग्री, साबुन, डिटर्जेण्ट, दंत मंजन, मुरब्बा, फलों का रस, ग्लैप्टिन बिस्कुट, डॉलिक्स, बोर्नवीटा, आयुर्वेदिक/होम्योपैथक औषधियां, सौंदर्य प्रसाधन, निरोध आदि।

झुग्गी-झोपड़ियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाना

1267. श्री राम प्रसाद सिंह:
क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जून, 1995 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "प्ली टू ब्रिंग जे.जे. कलस्टरस् अण्डर आर पी डी एस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 40 प्रतिशत लोगों को राशन पर रियायत की सुविधा प्रदान करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी हां।

(ख) संदर्भित समाचार में दिल्ली के खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री द्वारा दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी समूहों/पुनर्वास कालोनियों को खाद्यान्नों की रियायती आपूर्ति हेतु संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाने के लिए की गई मांग का उल्लेख किया गया है।

(ग) इस समय ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) वर्तमान नीति के अनुसार संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार इस स्कीम के तहत अभिज्ञात ब्लाकों में भी ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित है। केवल आदिवासी बाहुल्य राज्यों में शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्र संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आते हैं।

राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना

1268. डा. खुशीराम डूंगरोमल जेस्वानी:
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में गुजरात के सभी लोगों में राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना को कार्यान्वित करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस0 कृष्ण कुमार): (क) से (ग) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना गुजरात के तीन चयनित जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 1995-96 के लिए 96 लाख रु. का केन्द्रीय आवंटन किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत गुजरात राज्य के सभी जिलों को शामिल किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना

1269. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी:
क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना नदी प्रवाह पर आधारित जल विद्युत परियोजना है;

(ख) क्या इसके लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को केन्द्र के पास भेज दिया है;

(घ) यदि हां, तो कब;

(ङ.) क्या इसे पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दे दी गई है;

(च) यदि हां, तो कब; और

(छ) यदि नहीं, तो कब तक उक्त स्वीकृति दे दी जायेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (छ) यह प्रस्ताव पर्यावरणीय मंजूरी के लिए सरकार को अप्रैल, 1995 में प्राप्त हुआ है। इसकी जांच की गई और मांगी गई अतिरिक्त सूचना परियोजना प्रस्तावकों से प्राप्त नहीं हुई है। पूरे पर्यावरणीय आंकड़े प्राप्त होने पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा। [हिन्दी]

रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

1270. श्री सूर्य नारायण यादव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली जं. और हावड़ा/स्यालदाह स्टेशनों के बीच चलने वाली जनता एक्सप्रेस सहित अनेक रेलगाड़ियों को एक-एक करके खत्म कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जनता एक्सप्रेस के स्थल पर नई एक्सप्रेस गाड़ियां शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ): (क) से (घ) केवल 3039/3040 दिल्ली-हावड़ा जनता एक्सप्रेस को 1.7.95 से बंद किया गया है और इसके बदले में दिल्ली और सियालदह के बीच चलने वाली 3111/3112 एक्सप्रेस पुन: चला दी गई है। फिलहाल, दिल्ली और हावड़ा/सियालदह के बीच कोई नई गाड़ी चलाने का प्रस्ताव नहीं है।

सी.बी.एस.ई. मार्किंग योजना

1271. श्री नवल किशोर राय:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जुलाई, 1995 के ''इंडियन एक्सप्रेस'' में ''एग्जामिनर्स फ्ले. सी.बी.एस.ई. मार्किंग सिस्टम'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सी.बी.एस.ई. की मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा की है और इस संबंध में परीक्षकों को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं की उत्तर-पुस्तिकाओं की मूल्याकंन प्रणाली में एक ऐसा अंत: निर्मित तंत्र है जिसमें उसकी दक्षता, विश्वसनीयता, तथा निरपेक्षता यथा संभव अधिकतम सीमा तक सुनिश्चित की जाती है। बोर्ड अपने मूल्याकंन के स्तर में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। [अनुवाद]

संसाधन जुटाना

1272. श्री रूप चंद पाल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने लीज फाइनेन्सिंग के द्वारा संसाधन जुटाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) ; (क) जी हां,

(ख) रेलवे ने अपनी विकास योजनाओं के लिए बजटीय समर्थन में भारी कटौती के परिणामस्वरूप रेलवे द्वारा संसाधनों को पट्टा वित्त पोषण के जरिए कार्यप्रवृत्त बनाने और कुछ कार्यों को निर्माण स्वामित्व पट्टा हस्तांतरण (बोल्ट) योजना के अंतर्गत प्रारंभ करने का विनिश्चय किया गया है। इस योजना में, निजी उद्यमियों और वित्तीय संस्थाओं को परिसम्पत्तियों का निर्माण/विनिर्माण करने और निर्मित परिसंपत्ति को रेलवे को पट्टे पर देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। रेलों द्वारा उद्यमियों को, परस्पर सहमति के अनुसार, पट्टा अवधि के दौरान पट्टा प्रभारों का भुगतान किया जाएगा। पट्टा अवधि की समाप्ति पर परिसंपति को रेलवे को अंतरित कर दिया जाएगा। बोल्ट योजना के अंतर्गत, उद्यमियों और वित्तीय संस्थानों का चयन निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् किया जाता है। बोल्ट योजना के अंतर्गत प्रारंभ किए जाने के लिए 24 से अधिक परियोजनाएं पहचानी गई हैं।

कुछ परियोजनाओं के लिए बोलियां खोली गई हैं और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके परिणाम के बारे में इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद पता चलेगा।

डकैती पीड़ितों को मुआवजा

1273. श्री रवि राय:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में गया रेलवे स्टेशन के निकट 21 जून, 1995 को ''पुरूषोत्तम एक्सप्रेस'' में हुई डकैती की घटना से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में कितनी राशि दी गई है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ): अभी दावे दायर किए जा रहे हैं। रेल दावा अधिकरण द्वारा निर्णय दिए जाने पर रेलों द्वारा मुआवजे का भुगतान किया जायेगा।

भारतीय खेल-कूद प्राधिकरण द्वारा भूमि का आवंटन

1274. **श्री मोहन रावले:**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल-कूद प्राधिकरण ने दिल्ली स्टाक एक्सचेंज को इंदिरा गांधी स्टेडियम के प्लाजा में कुछ भूमि आवंटित की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु खुली निविदायें आमंत्रित की गई थी,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ.) यदि नहीं, तो दिल्ली स्टाक एक्सचेंज को भूमि आवंटित करने हेतु क्या मानदंड अपनाये गए हैं, और

(च) इस संबंध में मानदंडों का उल्लघंन करने के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और बाद में सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पत्राचार पाठ्यक्रम

1275. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण:**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों द्वारा लिए जा रहे शुल्कों आदि सहित पत्राचार पाठ्यक्रम का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का इस संबंध में कोई मूल्याकंन करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमार शैलजा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोयले की चोरी

1276. **डा. साक्षीजी:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को भेजे जा रहे कोयले की रास्ते में चोरी के संबंध में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत एक वर्ष के दौरान ऐसी शिकायतों की कोई जांच कराई गई हैं;

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ): (क) हाल ही में ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) बहरहाल, ऐसी चोरियों की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किए जा रहे हैं :-

1. जहां तक संभव होता है सशस्त्र रे.सु.ब. द्वारा कोयला क्षेत्रों से कोयले के ब्लाक भारों का विभिन्न गंतव्य स्थलों तक मार्गरक्षण किया जाता है।
2. कोयला चोरों की गतिविधियों के बारे में आसूचना एकत्र करने के लिए रे.सु.ब. के अपराध आसूचना कर्मचारी तैनात किए जाते हैं।
3. बड़े यार्डों में बीट-एवं गश्त ड्यूटी शुरू की गई हैं।
4. भेद्य क्षेत्रों में रे.सु.ब और पुलिस द्वारा निरंतर छापे मारे जाते हैं और तलाशी ली जाती है।
5. अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए भेद्य क्षेत्रों और बदनाम स्थलों पर अचानक जांच की जाती हैं।
6. भेद्य यार्डों और प्रभावित खंडों में गश्त लगाने के लिए कुत्ता दस्तों का इस्तेमाल किया जाता है।

शोध कार्य

1277. **श्री भोगेन्द्र झा:**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब विश्वविद्यालय में विशेष रूप से गणित विभाग में संयुक्त शोध कार्य के आधार पर दी जाने वाली पी0एच0डी0 की उपाधि स्वतंत्र रूप से किए गए शोध कार्य के आधार पर दी गई उपाधि के समान मानी जाती है;

(ख) क्या ऐसे मामले भी सामने आये हैं जिनमें गाइड द्वारा पहले यह प्रमाणित किए जाने के बाद कि शोध प्रबंध में शोधकर्ता ने स्वयं शोध कार्य किया है, उन्हें शोध प्रबंध स्वीकार किये जाने तथा पी0एच0डी0 की उपाधि देने के पश्चात उसी शोध प्रबंध पर उन शोधकर्ताओं और गाइडों के नामों से संयुक्त रूप से लेख प्रकाशित किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उप मंत्री (कु0 शैलजा): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 174 विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालय संस्थानों ने सूचित किया है कि किसी व्यक्ति द्वारा सह संयुक्त शोध कार्य के आधार पर दी गई पी.एच.डी. डिग्री को स्वतंत्र शोध कार्य के आधार पर दी गई पी.एच.डी. डिग्री के बराबर नहीं समझा गया है।

पंजाब विश्वविद्यालय के विनियमों/नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी व्यक्ति द्वारा सह संयुक्त शोध कार्य को पी.एच.डी. की डिग्री के बराबर समझा जाये। अत: पी.एच.डी. डिग्री देने के लिए सह संयुक्त शोध कार्य पर विचार नहीं किया जाता।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय होने के कारण अपने निर्णय स्वंय लेते हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता।

[हिन्दी]

कृषिगत प्रयोजनों हेतु सरकारी भूमि पट्टे पर देना

1278. श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बेकार पड़ी सरकारी भूमि को कृषिगत प्रयोजनों के लिए औद्योगिक संगठनों को पट्टे पर देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार की भूमि की उपलब्धता के संबंध में सूचना प्राप्त कर ली है;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है जहां इस प्रकार की भूमि उपलब्ध है और प्रत्येक राज्य में ऐसी उपलब्ध भूमि का क्षेत्र कितना है; और

(ङ.) इस योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले अतिरिक्त कृषि उत्पादन की प्रतिशतता कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) जी नहीं, भूप्रबंध राज्य का विषय होने के कारण भारत सरकार, कृषि के उपयोग के लिए पट्टे के आधार पर औद्योगिक संगठनों को सार्वजनिक भूमि देने के मामले पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है।

(ख) से (ङ.) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

वालंटरी कंज्यूमर एक्शन नेटवर्क

1279. श्री दाऊ दयाल जोशी:

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 27 मई, 1995 के 'दि हिन्दू' में प्रकाशित समाचार के अनुसार 'वालंटरी कंज्यूमर एक्शन नेटवर्क' ने कंज्यूमर ट्रस्ट सोसाइटी, कलकत्ता के साथ मिलकर निर्धारित लेखा-परीक्षा का कार्य शुरू कर दिया है,

(ख) इसका कार्य क्षेत्र क्या है तथ इस संबंध में सहयोग देने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं,

(ग) उक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट कब तक प्रकाशित कर दी जायेगी, और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) से (घ) यह विषय वस्तु 'दि हिन्दू' में प्रकाशित समाचार के माध्यम से नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की जानकारी में आई थी। यह मंत्रालय वालंटरी कंज्यूमर एक्शन नेटवर्क के निर्धारित लेखा-परीक्षा अभियान में भाग नहीं ले रहा है।

[अनुवाद]

भारतीय मानक ब्यूरो

1280. डा0 आर0 मल्लू:

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो अपने कार्यकरण के लिए कोई अनुप्रयोज्य अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली का अनुकरण कर रहा है, और

(ख) यदि हां, तो भारतीय मानक ब्यूरो की गुणवत्ता प्रणाली के संबंध में ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने संगठन में गुणता प्रबंध प्रणाली स्थापित करने का एक नीतिगत निर्णय किया है। इस प्रयोजन के लिए उत्पादन, संस्थापना तथा सर्विसिंग में गुणता आश्वासन के लिए आई.एस.ओ. 9002 गुणता प्रणालियां-मॉडल को चुना गया है, क्योंकि भारतीय मानक ब्यूरो मुख्य रूप से एक सर्विस संगठन है।

भगवान कार्तिकेश्वर की मूर्ति

1281. श्री अंकुशराव टोपे:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में चमोली (उ0प्र0) जिले में चपाद गांव से भगवान कार्तिकेश्वर की चांदी की मूर्ति की चोरी के संबंध में कोई रिपोर्ट मिली है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एव संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, नहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य तेल

1282. श्री प्रकाश वी0 पाटील:

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा अपने गोदामों में खाद्य तेलों

का भारी स्टाक रखने और बढ़ते हुए मूल्यों पर नियंत्रण पाने तथा मांग और पूर्ति के बीच के अंतर को समाप्त करने हेतु इन्हें बाजार में जारी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं,

(ख) जनहित को हो रही हानि को देखते हुए इस प्रकार की जमाखोरी रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं,

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के पास से खाद्य तेलों का स्टाक जब्त किया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को 1994-95 के दौरान 20 प्रतिशत के रियायती शुल्क दर पर तीन लाख मी0 टन खाद्य तेलों का आयात करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने सूचित किया है कि 31.7.95 तक उन्होंने वस्तुत: खाद्य तेल की 1.61 लाख मी0 टन मात्रा का आयात कर लिया था और 1.29 लाख मी0 टन मात्रा की बिक्री कर दी थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने सूचित किया है कि खुदरा आपूर्ति को वर्तमान स्तर पर बनाए रखने के लिए उन्हें कम से कम तीन महीनों की आवश्यकता हेतु मात्रा अपने स्टॉक और वितरण माध्यमों में बनाए रखनी आवश्यक होती है। आयातित खाद्य तेलों को सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉक रखने की सीमा से छूट दी गई है।

(ग) और (घ) ऐसी कोई रिपोर्ट राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या महाराष्ट्र से प्राप्त नहीं हुई है।

रेल मार्ग

1283. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने हालीयाल और उसके पड़ौसी गांवों को रेल सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए धारवाड़ को लोंडा से पुन: रेल मार्ग से जोड़ने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय लिया है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। धारवाड तथा लोंडा के बीच मौजूदा मीटर लाइन को मार्ग परिवर्तन किये बिना उसी संरेखण में बड़ी लाइन में बदल दिया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में पर्यावरणीय और वानिकी परियोजनायें

1284. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी:**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिहार में पर्यावरण संरक्षण और वनों के विकास हेतु केन्द्र और इसके साथ-साथ विदेशी सहायता से आरम्भ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) प्रत्येक योजना हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान शुरू की जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक योजना के लिए कितनी सहायता राशि दी जायेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में पर्यावरण के संरक्षण और वनों के विकास के लिए केन्द्रीय तथा विदेशी सहायता से चलाई जा रही परियोजनाओं तथा उनकी वित्तीय और भौतिक उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) ये परियोजनायें अनवरत स्वरूप की हैं।

विवरण

क्र0सं0	स्कीम/परियोजना का नाम	मुख्य उद्देश्य	निधिकरण की मात्रा	स्थिति	पिछले तीन सालों के दौरान उपलब्धि 1992-93 1993-94 (वित्तीय)	1994-95 (भौतिक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	100%	चालू	85.99	लक्ष्य वित्तीय बंटनों के रूप में निर्धारित
2.	बाघ रिजर्वों के आसपास पारि-विकास	बाघ रिजर्वों के आसपास रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक जीविका प्रदान करना	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	चालू	61.86	2 बाघ रिजर्व शामिल
3.	बाघ परियोजना	बाघों की जीवनक्षम आबादी सुनिश्चित करना	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	चालू	161.40	2 बाघ रिजर्व शामिल
4.	आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धतियां	वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए दावानल का नियंत्रण	100%	चालू	6.07	लक्ष्य वित्तीय बंटनों के रूप में नियत।
5.	पर्यावरण वाहिनी स्कीम	जनता की सक्रिय भागीदारी के जरिए पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना।	100%	चालू	1.15	6 जिलों में गठित
6.	अवक्रमित वनों के वनीकरण में अनुसूचित जनजातियों और और ग्रामीण निर्धनों का सहयोग	अवक्रमित वनों में वायोमास संसाधन आधार मजबूत बनाना	100%	चालू	53.63	उपलब्ध नहीं
7.	क्षेत्रोन्मुख ईंधन की लकडी और चारा स्कीम	ईंधन की कमी वाले अभिनिर्धारित जिलों में ईंधन की लकड़ी और चारे की आपूर्ति का विस्तार करना।	50%	चालू	529.32	15130 है. क्षेत्र शामिल
8.	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पादों को उगाना	100%	चालू	188.00	4500 है0 क्षेत्र शामिल
9.	समन्वित वनीकरण एव पारि-विकास परियोजना स्कीम	वनीकरण और पारि-विकास को बढ़ावा देना	100%	चालू	80.00	673 है0 क्षेत्र शामिल
10.	गंगा कार्य योजना	गंगा नदी का प्रदूषण उपशयन	100% चरण-1 50% चरण-2	चालू	1481.00	41 स्कीमें पूरी की गई
11.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के चारों ओर पारि-विकास	राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक जीविका	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	चालू चालू	36.78	लक्ष्य वित्तीय बंटनों के रूप में नियत
12.	हाथी परियोजना	हाथियों की सम्भी उत्तर जीविता सुनिश्चित करना	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	चालू	13.50	लक्ष्य वित्तीय बंटनो के रूप में नियत

टिप्पणी:- विदेशी सहायता प्राप्त स्कीम

[अनुवाद]

उत्पादन प्रौद्योगिकी का अंतरण

1285. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों तक नवीनतम उत्पादन प्रौद्योगिकी पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) इस प्रयास के क्या ठोस परिणाम निकले?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) भा.कृ.अनु. परिषद ने व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रथम श्रेणी के प्रदर्शनों, खेत पर अनुसंधान/परीक्षण और विस्तार कार्यकर्ताओं को निचले स्तर से सेवा के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की अद्यतन उत्पादन प्रौद्योगिकी को पहुंचाने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की है। अब तक, देश के 179 जिलों में 183 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में, 78 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्वीकृति भी दी गई है और ये स्थापना के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(ख) कृषि विज्ञान केन्द्र ने वर्ष 1994-95 के दौरान 14631 व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया है जिससे 262999 किसानों, खेतीहर महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को फायदा हुआ है।

कुल प्रशिक्षणार्थियों में से 56025 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों से संबधित हैं। अन्य प्रमुख विस्तार गतिविधियों में उत्पादन क्षमता के प्रदर्शन के लिए 1000 खेत दिवस और 177 किसान मेलों का आयोजन शामिल है।

तिलहनों और दालों पर अग्रिम पंक्ति के प्रदर्शनों में 99159 किसान शामिल हैं। इन अग्रिम पंक्ति के प्रदर्शनों में मुख्य रूप से आने वाली फसले हैं:- सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, अरण्डी, अरहर, चना, मूंग और उड़द। इसके अतिरिक्त किसानों के फायदे के लिए प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और परिष्करण के लिए खेतों पर 271 परीक्षण/जांच भी किये गये हैं। निचले स्तर के 14130 विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए 689 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।

'वन क्षेत्र'

1286. श्री विजय नवल पाटिल:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे भारत में वन क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु कदम उठाए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत वर्षों के दौरान वन क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वे कौन से राज्य हैं जिनमें वन क्षेत्र में कमी है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा वन क्षेत्र को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) जैसे कि स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1993 में सूचित किया गया है, 1991 और 1993 के मूल्यांकनों के अनुसार वन आवरण का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र0सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991 का मूल्यांकन	1993 का मूल्यांकन
		(क्षेत्र: वर्ग किलो मीटर में)	
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	47,290	47,256
2.	अरूणाचल प्रदेश	68,757	68,661
3.	असम	24,751	24,508
4.	बिहार	26,668	26,587
5.	गोआ (दमन एवं दीव सहित)	1,225	1,250
6.	गुजरात	11,907	12,044
7.	हरियाणा	513	513
8.	हिमाचल प्रदेश	11,780	12,502
9.	जम्मू एवं कश्मीर	20,064	20,443
10.	कर्नाटक	32,199	32,343
11.	केरल	10,292	10,336
12.	मध्यप्रदेश	135,785	135,396
13.	महाराष्ट्र	44,044	43,859
14.	मणिपुर	17,685	17,621
15.	मेघालय	15,875	15,769
16.	मिजोरम	18,853	18,697
17.	नागालैंड	14,321	14,348
18.	उड़ीसा	47,205	47,145
19.	पंजाब	1,343	1,343
20.	राजस्थान	12,835	13,099
21.	सिक्किम	3,033	3,119
22.	तमिलनाडु	17,713	17,726
23.	त्रिपुरा	5,535	5,538
24.	उत्तर प्रदेश	33,609	33,961
25.	पश्चिम बंगाल	8,015	8,186
26.	अंडमान एवं निकोबार	7,622	7,624
27.	चण्डीगढ़	5	5

1	2	3	4
28.	दादर एवं नागर हवेली	206	206
29.	दिल्ली	22	22
30	लक्षद्वीप	-	-
31.	पांडिचेरी	-	-
	कुल	6,39,182	6,40,107

(ग) स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1993 के अनुसार गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ और दिल्ली के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कम वन आवरण का मुख्य कारण मानव और पशुओं की आबादी में वृद्धि, शहरीकरण और वनीकरण के लिए निधियों की समग्र कमी होना हो सकता है।

(घ) वन आवरण में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उठाए गए विभिन्न कदम निम्नलिखित हैं:

(1) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वनों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए लोगों की भागीदारी को सक्रिय रूप से बढ़ाया जा रहा है।

(2) आदिवासियों और निर्धन ग्रामीण की भागीदारी के जरिए अवक्रामत वनों की बहाली और दावानल नियंत्रण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(3) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वनीकरण/वृक्षारोपण गतिविधियों के कवरेज में पर्याप्त विस्तार करने का प्रस्ताव हैं।

केलिको संग्रहालय

1287. **श्री लाईता उम्ब्रे:**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्रों के केलिको संग्रहालय को राष्ट्रीय विरासत के रूप में घोषित करने का है;

(ख) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्यों; और

(ग) कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए क्या निर्णय लिए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ग) सरकार ने केलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स के संगठनात्मक ढांचे सहित समस्याओं की जांच करने के लिए एक परामर्शदात्री समिति गठित की हैं।

तिलहनों/सब्जियों के अन्तर्गत भू-क्षेत्र

1288. **डा0 कृपासिन्धु भोई:**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उडीसा में तिलहनों और सब्जियों की खेती के अंतर्गत भू-क्षेत्र में वृद्धि करने का है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को कोई योजना भेजी है और इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस0 कृष्ण कुमार): (क) जी हां,

(ख) जी नहीं

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बीकानेर और हावड़ा के बीच रेलगाड़ी

1289. **श्री मनफूल सिंह:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीकानेर और हावड़ा के बीच सभी रेलगाड़ी चलाने की मांग को लेकर बीकानेर में गत पन्द्रह दिनों से रेल रोको आंदोलन चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मांग को पूरा किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ): (क) बीकानेर में बीकानेर से हावड़ा तक एक सीधी गाड़ी चलाने के लिए एक आंदोलन हुआ था।

(ख) मेड़ता रोड स्टेशन पर 2307/2308 जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस के साथ 391/392 बीकानेर-जयपुर पैसेंजर के मेल की पहले से ही व्यवस्था कर दी गई है और 2307/2308 जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी में बीकानेर के यात्रियों के लिए पहला दर्जा वातानुकूल में 2 शयिकाओं, वातानुकूल, 2 टायर में 6 शयिकाओं और शयनयान दर्जे में 72 शायिकाओं का कोटा निर्धारित किया गया है। बहरहाल, इस मुद्दे की नए सिरे से जांच की जा रही है और व्यवहार्य और उचित-पाए जाने पर कार्रवाई की जायेगी।

[अनुवाद]

ऊपरि पुल

1290. **श्री के0 मुरलीधरन**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल स्थित बड़गारा में प्रस्तावित और स्वीकृत किए गए "कोर्ड" ऊपरि पुल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में प्रगति यथा निर्धारित रूप में हो रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्री (श्री सी0 के0 जाफर शरीफ) : (क) से (ग) इस कार्य को 1990-91 में रेल के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया था। रेलवे द्वारा लंबे समय से पत्राचार किए जाने के बावजूद भूतल परिवहन मंत्रालय ने सामान्य प्रबंध संबंधी आरेखण अनुमोदित नहीं किया था। अत: इस कार्य को 1992-93 के रेल निर्माण कार्यक्रम से निकाल दिया गया था।

कोठारी आयोग की रिपोर्ट

1291. श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डा. कोठारी आयोग द्वारा शिक्षा में सुधार संबंधी रिपोर्ट सरकार को किस वर्ष में प्रस्तुत की गई,

(ख) डा0 कोठारी आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, 1966।

(ख) कोठारी आयोग ने 230 सिफारिशें की। आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं:-

(I) स्कूल शिक्षा के प्रथम 10 वर्ष के दौरान सभी छात्रों को विज्ञान और गणित अनिवार्य रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। कार्य अनुभव को समस्त शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए।

(II) स्कूलों में भाषाओं के शिक्षण के लिए एक उपयुक्त नीति बनाई जानी चाहिए। आयोग ने विभिन्न स्तरों पर भाषाओं के शिक्षण की एक योजना की सिफारिश की थी।

(III) सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य स्कूल प्रणाली राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में अपनाई जानी चाहिए तथा इसे 20 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाना चाहिए,

(IV) सभी छात्रों के लिए सभी स्तरों पर सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा अनिवार्य बनाई जानी चाहिए,

(V) शिक्षा का ढांचा बदलना चाहिए जिससे कि उसमें 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा, उसके बाद 2 वर्ष के उच्चतर माध्यमिक और 3 वर्ष के प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम का प्रावधान हो।

(VI) एक वर्ष में शिक्षण दिवसों की संख्या को बढ़ाकर स्कूलों के लिए लगभग 39 सप्ताह तथा कालेज के लिए 36 सप्ताह किया जाना चाहिए।

(VII) विश्वविद्यालय स्तर के वेतनमानों का लागू किया जाना सुकर बनाने के लिए केन्द्र सरकार को 80% सहायता अपलब्ध करनी चाहिए और शेष 20% खर्च राज्यों को उठाना चाहिए।

(VIII) सभी स्तरों पर अध्यापिकाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(IX) विश्व विद्यालय अनुदान आयोग को वर्तमान विश्वविद्यालयों में से यथाशीघ्र ऐसे लगभग 6 विश्वविद्यालयों का चयन करना चाहिए जिनका प्रमुख विश्वविद्यालयों के रूप में विकास किया जा सके, प्रमुख विश्वविद्यालयों में प्रोन्नत केन्द्र समूह विकसित किया जाना चाहिए

(X) इंजीनियरी शिक्षा की सभी संस्थाओं में सुधार किया जाना चाहिए।

(XI) देश से निरक्षरता यथाशीघ्र दूर करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए तथा देश के किसी भी भाग में इस काम में 20 वर्ष से अधिक समय नहीं लगाना चाहिए।

(XII) शिक्षा पर कुल व्यय बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 1985-86 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 6% हो सके।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर बनाई गई थी। भारतीय शिक्षा प्रणाली की गहन समीक्षा के आधार पर 1986 में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। इसे 1992 में अद्यतन बनाया गया।

सहायता अनुदान

1292. श्री जसवंत सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा 1991-94 के दौरान किन-किन व्यक्तियों और संस्थाओं को अनुदान दिया गया, और

(ख) इस प्रयोजनार्थ व्यक्तियों/संस्थाओं के चयन और धनराशि के निर्धारिण हेतु क्या मानदंड अपनाए गए थे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा उसकी कार्रवाई योजना, 1992 में यह प्रावधान है कि सामाजिक कार्यकर्ता समूहों सहित गैर-सरकारी और स्वैच्छिक प्रयासों को समुचित प्रबंधन के अध्याधीन प्रोत्साहन दिया जायेगा। तदनुसार यह मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता-अनुदान प्रदान करता है। संस्वीकृति से पूर्व विभिन्न एजेंसियों के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने तथा परवर्ती मानिटरिंग के लिए अंतर्निर्मित तंत्र है। जिन एजेंसियों को पर्याप्त अनुदान दिया गया है उनकी सूची मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है।

[हिन्दी]

विद्युत और डीजल रेल इंजन

1293. डा0 लाल बहादुर राजभर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्युत और डीजल के निर्माण की वार्षिक क्षमता कितनी है;

(ख) क्या 1994-95 के दौरान रेल इंजनों का आयात किया गया है;

(ग) क्या 1995-96 के दौरान रेल इंजनों का आयात किया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो उनके मूल्य, अश्व शक्ति, क्षमता और अधिकतम गति सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ङ.) उनमें से विद्युत तथा डीजल इंजनों की संख्या कितनी-कितनी थी;

(च) क्या इन रेल इंजनों का निर्माण देश में ही नहीं हो सकता था।

(छ) रेल इंजनों के आयात किए जाने का क्या कारण हैं;

(ज) क्या देश से रेल इंजनों का निर्यात किया जा रहा है; और

(झ) आयात किए जा रहे रेल इंजनों के फालतू पूर्जों और इन इंजनों के रख-रखाव के लिए क्या प्रबन्ध किए गये हैं?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ): (क) रेल इंजनों के निर्माण की क्षमता, किसी दिए गए वर्ष में निर्मित किये जाने वाले विभिन्न किस्म के रेल इंजनों के मिश्रित उत्पाद पर निर्भर करती है। 1994-95 के दौरान भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाईयों द्वारा 150 बिजली तथा 150 डीजल रेल इंजनों का उत्पादन किया गया।

(ख) से (ङ.) जी नही। मेसर्स ए. बी. बी. से खरीदे जा रहे यात्री तथा माल बिजली रेल इंजनों के बारे में अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:-

	मद	यात्री	माल
1.	1995-96 के दौरान भेजे जाने वाले रेल इंजनों की संख्या	10	6
2.	अश्व शक्ति	5000	6000
3.	गति सीमा (कि.मी./प्रति घंटा)	160	100
4.	चालू विनिमय दरों पर प्रति रेल इंजन की प्राप्ति अनुमानित लागत (करोड़ रूपयों में)	22.40	20.50

(च) और (छ) रेलों ने मैसर्स ए. बी. बी. के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की संविदा सहित माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित नियंत्रण प्रणाली युक्त 3 फेज ड्राइव वाले रेल इंजनों की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया है। इससे रेलवे ऐसे रेल इंजनों का निर्माण चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में करने में समर्थ होगी ;

(ज) जी हां। डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी से 10 अदद डीजल रेल इंजन बांग्ला देश तथा 2 अदद रेल इंजन श्री लंका को निर्यात किए जा रहे हैं ;

(झ) मैसर्स ए. बी. बी. के साथ किए गए आपूर्ति अनुबंध में तीन वर्षों की अनुरक्षण आवश्यकताओं के लिए फालतू पूर्जों की आपूर्ति शामिल है।

[अनुवाद]

संयुक्त वानिकी प्रबंधन योजना

1294. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन:**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र प्रायोजित 'संयुक्त वानिकी प्रबंधन योजना' के अंतर्गत वन उत्पादों में भागीदारी के आधार पर अपक्षीण वनों की सुरक्षा और उनके पुन: रोपण के लिए ग्रामीण समुदायों और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी के संबंध में विशिष्ट योजनायें तैयार करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस दिशा में कितनी प्रगति की है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 वनों के विकास तथा उनकी सुरक्षा में जन-भागीदारी पर बल देती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इस संबंध में 1 जून, 1990 के परिपत्र द्वारा दिशानिर्देश जारी किए थे। इस प्रकार 15 राज्य सरकारों ने इस संबंध में सरकारी संकल्प जारी किए हैं। केरल सरकार और अन्य राज्य सरकारों, जिन्होंने अभी तक ऐसे संकल्प जारी नहीं किए हैं, से ऐसा करने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया है।

उत्खनन

1295. **श्री सैयद शहाबुद्दीन**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1994-95 के दौरान किन-किन स्थानों पर उत्खनन कार्य किया गया;

(ख) स्थानवार उत्खनन कार्य की क्या उपलब्धियां रहीं तथा इसके लिए आवंटित बजट कितना था;

(ग) 1995-96 के दौरान उत्खनन कार्य पर कितना खर्च होगा; और

(घ) उन पुरातात्विक उत्खनन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके ऊपर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा पूर्व में कार्य शुरू किये गए थे तथा जिनकी विस्तृत रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं

की गई हैं और विशेषकर रामायण काल से संबन्धित स्थल परियोजना की अन्तिम रिपोर्ट कब तक प्रकाशित कर दी जायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1994-95 के दौरान 9 राज्यों में 14 स्थलों पर खुदाई की। उत्खनन कार्य के लिए बजट में किया गया प्रावधान 50.25 लाख रूपये बैठा और इसके परिणाम महत्वपूर्ण थे क्योंकि संस्कृतियों या कालों के बारे में बहुमूल्य आकड़ें एकत्र किए गए हैं। इन कालों में पूर्वकालीन, परिपक्व, उत्तरकालीन हड़प्पा ताम्र-प्रस्तर संस्कृति, पूर्व ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, मध्य, मुगल और उपनिवेश काल शामिल हैं और महत्वपूर्ण भवन और वस्तुए पाई गईं। स्थलों का ब्यौरा बजट प्रावधान और उपब्धियों का स्थलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अनुमान है कि 1995-96 के दौरान उत्खनन कार्य पर 18 लाख रूपये खर्च होंगे।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

विवरण

क्र.सं.	स्थल का नाम	अन्वेषण/उत्खनन कार्य के लिए 1994-95 में बजट आवंटन (रूपये लाखों में)	उपलब्धियां
1	2	3	4
1.	**दिल्ली**		
	लाल कोट, महरौली दिल्ली, दिल्ली मंडल द्वारा	4.5	राजपूत (11-12 ए.डी.) समय के निर्माण अवशेष; पुरावशेष जिनमें तांबे के सिक्के शामिल हैं; पक्की मिट्टी की लघु मूर्तियां, चीनी सेलाडान, शीशा, हाथीदांत, हड्डी एवं धातु की वस्तुएं।
2.	**गुजरात**		
	धोलावीरा, जिला कच्छ पुरातत्व संस्थान द्वारा	25	धौलावीरा पर पुरातात्विक उत्खनन अत्यधिक हड़प्पा स्थल के बारे में हैं। इस उत्खनन से हड़प्पा सभ्यता की चाहरदीवारी व्यवस्था, शहर योजना जल कार्य, अंत्येष्टि सामग्री का पता चला है और इससे हड़प्पा शहरीकरण के उत्थान और पतन का लगभग पूरा ब्यौरा भी मिला है।
3.	**गोवा**		
	सैंट अगस्टाइन चर्च	2.00	पहली मंजिल को जाने वाली सीढ़ियां, फारसी चतुष्कोण पत्थर, चीनी मृद्भांड और एक मकबरा।
4.	**कर्नाटक**		
	बनवासी, सिरली तालुक, जिला उत्तराखंड, कर्नाटक, बंगलोर मंडल द्वारा	4.45	शक-सतदाहना-सदम्ब कालों की पादर्थिक संस्कृति, सीसे की पोटीन और ताम्बे के सिक्के, मोहर, मोहरबंदी, कदम्ब शिला-लेख पक्की मिट्टी की लघु मूर्तियां, धातु की वस्तुएं ईंट से निर्मित स्तूप।
5.	**मध्यप्रदेश**		
	1. सांची जिला रायसेन	0.75	मठ के अवशेष, खंडित, मन्नत लेख (दूसरी शताब्दी ई.पू.) तथा लाल पालिश किए गए मिट्टी के बर्तन।
	2. सातधारा, जिला रायसेन		ईंटों से बने प्राचीन स्तूप के चारों और पत्थर का अहाता तांबे के सिक्के तथा दूसरी शताब्दी ई.पू. के मृद्भांड।
	3. कटवार, जिला मोरेना, भोपाल मंडल द्वारा		मृद्भांड, मनके, चूड़ियां, तांबे के सिक्के तथा कुछ भवन परम अवशेष।
	4. इटवाड तथा पीपरी जिला पश्चिम नीमार प्रागैतिहासिक शाखा	5.00	अग्नि स्थलों, सामुदायिक हाल, तांबे की वस्तुए तथा काले और लाल मिट्टी के बर्तनों के मृतिका शिल्प उद्योग जैसे पुरावशेषों के साथ गर्तावासों के रूप में ताम्रपाषाण संस्कृति

1	2	3	4
6.	**महाराष्ट्र**		
	1. चचगांव ताल, करद जिला सतारा औरंगाबाद मंडल द्वारा	0.75	दूसरी शताब्दी ए.डी. का एक स्तूप तथा विहार।
	2. मनसर जिला नागपुर उत्खनन शाखा नागपुर	1.25	गुप्त-वाकाटक काल के भवन, सिक्के, टेराकोटा सिक्के सांचा प्रस्तर मूर्ति, लौह वस्तुएं चांदी के आभूषण।
7.	**उड़ीसा**		
	1. बाराबटी किला जिला, पुरी भुवनेश्वर मण्डल द्वारा	2.00	एक महल परिसर के साथ एक मध्यकालीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष।
	2. कालकापटना, जिला पुरी भुवनेश्वर मण्डल द्वारा		मध्यकालीन एक स्थल जिसके तटवर्ती देशों से सम्पर्क थे और जहां से चीनी सिक्के प्राप्त हुए हैं।
8.	**तमिलनाडु**		
	जींजी, जिला विल्लुपुरम रामास्वामी, पाइयाचिचार महाबलीपुरम, मद्रास मंडल द्वारा	1.50	16 से 18 वीं शताब्दी के निर्मित जींजी में शाही परिसरों के अंदर रिहायशी भवन। महाबलीपुरम में उत्खनन से तटीय मंदिर के क्षेत्र के विस्तार का पता चला है।
9.	**उत्तर प्रदेश**		
	महेथ सरस्वती जिला: बहराइच उत्खनन शाखा पटना द्वारा	3.50	पूर्व ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक भवन चाहरदीवारी के अवशेष प्लेटफार्म, गृह-परिसर, पक्की मिट्टी की वस्तुएं और मनके आदि।

[हिन्दी]

इंजन के बिना रेलगाड़ी का चलना

1296. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जून, 1995 के 'राष्ट्रीय सहारा' में 'बिना इंजन की रेलगाड़ी 13 किलोमीटर दौड़ी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत किच्छा रेलवे स्टेशन के इस रेलवे सेक्टर में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ): (क) जी हां।

(ख) 17.6.95 को जब 5 सवारी डिब्बों को लालकुंआ स्टेशन पर लाईन सं. 8 पर लाया गया, वे स्टेशन से लुढ़क गए और लालकुंआ तथा किच्छा को बीच रूक गए। केवल एक सवारी डिब्बे में यात्री थे और शेष 4 सवारी डिब्बे खाली थे। कोई भी यात्री सवारी डिब्बे में से नहीं कूदा। इस घटना की अधिकारियों की एक समिति द्वारा जांच की गई थी जिन्होंने सवारी डिब्बों की अनुचित ढंग से संभाल के लिए 3 शंटिंग कर्मचारियों की जिम्मेदार पाया। उनके विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम और खंड में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

1. सवारी डिब्बों की समुचित संभाल करने के बारे में संबंधित कर्मचारियों को परामर्श दिया जा रहा है।
2. ऐसी अनियमितताओं की रोकथाम करने के लिए निरंतर निरीक्षण और जांचे भी की जा रही है।
3. गाड़ियों की रवानगी से पूर्व जांच की जाती है।
4. रात्रि कालीन जांच और क्षेत्र निरीक्षण गहन कर दिए गए है।
5. खंड पर तैनात कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की गई है और जिनमें कमी पाई गई है उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

जैव-विविधता कन्वेंशन

1297. **श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के अवर सचिव के साथ अंतिम बैठक के दौरान अमरीका द्वारा जैव-सम्मेलन में अपनाए गए जैव-विविधता कन्वेंशन में सुधार के संबंध में अति विलंब पर भारत की ओर से गहरी चिंता व्यक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अमरीकी अधिकारियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 1995 में संयुक्त राज्य अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के अण्डर सैक्रेटरी की भारत यात्रा के दौरान, अमरीकी पक्ष को यह बताया गया है कि चूंकि भारत ने जैव - विविधता कन्वेंशन की पहले ही अभिपुष्टि कर ली है, इसलिए अमरीका द्वारा शीघ्र अभिपुष्टि दोनों देशों के बीच जैव विविधता से संबंधित क्षेत्रों में व्यापार, वाणिज्य और वैज्ञानिक आदान-प्रदान के लिए अनुकूल होगी।

(ग) अमरीकी अण्डर सैक्रेटरी ने भारत के रूख को नोट किया।

सुपर बाजार में चोरी

1298. **श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी :**

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सुपर बाजार में चोरी की कितनी घटनाएं घटी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि 1993-94 और 1994-95 के दौरान सुपर बाजार में चोरी के मामलों की संख्या क्रमशः पांच और छः थी। यह सूचित किया गया है कि 1993-94 के दौरान उठाई-गीरी के 91 मामले सामने आए थे। वर्ष 1994-95 के दौरान उठाईगीरी के मामलों की वास्तविक संख्या सत्यापित की जा रही है।

(ख) सुपर बाजार एक स्वायत्त सहकारी समिति है। सुपर बाजार के प्रबंधकों को उठाईगीरी और चोरी की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होते हैं। अभी तक सरकार को इस संबंध में कोई कार्रवाई शुरू करने की जरूरत नहीं हुई है।

(ग) सुपर बाजार द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान चोरी और उठाईगीरी के कारण सुपर बाजार द्वारा उठाई गई हानि लगभग 81 लाख रूपये हैं।

आसनसोल में रेलगाड़ी का रूकना

1299. **श्री हराधन राय :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल के लोगों की दक्षिण पूर्व रेलवे के आसनसोल-बर्नपुर सेक्शन के बीच आसनसोल कोर्ट में रेलवे हाल्ट बनाने की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) आसनसोल जंक्शन तथा बर्नपुर के बीच आसनसोल कोर्ट में हाल्ट स्टेशन खोलने का प्रस्ताव लाइन क्षमता तंगियों के कारण न तो परिचालनिक दृष्टि से और न ही यात्री सुविधा आधार पर औचित्यपूर्ण पाया गया है क्योंकि यह क्षेत्र अच्छी सड़क सेवाओं द्वारा भली भांति सेवित है।

इमारती लकड़ी

1300. **श्री मनोरंजन भक्त :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वन विभाग और वन निगमों द्वारा प्रतिवर्ष सॉफ्टवुड, सुपीरियर हार्डवुड, स्टैंडर्ड और ओरनामेन्टल वुड कितनी-कितनी मात्रा में निकाली गई;

(ख) इस प्रकार निकाली गई लकड़ी के निपटान की वर्ष-वार स्थिति क्या है और वर्तमान शेष लकड़ी कितनी है; और

(ग) वन विभाग और वन निगमों द्वारा निकाली गई लकड़ी की वर्ष-वार कितनी मात्रा में क्षति हुई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी अध्ययन

1301. **श्री चन्द्रेश पटेल :**

श्री पैल्लीयम नन्दी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दि0 16 जुलाई, 1995 के "हिन्दुस्तान (हिन्दी दैनिक) में विश्व बैंक बिजली क्षेत्र में पर्यावरण पर अध्ययन करेगा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को गुजरात, आंध्र प्रदेश और बिहार आदि में विद्युत क्षेत्र में पर्यावरण से संबंधित मामलों पर विश्व बैंक द्वारा किए जा रहे अध्ययन की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस अध्ययन का उद्देश्य क्या है; और

(ङ) इसमें सरकार द्वारा क्या योगदान दिया जा रहा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ङ). जी, हां। सरकार ने विश्व बैंक द्वारा चलाए जाने वाले

विद्युत क्षेत्र में पर्यावरणीय मुद्दों के अध्ययन को मंजूरी दे दी है। इस अध्ययन को आंध्र प्रदेश, गुजरात और बिहार में किया जाना है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य वायु, जल और भूमि सहित पर्यावरण पर बिजली सृजन के विस्तार के पर्यावरणीय प्रभावों का पता लगाना तथा विभिन्न प्रशासक विकल्पों का सुझाव देना है। इस अध्ययन में देश में संबंधित अधिकारियों तथा विशेषज्ञों के साथ परस्पर सम्पर्क स्थापित करना शामिल है।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

1302. श्री जितेन्द्र नाथ दास :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सिलीगुड़ी को बड़ी रेल लाइन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जायेंगे?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस कार्य को 1995-96 में बिना-बारी कार्य के रूप में हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है, बशर्ते योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो जाए जिसे यह प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

रेलवे स्टेशन

1303. श्री थाइल जॉन अंजलोज :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में तटवर्ती रेल लाइन पर कायनकुलम और एर्णाकुलम के बीच स्थित

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस लाइन पर स्थित रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध आधारभूत यात्री सुविधाएं अपर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ). इस खंड के सभी स्टेशनों पर पर्याप्त मूलभूत यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की गई हैं। स्टेशनों का आगे सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा ऐसा तब किया जाता है जब यातायात की जरूरतों के अनुसार ऐसा करना अपेक्षित हो तथा यह धन की उपलब्धता तथा सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। तदनुसार, एर्णाकुलम जंक्शन में प्रकाश व्यवस्था में सुधार, प्लेटफार्म सायबानों की व्यवस्था/विस्तार, ऊपरी पैदल पुल का बदलाव तथा धुलनीय एप्रेन की व्यवस्था, एलेप्पी स्टेशन पर प्लेटफार्म। पर सायबान तथा कायनकुलम पर स्टेशन इमारत में सुधार, प्रतीक्षालय की व्यवस्था, प्लेटफार्म सायबानों के विस्तार आदि तथा शेर तल्लाई स्टेशन पर प्लेटफार्मों को ऊंचा उठाने/विस्तार करने से संबंधित कार्यों को शुरू किया गया है।

उपनगरीय रेलें

1304. श्री राम नाईक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई के उपनगरीय रेलों के स्टेशनों के रख-रखाव तथा सौन्दर्यीकरण के निजीकरण का क्या ब्यौरा है;

(ख) इन ठेकों के आवंटन करने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ग) मुम्बई में उपनगरीय रेल के कितने स्टेशनों पर निजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है;

(घ) निजी ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही यात्री सुविधाओं के क्या परिणाम रहे; और

(ङ) इन ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे कार्य का निरीक्षण करने के लिए रेल विभाग द्वारा तेयार की गई मशीनरी क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ). मुंबई उपनगरीय खण्ड पर छः स्टेशनों, जिनके नाम हैं: दादर, बांद्रा, खार रोड, अंधेरी, कांदीवली और बोरीवली, पर विनिर्दिष्ट स्थानों पर अनन्य विज्ञापन अधिकारों के बदले उनके सौंदर्यीकरण के लिए संविदाएं प्रदान की गई हैं। ठेकेदारों से दीवारों पर रंग-रोगन और सफेदी करने, थूकदानों और बेंचों की व्यवस्था करने, बगीचों का रख-रखाव करके स्टेशन को सुंदर बनाने को कहा गया है। इसके अलावा, ठेकेदारों को एक वार्षिक शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित होगा। ये संविदाएं बांद्रा और दादर स्टेशनों पर एकल निविदा के आधार पर और शेष चार स्टेशनों पर खुली निविदा के आधार पर प्रदान की गई है। ये संविदाएं प्रदान करके रेलवे द्वारा लगभग 9.60 लाख रुपये की बचत की गई है। इसके अलावा 18.35 लाख रु. की अतिरिक्त वार्षिक आमदनी वाणिज्यिक विज्ञापनों से अर्जित की गई है। इन स्टेशनों का समय-समय पर वाणिज्यिक और इंजीनियरी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

[हिन्दी]

रेल पटरियों की आवश्यकता

1305. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान देश में जोन-वार रेल पटरियों की आवश्यकता और वास्तविक उपलब्धता के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) रेल पटरियों का निर्माण किन-किन कारखानों में किया जाता है और ये कारखानें कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ग) क्या रेल पटरियों के निर्माण हेतु अपेक्षित लोहे की सम्पूर्ण मात्रा का भारत में ही उत्पादन किया जाता है अथवा इसका आयात किया जा रहा है; और

(घ) यदि आयात किया गया हो, तो इसका आयात किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई।

(ग) रेल पटरियों के निर्माण के लिए अपेक्षित लोहे की सम्पूर्ण मात्रा का उत्पादन भारत में किया जाता है

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) 1994-95 और 1995-96 के दौरान देश में रेल पटरियों की आवयकता और वास्तविक उपलब्धता का क्षेत्र-वार ब्यौरा इस प्रकार है :

(हजार टन में)

रेलवे	1994-95		1995-96	
	आवश्यकता	उपलब्धता	प्रक्षेपित आवश्यकता	प्रत्याशित उपलब्धता
मध्य	40	45	25	22
पूर्व	28	28	40	35
उत्तर	35	35	74	65
पूर्वोत्तर	17	12	24	21
पूर्वो. सीमा	13	10	18	16
दक्षिण	40	35	55	48
दक्षिण मध्य	68	70	74	65
दक्षिण पूर्व	67	70	65	57
पश्चिम	33	35	65	56
	341	340	440	385

समीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

1306. श्री येल्लैया नंदी :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के क्रियान्वयन की स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य आयोग की स्थिति	जिला मंचों की स्थिति
1	2	3
आंध्र प्रदेश	कार्यरत	22 कार्यरत
अरूणाचल प्रदेश	कार्यरत	12 कार्यरत
असम	कार्यरत	23 कार्यरत
गुजरात	कार्यरत	20 कार्यरत
बिहार	कार्यरत	39 कार्यरत
गोवा	कार्यरत	2 कार्यरत
हरियाणा	कार्यरत	16 कार्यरत
हिमाचल प्रदेश	कार्यरत	12 कार्यरत
कर्नाटक	कार्यरत	20 कार्यरत
केरल	कार्यरत	14 कार्यरत
मध्य प्रदेश	कार्यरत	45 कार्यरत
महाराष्ट्र	कार्यरत	31 कार्यरत
मणिपुर	कार्यरत	8 कार्यरत
मेघालय	कार्यरत	7 कार्यरत
मिजोरम	कार्यरत	3 कार्यरत
नागालैण्ड	कार्यरत	7 कार्यरत
उड़ीसा	कार्यरत	13 कार्यरत
पंजाब	कार्यरत	13 कार्यरत
राजस्थान	कार्यरत	30 कार्यरत
सिक्किम	कार्यरत	4 कार्यरत
तमिलनाडु	कार्यरत	22 कार्यरत
त्रिपुरा	कार्यरत	3 कार्यरत
उत्तर प्रदेश	कार्यरत	63 कार्यरत
पश्चिम बंगाल	कार्यरत	17 कार्यरत
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	कार्यरत	2 कार्यरत
चंडीगढ़	कार्यरत	1 कार्यरत
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	कार्यरत	1 कार्यरत
दिल्ली	कार्यरत	2 कार्यरत
दमन व दीव	कार्यरत	2 कार्यरत
लक्षद्वीप	कार्यरत	1 कार्यरत
पाण्डिचेरी	कार्यरत	1 कार्यरत

कार्य कर रहे राज्य आयोगों की संख्या : 31

कार्य कर रहे जिला मंचों की संख्या : 457

इसके अलावा एक राज्य आयोग और दो प्रभागीय मंच जम्मू और कश्मीर राज्य में कार्य कर रहे हैं, जहां उन्होंने एक अलग जम्मू और कश्मीर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया है।

"मंत्रालय में रिक्त पद"

1307. **श्री अमर रायप्रधान :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में वर्ग-वार कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं और ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ख) इन पदों को रिक्त रखे जाने के क्या कारण हैं और ये पद कब तक भर लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) मंत्रालय (मुख्य) में 31.7.1995 की स्थिति के अनुसार वर्ग-वार रिक्त पदों की कुल संख्या 78 थी और बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास स्थित वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालयों को छोड़कर इसके अधीनस्थ कार्यालयों में 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार 555 रिक्त पद थे। वर्गवार रिक्त पदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में बताया गया है।

(ख) रिक्त पदों को भरने में पदों की कुल संख्या पर 10 प्रतिशत सामान्य कटौती तथा मंत्रालय मुख्य और इसके अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यकरण में किए गए या किए जा रहे कार्य मापन अध्ययनों के परिणामों को ध्यान में रखा जायेगा। कार्यमापन अध्ययनों से अप्रभावित पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग आदि को भेज दिया गया है बशर्ते कि सभी पदों पर 10 प्रतिशत की सामान्य कटौती की जाए। इस अवस्था में रिक्त पदों को भरे जाने की निश्चित तारीख बताना संभव नहीं हैं।

विवरण

रिक्त पदों की संख्या	समूह "क"	समूह "ख"	समूह "ग"	समूह "घ"	कुल
मंत्रालय (वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय सहित)	22	43	5	8	78
अधीनस्थ कार्यालय (बम्बई, कलकत्ता, तथा मद्रास स्थित, वन्यजीव, क्षेत्रीय कार्यालयों को छोड़कर)	151	75	237	92	555

मसालों की फसलों के लिए अनुसंधान संस्थान

1308. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नियंत्रणाधीन विभिन्न मसालों की फसलों के लिए कोई पूर्ण विकसित अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित संस्थान द्वारा किन-किन मसालों की फसलों पर अनुसंधान संबंधी कार्य किया जायेगा;

(ग) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय मसालों की फसलों की समस्याओं से निपटने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में उक्त संस्थान के अंतर्गत क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, कालिकट, केरल का विस्तार किया गया और उसका नाम 1 जुलाई, 95 से भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान रख दिया गया है। कालिकट स्थित संस्थान काली मिर्च, अदरक, हल्दी और मसालों के पेड़ों से संबंधित कार्य करता है। जबकि कर्नाटक में अप्पनगला स्थित इस संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र में छोटी इलायची पर (अनुसंधान) कार्य करता है।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मसालों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के तहत समन्वयन केन्द्रों की स्थापना कर दी है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

केन्द्र का नाम	राज्य	फसल
1	2	3
1. पेन्नियार	केरल	काली मिर्च
2. पम्पादमपाड़ा	केरल	छोटी इलायची और काली मिर्च
3. कोयम्बटूर	तमिलनाडु	धनिया और मेथी
4. येरकौद	तमिलनाडु	काली मिर्च और मसाले के पेड़
5. गुंटूर	आंध्र प्रदेश	धनिया और मेथी
6. जगिताल	आंध्र प्रदेश	हल्दी
7. चिन्तापल्ली	आंध्र प्रदेश	काली मिर्च
8. पोट्टांगी	उड़ीसा	अदरक और हल्दी
9. मुदीगेरे	कर्नाटक	छोटी इलायची और काली मिर्च
10. सिरसी	कर्नाटक	काली मिर्च
11. जगुदान	गुजरात	जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी
12. जोबनेर	राजस्थान	जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी
13. सोलन	हिमाचल प्रदेश	अदरक
14. गंगटोक	सिक्किम	बड़ी इलायची
15. धौली	बिहार	हल्दी, धनिया और मेथी
16. हिसार	हरियाणा	धनिया, सौंफ, मेथी

इसके अलावा अभी हाल में में चार नए केन्द्रों को मंजूरी दी गई है जो इस प्रकार हैं :

17. दपौली	महाराष्ट्र	काली मिर्च और मसाले के पेड़
18. पुंडीबेरी	पश्चिमी बंगाल	काली मिर्च, अदरक, हल्दी और मसाले के पेड़
19. फैजाबाद	उत्तर प्रदेश	हल्दी, धनिया, सौंफ और मेथी
20. रायपुर	मध्यप्रदेश	धनिया, अदरक, हल्दी और सौंफ

[हिन्दी]

महिला समृद्धि योजना

1309. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने महिला समृद्धि योजना को शहरी क्षेत्रों तक बढ़ाने से इंकार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री वासवा राजेश्वरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बैन्जीन एकक को पर्यावरण संबंधी मंजूरी

1310. **श्रीमती सरोज दुबे :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मंत्रालय ने मंगलौर में प्रस्तावित बैन्जीन एकक को पर्यावरण संबंधी मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में किस प्रकार की आपत्तियां की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) सरकार को मंगलोर में प्रस्तावित बेन्जीन इकाई की पर्यावरणीय मंजूरी के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में नदी प्रदूषण

1311. **श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से बहराइच जिले में बहने वाली नदियों में जल प्रदूषण संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस जल प्रदूषण के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इस संबंध में कार्यवाही करने के पश्चात औद्योगिक एककों द्वारा प्रदूषण पर रोक लगाई गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) एवं (ख) उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सहकारी चीनी मिल नानपारा के बहि:स्राव के कारण सरयू नदी के प्रदूषण के संबंध में शिकायत मिली थी।

(ग) से (ङ). इस उद्योग को संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 25.9.94 को निर्देश दिए गए थे। इस उद्योग से प्राप्त सूचना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को टिप्पणियों एवं जांच के लिए भेजी गयी थी। इस जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि संबंधित उद्योग ने बहि:स्राव उपचार संयंत्र स्थापित कर दिया है तथा वह निर्धारित मानदण्डों को पूरा करता है।

[हिन्दी]

चावल उत्पादन योजना

1312. श्री राम पूजन पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष चावल उत्पादन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों को सम्मिलित किया गया है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को कोई विशिष्ट सहायता प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इलाहाबाद जिले में इससे कौन-कौन से विकास खंड लाभान्वित हो रहे हैं; और

(ङ) अब तक कितनी सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) चावल के विकास के लिये उत्तर प्रदेश के सभी चावल उत्पादक जिलों को चावल आधारित तथा गेहूं आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (स.अ.वि.का.-चावल तथा स.अ.वि.का.-गेहूं) के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

(ख) और (ग) इस योजना के द्वारा कृषकों को दी गई सहायता में प्रमाणित बीजों तथा अभिज्ञात किये गये बेहतर फार्म उपकरणों पर प्रोत्साहन शामिल हैं। इसके अलावा कम उत्पादकता वाले अभिज्ञात किये गये प्रखण्डों में क्षेत्र-प्रदर्शन तथा कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं।

(घ) समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल से इलाहाबाद जिले के सभी विकास प्रखंड को लाभ मिल रहा है। तथापि, क्षेत्र प्रदर्शन तथा कृषक प्रशिक्षण आयोजित किये जाने के लिये जिले के केवल कम उत्पादकता वाले प्रखण्डों नामत: शंकरगढ़, जसरा, मेजा, कोरांव, मन्डा, उरूआ, मन्झनपुर, कौशाम्भी, सरसावन, तथा फूलपुर, की पहचान की गई है।

(ङ) दी गई सहायता में प्रमाणित बीजों तथा अभिज्ञात किये गये बैल-चालित तथा हस्त चालित, उन्नतम फार्म उपकरणों पर प्रोत्साहन शामिल हैं। इसके अलावा अभिज्ञात किये गये प्रखण्डों में क्षेत्र प्रदर्शन तथा कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

तमिलनाडु की पारिस्थितिकीय प्रबंधन योजना

1313. डा0 (श्रीमती) के.एस. सौन्दम :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य में पारिस्थितिकी संरक्षण हेतु एक प्रबंधन योजना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए भेजी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना के संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय महिला आयोग

1314. श्री जनार्दन मिश्र :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने कामकाजी महिलाओं के हित में अनेकों सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन सुझावों को कार्यान्वित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) से (ङ). जी नहीं। तथापि, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कामकाजी महिलाओं और उनके पारिवारिक परिप्रेक्ष्य के संबंध में एक अध्ययन प्रायोजित किया है। संलग्न विवरण में दी गई अध्ययन रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों का सार आयोग द्वारा संबंधित मंत्रालयों को भेजा गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

विवरण

1. कार्यालय समय के दौरान बच्चों की देखभाल के लिये अच्छे स्तर के दिवस देखभाल केन्द्र अर्थात् शिशुगृह, कार्य के स्थान के निकट उपलब्ध कराये जाने चाहिये जिनमें पर्याप्त कर्मचारी और उपकरण हो।

2. हालांकि वाहन यातायात में बढ़ोतरी करने से शहर की सड़कों पर भीड़भाड़ बढ़ जायेगी किन्तु कार्यालय समय के दौरान कामकाजी महिलाओं के लिये लेडिस स्पेशल बसें पर्याप्त संख्या में चलाने के लिये तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिये ताकि महिलाएं कार्यालय के कार्य और घरेलू कार्यों के लिये समय और शक्ति बनाये रख सकें।

3. कामकाजी महिलाओं को किराये के आधार पर अथवा स्व-वित्त स्कीमों के अन्तर्गत आवास आवंटित करने में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

4. नियोक्ताओं द्वारा प्रत्येक कार्यालय में महिलाओं के लिये कॉमन रूम, स्वच्छ शौचालयों और प्राथमिक चिकित्सा किटों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

5. घर और नौकरी के दोहरे दायित्व के निर्वाह के लिये कामकाजी महिलाओं के सेवा संबंधी कुछ नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है। छः महीने का प्रसूति अवकाश (पूरी नौकरी में दो बार) मंजूर किये जाने की जरूरत है ताकि माताएं बच्चों को स्तनपान करा सकें। प्रथम छः माह बच्चे के विकास के लिये महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

6. महिलाओं के कामकाज के समय के बारे में विशेष रियायत होनी चाहिये।

7. जो महिलाएं इन दिनों सप्ताह में छः दिन काम पर जाती हैं उनके कार्य दिवसों को सप्ताह में पांच दिन करने की आवश्यकता है।

8. नियमित अन्तराल पर पर्यवेक्षकों तथा महिला कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहियें ताकि वे एक दूसरे को समझ सकें और आपस में तालमेल बिठा सकें और कार्यालय तथा घर में एक उपयुक्त माहौल रखने में मदद दे सकें।

9. समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो और दूरदर्शन जैसे प्रचार के विभिन्न माध्यमों के जरिये परिवार के सदस्यों के लिये जागृति कार्यक्रम आयोजित किये जाने अपेक्षित हैं जिनमें परिवार व्यवस्था में उनकी भूमिका पर बल दिया गया हो।

10. महिलाओं की डॉक्टरी देखभाल अत्यंत अनिवार्य है और प्रत्येक नियोक्ता संगठन का यह मुख्य लक्ष्य होना चाहिये कि वे प्राइवेट क्लीनिकों, सरकारी औषधालयों अथवा चिकित्सकीय खर्च की प्रतिपूर्ति द्वारा यह सुविधा अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराएं।

[अनुवाद]

रेल पुल

1315. श्री राम सिंह कस्वां :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे इलेक्ट्रानिक-इन-मोशन वे पुल लगा रहा है और मेकैनिकल वे पुलों के स्थन पर इलेक्ट्रानिक वे पुल भी लगा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किस स्थान में यह कार्य आरम्भ किया गया है; और

(घ) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में 16 अदद इलेक्ट्रानिक गतिमान तौल पुलों के प्रापण के लिए विकासात्मक क्रयादेश दिए गए हैं। फर्म द्वारा सप्लाई की गई 2 अदद प्रोटोटाइप इकाइयों का क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है।

(ग) प्रोटोटाइप इकाइयों को अण्डाल/पूर्व रेलवे और वीरमग्राम/पश्चिम रेलवे पर संस्थापित किया गया है। अन्य प्रस्तावित स्थान हैं: अण्डल/पूर्व रेलवे, दूण्डला और रोजा/उत्तर रेलवे, कटनी मारवाड़/मध्य रेलवे, बसुगांव/पूर्वोत्तर रेलवे, पश्चिमी गुंतकल/दक्षिण मध्य रेलवे, चांपा/दक्षिण पूर्व रेलवे और निम्नलिखित कार्यशालाएं:

लिलुआ/पूर्व रेलवे, झांसी/मध्य रेलवे, पेराम्बूर/दक्षिण रेलवे, जगाधरी/उत्तर रेलवे, रायपुर और खड़गपुर/दक्षिण पूर्व रेलवे और गुंटापल्ली/दक्षिण मध्य रेलवे।

(घ) 16 तौल-पुलों के लिए कुल लगभग 1.8 करोड़ रु.।

कलकत्ता में राष्ट्रीय ग्रंथालय

1316. श्री चित्त बसु :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये विवादों के उभरने से कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय ग्रंथालय की स्थिति और भी बिगड़ गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इन विवादों का ब्यौरा क्या है और इन्हें हल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में) उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

1317. श्री एस.एम. लालजान बाशा :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1994-95 के दौरान कितने कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए;

(घ) क्या इस योजना की समीक्षा करने का कोई विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस समीक्षा का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) विनियम, 1971 के विनियम 22-क में निर्दिष्ट है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है

(ग) भारतीय खाद्य निगम के आंचलिक, क्षेत्रीय और जिला कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

22-क 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लेने पर कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति

(1) कोई भी कर्मचारी 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लेने के बाद किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप से कम से कम तीन महीने का नोटिस देकर निगम की सेवा से सेवा-निवृत्त हो सकता है।

स्पष्टीकरण :

अर्हक सेवा से अभिप्राय किसी कर्मचारी द्वारा प्रशिक्षु के रूप में की गई सेवा और छुट्टी वेतन के बिना असाधारण छुट्टी को छोड़कर 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद निगम में की गई सेवा से है।

प्रबन्ध निदेशक किसी कर्मचारी द्वारा निगम में कार्यभार ग्रहण करने से पहले सरकार अथवा किसी सरकारी या प्राइवेट उपक्रम में की गई पूरी सेवा अथवा उसके किसी भाग की निगम में अर्हक सेवा के रूप में घोषणा करें लेकिन निगम में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सेवा में कोई व्यवधान न हो।

केन्द्रीय सरकार ने नियमों और आदेशों के अधीन पेंशन संबंधी लाभों के प्रयोजन के लिए, किसी सरकार अथवा प्राइवेट उपक्रम में की गई सेवा की अर्हक सेवा के रूप में गणना नहीं की जाएगी।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के लिए दिये गये नोटिस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार करना अपेक्षित होगा।

@ (3) इस विनियम के अधीन निगम के कर्मचारी द्वारा अवधारित सेवा-निवृत्ति की तारीख को अर्हक सेवा की अवधि 5 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए बढ़ाई जाएगी लेकिन शर्त यह होगी कि निगम के कर्मचारी द्वारा की गई कुल अर्हक सेवा किसी भी दशा में 33 वर्ष से अधिक नहीं होगी और उसकी आयु सेवा-निवृत्ति की आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए।

@ दिनांक 26.7.1990 की अधिसूचना संख्या 1-15/75-वाल्यूम-5 द्वारा संशोधित (1990 का तीसरा संशोधन)

परन्तु कि उप-विनियम के अधीन अवधि बढ़ाने के बाद कुल अर्हक सेवा अर्हक सेवा से अधिक नहीं होगी, जो उसने उस दशा में की होती जब वह इन विनियमों के विनियम 22 के उप-विनियम (2) के अधीन निर्धारित ऐसी सेवा-निवृत्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा पर स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त हो गया होता।

(4) (क) उप-विनियम (1) में उल्लिखित कोई कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी से कारण बताते हुए लिखित में अनुरोध कर सकता है कि उसका स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के लिए दिया गया नोटिस तीन महीने से कम अवधि में स्वीकार कर लिया जाए।

(ख) खण्ड (क) के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, उप-विनियम (2) के उपबंधों के अधीन, तीन महीने के नोटिस की अवधि को कम करने विषयक अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है और यदि वह इस बात से सन्तुष्ट है कि नोटिस की अवधि कम करने से कोई प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी तीन महीने का नोटिस देने की अपेक्षा को इस शर्त पर शिथिल कर सकता है कि निगम का कर्मचारी तीन महीने के नोटिस की अवधि समाप्त होने से पहले अपनी पेंशन के किसी भाग का लघुकरण (कम्यूट) करने के लिए आवेदन नहीं करेगा।

(5) इस विनियम के अधीन दी जाने वाली पेंशन/उपदान की राशि इस संबंध में संगत विनियमों के तहत् किए गए अन्य उपबंधों के अध्यधीन होगी। अर्हक सेवा में 5 वर्ष से अनधिक वृद्धि से निगम के स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त होने वाले किसी कर्मचारी को पेंशन और/अथवा उपदान, जो सेवा-निवृत्ति की तारीख के संदर्भ में गणना की गई वास्तविक परिलब्धियों के आधार पर होगी, की गणना करने के प्रयोजन के लिए वेतन का सांकेतिक निर्धारण करवाने का हक नहीं होगा।

अर्हक सेवा में वृद्धि से निगम के अंशदायी भविष्य निधि विनियमों द्वारा शासित कोई कर्मचारी निगम द्वारा अर्हक सेवा में ऐसी वृद्धि के लिए अंशदायी भविष्य निधि में कोई अंशदान करवाने का भी हकदार नहीं होगा।

(6) निगम के कर्मचारी को, जिसे इस विनियम के अधीन सेवा-निवृत्त होने की अनुमति दी गई है और जिसने सक्षम प्राधिकारी को इस आशय का आवश्यक नोटिस दे दिया है, ऐसे प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना अपना नोटिस वापस लेने की अनुमति न दी जाए।

परन्तु यह कि नोटिस वापस लेने का अनुरोध सेवा-निवृत्ति की अवधारित तारीख से पहले किया जाएगा।

(7) यह विनियम निगम के उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों/सरकारी उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं अथवा इन संगठनों में चले गए हैं और जिन्होंने अपने आपको वहां खपा लेने का प्रस्ताव किया हैं

[हिन्दी]

वृक्षारोपण

1318. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री महेश कनोडिया :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य-वार कुल कितने वृक्ष लगाये जाने का लक्ष्य है; और

(ख) इसके लिए राज्यवार कुल कितनी सहायता दी जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों के लक्ष्य (1) निजी भूमि पर रोपण हेतु "पौध वितरण" के लिए और (2) वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि के "सम्मिलित क्षेत्र" के लिए प्रतिवर्ष निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 1995-96 के राज्यवार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) वृक्षारोपण कार्यकलाप, राज्य सरकारों/संघ राज्यों द्वारा अपनी योजना में उपलब्ध धनराशि के आधार पर केन्द्रीय मंत्रालयों यथा कृषि, ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण और वन की सहायता से उनकी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के तहत और विदेशी धनदाता एजेंसियों के माध्यम से चलाए जाते हैं। इस सहायता की मात्रा राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं और उनके द्वारा अपनी और से उपलब्ध कराई गई धनराशि आदि के ऊपर निर्भर करेगी।

विवरण

20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1995-96 के लिए वनीकरण/वृक्षारोपण के राज्यवार लक्ष्य

हैक्टेयर क्षेत्र
लाख पौध

राज्य/संघ-राज्य	लक्ष्य: सम्मिलित क्षेत्र	लक्ष्य: पौध वितरण
1	2	3
1. आंध्र पेदश	45000.00	1100.00
2. अरूणाचल प्रदेश	9078.00	7.00
3. असम	27500.00	27.50
4. बिहार	55000.00	825.00
5. गोवा	2090.00	38.50
6. गुजरात	59400.00	1650.00
7. हरियाणा	29700.00	250.00
8. हिमाचल प्रदेश	26200.00	22.00
9. जम्मू और कश्मीर	22000.00	60.00
10. कर्नाटक	52800.00	495.00
11. केरल	17600.00	330.00
12. मध्य प्रदेश	148500.00	495.00*
13. महाराष्ट्र	133100.00	1100.00*
14. मणिपुर	11000.00	33.00
15. मेघालय	22000.00	82.50
16. मिजोरम	19800.00	22.00
17. नागालैंड	8250.00	82.50
18. उड़ीसा	79200.00	330.00
19. पंजाब	18700.00	49.50
20. राजस्थान	86900.00	330.00
21. सिक्किम	10120.00	22.00
22. तमिलनाडु	82500.00	1100.00
23. त्रिपुरा	8500.00	23.65
24. उत्तर प्रदेश	101200.00	2000.00
25. पश्चिम बंगाल	41800.00	833.80
26. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3300.00	5.00
27. चंडीगढ़	495.00	0.00
28. दादर व नगर हवेली	1100.00	15.95
29. दमन व द्वीव	165.00	1.10
30. दिल्ली	500.00	15.00
31. लक्षद्वीप	66.00	4.51
32. पांडिचेरी	220.00	4.40
	11,23,784.00	11,354.91

* विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के जारी रहने के आधार पर लक्ष्यों में वृद्धि कर संशोधित किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

चीनी का आयात

1319. **डा० रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री अमरपाल सिंह :
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी का आयात 383.50 डालर प्रति टन की दर से किया गया था;

(ख) क्या ब्राजील से चीनी लागत एवं मालभाड़ा सहित 270 डालन प्रति टन डिलीवरी हेतु उपलब्ध थी;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण कुल कितनी धनराशि का घाटा हुआ है; और

(घ) क्या इस संबंध में दोषी पाए गये व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. के अनुसार जुलाई से सितम्बर, 1994 की अवधि के दौरान उनकी दिनांक 28.6.1994 की निविदा की एवज में दो चीनी कार्गो 383.50 प्रति मी. अन अमेरिकी डालर सी. एंड एफ.एफ.ओ. खरीदे गए। आगे, भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि. के अनुसार 1994-95 के दौरान भारतीय बंदरगाह से 383.04 प्रति मी. टन

अमेरिकी डालर भारित औसत मूल्य पर 5.05 लाख टन रिफाइंड/क्रिस्टल चीनी आयात की गई।

(ख) जैसा कि एस.टी.सी. तथा एम.एम.टी.सी. द्वारा सूचित किया गया है 270.00 प्रति मी. टन सी. एंड एफ अमेरिकी डालर पर कोई वैध प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

चीनी की बिक्री

1320. श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उत्तरी भाग में चीनी मिलों से चीनी की खुले बाजार में बिक्री हेतु बिचौलिए और दलाल सक्रिय हैं;

(ख) क्या ये बिचौलिए विभिन्न जिलों के लाइसेंस धारक थोक विक्रेताओं के लिए सीधे चीनी मिलों से चीनी खरीदते हैं;

(ग) क्या इन बिचौलियों के कारण चीनी के मूल्यों में उतार-चढ़ाव आते हैं जिसके परिणामस्वरूप चीनी के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है; और

(घ) क्या सरकार लाइसेंसधारकों को चीनी मिलों से सीधे चीनी उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था करेगी?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्र और समेकित की जा रही हैं

(घ) मुक्त बिक्री की चीनी के वितरण की वर्तमान व्यवस्था में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि मासिक रूप से रिलीज की गई मुक्त बिक्री की मात्रा उत्पादक द्वारा देश में चीनी का व्यापार करने वाले किसी लाइसेंसधारी चीनी व्यापारी को बेची, प्रेषित अथवा सुपुर्द की जानी अपेक्षित होती है। यह बिक्री, प्रेषण अथवा सुपुर्दगी मुक्त बिक्री निर्मुक्ति आदेश (फ्री सेल रिलीज आर्डर) में दी गई विशिष्ट अवधि के अन्दर ही की जानी होती है।

नकदी फसलें

1321. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में तथा विशेष रूप से पंजाब तथा बिहार में नकदी फसलों को बढ़ावा देने तथा इस प्रयोजनार्थ सहायता प्रदान करने संबंधी योजना तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा नकदी फसलों के उत्पादकों को लाभान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम और गन्ना आधारित फसल प्रणाली के स्थायी विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना पंजाब और बिहार राज्य में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत नव विकसित उत्पादन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, क्वालिटी बीज उत्पादन और उन्नत औजारों के वितरण आदि पर किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए सहायता दी जा रही है।

(ग) नकदी फसलों के उत्पादक, 1995-96 और 1996-97 के दौरान उपर्युक्त योजनाओं से लाभ प्राप्त करते रहेंगे।

[अनुवाद]

रेल लाइन

1322. श्री अन्ना जोशी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे की 3 मार्च, 1995 तक पनवेल-करजत लाइन के आवश्यक भूमि के अधिग्रहण संबंधी कार्य पूरा करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिग्रहण कार्य पूरा हो चुका है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है और

(घ) निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). मध्य रेलवे की मार्च 1996 से पहले भूमि अधिग्रहण करने की योजना है। राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण करने की कार्रवाई कर रही है। रेलवे की ओर से कोई विलंब नहीं हुआ है।

(घ) कार्य को 1996-97 में शुरू करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो जाए।

[हिन्दी]

मंदिरों का संरक्षण

1323. श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा वाराहनाथ और त्रिलोचनेश्वर मंदिरों के राजस्व आंकड़ों की जांच और उन्हें सुरक्षित केन्द्रीय स्मारकों के रूप में घोषित करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा;

(ख) क्या आरम्भिक अधिसूचनाओं द्वारा जनता से शिकायतें आमंत्रित की गई हैं और उनका निपटारा कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इन मंदिरों को कब तक सुरक्षा प्रदान कर दी जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां। वाराहनाथ और त्रिलोचनेश्वर मंदिरों को केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रूप में घोषित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन मंदिरों से संबद्ध राजस्व आंकड़ों की जांच कर ली है।

(ख) और (ग) जी, हां। तथापि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जनता या किसी अन्य एजेंसी से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वाराहनाथ और त्रिलोचनेश्वर मंदिर को केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रूप में घोषित करने हेतु इस मामले को अंतिम अधिसूचना की पुनरीक्षा के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय को भेज दिया गया है।

घी और दूध की कमी

1324. **श्री लाल बाबू राय :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अभी भी दूध की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली में गत छः माह के दौरान प्रतिमाह दूध की कितनी मात्रा की आपूर्ति की गई और इसकी मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में कम थी अथवा अधिक थी;

(घ) क्या गत छः माह के दौरान शुद्ध घी, दूध और अन्य दुग्ध उत्पादों के मूल्य गत दो वर्षों की इसी अवधि के मूल्यों की तुलना में कहीं अधिक रहे;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन वस्तुओं की कमी और मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(च) क्या सरकार ने दिल्ली में शुद्ध घी, दूध और अन्य दुग्ध उत्पादों की कमी को दूर करने के लिए इन वस्तुओं का आयात किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेयरी विगत छः महीनों के दौरान दिल्ली में हर महीने आपूर्ति की गई दूध की मात्रा संलग्न विवरण के अनुसार है। तथापि, निजी डेयरियों तथा अन्य असंगठित क्षेत्रों द्वारा आपूर्ति की गई दूध की मात्रा उपलब्ध नहीं है। दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेयरी दूध की यह आपूर्ति गत वर्ष की तुलना से अधिक है।

(घ) और (ङ) विगत छः माह के दौरान पिछले दो वर्षों की इसी अवधि की तुलना में दूध, शुद्ध घी तथा अन्य दुग्ध उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि कुल मिलाकर आहार, चारा तथा अन्य तकनीकी आदानों की कीमतों में वृद्धि होने के कारण हुई है जिसकी वजह से उत्पादन लागत में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि हो जाती है। फिर भी, दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा आपूर्ति की गई दूध के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(च) और (छ). दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेयरी सहित डेयरियों की सहायता करने तथा तरल दूध की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने बटर ऑयल, पूर्ण मलाई युक्त दुग्ध चूर्ण तथा स्किम्ड दुग्ध चूर्ण का आयात किया है। अगस्त, 1994 से आगे भारत में अब तक प्राप्त इनकी मात्राएं इस प्रकार है :-

बटर ऑयल	9215 मीटरी टन
पूर्ण मलाई युक्त दुग्ध चूर्ण	4500 मीटरी टन
स्किम्ड दुग्ध चूर्ण	2000 मीटरी टन

विवरण

मदर डेयरी और दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा फरवरी से जुलाई के दौरान क्रमशः 1994 तथा 1995 में आपूर्ति की गई दूध की मात्रा

मदर डेयरी

	1994 (लाख लिटर/दिन)	1995 (लाख लिटर/दिन)
फरवरी	5.54	7.43
मार्च	5.82	7.41
अप्रैल	6.39	8.02
मई	6.62	8.05
जून	6.26	7.70
जुलाई	6.44	7.87

दिल्ली दुग्ध योजना

	1994 (लाख लिटर/दिन)	1995 (लाख लिटर/दिन)
फरवरी	3.69	2.96
मार्च	3.75	2.99
अप्रैल	3.80	3.21
मई	3.66	3.18
जून	3.74	3.18
जुलाई	3.76	3.21

[अनुवाद]

स्कूलों में नामांकन

1325. **श्री खेलनराम जागड़े :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे पब्लिक स्कूलों में चौदह वर्ष की आयु वर्ग के कितने-कितने बच्चों के नाम दर्ज हैं;

(ख) सरकारी और पब्लिक स्कूलों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना-कितना है;

(ग) क्या सरकारी स्कूलों की तुलना में पब्लिक स्कूलों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) पांचवे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार छह से चौदह आयु-वर्ग में 96 प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों, स्थानीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों में नामांकित थे तथा लगभग 4 प्रतिशत बच्चे प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों में नामांकित थे।

(ख) से (घ). कई राज्यों में कक्षा पांच अथवा कक्षा आठ स्तर पर सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाती हैं। अत: यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। तथापि, एक राज्य में किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि सरकारी स्कूलों की निष्पादन क्षमता प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की तुलना में बेहतर है। आपरेशन ब्लैकबोर्ड, शिक्षक प्रबोधन तथा शिक्षण दृष्टिकोण के न्यूनतम स्तर की योजनाओं का मूल उद्देश्य कक्षा-कक्ष-परिवेश तथा शिक्षण स्तर में सुधार करना है। [हिन्दी]

चीनी का मूल्य

1326. श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1995-96 के लिए चीनी का मूल्य निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार को चीनी के निर्धारित मूल्य के अभाव में सामान्य उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधाओं की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ङ). सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी की बिक्री करने हेतु पूरे देश के लिए 9.05 रूपये प्रति किलोग्राम के एक समान खुदरा मूल्य निर्धारित हैं। यह मूल्य 1.2.1994 से निर्धारित किया गया था, और फिलहाल भी जारी है। इसके अलावा, बाजार मूल्यों पर भी चीनी उपलब्ध है जिन्हें मुक्त बिक्री के कोटे की निर्मुक्तियों को सावधानी-पूर्वक विनियमित करके नियंत्रित किया जाता है ताकि ये उपभोक्ता की सुविधा के अनुकूल बने रहें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य

1327. श्री गुमान मल लोढ़ा :
श्री नीतीश कुमार :
श्री डी0 वेंकटेश्वर राव :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री अरविन्द त्रिवेदी :
श्री नवल किशोर राय :
श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बेचे जाने वाले खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को कम करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्होंने खाद्यान्नों के कितने-कितने मूल्य कम करने का अनुरोध किया है;

(ग) क्या इन वस्तुओं की बाजार में भी कम कीमत है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग). कुछ राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में 25 प्रतिशत कमी करने के लिए अनुरोध किया है क्योंकि देश के कुछ भागों में उचित दर दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों के खुदरा मूल्य लगभग खुले बाजार के मूल्यों बराबर है।

(घ) वर्तमान केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर गेहूं और चावल जारी करने से भी सरकार पर भारी सब्सिडि का भार पड़ रहा है। 1.2.1994 के पश्चात् खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य में वृद्धि नहीं की गई है।

उड़ीसा में मछली पालन

1328. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में मछली पालन हेतु ग्रामीण शिक्षित युवकों को कितनी सहायता राशि दी गई है;

(ख) राज्य में मृदु एवं खारा जल में मछली पालन के लिए शुरू की गई योजनाओं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक मामले में दी गई सहायता राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) सहायता राशि देने हेतु निर्धारित दिशा-निर्देश क्या है; और

(घ) राज्य में मछली/झींगा पालन के लिए किसानों तथा युवकों को प्रशिक्षण देने हेतु इस समय कितने प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) उड़ीसा में ग्रामीण युवाओं सहित किसानों को जल-कृषि संबंधी क्रियाकलापों के लिये ताजा जल एवं खारा जल मछली पालन विकास की चल रही परियोजनाओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

(ख) ताजा जल और खारा जल मछली पालन विकास की योजना को राज्य द्वारा चालू केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत मत्स्य पालक विकास एजेन्सियों और खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। ये एजेंसियां मत्स्य/शिल्प पालकों को तकनीकी वित्तीय तथा विस्तार सहायता एक मुश्त प्रदान करती हैं। ताजा जल मछली पालन के अंतर्गत नये तालाबों

के निर्माण, तालाबों और टैंकों के पुनरूद्धार, आदानों, बहते जल में मत्स्य पालन, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एरेटरों, समेकित मत्स्य पालन बीज हैचरियों और आहार मिलों की स्थापना आदि के लिए सहायता दी जाती है। खारा जल मछली पालन मामले में श्रिम्प फार्मों, आदानों श्रिम्प हैचरियों आदि के लिये सहायता दी जाती है। विगत दो वर्षों के दौरान मत्स्य पालक विकास एजेंसियों और खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के लिये उड़ीसा को दी गयी सहायता निम्नलिखित है :

(लाख रूपये में)

योजना	1993-94	1994-95
1. ताजा जल मछली पालन विकास	76.00	57.00
2. खारा जल मछली पालन विकास	71.53	15.90

(ग) मत्स्य पालक विकास एजेंसियों/खारा पानी मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के माध्यम से ताजा जल/खारा जल मछली पालन के विकास के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता इन योजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रमों की वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति के आधार पर जारी की जाती है।

(घ) मत्स्य/श्रिम्प पालन में किसानों तथा युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिये उड़ीसा को मत्स्य पालक विकास एजेंसी कार्यक्रम और खारा पानी मत्स्य पालक विकास एजेंसी कार्यक्रम के अंतर्गत एक-एक अर्थात दो प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए स्वीकृति दी गयी है।

महाराष्ट्र में दुग्ध उत्पादन

1329. श्री दत्ता मेघे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में दुग्ध उत्पादन का राष्ट्रीय औसत कितना है और इसमें महाराष्ट्र का कितना योगदान है;

(ख) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में दुग्ध उत्पादन के स्तर को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) 1992-93 के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार, 181 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति की उपलब्धता के संदर्भ में दुग्ध उत्पादन 138 ग्राम है।

(ख) राज्य सरकार के कार्यक्रमों के अलावा, महाराष्ट्र में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय/केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है :-

(1) हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी तथा संतति परीक्षण कार्यक्रम का विस्तार।

(2) आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता।

(3) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना।

(4) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता।

(5) राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम।

(6) गैर-ऑपरेशन फलड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम।

(7) ऑपरेशन फलड-3 के अंतर्गत कार्यक्रम।

(ग) से (ङ). महाराष्ट्र ऑपरेशन फलड के अंतर्गत 1993 से शामिल है। इसने राज्य के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की दिशा में भारी योगदान दिया है। यह कार्यक्रम सहकारी प्रणाली पर आधारित है। 31.3.95 की स्थिति के अनुसार ऑपरेशन फलड के अंतर्गत राज्य में लगभग 10.4 लाख रूपये की कुल सदस्यता के साथ. 11811 डेयरी सहकारी समितियों को संगठित किया गया हैं।

[अनुवाद]

महिला संगठनों की सिफारिशें

1330. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के लगभग एक सौ महिला संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र से "टुवार्डस बीजिंग : ए पर्सपैक्टिव फ्रॉम दि इंडियन विमेन्स मूवमेंट" नामक संयुक्त दस्तावेज में महिलाओं के शोषण और पर्यावरण के ह्रास संबंधी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु न्यायिक शक्तियां प्राप्त किसी निगरानी संस्था का गठन करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार ने इस दस्तावेज का अनुमोदन और समर्थन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें की गई मुख्य-मुख्य सिफारिशें कौन-कौन सी है और संयुक्त राष्ट्र की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय प्रलेख को अंतिम रूप देते समय "टूवडर्स बीजिंग : ए पर्सपैक्टिव फ्रॉम द इण्डियन वीमैंस मूवमेंट" नामक दस्तावेज में अभिव्यक्त किए गए विचारों के साथ-साथ अन्य गैर-सरकारी संगठनों तथा व्यक्तियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को भी ध्यान में रखा गया। इस राष्ट्रीय प्रलेख को बीजिंग, चीन में 4-15 सितम्बर, 1995 को होने वाले चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन में भारत सरकार की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। दस्तावेज में मुख्य सिफारिशें आर्थिक नीतियों के प्रभाव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शिक्षा, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक रूढ़िवाद, कानून, मीडिया, परिवार, राजनीतिक भागीदारी तथा महिलाओं के साथ हिंसा से संबंधित हैं।

चंदन की लकड़ी के निर्यात पर प्रतिबंध

1331. **प्रो0 उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलू :**
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1992 में सभी प्रकार की चंदन की लकड़ी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था और अब यह एक प्रतिबंधित मद है और यह निर्यात न किए जाने वाली वस्तुओं की सूची में आती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस वर्ष के शुरू में इसके प्रतिबंध पर छूट दी थी और चंदन की लकड़ी की एक विशिष्ट मात्रा "एक मुश्त सौदे" में जापान को निर्यात करने की अनुमति दी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रतिबंध में छूट के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या चंदन की लकड़ी के निर्यात पर प्रतिबंध के परिणामस्वरूप कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार के वन विभाग के गोदामों में बहुत अधिक मात्रा में चंदन की लकड़ी एकत्र हो गई तथा इन राज्य सरकारों और चंदन की लकड़ी के विभिन्न निर्यातक संघों ने उनके मंत्रालय से 1500 मी0 मीट्रिक टन चंदन की लकड़ी के निर्यात हेतु अनुमति देने और इस पर लगे प्रतिबंध पर एक बार छूट देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय से सिफारिश करने के लिए अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या उक्त अनुरोध को ध्यान में रखते हुए उनके मंत्रालय ने कर्नाटक और तमिलनाडु में चंदन की लकड़ी के निर्यातकों को 1500 मीट्रिक टन चंदन की लकड़ी के लिए एक बार छूट और अनुमति देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय से सिफारिश की है; और

(ज) यदि हां, तो वाणिज्य मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) आयात-निर्यात नीति, 1992-97 के अनुसार किसी भी रूप में चंदन की लकड़ी के सामान्य स्थिति का निषेध सूची के भाग-1 में शामिल किए गए हैं किन्तु इनमें चंदन की लकड़ी से बनाए गए पूर्णत: तैयार हस्तशिल्प की वस्तुएं और मशीन से तैयार किए गए चंदन की लकड़ी के उत्पादन शामिल नहीं है। 1.4.1992 से पूर्व टुकड़ों बुरादे और फाहों के रूप में चंदन की लकड़ी के निर्यात की अनुमति थी, किंतु लट्ठों के रूप में इसके निर्यात पर प्रतिबंध था। टुकड़ों, बुरादे और फाहों के रूप में भी चंदन की लकड़ी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि निर्यात के लिए लट्ठों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटने को निरूत्साहित किया जा सके और उसके द्वारा अवैध कटाई की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

(ग) और (घ). जी हां। जापान के एक मंदिर में बौद्ध मूर्तियों की नक्काशी के लिए एक बारगी रियायत के रूप में 23 मीट्रिक टन चंदन के लट्ठों का जापान को निर्यात करने की अनुमति दी गई।

(ङ) से (छ) तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य सरकारों और कुछ चंदन निर्यात संघों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर पर्यावरण और वन मंत्रालय ने विदेश व्यापार महानिदेशक, वाणिज्य मंत्रालय से 1500 मीट्रिक टन चंदन की लकड़ी के भीतरी हिस्से के टुकड़ों, मिश्रित टुकड़ों और फाहों तथा 500 मीट्रिक टन चंदन के बुरादे के निर्यात की अनुमति देने के लिए प्रतिबंध में एक बार ढील देने की सिफारिश की है।

(ज) पर्यावरण और वन मंत्रालय का प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

नालंदा का परिरक्षण

1332. **श्री विजय कुमार यादव :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नालंदा (बिहार) का प्राचीन एवं ऐतिहासिक शैक्षणिक विरासत के विकास की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इनके विकास हेतु कोई समयबद्ध योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) पाली भाषा एवं साहित्य और बौद्ध शास्त्र में स्नातकोत्तर अध्ययन के प्रति समर्पित नव नालंदा महा-विहार नामक एक संस्था, नालंदा, महाविहार में पहले से मौजूद है। इस संस्था को बिहार सरकार द्वारा 1951 में स्थापित किया गया था।

(ख) और (ग) इसके संपूर्ण विकास को सुकर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने बिहार सरकार के परामर्श से नव नालंदा महा-विहार का प्रशासन और प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है। 25.2.94 से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत यह एक स्वायत्त सोसायटी है और भारत सरकार, संस्कृति विभाग के द्वारा पूर्णत: वित्त पोषित है।

इसका प्रबंध हाथ में लेने के बाद संस्था के भवन की मरम्मत के लिए प्रारंभ में 11.59 लाख रूपये की राशि मंजूर की गई है। इसके अतिरिक्त, संस्था के शिक्षण और शिक्षणेत्तर दोनों तरह के स्टाफ की आवश्यकताओं की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की गई है।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें।

1333. श्री एन. के. बालियान :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के मेरठ/मुजफ्फरनगर जिले में एक चीनी मिल की स्थापना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त चीनी मिल की स्थापना कब तक की जाएगी और यह कब तक उत्पादन शुरू कर देगी?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93 से 1996-97), 30.6.95 के दौरान, उद्योग मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में जिला मुजफ्फनगर में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए तीन आशय पत्र जारी किये जा चुके है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

	क्रम सं.	आवेदक का नाम	स्थिति	क्षेत्र
जिला मुजफ्फरनगर	1.	मैसर्स टिकौला शुगर-मिल्स लि.	टिकौला	निजी
	2.	मैसर्स मौनैट उद्योग लि.	ऊन तहसील -कैराना	निजी
	3.	श्री रतन लाल परस बुढ़ाना रामपुरिया		निजी

चालू आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) में नई चीनी मिल स्थापित करने के लिए अभी तक कोई आशय पत्र जारी नहीं किया गया है।

(ग) सामान्यत: एक चीनी मिल को स्थापित करने में तीन-चार वर्ष का समय लग जाता है।

[अनुवाद]

कपास का उत्पादन

1334. श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् 2000 तक कपास उत्पादन हेतु 18 से 20 मिलियन गांठों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने हेतु अधिक पैदावार देने वाली नई किस्मों की खोज करने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य में लगी अनुसंधान संस्थाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) 2001-02 में कपास की 170 किलोग्राम की 1.8 मिलियन गांठों का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्व विद्यालयों द्वारा अधिक उत्पादन देने वाली कई किस्मों/संकर किस्मों का विकास किया गया है तथा ये लोकप्रिय हो गई है। उनमें से कुछ के नाम हैं सुविन, एम.सी.यू.-5, वी.टी.एल.आर.ए. 5166 एल.आर.के. 516, सविता, एच.वी.-224, सी.आई.सी.आर.एच.एच.।

इसके अलावा, विभिन्न कपास उत्पादक क्षेत्रों के लिए उचित उत्पादन और सुरक्षा प्रौद्योगिकी विकसित की गई है।

केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर और कपास उत्पादक राज्यों में स्थित राज्य कृषि विश्व विद्यालय ऐसी कुछ संस्थायें हैं, जो कपास के अनुसंधान में लगी हुई हैं।

शिक्षा संबंधी सिनर्जी ग्रुप

1335. श्री पी. कुमारास्वामी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जून, 1994 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सिनर्जी ग्रुप्स ऑन एजुकेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रणाली को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा संबंधी सिनर्जी ग्रुप्स का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो इन ग्रुप्स के निदेशपद सहित ब्यौरा क्या है;

(घ) कब तक इन ग्रुप्स द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने की संभावना है; और

(ङ) इन रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता, व्यावसायिक, शिक्षा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) में प्रौद्योगिकी का विकास एवं हस्तांतरण और भारतीय प्रबन्ध संस्थानों (आई.आई.एम.) में प्रबंध प्रविधियों का विकास एवं हस्तांतरण जैसे चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रणाली को और अधिक कारगर बनाने के लिए शिक्षाविदों, उद्योग, गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) और अन्य कार्य समूहों को एक मंच पर लाने हेतु शिक्षा के संबंध में सिनर्जी ग्रुपों का गठन किया गया है। यह कार्य चालू वर्ष के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।

भारत में कनाडियाई कालेज

1336. श्री राम कापसे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 अगस्त, 1994 के

''इकानामिक टाइम्स'' (मुम्बई) में ''महेन्द्र टु फंड कनाडियन कालेज इन इंडिया'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित कालेज के लक्ष्य और उद्देश्य क्या-क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) शिक्षा विभाग के पास इस विषय पर कोई सूचना नहीं है।

(ख) एवं (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात में वन

1337. श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री एन.जे. राठवा :
क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राज्य के गठन के समय कितने भू-क्षेत्र में वन थे और इस समय कितने भू-क्षेत्र में वन हैं;

(ख) क्या राज्य के गठन के समय के वन क्षेत्र की तुलना में इस समय वन क्षेत्र कम हो गया है तथा यह मानदंडों के अनुकूल नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा आठवीं योजना के दौरान वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्या कदम सुझाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) 1960 में गुजरात राज्य बनने के समय अभिलेखबद्ध वन क्षेत्रफल 15,430 वर्ग कि.मी. था जबकि 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार अभिलेखबद्ध क्षेत्रफल, 19,388 वर्ग कि.मी. है।

(ख) राज्य बनने के समय विद्यमान क्षेत्रफल की तुलना में अभिलेखबद्ध वर्तमान वन क्षेत्रफल में कमी नहीं आयी है। फिर भी, इससे राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती है।

(ग) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में निर्धारित वन आवरण के तहत देश के एक तिहाई भौगोलिक क्षेत्र की प्राप्ति में कमी के कारण हैं जनसंख्या और मवेशियों की संख्या में वृद्धि जिससे ईंधन, चारा और इमारती लकड़ी की अधिक मांग होती है, तथा वनीकरण के लिए निधियों की कमी।

(घ) गुजरात में वन आवरण को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उठाए गए विभिन्न कदम हैं :-

1. राज्य में वनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए लोगों की भागीदारी को सक्रिय रूप से बढ़ाया जा रहा है।
2. आदिवासियों तथा ग्रामीण निर्धनों को शामिल करके अवक्रमित वन के पुनरूद्धार के साथ-साथ दावानल के नियंत्रण के लिए राज्य को वित्तीय सहायता दी जा रही है।
3. वन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए वन उड़नदस्ते और निगरानी चौकियों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

पारिस्थितिक उत्पाद मानक

1338. श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील :
श्री गोविंदराव निकम :
श्री सनत कुमार मंडल :
क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बर्लिन के जर्मन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा ''विकासशील देशों के लिए एक नई चुनौती के रूप में पारिस्थितिक उत्पादक मानक और अपेक्षाएं उद्योग और निर्यात'' शीर्षक अध्ययन का परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने भारत के समग्र निर्यात कार्य-निष्पादन पर आयातक राष्ट्रों द्वारा उठाए गए पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए किसी समिति का गठन किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी;

(ङ) भारतीय फर्मों द्वारा पारिस्थितिक मानकों को अपनाने से कतराने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा विशेषत: मानव उपभोग से संबंधित उत्पादों में कृत्रिक रंगों का प्रयोग करने वाले उद्योगों में पारिस्थितिक लेबल लागू करके समायोजन की प्रक्रिया को तेज करने के क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है; और

(च) सरकार द्वारा भारत में पारिस्थितिक लेबलिंग आरम्भ करने की दिशा में वे कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे उपभोक्ताओं में जागरूकता भी बढ़ेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। मंत्रालय ने अध्ययन की जांच की है।

(ख) उक्त अध्ययन में भारत में चमड़ा, वस्त्र और प्रशीतन उद्योगों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकीय मानकों का उल्लेख है। इसकी सिफारिशें उद्योग और सरकार दोनों से संबंधित है। सरकार को की गई प्रमुख सिफारिशों में मानकों संबंधी सूचना का प्रचार-प्रसार, तकनीकी कार्य दल की शिक्षा, विनिर्माण संबंधी प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का न्यूनीकरण, प्रदूषण उपशमन, प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य नियतन, साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना और प्रशिक्षण शामिल हैं।

सरकार ने सूचना के प्रचार-प्रसार तथा तकनीक कार्यदल को प्रचार माध्यमों और विभिन्न एजेंसियों के जरिए मानकों और प्रौद्योगिकीय

विकास के बारे में शिक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल उत्पादों की लेबलिंग की एक स्कीम चलाई है ताकि ऐसे उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा मिले। प्रदूषण उपशमन के संबंध में सरकार ने उत्सर्जन और बहिस्स्राव मानकों को अधिसूचित किया है। सक्षम प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य नियतन के लिए कदम उठाने के बारे में सरकार ने जल संरक्षण के लिए कदम उठाने हेतु उद्योगों को प्रेरित करने के लिए जल की खपत पर उपकर लगाया है। सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत साझे बहिस्स्राव शोधन संयंत्रों, अनुसंधान और विकास तथा प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) निम्नलिखित विचारार्थ विषयों सहित पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल उत्पादों के लिए मानदण्ड बनाने हेतु 6 मार्च, 1991 को एक तकनीकी समिति गठित की गई थी :-

(1) पर्यावरण के अनुकूल वर्गीकृत करने हेतु विशिष्ट उत्पादों की शिनाख्त।

(2) मौजूदा ज्ञान की स्थिति की समीक्षा तथा अन्य देशों में अपनाए जा रहे पर्यावरणी मानदंड।

(3) विभिन्न उत्पादों को पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल के साथ-साथ इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किए गए अलग-अलग उत्पादों के अत्यंत महत्वपूर्ण मानदंड और जहां कहीं संभव हो इनकी आपसी प्राथमिकता, घोषित करने के लिए सर्वोत्तम मानदण्ड और पैरामीटरों की सिफारिश।

(4) मानदंडों के निर्धारण के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रौद्योगिकियों की समीक्षा।

(5) पर्यावरण और वन मंत्रालय को उत्पाद मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रयोगशालाओं और विश्लेषकों की सिफारिश।

(6) उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभाव तथा समय-समय पर उनके मानदण्ड का मूल्यांकन।

(7) समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्कीमों के क्रियान्वयन के साथ-साथ इसके द्वारा किए गए नमूना - निरीक्षण की समीक्षा करना।

(8) अपेक्षित होने पर प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए उप समितियों के गठन के साथ-साथ उपभोक्ता संगठनों द्वारा उत्पादों के तुलनात्मक परीक्षण हेतु परीक्षण कार्यक्रम बनाना।

(9) विशिष्ट उत्पादों की तकनीकी समिति को सलाह देने के लिए विशेषज्ञ पैनलों का गठन करना।

तकनीकी समिति पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल उत्पादों के मानदण्ड तैयार करते समय पर्यावरण और स्वास्थ्य पर उक्त उत्पादों के प्रभाव से संबंधित मसलों का विश्लेषण भी करती है।

(ङ) और (च) प्रतीत होता है कि अतिरिक्त लागत लगने के कारण फर्में मानकों को अपनाने की अनिच्छुक हैं। सरकार मानक खपत वाले उत्पादों में कृत्रिम रंगों के लिए अंतिम मानदण्ड अधिसूचित कर रही है। सरकार ईको-लेबलिंग के लिए अतिरिक्त लागत की समस्या का समाधान करने के लिए सामूहिक प्रयास भी कर रही है और इसने उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए 2 दिसंबर, 1992 को एक व्यापक प्रचार अभियान कार्यक्रम चलाया था।

रेल गाड़ियां बंद करना

1339. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूपति और हावड़ा के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां बंद कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या उक्त गाड़ियों को पुन: चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) खोरधा रोड-हावडा खंड पर 8079/8080 तिरूपति-हावड़ा एक्सप्रेस की लोकप्रियता कम होने के कारण खोरधा रोड-हावड़ा खंड पर इस गाड़ी का चालन 1.7.95 से बंद कर दिया गया है। 8079/8080 एक्सप्रेस अब 8479/8480 तिरूपति-पुरी एक्सप्रेस के रूप में चल रही है। फिलहाल 8079/8080 एक्सप्रेस को पुन: चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। .

विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली रियायत

1340. श्री एन. डेनिस :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग/अपंग व्यक्तियों को रेलवे स्टेशन पर विश्राम गृह में कोई छूट प्रदान की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

समेकित डेयरी विकास योजना

1341. श्री महेश कनोडिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-दुग्ध क्रांति वाले पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में समेकित डेयरी विकास योजना के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस योजना के अंतर्गत कितनी प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) योजना का क्रियान्वयन 1993-94 में प्रारम्भ किया गया। 1993-94 के दौरान 57.06 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ पन्द्रह परियोजनाएं तथा 1994-95 के दौरान 28.22 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ छः और परियोजनाएं क्रियान्वयन के लिए अनुमोदित की गई। इन परियोजनाओं के लिए 1993-94 के दौरान 10.90 करोड़ रुपए तथा 1994-95 के दौरान 24.91 करोड़ रुपए की धनराशियां निर्मुक्त की गई।

[अनुवाद]

गन्ने का विकास

1342. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री मोहन रावले :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गन्ने पर आधारित फसल प्रणाली के सतत् विकास हेतु किसी केन्द्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ङ) यह योजना किन-किन राज्यों में कार्यान्वित किए जाने का विचार है; और

(च) इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) जी हां, गन्ना का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच 75:25 की वित्तपोषण पद्धति के आधार पर वर्तमान वर्ष, अर्थात, 1995-96 से "गन्ना आधारित फसल प्रणाली का स्थायी विकास" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत नव विकसित उत्पादन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन क्वालिटी बीज उत्पादन उन्नत औजारों के वितरण आदि पर किसानों को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जाता है।

(घ) इस योजना के अंतर्गत 1995-96 के लिए 30.76 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता निर्धारित की गई है।

(ङ) यह योजना 20 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा तथा पांडिचेरी में क्रियान्वित की जा रही है।

(च) इस योजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार का प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया गया है तथा योजना का क्रियान्वयन शुरू करने के लिए निधियां दी गई हैं।

[हिन्दी]

गन्ने का उत्पादन

1343. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री चिन्मयानंद स्वामी :
श्री राजवीर सिंह :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य कौन-कौन से हैं;

(ख) गत तीन वर्षों अर्थात 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान देश में गन्ने का राज्य-वार कितना-कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) गन्ना उगाने वाले प्रमुख राज्य हैं - आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।

(ख) पिछले तीन सालों के दौरान गन्ने का राज्यवार उत्पादन संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) "गन्ने पर आधारित फसल प्रणाली का सतत् विकास" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, 1995-96 के दौरान राज्यवार वित्तीय परिव्यय, संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-I

गन्ने का राज्यवार उत्पादन (गन्ने के अनुसार)

(हजार मीटरी टन में)

राज्य	1992-93	1993-94	1994-95 (संभावित)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	12163.2	13553.4	13660
असम	1547.7	1373.9	1500
बिहार	6031.6	4397.9	4398
गोवा	80.4	71.4	-
गुजरात	10872.1	10232.1	10210
हरियाणा	6550.0	6420.0	9000
हिमाचल प्रदेश	28.7	26.1	26
जम्मू व कश्मीर	11.2	11.2	11
कर्नाटक	22479.6	20884.1	31215
केरल	428.3	447.9	500

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	1324.6	1725.0	1511
महाराष्ट्र	30853.5	27891.5	42678
मणिपुर	58.8	58.8	-
मेघालय	2.2	2.1	-
मिजोरम	5.6	5.7	-
नागालैंड	200.0	188.0	-
उड़ीसा	754.2	781.0	1309
पंजाब	6369.0	4710.0	5100
राजस्थान	1129.0	1020.0	987
तमिलनाडु	23064.2	27574.6	32650
त्रिपुरा	69.0	72.2	-
उत्तर प्रदेश	102929.1	104839.4	102839
पश्चिम बंगाल	888.7	595.4	1183
अंदमान निकोबार द्वीप समूह	5.9	4.4	-
पांडिचेरी	186.8	172.8	-
अन्य	-	-	600
समस्त भारत	228033.4	227058.9	259377

विवरण-II

"गन्ने पर आधारित फसल प्रणाली के सतत् विकास" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 1995-96 के दौरान राज्यवार वित्तीय परिव्यय

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	268.725
2.	असम	51.55
3.	बिहार	195.50
4.	गुजरात	210.525
5.	हरियाणा	137.025
6.	कर्नाटक	313.90
7.	केरल	29.075
8.	मध्य प्रदेश	108.60
9.	महाराष्ट्र	645.325
10.	उड़ीसा	62.975
11.	पंजाब	154.225
12.	राजस्थान	69.625
13.	तमिलनाडु	281.05
14.	उत्तर प्रदेश	1039.55
15.	पश्चिम बंगाल	41.575
16.	मणिपुर	13.95
17.	मिजोरम	13.80
18.	नागालैंड	17.075
19.	त्रिपुरा	13.80
20.	पांडिचेरी	19.675
21.	गोवा	16.30
	योग	3704.725

[अनुवाद]

वेटेरिनरी काउंसिल बिल

1344. **श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेटेरिनरी काउंसिल बिल में संशोधन हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

संचालन अनुपात में सुधार

1345. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के लिए अलग-अलग जोनल रेलवे के लिए कितना-कितना संचालन अनुपात रखा गया है;

(ख) क्या जोनल सेवा द्वारा 1994-95 के लिए रखे गऐ इस संचालन अनुपात का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या माल ढुलाई और आय में कमी के कारण संचालन अनुपात में कोई गिरावट आई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विभिन्न जोनल रेलवे के संचालन अनुपात में सुधार हेतु क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ) भारतीय रेलों के लिए परिचालनिक अनुपात में 1990-91 में 92.0 प्रतिशत से 1994-95 में 82.6 प्रतिशत तीव्र सुधार हुआ है जिससे इस संबंध में रेलों के प्रयासों की सफलता की मात्रा का पता चलता है, दक्षिण और पूर्वोत्तर रेलों को छोड़कर सभी रेलों ने 1994-95 के लिए निर्धारित

परिचालनिक अनुपात के लक्ष्यों को पार किया है (एक विवरण संलग्न है)। ये दोनों रेलें माल-भाड़े में आमदनी में कमी के कारण लक्ष्य से पीछे रहीं। पूर्वोत्तर और दक्षिण रेलों ने 180 करोड़ रुपये और 725 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में क्रमशः 171.71 करोड़ रुपये और 685.23 करोड़ रुपये अर्जित किए।

(च) आमदनी बढ़ाने तथा परिचालनिक अनुपात में सुधार करने हेतु परिचालनिक लागतों/खर्च में कमी करना रेलों का एक सतत् प्रयास रहा है। इसे प्राप्त करने के लिए, भारतीय रेलवे अतिरिक्त यातायात जुटाने के लिए प्रभावी विपणन नीतियां अपनाने, पण्यों के वर्गीकरण और दर निर्धारण पर नियमित निगरानी रखना, बिना टिकट यात्रा पर काबू पाना, बकाया देय राशि की प्रभावी रूप से बेहतर वसूली, गतिविधियों की शून्य आधारित समीक्षा, लागत नियंत्रण सभी चालू लाइन तथा असंबद्ध गतिविधियों में कमी आदि जैसे विभिन्न उपाय कर रही है।

विवरण

परिचालनिक अनुपात, 1994-95

रेलवे	लक्ष्य	वास्तविक*
मध्य	80.5 प्रतिशत	78.0 प्रतिशत
पूर्व	96.1 प्रतिशत	91.8 प्रतिशत
उत्तर	84.1 प्रतिशत	83.3 प्रतिशत
पूर्वोत्तर	174.4 प्रतिशत	177.4 प्रतिशत
पूर्वोत्तर सीमा	189.5 प्रतिशत	186.5 प्रतिशत
दक्षिण	106.4 प्रतिशत	109.5 प्रतिशत
दक्षिण मध्य	88.0 प्रतिशत	84.0 प्रतिशत
दक्षिण पूर्व	64.1 प्रतिशत	62.7 प्रतिशत
पश्चिम	69.4 प्रतिशत	64.9 प्रतिशत
जोड़ (भारतीय रेलें)	84.9 प्रतिशत	82.6 प्रतिशत

**अनंतिम*

कॉकण रेल परियोजना

1346. श्री एम. रमन्ना राय :
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री राम नाईक :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओझा समिति ने अपनी रिपोर्ट में गोवा सैक्टर में किसी परिवर्तन की सिफारिश की है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हो जायेगी;

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने का अनुमान लगाया गया था और विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह कब तक पूरी हो जायेगी?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) ओझा समिति ने पुराने गिरजाघर से 5 मीटर की दूरी पर पुरानी गोवा सुरंग के संरेखण में मामूली परिवर्तन करने की सिफारिश की है। इसके अलावा, उन्होंने मौजूदा संरेखण के ढांचों तथा संरचना में कतिपय अन्य आशोधन करने की सिफारिश की थी।

(ख) ओझा समिति द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों की लागत 28 करोड़ रुपये थी।

(ग) परियोजना, अक्तूबर, 1994 तक पूरी की जानी प्रत्याशित थी। परियोजना के पूरा होने में निम्नलिखित कारणों से विलंब हुआ :

1. गोवा क्षेत्र में मायेम तथा बाली के बीच 1993 में 7 महीनों के लिए काम का बन्द होना।
2. नरम मिट्टी वाली सुरंगों, विशेषकर गोवा क्षेत्र में विपरीत भौगोलिक भू-क्षेत्र का होना।
3. वांडों की विपरीत बाजार स्थिति होने के कारण धन जुटाने में कठिनाइयां हुई थी।

(घ) परियोजना के दिसंबर 1995 तक पूरा होने की आशा है।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति

1347. श्री राजनाथा सोनकर शास्त्री :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक कुलपति की नियुक्ति कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को पुनः कायम करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गाजर घास

1348. श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ दशकों से देशभर में "गाजर घास" नामक खर-पतवार तेजी से फैल रही है और मानव और पशुओं में अनेक भीषण रोग फैला रही है तथा पर्यावरण को दूषित कर रही है;

(ख) क्या देशभर में इस खर-पतवार के अचानक तेजी से फैलने के कारणों का पता लगा लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश से इस खर-पतवार को समूल नष्ट करने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार/देश के वैज्ञानिकों द्वारा इस खर-पतवार को समूल नष्ट करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) गाजर घास (परियेनियम हिस्टरोफोरस) देश के कई भागों में अपने आप उग आई है। इसमें कुछ मामलों में एलर्जी होने की सूचना मिली है।

(ख) और (ग) इसके देश में आने का प्रारंभिक स्त्रोत आयातित गेहूं का परेषण है। इसमें अधिक बीज उत्पादक क्षमता होने के कारण यह देश के कई भागों में फैल गई है।

(घ) से (च) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के अनुसंधान निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि वे इस खर-पतवार पर नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित उपाय करें :

1. पारथेनियम खर-पतवार पर नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित का प्रचार करते हुए पुस्तिकाओं का वितरण :
(1) मानसून के प्रारंभ होने के तुरन्त बाद खर-पतवार उखाड़ना।
(2) स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने के लिए खर-पतवार उखाड़ते समय उचित सावधानी बरतना।
(3) लवण विलय, पारक्वैट और 2-4 डी का पर्णीय छिड़काव।
2. खर-पतवार नियंत्रण पाने के लिए सामूहिक प्रयास करना।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महिला आयोग

1349. **श्री छेदी पासवान :**
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले आयोग के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति के छः माह के बाद भी नए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) और (ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्थाई सांविधिक निकाय है।

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 12 में यह प्रावधान है कि आयोग द्वारा वार्षिक लेखा विवरण ऐसे रूप में तैयार किया जाए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखा परीक्षक के परामर्श से निर्धारित हों और धारा 13 में यह व्यवस्था है कि वार्षिक रिपोर्ट यथानिर्धारित रूप में तैयार की जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग (वार्षिक लेखा विवरण और वार्षिक रिपोर्ट) नियामावली 1995, जिसमें वार्षिक लेखा विवरण और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का तरीका निर्धारित किया गया है, को नियंत्रण एवं महा-लेखा परीक्षक तथा संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है और इस नियमावली को 10.1.1995 को अधिसूचित किया गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 31.1.1992 से 31.3.1993 तक की वार्षिक रिपोर्ट फरवरी, 1995 में प्रस्तुत की है। आयोग द्वारा की गई सिफारिशें विभिन्न मुद्दों से संबंधित है जो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कार्य क्षेत्र में आते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सिफारिशों को जांच और आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि उनसे संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधित रिपोर्ट वे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग को उन्हें समेकित करने और वार्षिक रिपोर्ट के साथ संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भेज दें।

वर्षा सीचिंत क्षेत्रों में पनधारा विकास कार्यक्रम

1350. **श्री रमेश चेन्निथला :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्षा सीचिंत क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु इस वर्ष कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ग) क्या इस परियोजना में केरल का भी कोई क्षेत्र शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे हासिल किए गए लाभ का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) जी, हां यह परियोजना 25 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों में चलाई जा रही है। कुल 2497 ब्लाकों में इतनी ही पनधारा परियोजनाएं आरम्भ की गई जिनके तहत कुल 40.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है और इनकी कुल अनुमानित लागत 1128.50 करोड़ रुपये है। 1995-96 में इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिये 190 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन किया गया है।

(ग) से (ङ) जी हां, यह परियोजना 14 जिलों के 114 ब्लाकों में इतनी ही लघु पनधाराओं में शुरू की गयी है जिसके अंतर्गत 88276 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है तथा इस पर 35.84 करोड़ रुपये की कुल लागत आयी है।

इस परियोजना से प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करने के लिए विविध फार्मिंग पद्धतियों को अपना कर वर्षा के पानी को सर्दी और गरमी के महीनों में उपयोग करने के लिए पुनरावंटित करने में, प्राकृतिक तौर पर वनस्पतियों को पैदा करने में, फसल की गहनता में वृद्धि करने और बायो-मास का अधिक उत्पादन करने में मदद मिली है। इसके अलावा, भूमिहीन श्रमिकों के साथ-साथ छोटे और सीमांत किसानों को घरेलू उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत विविध क्रियाकलापों के लिए दिये जाने वाले प्रोत्साहनों से भी उनके आय-स्तर में वृद्धि करने में सहायता मिली है।

सार्वजनकि वितरण प्रणाली सूची में वस्तुओं को शामिल करना

1351. **श्री हरिन पाठक :**

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समाज के कमजोर वर्गों की कठिनाई को दूर करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दलहनों और खाद्य तेलों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चूटा सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त मांग तथा स्टाक की उपलब्धता के आधार पर आयातित खाद्य तेल (आर.बी.डी. पामोलीन) की आपूर्ति कर रही है। केन्द्रीय सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए दालें उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए स्वयं दालें वितरित करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि दालें आसानी से उपलब्ध हों, दालों के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रखा गया है और दालों पर आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

[हिन्दी]

गुजरात में विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाएं

1352. **श्री एन.वै. राठवा :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विश्व बैंक सहायता प्राप्त निर्माणाधीन परियोजनाएं कौन-कौन सी है तथा वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित लाभकारी लागत क्या है तथा इन्हें कब तक पूरा किया जाएगा;

(ग) क्या विश्व बैंक के अधिकारियों ने इन परियोजनाओं की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विश्व बैंक द्वारा अब तक कुल कितनी धन राशि दी गई है और इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) इस समय गुजरात में केवल समेकित पनधारा विकास (मैदानी) परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना में चार जिले अर्थात् साबरकांठा, राजकोट, बड़ौदा, भड़ौच जिले कवर किये गये हैं।

(ख) (1) परियोजना लागत

गुजरात राज्य से संबंधित मौजूदा परियोजना की लागत 4971.00 लाख रूपये है :-

(2) प्रभावी तारीख - 28.02.1991

(3) समापन की तारीख - 30.09.1997

(ग) जी हां, विश्व बैंक के अधिकारी इस परियोजना की समय-समय पर समीक्षा करते है।

(घ) विश्व बैंक के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर की गयी समीक्षा में परियोजना की प्रगति को संतोषजनक बताया गया है। ऐसी एक मध्यकालिक समीक्षा 1994 में करायी गयी थी जिसके परिणामस्वरूप परियोजना की कुल लागत को 4566.00 लाख रूपये से बढ़ाकर 4971.00 लाख रूपये कर दिया गया था क्योंकि रूपये के मुकाबले अमेरिकी डालर के मूल्य में वृद्धि हो गयी थी।

(ङ) (1) आज तक विश्व बैंक द्वारा जारी की गयी धनराशि:

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जून, 1995 के अंत तक, गुजरात राज्य में इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिये विश्व बैंक द्वारा कुल 1247.46 लाख रूपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।

(2) वास्तविक प्रगति : जून, 1995 के अंत तक, इस परियोजना के अंतर्गत कुल 43,428.33 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है जबकि लक्ष्य 137853.00 हेक्टेयर का था।

[अनुवाद]

रेल लाइन

1353. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा में छतरपुर और तालचेर और रायगडा से गोपालपुर के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या ये प्रस्ताव काफी समय से लंबित पड़े हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इन लाइनों के निर्माण में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इन प्रस्तावों पर अपनी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विचार किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम

1354. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जून, 1995 के "द ट्रिब्यून" में "एफ.सी.आई. इम्पलीकेटिड इन ट्रांसपोर्ट स्कैम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले के संबंध में कोई जांच करायी गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम को अनुमानत: कितनी हानि हुई; और

(च) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया गया है कि भारतीय खाद्य निगम की सतर्कता सैल ने भारतीय खाद्य निगम को हुई चार करोड़ रुपये की हानि को उजागर किया है। यह हानि पंजाब से जम्मू-कश्मीर को खाद्यान्नों की ढुलाई करने के लिए तदर्थ परिवहन प्रणाली लागू करने के कारण हुई है। यह आरोप लगाया गया है कि तदर्थ आधार पर किए गए ठेकों की दर अत्यधिक ऊंची तय की गई है।

(ग) से (ङ). भारतीय खाद्य निगम के सतर्कता सैल ने इस मामले की आरंभिक जांच की है। इस जांच रिपोर्ट की एक प्रति केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेज दी गई है।

(च) आरम्भिक जांच रिपोर्ट की संवीक्षा (स्क्रूटिनि) अभी तक पूरी नहीं हुई है।

[अनुवाद]

केरल में जोखिम वाले औद्योगिक एकक

1355. **श्री मुल्लप्पल्ली रामचन्द्रन :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कार्यरत जोखिम वाले औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा उत्पाद प्रक्रिया के दौरान विषाक्त अथवा रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ छोड़ने वाले इन एककों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) फैक्टरी एवं बॉयलर निदेशालय, केरल सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, राज्य में 1776 परिसंकटमय फैक्टरियां हैं जिनमें 29 प्रमुख दुर्घटना परिवहन फैक्टरियां/प्रतिष्ठान शामिल हैं। प्रत्येक फैक्टरी प्रभाग में यूनिटों की संख्या निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	फैक्टरी प्रभाग	अभिनिर्धारित परिसंकटमय फैक्टरियों की सं.
1.	तिरूवनन्तपुरम	41
2.	कोल्लाम	22
3.	कुण्डरा	15
4.	चैगन्नूर	34
5.	कोट्टायम	45
6.	अलाप्पौझा	33
7.	इडुक्की	45
8.	एर्नाकुलम	350
9.	कोची	165
10.	अलुवा	203
11.	इरिंजलाकुण्डा	79
12.	थ्रिस्सूर	240
13.	पलक्कड	155
14.	ओट्टापालयम	39
15.	मलापुरम	44
16.	कोझिकोड (दक्षिण)	44
17.	कोझिकोड (उत्तर)	78
18.	कालसेरी	29
19.	कन्नूर	68
20.	थालीपराम्ब	47
	कुल	1776

(ख) सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध एवं हथालन) नियम, 1989 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के अनुसार अपशिष्टों की 18 श्रेणियों को अधिसूचित विनियमय मात्रा पैदा करने वाली यूनिटें :-

1. इस प्रकार के अपशिष्टों की उचित ढंग से उठाई-धराई और किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव के बिना निपटान के लिए सभी व्यावहारिक कदम उठाएंगी;
2. इस प्रकार के अपशिष्टों के उपयुक्त संग्रहरण, उपचार भण्डारण और निपटान के लिए जिम्मेदार होगी;
3. अपनी सुविधा से परिसंकटमय अपशिष्टों का रिकार्ड रखेंगी और परिसंकटमय अपशिष्टों के निपटान के बारे में निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगी।

यूनिट संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परिसंकटमय अपशिष्टों की उठाई-धराई के लिए फार्म-1 में प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन करेंगी। रेडियो धर्मी अपशिष्ट के प्रबंध के लिए परमाणु ऊर्जा विनियामक के बोर्ड बंधित प्राधिकरण हैं, जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा शामिल हैं।

वैगनों के लिए क्रयादेश

1356. **श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री गुमान मल लोढा :
श्री नीतीश कुमार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगनों के लिए क्रयादेश प्राप्त न होने कारण वैगनों का विनिर्माण करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1994-95 में वैगन विनिर्माण में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के कुल कितने उद्योग लगे हुए थे और उनकी अधिष्ठापित विनिर्माण क्षमता का कितने प्रतिशत उपयोग किया गया;

(घ) क्या घरेलु बाजार में वैगनों की मांग में कमी को देखते हुए इनके निर्यात के लिए प्रयास किए गए; और

(ङ) यदि हां, तो इन प्रयासों का क्या परिणाम निकला?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी नहीं, उन्हें माल-डिब्बों के आदेश नियमित रूप से दिए जा रहे हैं।

(ग) 1994-95 के दौरान 11 इकाइयां (6 सार्वजनिक क्षेत्र में और 5 निजी क्षेत्र में) माल-डिब्बों के निर्माण कार्य में लगी हुई थीं। उनकी प्राप्य क्षमता का 35 प्रतिशत उपयोग किया गया था।

(घ) माल डिब्बों के निर्यात के लिए माल डिब्बा उद्योग द्वारा पिछले कुछ वर्षों में किए गए प्रयासों में सीमित सफलता मिली है।

(ङ) मैसर्स ब्रेथवेट को इस वर्ष कम मात्रा का निर्यात आदेश मिला था।

केन्द्रीय विद्यालयों की मोडरेशन कमेटी :

1357. **श्री मुही राम सैकिया :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में मोडरेशन कमेटी के गठन, अवधि, लक्ष्यों, उद्देश्यों, कृत्यों और शक्तियों से संबंधित उपबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1994-95 के सत्र के लिए केन्द्रीय विद्यालय, आई.एन.ए. कालोनी नई दिल्ली, केन्द्रीय विद्यालय, गोमती नगर, लखनऊ और केन्द्रीय विद्यालय ए.एम.सी., लखनऊ में इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र की वार्षिक परीक्षा के परीक्षा फल में नरमी बरते जाने के संबंध में समिति द्वारा क्या-क्या निर्णय लिए गए हैं;

(ग) क्या इन विद्यालयों में परीक्षाफल की घोषणा करते समय ग्यारहवीं कक्षा के कुछ छात्रों के परीक्षा फल रोक दिए गए थे और बाद में इनमें से कुछ छात्रों को उत्तीर्ण घोषित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने यह सूचित किया है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन की शिक्षा संहिता के अनुच्छेद-119 के अनुसार, प्रत्येक विद्यालय ने, टैस्ट, परीक्षाओं के लिए पेपर निर्धारित करने हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने, शैक्षिक उद्देश्यों के महत्व को तय करने, सैट किए जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति और अपनाई जाने वाली अंकन-प्रक्रिया (मार्किंग-प्रोसिजर), परीक्षकों द्वारा टैस्ट-पेपरों/विषयों को सरल बनाने, एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिए नमूना-उत्तर पुस्तिका की जांच करने और परिणामों की घोषणा से पहले उपांतिक (मार्जिनल) तथा अन्य कठिन मामलों पर निर्णय लेने के लिए एक नियंत्रण-समिति (मॉडरेशन कमेटी) गठित की है।

+2 स्तर पर, कक्षा-ग्यारह के लिए मूल्यांकन, विद्यालय स्तर पर किया जाता है और नियंत्रण समिति शिक्षा-संहिता के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है।

(ख) से (घ) मॉडरेशन कमेटी की बैठक 28.4.95 को केन्द्रीय विद्यालय, आई.एन.ए. में हुई और नियमों के अनुसार छात्रों को प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया। कोई भी मामला रोका नहीं गया था और बाद में उसकी समीक्षा नहीं की गई। केन्द्रीय विद्यालय, गोमतीनगर और ए.एम.सी., लखनऊ के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालय समिति

1358. **श्री राम प्रसाद सिंह :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जून, 1995 में "नवभारत टाइम्स" में "अनादर्श कमाई में लिप्त है नवोदय विद्यालय" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार नवोदय विद्यालय समिति द्वारा धनराशि के कथित दुर्विनियोग के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) नवोदय विद्यालय समिति से कहा गया है कि वह भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उठाए गए बिन्दुओं पर विस्तृत टिप्पणियां भेज दे ताकि सरकार इस मामले पर अगली आवश्क कार्रवाई कर सके।

[अनुवाद]

गुजरात की लंबित परियोजनाएं

1359. **डा. खुशीराम डूंगरोमल जेस्वानी :**
श्री अरविंद त्रिवेदी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की सिंचाई और औद्योगिक परियोजनाओं सहित उन विकास परियोजनाओं के क्या नाम है जो पर्यावरण और वन विभाग की स्वीकृति न मिल पाने के कारण रूकी पड़ी हैं;

(ख) सरकार के समक्ष ये परियोजनाएं कब से लंबित पड़ी हुई हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिल जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) परियोजना प्रस्तावकों से सभी अपेक्षित सूचना और संगत ब्यौरे प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर परियोजना प्रस्तावों की मंजूरी के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया जाता है।

विवरण

पर्यावरणी और वानिकी मंजूरी के लिए मंत्रालय के पास लंबित विकास परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्राप्त होने की तारीख	लंबित होने का कारण
1	2	3	4
1.	बी.पी.सी.एल. द्वारा वादीनार में कच्चा तेल टर्मिनल	जुलाई 1993	गुजरात सरकार के अभिमत की प्रतीक्षा है।
2.	रिलायंस पेट्रोकैमिकल्स द्वारा वादीनार में 15 मिलियन टन तेल शोधक कारखाना (स्थल मंजूरी)।	अक्टूबर 1993	विशेष समिति ने मंजूरी की सिफारिश कर दी है, गुजरात सरकार के अभिमत की प्रतीक्षा है।
3.	आई.पी.सी.एल. की दहेज-गंधार-बड़ौदा पाइप लाइन परियोजना।	मई, 1995	आई.पी.सी.एल. को जेट्टी के लिए वैकल्पिक स्थल की सिफारिश करने की सलाह दी गई है।
4.	मैसर्स डोल्फिन लैबोट्टीज का संसद, अहमदाबाद में औषधि संयंत्र।	जून, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
5.	मैसर्स मैट्रकैम इण्डस्ट्रीज लि., बड़ौदा की डाइज एवं इंटरमीडिएट्स का विनिर्माण।	जुलाई, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
6.	मैसर्स आई.एफ.एफ.सी.ओ. गुजरात द्वारा कांधला उर्वरक संयंत्र का विस्तार।	जुलाई 1995	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4
7.	मैसस यूनाइटेड फासफोरस लि. का अहमदाबाद के समीप जगवा के.जी. आई.डी.सी. एस्टेट में क्लोर-अल्काली संयंत्र की स्थापना।	जुलाई 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
8.	मैसर्स एशियन पेंटस का जी.आई.डी.सी. औद्योगिक एस्टेट, अंकलेश्वर, गुजरात में पेंट संयंत्र का विस्तार।	जुलाई, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
9.	चूना खनन परियोजना, गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि.।	जनवरी, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
10.	गुजरात खनिज विकास निगम द्वारा लिगनाइट आधारित विद्युत परियोजना अक्रिमोटा (2×120 मे. वाट)।	जुलाई, 1995	प्रस्ताविक स्थल अभयारण्य के समीप होने के कारण परियोजना प्राधिकारियों से अभयारण्य से कम से कम 25 कि.मी. दूर वैकल्पिक स्थल की जांच करने को कहा गया है।
11.	एन.टी.पी.सी. का कवास साइकल पावर प्रोजेक्ट चरण-2 (650 मे.वा)।	जुलाई, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
12.	बंबई से बड़ोदरा तक एक एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण।	जून, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
13.	मंगरोल फिशिंग हार्बर चरण-2 का विस्तार।	जुलाई, 1994	कार्रवाई की जा रही है।
14.	मैसर्स इंडियन पेट्रो कैमिकल्स कार्पो. का तरल हाइड्रो-कार्बन तथा अन्य रसायनों की उठाई-धराई के लिए कॉम्बे की खाड़ी में दहेज पोर्ट टर्मिनल के निर्माण का प्रस्ताव।	अक्टूबर, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
15.	सिक्का, गुजरात में बादी लाल केमिकल्स लि. द्वारा प्रस्तावित एल.पी.जी. और द्रव पेट्रोकैमिकल उत्पाद भण्डारण सुविधाएं।	अक्टूबर, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
16.	कांडला बंदरगाह पर चौथे तेल जेट्टी का निर्माण।	जनवरी, 1995	परीक्षण के अंतिम चरण में है।
17.	कच्छ की खाड़ी-कांडला पोर्ट ट्रस्ट में वांदीनगर में कच्चे तेल की उठाई-धराई के लिए अतिरिक्त सुविधाओं का प्रस्ताव।	फरवरी, 1995	- वही -
18.	मैसस अदानी पोर्ट लि. द्वारा कच्छ	मार्च, 1995	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4
19.	नवालखी पोर्ट में एल.पी.जी. आयात टर्मिनल का निर्माण-मैसर्स धर्मसी मोरार जी कैमिकल्स लि.।	जून, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
20.	कच्छ जिले में खारो क्रीक की कैप्टिन जेट्टी का निर्माण मैसर्स संघी इण्डस्ट्रीज लि. का प्रस्ताव।	जुलाई, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
21.	तटीय विनियमण क्षेत्र के तहत गुजरात में ओखा पोर्ट पर भण्डारण टैंक बनाने की अनुमति - वेस्टर्न पेट्रो डायमंड प्रा.लि. का प्रस्ताव।	जुलाई, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
22.	ई.एस.एस.ए.आर. ऑयल इंडिया लि. द्वारा जूनागढ़ जिले में मरीन नेशनल पार्क एवं सैंचुरी में भू-भौतिकी सर्वेक्षण (15.000 हे.)।	जून, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
23.	सतुरपद गांव, जिला जूनागढ़, में सोडा ऐश संयंत्र का निर्माण (12.55 हेक्टेयर)।	जुलाई, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
24.	जूनागढ़ जिले में सिंचाई के लिए पाइप लाइन बिछाना (0.00645 हेक्टेयर)।	जुलाई, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
25.	जूनागढ़ जिले में सिंचाई के लिए पाइप लाइन बिछाना (0.0230 हेक्टेयर)।	जुलाई, 1995	कार्रवाई की जा रही है।

रेलवे प्लेटफार्म

1360. श्री सूर्यनारायण यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और कानपुर में रेलवे स्टेशनों पर नवनिर्मित प्लेटफार्मों का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली स्टेशन पर एक और प्लेटफार्म का निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) मुख्य टर्मिनलों पर प्लेटफार्मों का निर्माण न केवल तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बल्कि यातायात में भावी वृद्धि को देखते हुए भी किया जाता है।

नई दिल्ली और कानपुर में नए प्लेटफार्मों का उपयोग गाड़ियों को सम्हालने के लिए प्रभावी ढंग से किया जाता है। नए प्लेटफार्मों पर नई दिल्ली में और कानपुर में 32 गाड़ियों को सम्हालने का कार्यक्रम है।

(ग) से (घ) "नई दिल्ली-स्टेशन का विकास (चरण-2)" कार्य 13.19 करोड़ रूपये की लागत से 1995-96 के बजट में शामिल किया गया है। अतिरिक्त सुविधाओं के लिए विस्तृत योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, इस कार्य में अतिरिक्त प्लेटफार्म भी शामिल किए जाएंगे।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

1361. श्री शरद पटनायक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय विकास निगम के कार्यकलापों का विस्तार देश के अल्पविकसित क्षेत्रों में करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) भारत सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) अधिनियम, 1962 में संशोधन करने पर विचार कर रही है, ताकि इसके कार्यक्षेत्र

में विस्तार किया जा सके। इससे देश के और अधिक सहकारी कार्यक्रमों में, जिसमें अर्ध विकसित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में चलने वाले कार्यक्रम भी शामिल हैं, सहायता पहुंचाने में निगम सक्षम हो सकेगा।

(ख) और (ग) नई गतिविधियों के अन्तर्गत सहकारी समितियों को सहायता पहुंचाने की इन योजनाओं के ब्यौरे, इन संशोधनों के हो जाने के बाद, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार किए जाएंगे।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन

1362. श्री राव राय :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा राज्य से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है।

आई.एस.आई चिन्ह का अनधिकृत प्रयोग

1363. श्री मोहन रावले :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आई.एस.आई. चिन्ह के अनधिकृत प्रयोक्ताओं तथा विभिन्न गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1980 में कोई संशोधन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन संशोधनों को कब तक लागू किया जायेगा?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). भारतीय मानक ब्यूरो, अधिनियम, 1986 के कुछ उपबंधों में शीघ्र संशोधन करने हेतु विधि मंत्रालय के साथ परामर्श किया जा रहा है।

नई रेलगाड़ी चलाना

1364. श्री जगत वीर सिंह द्रोण :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्च, 1995 के आस-पास लखनऊ से जोधपुर के लिए "मरूद्धार एक्सप्रेस" चलाने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसे अब तक न चलाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब से चलाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) लखनऊ और जोधपुर के बीच सप्ताह में तीन दिन चलने वाली बड़ी लाइन की मरूधर एक्सप्रेस गाड़ी 12.3.1995 से चला दी गई है।

[हिन्दी]

दुग्ध उत्पादन

1365. श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन कितना था;

(ख) इस अवधि के दौरान देश में दूध का राज्य-वार/वास्तविक उत्पादन और मांग कितनी कितनी थी; और

(ग) दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बनाई गई दीर्घावधिक योजना का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में दूध का प्रति व्यक्ति उत्पादन इस प्रकार है :-

वर्ष	ग्राम प्रति व्यक्ति/प्रति दिन
1992-93 (अनन्तिम)	181
1993-94 (अनन्तिम)	188
1994-95 (अनन्तिम)	191

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान दूध का राज्यवार उत्पादन तथा आवश्यकता संलग्न विवरण में दी गई है। फिर भी, देश में दुग्ध-उत्पादों का अनुमान करने के लिए कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(ग) गो पशु तथा भैंस विकास के लिए विभिन्न राज्य योजनाओं के अलावा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए आनुवंशिक सुधार, आहार तथा चारा एवं स्वास्थ्य की देखभाल के क्षेत्रों में कुछ केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

विवरण

(000 मीटरी टन)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1992-93 आवश्यकता (अनंतिम)	1992-93 उत्पादन (अनंतिम)	1993-94 आवश्यकता (अनन्तिम)	1993-94 उत्पादन (अनन्तिम)	1994-95 आवश्यकता (लक्ष्य)	1994-95 उत्पादन (लक्ष्य)
राज्य							
1.	आंध्र प्रदेश	5592	3103	5687	3950	5782	4100
2.	अरूणाचल प्रदेश	74	21	76	42	78	45
3.	असम	1905	658	1946	776	1986	820
4.	बिहार	7343	3195	7502	3215	7660	3215
5.	गोवा	99	30	101	30	103	30
6.	गुजरात	3476	3795	3537	3546	3598	3800
7.	हरियाणा	1400	3715	1429	3740	1458	3885
8.	हिमाचल प्रदेश	436	610	444	635	453	655
9.	जम्मू व कश्मीर	657	600	672	630	687	650
10.	कर्नाटक	3761	2590	3817	2736	3872	3110
11.	केरल	2423	1889	2457	2000	2490	2100
12.	मध्य प्रदेश	5601	4879	5711	4975	5820	5060
13.	महाराष्ट्र	6668	4102	6719	4250	6931	4450
14.	मणिपुर	157	83	160	84	164	115
15.	मेघालय	151	52	155	54	158	55
16.	मिजोरम	60	9	62	12	64	15
17.	नागालैंड	105	44	109	45	112	45
18.	उड़ीसा	2667	542	2715	560	2764	590
19.	पंजाब	1693	5583	1716	5970	1741	6400
20.	राजस्थान	3736	4586	3813	4958	3890	4840
21.	सिक्किम	35	30	37	30	38	35
22.	तमिलनाडु	4603	3468	4648	3524	4691	3965
23.	त्रिपुरा	235	34	240	35	246	40
24.	उत्तर प्रदेश	11699	10649	11903	10991	12105	11400
25.	पश्चिम बंगाल	5715	3023	5812	3095	5907	3095
संघ शासित प्रदेश							
26.	अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह	25	24	26	25	27	25
27.	चण्डीगढ़	58	37	60	38	63	40
28.	दादरा एवं नगर हवेली	12	10	12	4	13	4
29.	दमन एवं दीव	9	1	9	1	9	1
30.	दिल्ली	828	235	858	260	888	270
31.	लक्षद्वीप	4	1	5	1	5	1
32.	पाण्डिचेरी	68	27	70	28	71	29
	सकल योग	71300	57625	72588	60240	73874	63525

स्रोत : राज्य के पशुपालन एवं डेयरी विभाग

[अनुवाद]

दलहनों का निर्यात

1366. श्री सूरजभानु सोलंकी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दलहनों के निर्यात हेतु राष्ट्रीय दलहन विकास योजना के अंतर्गत पर्याप्त उपबंध किए गए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) घरेलू मांग को पूरा करने के लिए दालों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधान किया गया है। दालों की आपूर्ति कम होने की वजह से इसका निर्यात करने तथा राष्ट्रीय दलहन विकास प्रयोजना के अंतर्गत इस उद्देश्य से प्रावधान करने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली में उपभोक्ता मंच

1367. श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को दिल्ली में अतिरिक्त रूप से सात शिकायत-निवारण मंच स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(ग) ये मंच किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) इस समय दिल्ली में दो जिला मंच कार्य कर रहे हैं। 1993 में यथा संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत राज्य सरकारें स्वयं ही अतिरिक्त जिला मंच सर्जित करने के लिए सक्षम हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार को दिल्ली सरकार से दो अतिरिक्त जिला मंचों हेतु अध्यक्ष, सदस्य तथा सहायक कर्मचारियों के पदों को सर्जन करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, क्योंकि पदों को सर्जित करने की शक्ति दिल्ली सरकार को नहीं दी गई है। केन्द्रीय सरकार ने अध्यक्षों के पदों के सृजन हेतु अपनी अनुमति सूचित कर दी है। शेष पदों के लिए राज्य सरकार को कुछ अतिरिक्त सूचना देने के लिए कहा गया है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वे अतिरिक्त जिला मंचों के लिए उचित स्थान का प्रबंध कर रहे हैं।

[अनुवाद]

रबी फसल

1368. श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबी फसल के चालू मौसम के दौरान अपर्याप्त भंडारण क्षमता के कारण सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा खाद्यान्न खरीदने की अनिच्छा तथा अन्य राज्यों से गैर सरकारी खरीदार न होने के कारण महाराष्ट्र के किसानों के सम्मुख खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। अपर्याप्त भंडारण क्षमता या प्रापण एजेंसियों के न होने के कारण महाराष्ट्र में खाद्यान्नों की खरीद प्रभावित नहीं हुई है। चालू खरीफ विपणन मौसम 1994-95 में महाराष्ट्र में 31.7.1995 तक 65,432 मीट्रिक टन धान सहित चावल की खरीद की गई है।

कर्नाटक में पर्यावरणीय परियोजनाएं

1369. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1994-95 के दौरान कर्नाटक में नीलगिरि बायोस्फर हाथी परियोजना और पारिस्थितिकी विकास परियोजना के लिए कोई धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या ये तीन योजनाएं शत-प्रतिशत केन्द्रीय सरकार प्रायोजित हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। इस परियोजना के लिए कर्नाटक को कुल 105.89 लाख रूपए आवंटित किए गए हैं।

(ख) कर्नाटक सरकार को 1994-95 के दौरान प्रत्येक परियोजना के लिए विमुक्त की गई धनराशि निम्न प्रकार से है :-

(रूपए लाखों में)

1.	नीलगिरि जीवमंडल रिजर्व	22.94
2.	हाथी परियोजना	68.88
3.	बाघ रिजर्वों सहित राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों के आस-पास पारि-विकास	14.07

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

[हिन्दी]

हिमपात/ओलावृष्टि से हुआ नुकसान

1370. श्री बलराज पासी :

क्या कृषि मंत्री 28 मार्च, 1995 के तारांकित प्रश्न संख्या 207 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की किसी एजेंसी ने देश के विभिन्न भागों में हिमपात/ओलावृष्टि से फसलों को पहुंचे नुकसान का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में इस प्रयोजनार्थ आकलन कराये गये; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश के प्रत्येक भाग से सूचना एकत्र करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में 1.19 हैक्टेयर फसल क्षेत्र तथा राजस्थान में 43284 हैक्टेयर भू-क्षेत्र वर्षा/ओला वृष्टि से प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश के तीन जिलों के 226 गांवों में इससे 2 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत से अधिक तक फसलें प्रभावित हुई हैं। पंजाब के चार जिलों के 70 गांवों में फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ।

[अनुवाद]

आदर्श रेलवे स्टेशन

1371. श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेंद्रम सेंट्रल में आदर्श रेलवे स्टेशन बनाने का काम रोक दिया गया है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बहुत सी लंबी और कम दूरी वाली रेलगाड़ियों को स्टेशन में स्थान के अभाव के कारण आने और जाने वाली गाड़ियों को रास्ता देने के लिए बाहरी सिग्नल पर बहुत देर तक रूकना पड़ता है; और

(घ) यात्रियों की कठिनाईयों को कम करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं और इस आदर्श रेलवे स्टेशन पर काम कब तक पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) तिरूवनन्तपुरम सैन्ट्रल के लिए "आदर्श स्टेशन" योजना के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था सहित स्टेशन इमारत के ढांचे में परिवर्तन तथा चलाई साइड की ओर एक नए बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था करना शामिल है। चूंकि, स्थानीय निकायों द्वारा संपर्क सड़क के विकास में विलंब के कारण चलाई साइड पर बुकिंग कार्यालय से संबंधित कार्य की प्रगति नहीं की जा सकी थी, इस संबंध में सभी शेष कार्य पूरे कर लिए गए थे तथा "आदर्श स्टेशन" योजना बंद कर दी गई है। बुकिंग कार्यालय से संबंधित कार्य को अब स्थानीय निकायों द्वारा संपर्क सड़क का विकास करने के बाद शुरू किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं। तथापि, जब कभी गाड़ियां देरी से चल रही होती हैं अथवा शंटिंग परिचालनों के दौरान गाड़ियों को कभी कभार अल्प अवधि के लिए बाह्य सिग्नलों पर रोकना पड़ता है। ऐसे व्यस्त टर्मिनलों पर कुछ रूकावटियां होना अपरिहार्य हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरण शिक्षा

1372. डा. पी. वल्लल पेरूमान :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक "स्कूली शिक्षा को पर्यावरणोन्मुखी बनाना" कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु एवं अन्य राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में किसी स्वयंसेवी संगठन को वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान, प्रत्येक वर्ष वार केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'स्कूली शिक्षा को पर्यावरणोन्मुखी बनाना' के अन्तर्गत तमिलनाडु व अन्य राज्यों को निम्नलिखित धनराशि संस्वीकृत की गई थी :

राज्य	संस्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)		
	1992-93	1993-94	1994-95
तमिलनाडु	4.00	-	-
अन्य	85.80	30.58	60.02

(ख) और (ग) जी हां। सी.पी.आर. पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, मद्रास और तमिलनाडु में स्थित विवेकानंद केन्द्र, कन्याकुमारी नामक दो स्वैच्छिक संस्थाएं इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त दो स्वैच्छिक संस्थाओं को 22.53 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत की गई है।

दावा न्यायाधिकरण

1373. श्री सोमजीभाई डामोर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में रेलवे दावा न्यायाधिकरण की पीठों की डिवीजन-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन पीठों में आज तक न्यायिक सदस्यों के खाली पदों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा इन खाली पदों को भरने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) प्रत्येक डिवीजन में आज तक कितने दावों को निपटाया गया है तथा कितने दावों के संबंध में सुनवाई जारी है; और

(ङ) रेलवे दावा न्यायाधिकरण द्वारा राज्य में शेष दावों का निपटारा कब तक कर दिया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) अहमदाबाद में एक।

(ख) कोई नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 31.07.95 की स्थिति के अनुसार, 3599 मामलों का निपटान कर दिया गया है और 3004 मामलों का निपटान किया जाना है।

(ङ) अहमदाबाद में पूर्ण पीठ का गठन हो जाने से शेष दावा मामलों के निपटाना की गति तेज हो जाएगी, तथापि कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती है।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाएं

1374. श्री कुंजी लाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में रेलवे द्वारा चलाई गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक परियोजना के पूरा होने की क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इनको पूरा किए जाने के लिए संशोधित समय-कार्यक्रम क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं के निर्माण की मूल अनुमानित लागत क्या थी और लागत में किस हद तक वृद्धि हुई है; और

(ङ) सरकार द्वारा संशोधित समय-सीमा के अन्दर इन परियोजनाओं को पूरा करने के क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) पिछले चार वर्षों में राजस्थान में निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गई हैं :

(क) पिछले चार वर्षों में राजस्थान में निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गई है :-

क्र.सं.	कि.मी.	पूरा करने के लिए निर्धारित की गई समय सीमा	कुल लागत (करोड़ रु. में)	नवीनतम संशोधित लागत (करोड़ रूपये में)	लागत में वृद्धि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
नई लाइनें						
1.	मथुरा-अलवर 124 (अशंत:राजस्थान में)	1993-94	69.43	71.52	2.09	पूरी हो गयी
आमान परिवर्तन						
1.	रेवाडी-जयपुर 225	1994-95	104.60	110.00	5.40	पूरी हो गयी
2.	फुलेरा-मारवाड़ 572 अहमदाबाद	(1) फुलेरा-अजमेर	280.00	456.57	176.57	पूरी हो गयी
		(2) मेहसाणा-अहमदाबाद पूरी हो गयी		(ढलान समस्या के समाधान के लिए संरेखण में परिवर्तन तथा उच्चतर गति की आवश्कता की पूर्ति हेतु रेलपथ के उन्नयन के लिए		
		(3) अजमेर-मारवाड़ 1995-96				
		(4) मारवाड़-मेहसाणा मुख्यत: लागत में वृद्धि) 1996-97				
3.	सवाई-माधोपुर- 187	1993-94	133.04	133.04	कोई नहीं	पूरी हो गयी
4.	जोधपुर - 297 जैसलमेर	1994-95	111.18	111.18	कोई नहीं	पूरी हो गयी

1	2	3	4	5	6	7
5.	फुलेरा-जोधपुर - 491 लालगढ़-कोलायत-मेड़ता रोड-मेड़ता सिटी	(1) लालगढ़-कोलायत नवम्बर, 92 (2) लालगढ़-मेड़ता रोड मार्च-93 (3) मेड़ता रोड़-मेड़ता सिटी जून, 93 (4) मेड़ता रोड-गोटन दिसंबर, 93 (5) गोटन-जोधपुर जनवरी, 94 (6) फुलेरा-डेगाना-मेड़ता रोड मार्च, 1994	258.52	258.52	कोई नहीं	पूरी हो गयी
6.	जोधपुर-मारवाड़	104	1996-97	58.00		
7.	मकराना-परबतसर	321	1995-96	1.22	-	
8.	आगरा-बांदीकुई	151	1996-97	88.73	-	-
9.	भीलडी-लूनी	306	निम्न परिचालनिक प्राथमिकता के कारण फिलहाल परियोजना कार्य बंद है।			

(ख) कोई विलंब नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) पूरा करने की तिथि और मल अनुमानित लागत ऊपर भाग (क) में प्रत्येक के सामने दर्शायी गयी है।

(ङ) इन सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अपेक्षित सामग्रियों और धनराशि की व्यवस्था की जा रही है।

[अनुवाद]

डी.एम.यू. रेलगाड़ियां

1375. डा. कृपासिंधु भोई :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मैंकटाबाजी तथा खडियार रोड के बीच चलने वाली डी.एम.यू. रेलगाड़ी को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस गाड़ी को पुन: चालू करने के लिए भारी मांग की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

1376. श्री मनफूल सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे डिवीजन में सभी मीटर गेज लाईनों को बड़ी लाइनों में बदल दिया गया है;

(ख) क्या बड़ी लाइनों को पटरियों की ऊंचाई मीटर गेज लाइन की पटरी से 4-5 फीट ऊपर रखी जाती है; और

(ग) क्या सभी रेलवे फाटक जो नियमित रूप से कार्य कर रहे थे, अब रेलवे पटरी के ऊपर उठाए जाने के कारण बन्द कर दिए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) जी नहीं।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

1377. श्री ए. वैंकटेश नायक :

श्री के. जी. शिवप्पा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुंटकल और वाडी के बीच आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं। गुंतकल वाडी खंड पहले से ही बड़ी लाइन वाला खंड है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अमोनिया गैस का रिसाव

1378. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जुलाई, 1995 के "बिजनेस स्टेण्डर्ड", के नई दिल्ली संस्करण में "30 फाल इल आफ्टर गैस लीक एट लीवर यूनिट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या कलकत्ता में फैक्टरी की टंकी से अमोनिया गैस के रिसाव के बारे में केन्द्रीय स्तर की कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी जहरीली गैस के रिसाव को रोकने हेतु इस कंपनी को और ऐसी अन्य कंपनियों को क्या-क्या निर्देश जारी किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। मुख्य फैक्ट्री निरीक्षक, पश्चिम बंगाल सरकार जो फैक्टरी अधिनियम, 1948 और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित परिसंकटमय रसायन विनिर्माण भण्डारन और आयात नियम, 1989 दोनों के लिए कार्यान्वयन प्राधिकारी हैं, द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कलकत्ता में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के सहायक संयंत्र में एक पृथक्करण वाल्व के गलत संचालन के परिणामस्वरूप 7 जुलाई 1995 को 11.00 बजे अमोनिया गैस का रिसाव हुआ।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य फैक्ट्री निरीक्षण ने अपनी प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है और वे मामले की आगे जांच कर रहे है।

(च) राज्य फैक्टरी निदेशालय ने कंपनी को अनुदेश दिए हैं कि तेल विलगन यंत्रों पर कार्य करते समय पूरी सावधानी बरती जाए। परिसंकटमय रसायन विनिर्माण भण्डारण और आयात नियम, 1989 के अनुसार इस प्रकार की कंपनियों को अपने स्थल की सूचना राज्य फैक्टरी निदेशालय को देनी होती है, एक ऑन साइट आपात योजना तैयार करनी होती है तथा ऑन-साइट आपात योजना तैयार करने में जिला प्रशासन की मदद करनी होती है। कंपनियों को संभावित दुर्घटना की सूचना भी आस-पास की जनता को देनी होती है।

पाम आयल के समर्थन मूल्य

1379. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाइडै :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाम आयल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने हेतु कदम उठाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसके अभाव में किसानों को अपने उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

पशु प्रजनन के अप्राकृतिक तरीके

1380. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दयनीय परिस्थितियों में अप्राकृतिक तरीकों से पशु प्रजनन किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही है;

(ख) क्या पशुओं के उपचार और लाभ कमाने की दृष्टि से एन्टीबायोटिक्स और अन्य रसायनिक दवाइयों का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है जिससे इन पशुओं का मांस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है;

(ग) क्या प्रजनन के ऐसे तरीकों और पशुओं को दी जाने वाली ऐसी दवाओं के निषेध हेतु कोई प्रक्रिया कानून अथवा नियंत्रण संबंधी तरीका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रजनन के अप्राकृतिक तरीकों का सहारा न लिया जाए तथा औषधियों और रसायनों के अन्धाधुंध तथा अनुचित प्रयोग से बचने के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, भारतीय औषधि तथा सौन्दर्य-प्रसाधन अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम आदि जैसे विभिन्न अधिनियमों के अधीन विधिक प्रावधान मौजूद हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रजनन के अप्राकृतिक

तरीकों का सहारा न लिया जाए तथा औषधियों और रसायनों के अन्धाधुंध तथा अनुचित प्रयोग से बचने के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, भारतीय औषधि तथा सौन्दर्य-प्रसाधन अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम आदि जैसे विभिन्न अधिनियमों के अधीन विधिक प्रावधान मौजूद है।

नदी डॉल्फिन

1381. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई नदी डॉल्फिन समिति, नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकारी समूह, ने मछुआरों को नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिनों का शिकार करने से रोकने के उद्देश्य से भारतीय मात्स्यिकी अधिनियम में समुचित संशोधन करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

खेल प्रशिक्षण केन्द्र

1382. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवकों के लाभार्थ ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे केन्द्र खोलने के लिए कितने स्थानों का चयन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुकुल वासनिक): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी) और खेल परियोजना विकास क्षेत्र (एस.पी.डी.ए.) नामक दो योजनाओं के अंतर्गत अनेक प्रशिक्षण केन्द्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में प्रशिक्षार्थी भाग ले रहे हैं। इस समय एस.पी.डी.ए. के अंतर्गत 30 केन्द्र और एस.ए.जी. के अंतर्गत 8 केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों की एक सूची विवरण-1 और विवरण-2 पर संलग्न है

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.) के अंतर्गत प्रशिक्षण केन्द्र

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	खेल विधा	प्रशिक्षार्थियों की सं.		जोड़	कुल
			बालक	बालिका		
1	2	3	4	5	6	7
1.	एजवाल	मुक्केबाजी	21	-	21	
		जुडो	10	09	19	40
2.	इम्फाल	मुक्केबाजी	21	-	21	
		जूडो	12	-	12	
		कुश्ती	10	-	10	
		भारोत्तोलन	-	12	12	55
3.	रांची (एस.ए.जी.)हॉकी		27	25	52	
	रांची (एस.पी.डी.ए.)				40	92
4.	दिल्ली	तीरंदाजी	19	05	24	
		साइकिलिंग	06	05	11	
		फेंसिंग	10	-	10	45
5.	एलैप्पी	क्याकिंग और केनोइंग	12	06	18	
		रोइंग	04	04	08	26
6.	तेलीचेरी	जिमनास्टिक	10	06	16	16
7.	जगतपुर	क्याकिंग और केनोइंग	19	11	30	30
8.	पोर्ट ब्लेयर	क्याकिंग और केनोइंग	10	05	15	
		नौकायन	-	06	06	
		साइकिलिंग	08	15	13	34
			कुल जोड़		338	338

विवरण-II

खेल परियोजना विकास क्षेत्र (एस.पी.डी.ए.) के अंतर्गत प्रशिक्षण केन्द्र

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	निवासियों की संख्या
1	2	3
	विद्यमान केन्द्र	
	उत्तरी क्षेत्र	
1.	लुधियाना (पंजाब)	26
2.	पटियाला (पंजाब)	31
3.	कुरुक्षेत्र (हरियाणा)	22
4.	धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)	23

1	2	3
दक्षिणी क्षेत्र		
5.	एलुरू (आंध्र प्रदेश)	26
6.	निजामाबाद (आंध्र प्रदेश)	26
7.	कुरनूल (आंध्र प्रदेश)	(आस्थगित)
8.	धारवाड़ (कर्नाटक)	17
9.	मेदीकेरी (कर्नाटक)	31
10.	क्यूलोन (केरल)	79
11.	त्रिचूर (केरल)	37
12.	सालेम (तमिलनाडु)	34
13.	नागरकोयल (तमिलनाडु)	(आस्थगित)
पूर्वी क्षेत्र		
14.	वर्दवान (पं. बंगाल)	27
15.	लिबौंग (पं. बंगाल)	28
16.	धनकनाल (उड़ीसा)	20
17.	रांची (बिहार)	40
पश्चिमी क्षेत्र		
18.	राजकोट (गुजरात)	21
19.	देवगढ़ बरिया (गुजरात)	27
20.	बुलडाना (महाराष्ट्र)	37
21.	नान्देड (महाराष्ट्र)	(आस्थगित)
22.	पौंडा (गोवा)	(आस्थगित)
केन्द्रीय क्षेत्र		
23.	धार (म.प्र.)	25
24.	जबलपुर (म.प्र.)	11
25.	जोधपुर (राजस्थान)	57
26.	अजमेर (राजस्थान)	15
27.	काशीपुर (उ.प्र.)	11
28.	रायबरेली (उ.प्र.)	26
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		
29.	गोलाघाट (असम)	20
30.	शिलौंग	27

चंडीगढ़, ग्वालियर, इटावा, पूर्णिया, जयूगिंग, शोलापुर, फुलबनी, दीमापुर, उदमपुर और नासिक में नए केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(महाराष्ट्र में वैकल्पिक स्थान पर विचार किया जा रहा है)

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में शिक्षक

1383 **श्री मनोरंजन भक्त :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र से शिक्षकों के पद सृजित करने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघशासित प्रशासन ने जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर के लिए लेक्चरारों के 17 पदों और महात्मा गांधी गोवरमेंट कालेज, मायबुन्दर के लिए लेक्चरारों के 5 पदों के सृजन के लिए दो प्रस्ताव भेजे हैं।

ये प्रस्ताव संघशासित प्रशासन के साथ परामर्श करके विचाराधीन है।

"ओन योर वैगन" योजना

1384. **श्री येल्लैया नंदी :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "ओन योर वैगन" योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोन में गत वर्ष के दौरान और 30 जून, 1995 तक कितनी पार्टियों ने वैगनों के लिए अनुरोध किया और उन्हें वैगन आवंटित किए गए; और

(ख) सरकार को इस योजना के अंतर्गत कितना लाभ हुआ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) इस अवधि के दौरान "अपने मालडिब्बे के स्वामी बनें" योजना के अंतर्गत माल डिब्बों के प्रापण के लिए 50 से अधिक पार्टियों ने इच्छा व्यक्त की है। आठ पार्टियों ने अब तक निम्नानुसार पुष्ट आदेश दिए हैं :-

पश्चिम रेलवे - 3, मध्य रेलवे - 2, दक्षिण पूर्व रेलवे - 2, पूर्व रेलवे - 1.

(ख) रेलें इस योजना के अंतर्गत कोई लाभ अर्जित नहीं करती हैं। तथापि, इस प्रकार बचाया गया तदनुरूपी निवेश अन्य रेलवे विकास परियोजनाओं में लगा दिया जाएगा। "अपने माल डिब्बे के स्वामी बनें" योजना के अंतर्गत माल डिब्बों की खरीद से रेलों की परिवहन क्षमता में वृद्धि होती है।

मैट्रो रेलवे

1385. **श्री अमर राय प्रधान :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में दमदम और टालीगंज रेलवे स्टेशनों के बीच मेट्रो रेलवे का कार्य सितंबर, 1995 से पहले पूरा हो जायेगा;

(ख) यदि हां, तो किन-किन रेलवे स्टेशनों का कार्य पूरा हो गया है और किन-किन स्टेशनों पर कार्य अभी पूरा किया जाना है;

(ग) क्या सभी रेलवे स्टेशनों पर सितंबर, 1995 के निर्धारित समय से पूर्व कार्य पूरा हो जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) टालीगंज, रवीन्द्रा सरोवर, कालीघाट, जतिन दास पार्क, भवानीपुर, रविन्द्र सदन, मैदान, पार्क स्ट्रीट, चांदनी चौक, मध्य, सेवा बाजार, श्याम बाजार, बेलगछिया और दम-दम पर निर्माण कार्य पूरा हो गया है। महात्मा गांधी रोड और गिरीश पार्क स्टेशनों पर अभी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सभी स्टेशनों पर कार्य सितंबर, 1995 से पहले पूरा नहीं होगा तथा कार्य अनुसूची के अनुसार चल रहा है।

शीतल पेयों के मूल्य :

1386. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों में तथा रेलगाड़ियों में खाद्य पदार्थों तथा शीतल पेयों हेतु लिये जाने वाले मूल्यों पर रेल अधिकारियों का कोई नियंत्रण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे स्टेशनों पर तथा रेलगाड़ियों में विक्रेताओं द्वारा शीतल पेयों के लिये जाने वाले मूल्य निर्माताओं द्वारा निर्धारित तथा रेलवे स्टेशनों के बाहर लिये जाने वाले मूल्यों से अधिक है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रेलवे बोर्ड का ध्यान उड़ीसा में सम्बलपुर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम द्वारा रेलवे स्टेशनों पर बेचे जाने वाले शीतल पेयों के मूल्य निर्माताओं द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक निर्धारित कर "अनुचित व्यापारिक व्यवहार" को बढ़ावा देने के कारण रेल अधिकारियों की खिंचाई किये जाने की ओर आकर्षित किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी हां। व्यंजनों और पेय पदार्थों के क्षेत्रीय रेलों द्वारा यथा निर्धारित दरें प्रभारित की जाती हैं।

(ग) और (घ) जी हां। रेलवे स्टेशनों और चल यूनिटों में पेय पदार्थों के लिए प्रभारित मूल्य बाजार से कुछ अधिक होते हैं क्योंकि इनमें ऊपरी प्रभार भी शामिल होते हैं।

(ङ) जी हां।

(च) और (छ) संबलपुर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच के निर्णय की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

इलाहाबाद से रेलगाड़ियां चलाया जाना

1387. श्री राम पूजन पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद से बंबई और कलकत्ता आने-जाने हेतु इस मार्ग पर गाड़ियों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इलाहाबाद से बंबई और कलकत्ता के लिए तेज गति वाली गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) इस समय इलाहाबाद तथा बंबई वी.टी./दादर/कुर्ला के बीच 9 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां तथा इलाहाबाद और हावड़ा/सियालदह के बीच 12 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां पहले ही उपलब्ध हैं जो कुल मिलाकर इलाहाबाद से बंबई तथा कलकत्ता तक यात्रा करने वाले यात्रियों की मौजूदा आवश्यकताओं को संतोषजनक ढंग से पूरा कर रही हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चर्चगेट रेलवे स्टेशन

1388. श्री राम नाइक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे प्रशासन ने चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर सुप्रीम इलैक्ट्रोनिक्स के विज्ञापन ठेके को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस विज्ञापन एजेंसी के साथ समझौते की शर्तों विज्ञापन के प्रदर्शन से पूर्व उनके लिए पूर्व-स्वीकृति ली जाने की श उल्लिखित हैं?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

सफारी पार्क

1389. डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम :

श्री के. प्रधानी

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्राणी उद्यानों में सफारी पार्कों के स्थापना हेतु दिशा-निर्देश तैयार कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पार्कों की स्थापना कहां-कहां की जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) (क) से (ग) देश के प्राणी उद्यानों में सफारियों की स्थापना के बारे में अलग से कोई दिशा-निर्देश तैयार नहीं किए गए हैं। इस प्रकार के सफारियों का कार्य संचालन चिड़ियाघर मान्यता नियमावली, 1992 के उपबंधों द्वारा विनियमित किया जाता है।

[हिन्दी]

स्टालों का आवंटन

1390. श्री जनार्दन मिश्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक जोन में आवंटित किए गए चाय के स्टॉल और खान-पान सेवा वाली ट्रालियों की संख्या कितनी-कितनी है और ये दुकानें तथा ट्रालियां किस आधार पर आवंटित की गई थीं;

(ख) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि दुकानें एक ही व्यक्ति को अलग-अलग नाम से आवंटित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले के संबंध में कोई जांच कराने और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

रेल सम्पर्क

1391. श्री एस.एम. लालजान बाशा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापतनम और रायपुर के मध्य समुचित रेल सम्पर्क नहीं होने के कारण इस क्षेत्र का विकास प्रभावित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) किसी क्षेत्र का विकास पैसेंजर गाड़ी सेवाओं की उपलब्धता के अलावा विभिन्न अन्य कारकों पर निर्भर करता है। इस खंड पर इस समय 5 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों सहित 8 जोड़ी गाड़ियां उपलब्ध हैं। ये सेवाएं इस खंड पर यातायात के मौजूदा स्तर के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय भांडागार निगम में चिकित्सा व्यय की अदायगी

1392. श्री फूल चंद वर्मा :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भांडागार निगम में निचले स्तर के कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ते के रूप में मात्र 100/- रूपये प्रतिमाह मिलते हैं जबकि वरिष्ठ अधिकारियों के लिए चिकित्सा भत्ते की कोई सीमा निर्धारित नहीं है;

(ख) क्या पहले सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को एक समान चिकित्सा सुविधाएं मिलती थी; और

(ग) इस विसंगति को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) केन्द्रीय भण्डारण निगम के समूह ''ग'' और ''घ'' कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियां, प्रबंध और सेन्ट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन एम्पलाइज यूनियन के परिसंघ के बीच हुए वेतन समझौते के अधीन नियंत्रित होती हैं। दूसरे वेतन समझौते के संबंध में बातचीत के दौरान समूह ''ग'' और ''घ'' कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सेन्ट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन एम्पलाइज यूनियन परिसंघ ने विशिष्ट रूप से चिकित्सा भत्ते की मांग की और इसके लिए जोर दिया और प्रबंध और सेन्ट्रल वेअर-हाउसिंग कारपोरेशन एम्पलाइज यूनियन के बीच 9.1.92 को हुए समझौते के खंड 4.2 के अनुसार यह सहमति हुई थी कि समूह ''ग'' और ''घ'' के प्रत्येक कर्मचारी को 1200 रूपये (एक हजार दो सौ रूपये केवल) प्रतिवर्ष का भुगतान किया जाए बशर्ते कि वे निर्धारित प्रोफार्मा में स्व-प्रमाण पत्र (सेल्फ सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करें। यह भुगतान 300/- रूपये प्रति तिमाही की दर से हर तिमाही में किया जाएगा। यह चिकित्सा भत्ता बहिरंग (आउटडोर) उपचार के लिए है और इसके अलावा समूह ''ग'' और ''घ'' कर्मचारियों को अंतरंग (इनडोर) अस्पताल में भर्ती होने पर उपचार और लम्बी बीमारी के लिए बहिरंग और अंतरंग, दोनों के चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है।

समूह ''क'' और ''ख'' अधिकारी, जो उल्लिखित समझौते के अधीन ''कवर'' नहीं किए गए हैं, उन्हें केन्द्रीय भण्डारण निगम की चिकित्सा योजना के अनुसार चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ख) जी, हां। वेतन समझौता लागू करने से पहले सभी श्रेणी के कर्मचारी केन्द्रीय भण्डारण निगम चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के अधीन आते थे।

(ग) समूह ''ग'' और ''घ'' के कर्मचारियों तथा समूह ''क'' और ''ख'' के अधिकारियों के बीच कोई भेद-भाव नहीं है क्योंकि समूह ''ग'' और ''घ'' कर्मचारियों के लिए बहिरंग उपचार हेतु 300/- रूपये प्रति तिमाही की दर पर चिकित्सा भत्ता, समूह ''ग'' और ''घ'' कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सेन्ट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन एम्पलाइज यूनियन परिसंघ की मांग के अनुसार है। अंतरंग उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति के मामले में सभी श्रेणी के कर्मचारी केन्द्रीय भण्डारण निगम चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के अधीन ''कवर'' किए गए हैं।

नए रेलवे जोन

1393. श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में नया रेलवे जोन बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) सरकार को बिहार में एक क्षेत्रीय रेल मुख्यालय की स्थापना के लिए कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं।

"एक आमान परियोजना" और कोंकण रेलवे के निर्माण के परिणामस्वरूप जोनों और मण्डलों के मौजूदा भौगोलिक वितरण की जांच करने के लिए गठित किए गए अध्ययन दल ने इसे युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता का सुझाव दिया है। इस प्रक्रिया में कुछ नए जोनों और मण्डलों का सृजन भी किया जा सकता है।

प्रस्तावों को तैयार करने और अन्य संबंधित मामलों पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

चिल्का झील में झींगा पालन

1394. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिल्का झील में झींगा पालन परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में कोई व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन संबंधी अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य सरकार ने चिल्का झील में झींगा पालन परियोजना का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए मैसर्स वाटर एण्ड पावर कनसलटेंसी सर्विसेस लिमिटेड को काम पर लगाया था। मैसर्स वाटर एण्ड पावर कनसलटेन्सी सर्विसेस लिमिटेड द्वारा तैयार की गई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट की मंत्रालय में जांच की गई थी। जांच करने पर पाया गया कि जल विज्ञान, भूमिगत जल निष्कर्षण, जल गुणवत्ता, प्रदूषण नियंत्रण उपायों, वनस्पतिजात, प्राणिजात आदि के संबंध में सूचना पूर्ण नहीं थी। अत: उड़ीसा राज्य सरकार ने विशेषज्ञों के एक बहुविषयी दल द्वारा इसकी एक विस्तृत और व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन शुरू करने की सलाह दी है।

प्रधानाचार्यों का सम्मेलन

1395. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में 30 जून, 1995 से केन्द्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जो कि प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु उपाय करने और शैक्षणिक प्रौद्योगिकी में नई प्रवृत्तियों की खोज करने के बारे में था;

(ख) यदि हां, तो इसमें दिये गए सुझाव और की गई टिप्पणियां और सबके लिए प्राथमिक शिक्षक सुलभ कराने संबंधी क्या नीति बनाई गई है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, राजधानी में केन्द्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का 30 जून, 1995 से एक तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन ने महसूस किया कि सक्षमता के विकास पर बल देते हुए प्राथमिक कक्षाओं में कार्य-आधारित शिक्षण शुरू किया जाना चाहिए। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने प्राथमिक कक्षाओं में कार्य आधारित शिक्षण शुरू करने के लिए उपाय किए हैं।

काजू अनुसंधान केन्द्र

1396. प्रो0 उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना की शेष अवधि के दौरान देश में कुछ और काजू अनुसंधान केंद्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में काजू की पौध में सुधार करने हेतु कोई कदम नहीं उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आंध्र प्रदेश में प्रयोग लाई जाने वाली काजू की पौध की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ). कृषि तथा सहकारिता विभाग, भारत सरकार ने 76 लाख रूपये की लागत पर जारी की गई काजू कि किस्मों की कलमें तैयार करने के लिए 8 क्षेत्रीय नर्सरियों तथा 1.710 लाख रूपये की लागत से 0.4 हैक्टेयर की 80 मॉडल क्लानेस बागीचों के लिए स्वीकृति दी है। आठवीं योजना के दौरान काजू विकास कार्यक्रमों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के लिए कुल 860.874 लाख रूपये आवंटित किये गये हैं।

ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

1.	पूर्व वर्षों में उगाये गये काजू के बागान का रखरखाव	रू. 24.510 लाख

2.	निर्यात योग्य कृन्तकों वाले काजू के नये बागान	रू. 516.560 लाख
3.	टाप वर्किंग द्वारा पुनर्रोपण/ पुनर्जीवन	रू. 66.975 लाख
4.	व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकी को अपनाना	रू. 142.500 लाख
5.	कीट नियंत्रण उपायों को अपनाना	रू. 94.650 लाख
6.	कार्यान्वयन संबंधी बुनियादी आधार वाली सुविधाएं	रू. 15.675 लाख
	कुल	रू. 860.874 लाख

स्टाल आदि शुरू किया जाना

1397. **श्री विजय कुमार यादव :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नए लंबे प्लेटफार्म संख्या दस पर कॉफी की बिक्री के लिए स्वचालित वितरण मशीन तथा तीन पेप्सी वितरण मशीन वाला एक स्टाल एवं एक बुक स्टाल/कैमिस्ट कार्नर एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसे यात्रियों के लिए कब तक शुरू किया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) नेस्केफे कॉफी मशीन - 1.1.1995

तीन पेप्सी मशीनें (कियोस्क) - 28.12.94

बुक स्टॉल - एवं कैमिस्ट कार्नर - 26.6.1995

पैक किए गए खाने और नाश्ते/मिनरल वाटर की बिक्री विभागीय वेंडरों के माध्यम से की जाती है।

चीनी उत्पादन क्षमता को अवैध रूप से बढ़ाना

1398. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन चीनी मिलों पर जुर्माना करने हेतु कदम उठाए हैं जो बिना सरकार की अनुमति के अपनी क्षमता बढ़ा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी कंपनियों पर जुर्माना किया गया है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) किसी चीनी फैक्ट्री द्वारा आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किए बिना अपनी क्षमता को बढ़ाना आई.आर.डी. अधिनियम, 1951 की धारा 24 के अन्तर्गत दंडनीय है।

(ख) अभी तक किसी भी चीनी मिल पर जुर्माना नहीं किया गया है।

वातानुकूलित भांडागार

1399. **श्री एन. डेनिस :**

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भांडागार निगम ने बागवानी उत्पादों को रखने के लिए देशभर में वातानुकूलित भांडागार बना रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों में राज्य भांडागार निगमों ने ऐसे भांडागार बना रखे हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) भारतीय भांडागार निगम नामक कोई निगम नहीं है। केन्द्रीय भंडारण निगम कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल) में 1250 मीटरी टन क्षमता का एक वातानुकूलित गोदाम चला रहा है। इस गोदाम में किसी प्रकार के बागवनी उत्पादन का भण्डारण नहीं किया जा रहा है। तथापि, केन्द्रीय भण्डारण निगम के अगरतला (त्रिपुरा), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) और तुरबे (महाराष्ट्र) में तीन कोल्ड स्टोरेज है, जिनकी कुल क्षमता 4179 मीटरी टन है। इन कोल्ड स्टोरेज में केन्द्रीय भण्डारण निगम बागवानी उत्पादन के अलावा अन्य सामान का भण्डारण भी कर रहा है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार कोई भी राज्य भण्डारण निगम वातानुकूलित भांडागार नहीं चला रहा है।

कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री

1400. **श्री महेश कनौडिया :**

डा. पी. वल्लल पेरूमान :

श्री बलराज पासी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री का विचार कोचों के निर्यात हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1995-96 और 1996-97 के लिए कोच निर्माण के संबंध में निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(घ) क्या रेल कोच फैक्ट्री ने मद्रास में कुछ जन परिवहन प्रणाली हेतु हल्के रेल कोचों के निर्माण के लिए "सीमेन्स" के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में अभी कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है

(घ) और (ङ) भारत के महानगरों में व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली के लिए अपेक्षित हल्के और भारी रेल वाहनों के निर्माण के

लिए रेल कोच फैक्टरी ने मै. सिमेन्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के संबंध में एक विस्तृत सहयोग करार किया जाना अपेक्षित है।

सतत विकास और वानिकी प्रबंधन

1401. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने सतत विकास के सिद्धांतों और वानिकी प्रबंधन तथा पृथ्वी सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू नहीं करने सहित अनेक मुद्दे उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भाग लेने वाले सदस्य राष्ट्रों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) भारत को नई प्रौद्योगिकी देने के संबंध में सम्मेलन में कितनी सहमति हुई है और भारत के उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सम्मेलन में स्वीकार किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सतत् विकास आयोग के अधिवेशनों में भारत ने रियो डि जनेरो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन 1992 में यथा सहमत नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों के आवंटन तथा विकसित देशों द्वारा प्रौद्योगिकी के अंतरण में धीमी प्रगति के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की थी। भारत ने विभिन्न मंचों में भी रियो सम्मेलन में अपनाए गए वन प्रबंधन, संरक्षण और सतत् विकास के गैर विधिक बाध्यता सिद्धांतों के विवरण को लागू करने की जरूरत को उठाया है। हाल ही में भारत ने सतत् विकास आयोग द्वारा वानिकी पर अंतसरकारी पैनल की स्थापना में सक्रिय भूमिका अदा की है। इस पैनल का उद्देश्य रियो सम्मेलन में स्पष्ट किए गए वनों पर गैर-विधिक बाध्यता विवरण के अनुरूप वनों के सतत् प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुविषयक कार्रवाई का संवर्द्धन करना है। इन मुद्दों पर भारत की स्थिति का अन्य विकासशील देशों द्वारा समर्थन किया गया है। आम सहमति यह है कि इन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए सतत विकास आयोग को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

संकर सब्जी

1402. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) महत्वपूर्ण सब्जियों की संकर किस्मों का उत्पादन करने हेतु एक बड़ी परियोजना शुरू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के द्वारा कितने प्रकार की सब्जियों की किस्म तैयार की जाएगी; और

(ग) परियोजना लागत को पूरा करने पर कितनी धनराशि व्यय की जाएगी?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) "सब्जी वाली फसलों में संकर अनुसंधान को बढ़ावा" नामक प्रायोजना 9 प्रमुख सब्जी वाली फसलों यानी टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, मिर्च, ककड़ी, करेला, बंदगोभी, प्याज तथा भिण्डी में अधिक उपज देने वाली तथा रोगरोधी संकर किस्मों के विकास से संबंधित है। यह प्रायोजना 15 केन्द्रों में चलेगी जिनमें 4 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, 10 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा एक स्वायतशासी निकाय है। प्रत्येक फसल में विकसित की जाने वाली संकर किस्मों की संख्या को निश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि संकर किस्म का विकास एक अनवरत प्रक्रिया है जो दिये गये समय (निर्धारित समय) में सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध किस्म की तुलना में और भी बेहतर किस्म के विकास से संबंधित है।

(ग) इस प्रायोजना को 31 मार्च, 1998 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए 330.38 लाख रूपये की स्वीकृति दे दी गई है।

नारियल उत्पादक

1403. श्री एम. रामन्ना राय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "नैफेड" द्वारा किसानों से खोपरा की खरीद से इंकार कर देने के कारण केरल में नारियल उत्पादकों को हो रही मुश्किलों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नैफेड) मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कोपरा की खरीद करने के लिये केन्द्रीय नोडल एजेंसी है। वर्ष 1995 के लिये कोपरा का समर्थन मूल्य घोषित कर दिये जाने के फलस्वरूप नैफेड इस योजना के अन्तर्गत केरल में 7 जुलाई, 1995 से कोपरा की खरीद कर रहा है। 2 अगस्त, 1995 तक मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत केरल में नैफेड द्वारा 2188 मी. टन कोपरा की खरीद की गई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इज्जत नगर में रेलवे कार्यशाला

1404. श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इज्जत नगर रेलवे कार्यशाला में इस समय शुरू किए गए विभिन्न कार्यों का ब्यौरा क्या है.

(ख) क्या कार्यशाला की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त कार्यशाला को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ङ) क्या इस कार्यशाला में कर्मचारियों की संख्या में लगातार कमी हो रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) मुख्य कार्य का ब्यौरा इस प्रकार है :

1.	मी.ला. के माल-डिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग	प्रतिमाह औसतन 80 चौपहिया यूनिट
2.	मी.ला. के सवारी डिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग	प्रतिमाह औसत 100 चौपहिया यूनिट
3.	रेल मोटर ट्राली विनिर्माण (मी.ला. और व.ला.)	प्रतिवर्ष 10

(ख) और (ग) मौजूदा क्षमता का उपयोग मी.ला. के स्टॉक की आवधिक ओवरहालिंग के अनुरूप है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) कार्यभार की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की संख्या विनियमित की जा रही है। इज्जतनगर कारखाने में सामान्य सेवानिवृत्ति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या में कमी है।

रेल सम्पर्क

1405. श्री छेदी पासवान :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन-किन राज्यों की राजधानियों को रेल लाइन से नहीं जोड़ा गया है;

(ख) क्या सरकार के पास सभी राज्यों की राजधानियों को रेल लाइन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क)

	राजधानी	राज्य
1.	इम्फाल	मणिपुर
2.	अगरतला	त्रिपुरा
3.	कोहिमा	नागालैंड
4.	गंगटोक	सिक्किम
5.	शिलांग	मेघालय
6.	इटानगर	अरूणाचल प्रदेश
7.	आइजोल	मिजोरम
8.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर

(ख) जी नहीं। तथापि, अगरतला तथा श्रीनगर के लिए रेल संपर्कों की व्यवस्था करने की योजना है।

(ग) अगरतला तथा श्रीनगर के लिए रेल संपर्कों को नौवीं योजना अवधि के अंत तक मूर्त रूप दे दिए जाने की संभावना है बशर्ते की आगामी वर्षों में संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

वन लगाना

1406. श्री रमेश चेन्नितला :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन लगाने के संबंध में उठाए गए विभिन्न कदमों से भारत के विभिन्न राज्यों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वन लगाने के ऐसे कार्यक्रम द्वारा राज्यवार वन क्षेत्र में कितनी कमी पूरी की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1993 के अनुसार 1993 के मूल्यांकन के अनुसार देश के कुल वन आवरण में 1991 के मूल्यांकन की तुलना में 925 वर्ग कि.मी. की वृद्धि हुई है।

(ख) 1990 और 1993 के मूल्यांकन के अनुसार वन आवरण का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है :-

(क्षेत्र : वर्ग कि.मी. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991 का मूल्यांकन	1993 का मूल्यांकन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	47,290	47,256
2.	अरूणाचल प्रदेश	68,757	68,661
3.	असम	24,751	24,508
4.	बिहार	26,668	26,587
5.	गोवा (दमन और द्वीव सहित)	1,225	1,250
6.	गुजरात	11,907	12,044
7.	हरियाणा	513	513
8.	हिमाचल प्रदेश	11,780	12,502
9.	जम्मू व कश्मीर	20,064	20,443
10.	कर्नाटक	32,199	32,343
11.	केरल	10,292	10,336
12.	मध्य प्रदेश	135,785	135,396
13.	महाराष्ट्र	44,044	43,859
14.	मणिपुर	17,685	15,621
15.	मेघालय	15,875	15,769
16.	मिजोरम	18,853	18,697

1	2	3	4
17.	नागालैण्ड	14,321	14,348
18.	उड़ीसा	47,205	47,145
19.	पंजाब	1,343	1,343
20.	राजस्थान	12,835	13,099
21.	सिक्किम	3,033	3,119
22.	तमिलनाडु	17,713	17,726
23.	त्रिपुरा	5,535	5,538
24.	उत्तर प्रदेश	33,609	33,961
25.	पश्चिम बंगाल	8,015	8,186
26.	अण्डमान और निकोबार	7,622	7,624
27.	चण्डीगढ़	5	5
28.	दादर और नगर हवेली	206	206
29.	दिल्ली	22	22
30.	लक्षद्वीप	-	-
31.	पाण्डिचेरी	-	-
	कुल	6.39.182	6,40.107

(ग) बड़े पैमाने पर वनीकरण के फलस्वरूप गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों तथा अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र में वन आवरण में 1991 के मूल्यांकन की तुलना में 1993 के मूल्यांकन के अनुसार वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

रेलवे की भूमि

1407. श्री एन.जे. राठवा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में लोगों द्वारा अतिक्रमित रेलवे की भूमि में क्षेत्रफल का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उक्त भूमि पट्टे पर दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) गुजरात में अतिक्रमित रेलवे भूमि का क्षेत्रफल लगभग 59.33 हेक्टेयर है।

(ख) अतिक्रमण हटाने के लिए सरकारी स्थान अप्राधिकृत (अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत सतत् आधार पर कार्रवाई की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

'माडरेशन कमेटी' द्वारा प्राप्तांकों की पुनरीक्षा

1408. श्री मुहीराम सैकिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों की 'माडरेशन कमेटी' जमा दो चरण के विषय अध्यापक द्वारा दिए गए अंकों की पुनरीक्षा सम्बद्ध विषय अध्यापक की राय के बिना ही पुनरीक्षा कर सकती है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक शैक्षिक सत्र के लिए गठित की गई 'माडरेशन कमेटी' पिछले सत्र में आयोजित परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की पुनरीक्षा के संबंध में किन-किन मामलों में ऐसे कदम उठाए गये?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने बताया है, कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षा कोड के अनुच्छेद 119 के अनुसार, टैस्ट परीक्षाओं के लिए पेपर सैट करने के दिशानिर्देश तैयार करने, अनुदेशात्मक लक्ष्यों के लिए वेटेज निर्धारित करने, सैट किए जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति तथा अपनाई जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया, परीक्षकों द्वारा निर्धारित टैस्ट पेपर/विषय नियमित करने, एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए नमूना लिपियों की जांच करने तथा परिणाम घोषित होने से पहले सामान्य तथा अन्य जटिल मामलों को निश्चित करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में एक नियंत्रण समिति गठित की गई है।

जमा+2 स्तर पर ग्यारहवीं कक्षा के लिए मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाता है तथा नियंत्रण समिति, शिक्षा कोड के प्रावधानों के अनुसार काम करती है।

(घ) क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ से ब्यौरे इकट्ठे किए जा रहे हैं तथा सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

1409. श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी इकाइयों के आधार पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) क्या इस संबंध में जनसंख्या के आधार पर कोई मानदंड है, और

(ग) सभी विद्यमान इकाइयों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कब तक सुनिश्चित कर दी जाएगी?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सभी शामिल हैं और सभी व्यक्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ पाने के हकदार हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आवंटन, आमतौर पर आबादी के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि इनका निर्णय स्टाक की पारस्परिक आवश्यकताओं, विगत में उठाई गई मात्रा, मौसम जन्य कारकों आदि के आधार पर किया जाता है। केवल लेवी चीनी ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1.10.1996 को अनुमानित आबादी के आधार पर आवंटित की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हकदारी के मानदंड तथा अन्य प्रचालनात्मक पहलुओं के बारे में निर्णय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि ये मामले उनके प्रशासकीय अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

1201. म.प.

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह (सतना) : महोदय, आपकी अनुमति से, मैं वेदना और चिंता के साथ इस माननीय सभा का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि काफी समय से, भूतपूर्व युगोस्लाविया, बोसनिया में जातीय संघर्ष ने मानव अधिकारों का गंभीर रूप से उल्लंघन का रूप ले लिया है। मासूम महिलाओं तथा बच्चों पर आक्रमण, उनसे बलात्कार और उनकी हत्या की जा रही है। विश्व भर में इस अतुलनीय पाशविकता की निंदा की जा रही है। यह गहन खेद की बात है कि भारत सरकार ने एक अशुभ चुप्पी लगा रखी है और उसने विश्व के इस बदनसीब भाग में जो कुछ हो रहा है उस पर अब तक दुःख और निंदा प्रकट करते हुए कोई सार्वजनिक वक्तव्य नहीं दिया है। यह उचित तथा इस देश की परम्पराओं के अनुरूप होगा कि यह माननीय सभा इस संघर्ष में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर अपनी गहरी चिंता और निंदा करें और इस संघर्ष के हजारों मासूम तथा अभागे पीड़ितों के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करें।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार मानता हूं। मैं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल को उठाना चाहता हूं जो हमारे राष्ट्र के गौरव, तहजीब और सभ्यता को अक्षुण्ण रखने का काम करेगी।

हमारा देश गौरवशाली है जहां पर गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान का बोध हुआ था। यदि विश्व के किसी अन्य भाग में यह स्थान होता तो वह विपन्नावस्था में न होता। इस संबंध में बिहार सरकार के टूरिज्म मंत्री भारत सरकार से मिले हैं। भारत सरकार के पर्यटन विभाग का बजट ऐलोकेशन का 2 फीसदी भाग बिहार को मिला है जबकि बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति विपन्न है। इन सारी बातों को देखते हुए हमने एक योजना बनाई थी कि वहां पर बुद्धिस्ट सर्किट बनायेंगे।

इस बात का प्रचार पूरी दुनिया में और खासकर बुद्धिस्ट कंट्रीज में ज्यादा हुआ। इसके प्रति बहुत उत्साह आया। थाईलैंड में भारत के राजदूत श्री गुप्ता ने मई 1984 में भारत सरकार को एक पत्र लिखा कि वहां की सुप्रीम टूरिस्ट कंपनी ने यह जिम्मेदारी ली है कि 16 करोड़ रूपये में वह पर डे तीन फ्लाईटस ला सकती है जिसमें उसे दो बातें चाहिये। एक तो यह कि पटना एअरपोर्ट जिसे नेपाल से जोड़ दिये जाने से अन्तर्राष्ट्रीय फैसल्टीज मिल गयी है, वहां उन्हें अनुमति मिल जाये तो तीन फ्लाईटस डेली ला सकते हैं। उसी पैसे में वहां पर 5-स्टार होटल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या लीज पर दे दिया जाये तो पूरा काम कर सकते हैं।

प्रतिदिन तीन फ्लाइट वह देश में ला सकते है। हमारे देश में एयरपोर्ट अथॉरिटी उस एयरपोर्ट को संपूर्ण सक्षम बनाने के लिए 54 करोड़ रूपए की बात करती है। हम बहुत ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे है। हमारे देश की अपनी तहजीब, सभ्यता, संस्कृति तथा राष्ट्र का गौरव है। दुनिया में चार बड़े मजहब है जिनमें से एक मजहब बुद्धिजम हैं। यदि बुद्ध धर्म का सबसे बड़ा सेंटर बनाना है तो 'गया' स्थान को हमें सब तरह से वैल इक्विप्ड करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक बहुत बढ़िया प्रस्ताव है जिसको सरकार नहीं मानती है। बिहार सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने लिखा कि आप बना दीजिए तो सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे की कमी है। अध्यक्ष जी, इस स्थान के डैवलप होने से अकेले हमारे देश का गौरव, हमारी सभ्यता और वैदेशिक नीति ही मजबूत नहीं होगी, बल्कि दुनिया में तीसरे नंबर पर जो व्यापार पर्यटन है, उस के द्वारा हमारे देश में काफी विदेशी मुद्रा भी आएगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस मामले में यदि उनके पास पैसे की कमी है तो मुझे समझ में नहीं आता है। थाईलैण्ड का हमारा राजदूत इस बात को कहता है कि यह कंपनी है और यह इसके प्रमोटर है। वह 16 करोड़ रुपए में काम करने को तैयार है जिस काम को करने के लिए आप 54 करोड़ रुपए बता रहे है। आप सिर्फ एयरपोर्ट बनाएंगे और वह एयरपोर्ट के साथ एक होटल भी आपको देंगे। यह भारत के लिए बहुत आवश्यक काम है और सरकार को इस पर कोई न कोई फैसला जरूर लेना चाहिए, यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : यह बहुत गंभीर मामला है। सरकार इसको किनारे करने का काम कर रही है।...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष जी, मैंने भी नोटिस दिया है। मुझे दो मिनट बोलने का मौका दिया जाए। ...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष जी, आप भी इस मामले की गंभीरता को समझते है।...(व्यवधान)।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, लोगों के मन में इस बारे में बहुत तकलीफ है। वैसे भी बिहार बहुत तरह से गरीबी, बेकारी और भूख से पीड़ित इलाका है जो बहुत तकलीफ में है। वहां के लोगों के मन

में लगातार यह बात आती है कि हमारी उपेक्षा हो रही है। मैंने इसलिए आपसे निवेदन किया और सवाल उठाया और आपके माध्यम से सरकार से कहा कि इस पर सरकार को कोई न कोई बात कहनी चाहिए। बिहार के सभी सदस्य इस बात पर एक हैं और उनकी भावनाओं को देखकर मैंने उनसे कहा कि मैं इस सवाल को उठाऊंगा। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार को इस पर अपनी तरफ से कोई न कोई बात जरूर कहनी चाहिए। बहुत सी चीजें हैं जो जीरो अवर में नहीं उठायी जा सकती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और लोगों के मन में उपेक्षा का भाव आ गया है। हम बाहर से भी कोई इंतजाम करते हैं तो वह भी नहीं होता और भीतर से भी सरकार इंतजाम नहीं करती है।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, अभी शरद जी ने जिस बात को उठाया, मैं उसी के संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बोध गया भारत में एक ऐसी जगह है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह सबको मालूम है। आप पॉइंट पर आ जाइए।

श्री सूर्य नारायण यादव : मुझे इसी पर बोलना है। बोध गया एक इंटरनेशनल प्लेस है। हम कोलंबो गए थे तो वहां सारे लोग हमसे मिले। हमारी उनसे मित्रता हुई। वहां यह कहा गया था कि बोध गया हम पर्यटन के लिए जाते हैं। जाने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। वह चाहे ट्रेन हो, हवाईजहाज के द्वारा हो और आज तीन-चार वर्षों से थाईलैण्ड की कंपनी...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा में किसी कंपनी के पक्ष में इस तरह की वकालत पर मुझे आपत्ति है। आप को कृपया यह समझना चाहिए कि आप किसी कंपनी के मामले की वकालत नहीं कर रहे है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइयें।

[अनुवाद]

कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाइये। पहले आप सुन लीजिए।

[अनुवाद]

अब कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाइये। हाउस में आप इस प्रकार से करेंगे तो आप जैसा चाहें वैसा चलाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए गया का सवाल मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ट्यूरिज्म मिनिस्ट्री मेरे पास थी। कितना पैसा बाहर से खर्च हो रहा है यह भी मैं जानता हूं। 100 करोड़ रूपया जापान का वहां पर खर्च हो रहा है। इसके बाद भी गया के लिए जो कुछ करना है वह करना जरूरी है। मैं गवर्नमेंट की परिस्थिति को न समझे हुए भी आपके कहने पर हर वक्त कुछ कहूं और वे कल कह दें कि यह नहीं हो सकता है तो मेरा कहना भी बेकार हो जाता है। आपने कह दिया, आपका मामला बिल्कुल दुरूस्त है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाइये।

[अनुवाद]

कृपया पहले बैठ जाइये।

[हिन्दी]

जिस पद्धति से काम करना चाहते हैं उस पद्धति से काम करेंगे तो काम भी हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। आपने अच्छा सवाल उठाया, हमने सुन लिया। इस पर एक बात छोड़कर बाकी सब बातें ठीक हैं। मैंने आपको उसमें नहीं रोका क्योंकि आपने प्रवाह में सारा बोल दिया, वही बात बार-बार रिपीट हो रही है। किसी प्राइवेट आदमी के कांट्रेक्ट की बात यहां हाउस में नहीं कर सकते।

[अनुवाद]

कृपया इसे समझें।

श्री शरद यादव : राजदूत...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, राजदूत ने भी कहा तो आप किसी भी प्राइवेट आदमी का केस यहां पर प्लीड नहीं कर सकते।

श्री शरद यादव : राजदूत के पत्र में इसका उल्लेख है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। पहले आप बैठ जाइये, चिल्लाने से काम नहीं हो सकता। मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं और आप बीच-बीच में बोल रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि यह इंपोर्टेंट जगह है, इसके ऊपर पैसा खर्च हुआ है। अगर गवर्नमेंट इस पर मदद कर सकती है तो जरूर करें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि किसी प्राइवेट आदमी का नाम यहां पर न लें। अगर इस प्रकार से चलेगा तो कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ बोलने से मतलब है, काम करवाने से मतलब नहीं है ऐसा उसका मतलब निकलता है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : हमने नोटिस दिया था, हमको भी बोलने का मौका दें।

[अनुवाद]

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं...

अध्यक्ष महोदय : नोटिस दिया है तो सब नोटिस नहीं लिए जा सकते।..(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। किसी का नाम नहीं ले रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्राइवेट व्यक्ति का नाम छोड़कर बाकी सब कह दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार (गया) : यह मेरी कांस्टीट्युएंसी का मामला है, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या मतलब है, आपने कांस्टीट्युएंसी का प्रश्न क्यों नही पूछा, इसको जीरो ह्यवर में ही क्यों उठा रहे हैं? प्रश्न पूछने में आपको क्या तकलीफ थी?

श्री सूर्य नारायण यादव : इंटरनेशनल सवाल है सर। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इंटरनेशनल है तो आपने प्रश्न क्यों नहीं पूछा? मैं यह मानता हूं कि यह बहुत इंपोर्टेंट है, गवर्नमेंट अगर कर सकती है तो करना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव : यह सरकार उदार है, इसने उदारीकण की नीति चलाई है। उदारीकरण के तहत अगर भारत सरकार के पास फंड नहीं हो, उसका जिस तरह से भी हो इसकी पूर्ण व्यवस्था की जाए। आज मैं लालूजी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो थाईलैण्ड जाकर बिहार में उद्योगीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। भारत सरकार को भी उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। मान्यवर, गया में बहुत सी जगह ऐसी है जिन्हें टूरिज्म की दृष्टि से अगर डैवलप किया जाये तो न केवल राज्य सरकार को आमदनी होगी बल्कि भारत सरकार भी लाभान्वित होगी। इसलिये मेरी भारत सरकार से मांग है कि इस पर शीघ्र अमल किया जाये।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी हमारे नेता ने सदन में कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। मैं यहां दूसरे ऐंगल से बात बताना चाहता हूं। टूरिज्म से संबंधित आंकड़े हमें समय समय पर मिलते रहते हैं। उनके अनुसार पूरे हिन्दुस्तान में जितने होटल है, उन सबमें बोध गया का होटल सरकार को सबसे ज्यादा इंकम देता है और वह भी इंडियन रूपये में इंकम नहीं बल्कि विदेशी करेंसी में आय देता है। जो भी विदेशी टूरिस्ट बोध गया जाता है, उसे दिल्ली से पटना जाना पड़ता है और पटना से बोधगया 124 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा मार्ग बनारस होकर बोधगया जाता है, जिसकी कुल दूरी लगभग 400 किलोमीटर हैं।

मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि बोधगया होटल से विदेशी करेंसी में होने वाली आय तथा हमारे नेता शरद जी ने जिन बातों को यहां रखा, उसे देखते हुये, गया एअरपोर्ट को डैवल्प किया जाये। इस समय टूरिज्म मिनिस्टर सदन में उपस्थित नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि गया को हम एअरपोर्ट से जोड़ेंगे लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं पुन: मांग करता हूं कि गया एअरपोर्ट को डैवलप करके बोधगया तक एअर सर्विस चलाई जाये। ... (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ (हमीरपुर) : अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। अभी तीन दिन पूर्व हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छा प्रसंग डा. वेणुगोपाल के संबंध में यहां उठाया था। उसी तरह मैं एक दूसरा प्रसंग उठाना चाहता हूं और बड़ी खुशी के मौके का इजहार करना चाहता हूं। इसी सदन में पिछले वर्ष 24 अगस्त को एक बात उठी थी कि राष्ट्र-नायक, विश्व-विजेता, अपराजित हाकी के जादूगर ध्यान चंद जी का जन्म-दिन प्रतिवर्ष मनाया जाये जिसे दिसंबर में सरकार ने स्वीकार कर लिया था। अब आगामी 29 अगस्त को यह अवसर आ रहा है जबकि पूरे देश में उसे मनाया जायेगा। इसके लिए सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी और सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं और कृतज्ञता अर्पित करता हूं तथा साथ ही आग्रह करता हूं कि गुलामी के दिनों में, जिनके हम गुलाम थे, उनको हर जगह हराकर ध्यान चंद जी ने वाकई एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का रोल अदा किया, उनके अनुरूप सारे आयोजन होने चाहिये, दिल्ली में तथा सभी राज्यों की राजधानियों में और विशेषकर झांसी में जहां दद्दा रहते थे, जहां वे खेले, जहां उनका परिवार है और जहां उनकी समाधि बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि उनके नाम पर एक खेल विश्व-विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री स्वरूप उपाध्याय (तेजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं असम में घटित एक घटना को उठाना चाहता हूं। यह आरोप लगाया गया है कि एक ठेकेदार के पी.एस.ओ., जिसका नाम श्री भाग्यकालिता है।,

अध्यक्ष महोदय : आप एक आरोप के आधार पर मुद्दा उठा रहे हैं।

श्री स्वरूप उपाध्याय : नहीं महोदय, यह पहले ही स्थापित हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह आपराधिक मामला उठा रहे हैं, मानों यह एक आपराधिक न्यायालय हो।

श्री स्वरूप उपाध्याय : नहीं महोदय, यह एक आपराधिक न्यायालय नहीं है लेकिन राजनेताओं, पुलिस अधिकारियो, तथा अन्य के बीच मिलीभगत स्थापित हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। प्रथमत:, आपने उचित सूचना नहीं दी है। आप एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जो सभा में नहीं उठाया जा सकता। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सदन की गरिमा को बनाये रखें और इसे एक नगर पालिका अथवा चौपाल न बनाये।

श्री स्वरूप उपाध्याय : महोदय, मैं इसे वह नहीं बना रहा हूं। लेकिन मुझे यह मसला अवश्य उठाना चाहिए। आप मेरी याचिका को बिना कारण बताये अस्वीकार नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों के अनुसार इसे नहीं ले सकता।

श्री स्वरूप उपाध्याय : गुहाटी की गलियों में लाखों लोग इस पर उत्तेजित है। (व्यवधान) इसी तरह के मामले यहां पहले भी उठाए गये हैं। मैं एडमंड बर्क को यहां उद्धृत करना चाहता हूं...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

श्री स्वरूप उपाध्याय : .....

श्री इन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं सभा का ध्यान देश में थलासेमिया के रोगियों द्वारा सामना की जा रही एक बहुत गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मुंबई में थलासेमिया के रोगी परीक्षकों के दौरान एच.आई.वी. के पाजिटिव परिणाम दे रहे हैं। 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के रोगियों में कम से कम 45 ऐसे रोगियों के मामले पकड़े गये हैं। ऐसे मामले मुंबई शहर के सभी प्रमुख अस्पतालों में पकड़े गये हैं लेकिन उनके पास खून की जांच करने के लिए कोई उचित सुविधा नहीं है। थलासेमिया रोगियों को प्रत्येक माह खून चढ़ाया जाता है।

अत: उन्हें जीवन देने के बजाए हम उन्हें मृत्यु दे रहे हैं। यह एक गंभीर मामला है।

दूसरे, दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कैंसर का पता लगाने और रोगी का इलाज प्रारम्भ करने में इतना अधिक अन्तराल है कि कई लोग रोग का पता लगाने के पश्चात और अस्पताल में इलाज शुरू होने से पूर्व मर जाते हैं। दो वर्ष पूर्व अस्पताल में 2000 मामले आ रहे थे और अब 7000 मामले प्रतिवर्ष अस्पताल में आ रहे हैं। सी.टी. स्कैन और अन्य मशीनों तथा उपकरणों की कोई सुविधा नहीं है। प्रशासन भी उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है। कई बार अस्पतालों में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न की जा रही है। आप जानते हैं कि कैसे हैजा जैसी बीमारियां यहां वहां विकसित हो रही हैं और फैल रही हैं। जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। यह एक तात्कालिक समस्या है। यहां तक कि एडस अथवा कैंसर जैसी गम्भीर बीमारियों में भी पता लगाने, इलाज तथा उसमें उन्मूलन के लिए उचित व्यवस्था की कमी है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन गम्भीर समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे रोग से पीड़ित भाईयों को बचाने के लिए समस्त सभा को एक साथ आवाज उठानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री डराधन राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कोयला खान मजदूरों को नैशनल कोल वेज एग्रीमेंट-पांच के अनुसार दिनांक 1.7.91 से वेतन दिया जाना चाहिए था, लेकिन वह अभी तक तय नहीं हुआ।

...(व्यवधान)...*

* कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : कांसल्टेटिव कमेटी में क्या हुआ, वह आपको यहां नहीं बोलना है।

श्री डराधन राय : अध्यक्ष महोदय, इस साल जनवरी महीने में जे.बी.सी.सी.आई. का गठन किया गया, लेकिन अभी तक सैटलमैंट नहीं हुआ है जिसके कारण पिछले महीने की 21 अगस्त, 1995 को एक ही दिन सारे के सारे कोल मजदूर हड़ताल पर जा रहे हैं

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सलाहकार समिति के संदर्भ में कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री डराधन राय : अध्यक्ष महोदय, अभी तक न तो सैटलमैंट हुआ है और न सरकार ने उनको पैसा दिया है। इसी प्रकार आठ साल पहले कोयला खदान मजदूरों के वेतन से दो प्रतिशत काटकर और सरकार द्वारा दो प्रतिशत जमा कराने के बेसिस पर इन मजदूरों को पैंशन देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन मजदूर के वेतन से तो दो प्रतिशत धन काटा जा रहा है, परन्तु सरकार अपने हिस्से का पैसा जमा नहीं करवा रही है और न मजदूरों को पैसा दे रही है। इसलिए मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि वह मजदूरों के इन मसलों को शीघ्र सुलझाए, वरना मजदूर हड़ताल पर चले जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री अन्ना जोशी (पुने) : महोदय, महाराष्ट्र कच्चा कपास अधिप्राप्ति प्रसंस्करण तथा विपणन अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अधीन महाराष्ट्र में विगत 22 वर्षों से एकाधिकार कपास अधिप्राप्ति योजना चल रही है। केन्द्र सरकार ने इसकी समय-अवधि को समय-समय पर बढ़ाया है और इस समय इसे 30 जून, 1995 तक बढ़ाया जा चुका है। नि:संदेह इस योजना से किसानों को लाभ हुआ है और व्यापारियों तथा एजेंटो के हाथों उनका शोषण कम हुआ है। आर्थिक नीति के उदारीकरण के कारण इस योजना की समय सीमा में वृद्धि करने से भारत सरकार की अस्वीकृति न्यायोचित नहीं है।

इस योजना से किसानों को हो रहे अत्यधिक लाभों पर विचार करते हुए, इसमें स्थायी रूप से वृद्धि करना आवश्यक है। मैं इस संबंध में शीघ्र वृद्धि के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए कृषि मंत्रालय से अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हिन्दुस्तान-पाक सीमा के साथ पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट जैसे फिरोजपुर, गुरुदासपुर और अमृतसर आदि जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ ले जाना चाहता हूं। पिछले 4 वर्ष से वहां कांटेदार तार लगी हुई है। उस कांटेदार तार से गेट दो किलोमीटर की दूरी पर रखे गये हैं। जो किसान अपनी खेती करने के लिए जाते हैं तो बी.एस.एफ. और

सिक्योरिटी वाले उनको शाम को ही वापिस लौटने देते हैं। अगर उनका काम बीच में ही कम्पलीट हो जाता है तब भी उनको वापिस नहीं लौटने दिया जाता। बी.एस.एफ. वाले केवल शाम को ही गेट खोलते है। हमारे डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर के अंदर गवर्नमेंट ने बॉर्डर लाइन से 50 गज की दूरी पर फेन्सिंग लगाने की पॉलिसी बनाई थी लेकिन उस पालिसी को किनारे रखकर फेन्सिंग को 50 गज की दूरी पर लगाने की बजाय डेढ़-दो किलोमीटर पीछे हटकर लगायी गयी है। इससे हजारों एकड़ जमीन तार के आगे है। इसलिए हजारों किसानों को हर रोज अपनी जमीन को कल्टीवेट करने के लिए सुबह-शाम जाना पड़ता है तथा उन किसानों के लिए जो गेट रखे हुए हैं, बी.एस.एफ. वाले उन गेटों में से एक दिन एक गेट खोलते हैं व दूसरे दिन दूसरा गेट खोलते हैं।

हमारी सरकार से यह मांग है कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए उन गेटों को हर रोज खोलना चाहिए और जो किसान तार के आगे काम करने के लिए जाते हैं, वे जब अपना काम खत्म कर लें तभी वापिस आ सकें। मैंने पहले भी दो-तीन बार यह प्रश्न उठाया था लेकिन सरकार की तरफ से इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।

[अनुवाद]

सुधीर गिरि (कन्टाई) : अध्यक्ष महोदय, 3500 रूपये तक मूल वेतन पाने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारी उपभोक्ता मूल्य सूचांक में वृद्धि के रूख के अनुसार अपने महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करने की स्थिति में हैं।

महोदय, राज्य सरकार कर्मचारियों को भी इस बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन राज्य सरकारें सभी राज्य सरकार कर्मचारियों को वित्त प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करें ताकि वे भी अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता प्रदान कर सकें।

इसके अतिरिक्त, गरीब किसान तथा श्रमिक जो असंगठित तथा बेरोजगार है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसलिए आवश्यक वस्तुओं के लिए, जो गरीब किसानों तथा श्रमिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज सहायता उपलब्ध करायी जाती है, उसकी धनराशि में भी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उन्हें भी कुछ सीमा तक राहत मिल सकें।

डा. आर. मल्लू (नगर कुरनूल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नगर कुरनूल में हरिजनों के उत्पीड़न तथा उन पर हो रहे अत्याचारों के संबंध में एक सूचना दी है। मैं सभा का ध्यान वहां घटित एक घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। एक आदिवासी जनजाति 'चेन्चू' के एक सदस्य को पुलिस द्वारा अमराचती पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। उसे पुलिस स्टेशन में पीटा गया जहां उसकी टांग टूट गई। वह अब अस्पताल में दाखिल है। मैंने इस मामले की जानकारी डी.एस.पी., एम.पी. तथा डी.आई.जी. को दी थी।

यह एक विशेष स्थिति है जहां हरिजनों को पुलिस स्टेशन में पुलिस द्वारा उत्पीड़ित किया जा रहा हैं, लोगों द्वारा नहीं।

दो हरिजनों को कलवाकुर्ती पुलिस थाने ले जाया गया और उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। उन दोनों में से एक की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई और दूसरे को थाने से जाने दिया गया। गांव में बहुत तनाव है। लोगों को उस गांव में रहने की अनुमति नहीं दी गई थी। हरिजन उस गांव को छोड़ कर चले गए हैं। मैं इन समस्याओं को संबंधित अधिकारियों के अर्थात आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के पुलिस उपाधीक्षक, अधीक्षक और उपमहानिरीक्षक के ध्यान में ला चुका हूं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग इतने गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं कि उनका गांव में रहना मुश्किल हो गया है। मैं राज्य के गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि मेरे जिले के इन कमजोर वर्गों का ध्यान रखें।

श्री सी. के. कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं। मैं तमिल में बोलूंगा।*

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजधानी में हाल ही में हिमाचल भवन में हुई एक घटना आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन हिमाचल भवन में एक क्षेत्रीय प्रबंधक ने हिमाचल भवन में कार्यरत एक तमिल महिला ईश्वरी के साथ दुर्व्यवहार किया है। उन्हें जबरदस्ती एक कमरे में ले जाया गया और उससे बलात्कार करने का प्रयास किया गया। उनकी इज्जत लूटने का प्रयास किया गया। यह बात संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाई गई है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

यह एक गंभीर मुद्दा है कि एक तमिल महिला की इज्जत लूटने का प्रयास किया गया है और मैं चाहता हूं कि उस महिला को न्याय दिलाने के लिए उचित कार्रवाई शुरू की जाए। मुझे डर है कि उसे आगे भी शिकार बनाया जा सकता है और मैं चाहता हूं कि यह माननीय सभा इस ओर ध्यान दें।

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, कर्नाटक गोल्डफील्ड में भारत गोल्ड माइनस में कार्यरत आठ हजार कर्मचारियों को पिछले चार महीनों से वेतन नहीं मिला है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड जिसे यह मुद्दा भेजा गया था, के निर्देशों के बाद भी उन्हें उनकी देय वेतनवृद्धि नहीं दी गई है। अंततः अब उन्होंने पिछले छह दिनों से हड़ताल का सहारा लिया है। कर्नाटक गोल्डफील्ड में सोने के विशाल भण्डार हैं और कुछ निहितस्वार्थी लोग यह चाहते हैं कि भारत गोल्ड

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

माइनस कंपनी लिमिटेड बंद हो जाए। महोदय, मुझे बताया गया है कि कुछ निहितस्वार्थी लोग सत्ताधारी दल से संबंधित हैं। मुझे यह बात सभा के ध्यान में लाते हुए बहुत खेद है कि सत्ताधारी दल के अखिल भारतीय पदाधिकारियों में से एक पदाधिकारी यह चाहता है कि उनका प्रतिद्वंद्वी जो कि दल में एक असंतुष्ट है जो वहां कर्मचारी यूनियन का नेतृत्व कर रहा है कि वह सफल न हो। कंपनी को चालू रखना होगा और कर्मचारियों को उनका वेतन दिया जाना चाहिए और देय वेतनवृद्धियां भी दी जानी चाहिए जिसके औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने आदेश दिए हैं। मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि उद्योग, इस्पात और खान मंत्रालयों से संबंधित स्थाई समिति ने इन मामलों पर गौर करने के लिए एक उपसमिति गठित की है और एक रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत कर दी गई है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि सरकार को धन उपलब्ध करवाना चाहिए और भारत गोल्ड माइनस लिमिटेड के कार्यकरण को पुनर्जीवित करना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दें कि.....

अध्यक्ष महोदय : अब हर किसी को मुझे निर्देश देने के लिए नहीं कहना चाहिए।

श्री वी. धनंजय कुमार : महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि आठ हजार कर्मचारी पिछले चार महीनों से बिना वेतन हैं। उन्हें वेतन नहीं दिया गया है। कर्नाटक गोल्ड फील्ड में एक लाख आबादी का जीवन नितान्त रूप से भारत गोल्ड माइनस लिमिटेड के कार्यकरण पर निर्भर है। अत: मेरा विनम्र निवेदन है कि भारत गोल्ड माइनस, जो कुछ समय पूर्व लाभ में चल रहा था उसे अब जानबूझ कर घाटे में चलने के लिए छोड़ दिया गया है और ऐसा करने का इसका यह है कि यह बंद हो जाए।

मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वेतन और देय वेतन वृद्धियां देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। अन्यथा पूरी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : आधा घण्टा समाप्त हो गया। अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लिया जाएगा। श्री कमल नाथ जी।

12.34 म.प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सलीम अली सेंटर फॉर ओरनिथोलॉजी एण्ड नेच्युरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : महोदय, मैं श्री कमलनाथ की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) सलीम अली सेंटर फॉर ओरनिथोलॉजी एण्ड नेच्युरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) सलीम अली सेंटर फॉर ओरनिथोलॉजी एण्ड नेच्युरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल.टी. 7983/95]

(3) (एक) पदमजा नायडू हिमालयन जूलोजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पदमजा नायडू हिमालयन जूलोजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7984/95]

1995-96 के दौरान जारी किए गए बाजार ऋणों के परिणामों को दर्शाने वाला विवरण

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : महोदय, मैं श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

वर्ष 1995-96 के दौरान जारी किये गये बाजार ऋणों के परिणामों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7985/95]

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत अधिसूचनायें।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : महोदय, मैं श्री एस. कृष्ण कुमार की ओर से केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) अधिसूचना संख्या बीसी/सीएच/14(स्थापना)/93(1994 का संख्यांक 7), जो 8 अप्रैल, 1995 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के छात्रों को जूनियर फैलोशिप और गोल्ड मैडल प्रदान किये जाने के बारे में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के कुलपति द्वारा बनाये गये प्रथम अध्यादेश का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7986/95]

(2) अधिसूचना संख्या वीसी/सीएयू/14(स्थापना)/93(1994 का संख्यांक 7), जो 8 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास की शर्तों के बारे में उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा बनाये गये प्रथम अध्यादेश का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7987/95]

(3) अधिसूचना संख्या वीसी/सीएयू/14(स्थापना)/93(1994 का संख्यांक 7), जो 8 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के अधीन मिजोरम में सेलिसिह में एक पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना और प्रबंध के संबंध में बनाए गए प्रथम अध्यादेश का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7988/95]

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7989/95]

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7990/95]

(5) (एक) सरदार वल्लभभाई रीजनल कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभभाई रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7991/95]

(7) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7992/95]

(9) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7993/95]

12.36 म.प.

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स (मैसूर) : महोदय, मैं व्यवसाय संघ (संशोधन), विधेयक, 1994 के संबंध में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों का कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करती हूं।

12.36 म.प.

गृह कार्य संबंधी समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैं पाण्डिचेरी (प्रशासन) संशोधन विधेयक, 1995 के संबंध में गृह कार्य संबंधी समिति के बाइसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.37 म.प.

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत सेवा संबंधी वार्ताएं

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदंबरम) : माननीय सदस्य जानते हैं कि सेवा व्यापार का उदारीकण एक ऐसा पत्र है जिस पर उरूग्वे दौर में वार्ता हुई थी। इन वार्ताओं में हमारा उद्देश्य उन क्षेत्रों में विदेश सेवा मुहैया कराने वालों को प्रवेश की पेशकश करना था, जिनमें इस प्रकार का प्रवेश हमारे लिए पूंजी आगमन, प्रौद्योगिकी और रोजगार के रूप में अधिकतम लाभप्रद समझा जाता है। इसके बदले में हमने हमारे प्रमुख व्यापारिक सहभागियों के बाजारों में हमारे दक्ष कार्मिकों के लिए अधिक पहुंच की मांग की थी।

दिसंबर, 1993 में सम्पन्न इन वार्ताओं के परिणाम संतोषजनक नहीं माने गए, ये वार्ताएं एक ओर तो मूल नागरिकों के आवागमन तथा दूसरी और वित्तीय सेवाओं के संबंध में की गई थी। अत: सदस्यों के सुझाव पर मूल नागरिकों की वित्तीय सेवाओं के आवागमन पर और आगे वार्ता करने के लिए अलग से वार्ता समूहों की स्थापना करने के संबंध में सरकारी (मिनिस्ट्रियल) निर्णय प्राप्त किए थे।

सरकारी निर्णयों की अपेक्षानुसार जिन वार्ताओं को 30 जून, 1995 को सम्पन्न किया जाना था, उन्हें वित्तीय सेवाओं पर अमरीकी रवैए के कारण, 28 जुलाई, 1995 तक बढ़ाना पड़ा। 29 जून, 1995 को वित्तीय सेवाओं से संबंधित समिति की बैठक में संयुक्त राज्य अमरीका ने घोषणा की कि वह परम मित्र राष्ट्र के उस दायित्व को पूरा करने की स्थिति में नहीं है जिसमें बैंकिंग, प्रतिभूति, बीमा, निधि प्रबंधन तथा अन्य वित्तीय सेवाओं के नए कार्यकलाप सम्मिलित हैं।

अमरीकी निर्णय से उत्पन्न स्थिति से निपटने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ (ई.यू.) ने यह प्रस्ताव किया कि शेष सदस्य देश गैट्स के ढांचे में एक "अस्थायी नियतकालिक परममित्र राष्ट्र करार" करें। इसमें यह घोषणा की गई थी कि वित्तीय सेवाओं संबंधी वार्ताओं के दौरान जो सर्वोत्तम पेशकश की थी, उन्हें कायम रखा जाए और इस संबंध में सामान्य परम मित्र राष्ट्र के बारे में छूट नहीं मांगी जाए। शुरू में इस करार की प्रस्तावित अवधि 4-5 वर्ष की थी।

किन्तु, अन्तत: यह तय हुआ कि यह अस्थायी नियतकालिक करार केवल दिनांक 31 दिसंबर, 1997 तक ही वैध रहेगा। इस तारीख के बाद सदस्य देश इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे अपनी-अपनी वचनबद्धताएं वापस ले लें और/अथवा परम मित्र राष्ट्र से छूट प्राप्त कर लें। इस व्यवस्था के तहत सदस्य देशों ने वित्तीय सेवा के क्षेत्र में कुछ निश्चित मामलों में सुधार करते हुए अपनी-अपनी संशोधित बाजार प्रवेश सूचियां प्रस्तुत कर दी है। कुछ देशों के मामले में तो इन सूचियों को परम मित्र राष्ट्र के सिद्धांत की तुलना में कुछ सीमित कर दिया गया है। भारत ने भी अपनी पेशकश में मामूली सुधार कर ऐसा ही किया है। भारत ने भी दिसंबर, 1993 की अपनी परम मित्र राष्ट्र छूट को कायम रखा है और बाजार प्रवेश सूची में भी अतिरिक्त सुरक्षा के उपाय शामिल किए हैं।

भारत के लिए इस करार के लाभों अथवा दुष्प्रभावों पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए कि भारत वित्तीय सेवाओं संबंधी वार्ताओं में एक प्रमुख मांगकर्त्ता नहीं था बल्कि यह मूल नागरिकों के आवागमन के क्षेत्र में बाजार प्रवेश के अवसरों में सुधार चाहता था। मूल नागरिकों अथवा सेवादाताओं का आवागमन या तो वाणिज्यिक कार्य के लिए होता है अथवा वाणिज्यिक कार्य के बिना भी होता है। हालांकि हमारे प्रमुख व्यापार-साझीदारों ने दिसंबर, 1993 में जो पेशकश रखी थी उनमें वाणिज्यिक कार्य हेतु मूल नागरिकों के आवागमन का प्रावधान था लेकिन वाणिज्यिक कार्य के बिना ऐसे आवागमन की व्यवस्था में सीमित पेशकश थी। यूरोपीय संघ, नार्वे और स्विटजरलैण्ड, जिन्होंने अभी तक मूल नागरिकों के आवागमन के संबंध में कोई वचनबद्धता सूची प्रस्तुत नहीं की थी, उन्होंने अब सूचियां इन वार्ताओं के दौरान प्रस्तुत कर दी है। अमरीका ने बिना वाणिज्यिक कार्यों के लिए मूल नागरिकों के आवागमन की पेशकश पहले ही प्रस्तुत कर दी थी जबकि कनाडा ने अपनी पेशकश में कुछ सुधार किया है। कुल मिलाकर, दिसंबर, 1993 की स्थिति की तुलना में हमारे दक्ष कार्मिकों के लिए अब और अधिक बाजार-पहुंच का पैकेज उपलब्ध है।

भारत समेत विकासशील देश इस बात पर जोर देते रहे हैं कि मूल नागरिकों के आधार पर जो अन्तर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार होता है उसमें ऐसे

मूल नागरिकों के आवागमन का तुलनात्मक लाभ दिया जाए जो कि सेवा प्रदान करेंगे क्योंकि उन्हें इस सुविधा की जरूरत पड़ेगी। अब इस सिद्धांत को मान लिया गया है। यद्यपि अलग-अलग विशिष्ट व्यवसायों में अलग-अलग देशों की पेशकशों से मुमकिन है कि हमें अधिक लाभ न मिलें, लेकिन यह उस प्रक्रिया की शुरूआत का संकेत है जिसे भावी वार्ता दौरों में सुदृढ़ किया जा सकता है। हमारा यह अनुमान है कि अपने प्रमुख व्यापार साझीदारों की पेशकशों में हमने जो सुधार करवाया है, उससे वाणिज्यिक कार्यों के बिना भी हमारे निपुण कार्मिकों को अस्थायी तौर पर स्थानांतरण के लिए एक अच्छी शुरूआत हुई है।

वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के बारे में हमारी पेशकशें मौजूदा नीति के अन्तर्गत की हैं अर्थात् भारत की पेशकश एक ऐसे स्तर पर है जो मौजूदा परिपाटी से कम है। हमारे घरेलू कानूनों एवं विनियमों को प्राथमिकता देने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है। जीवन बीमा अथवा गैर-जीवन बीमा के क्षेत्र में हमारी कोई पेशकश नहीं है, क्योंकि हमारी वर्तमान नीतियां इन क्षेत्रों में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं देती है। यह महसूस किया जाता है कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) कृषि ढांचे के अंतर्गत विभिन्न देशों की पेशकशें पारदर्शिता, पूर्वानुमान, और बहुपक्षीय व्यवस्था प्रदान करेंगी जिससे निवेशकों को और अधिक विश्वास मिलेगा। भारत में वित्तीय क्षेत्र जैसे-जैसे बढ़ेगा और परिपक्व होगा, यह क्षेत्र उन निर्यात अवसरों की भी आकांक्षा कर सकता है जो वित्तीय सेवा करारों के परिणाम-स्वरूप उपलब्ध हुए हैं।

वित्तीय सेवाओं की अपनी पेशकश पर परम मित्र राष्ट्र से छूट संबंधी अमरीकी निर्णय से उत्पन्न स्थिति को भी हमारी पेशकश में निम्नलिखित उपायों द्वारा पूरी तरह से ध्यान मे रखा गया है:-

(क) हमने दिसंबर, 1993 में हमारे द्वारा अधिसूचित परम मित्र राष्ट्र छूट को बनाए रखा है;

(ख) हमारी पेशकश में इस बात की मुख्य टिप्पणी है कि हमारी वचनबद्धताएं प्रवेश संबंधी आवश्यकताओं, आंतरिक कानूनों, नियम तथा विनियमों और भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी व भारत के किसी अन्य सक्षम प्राधिकरी/प्राधिकारण की शर्तों के अधीन होंगी।

(ग) बैंकिंग संबंधी हमारी पेशकश में बाजार पहुंच की एक शर्त में इस बात की व्यवस्था है कि बाजार पहुंच विद्यमान कानूनों के अंतर्गत अनुमत्य लाइसेंस देने के अधीन होगी। इस शर्त का निहितार्थ यह है कि चूंकि हमारे बैंकिंग विनियमन अधिनियम में लाइसेंस की यह शर्त है कि जिस देश में विदेशी बैंक संस्थापित किया जाता है, उस देश की सरकार अथवा कानून भारत में पंजीकृत बैंकों से भेदभाव नहीं करेगा। हमारे बाजार पहुंच की पेशकश पारस्परिकता के आधार पर होगी।

(घ) अमरीका ने हमें अलग से सूचित किया है कि यह उनकी सामान्य प्रथा है कि अमरीका के बाजार में पहुंच के संबंध में कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा।

कुल मिलाकर, सरकार का यह अनुमान है कि वित्तीय सेवाओं तथा मूल नागरिकों के आवागमन संबंधी वार्ताओं के परिणाम काफी संतुलित हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : सभा को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम सामान्तया ऐसा नहीं करते हैं। हम अब प्रश्न नहीं पूछते।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब नहीं। हम सूचना देंगे और फिर आप हमारे लिए कुछ समय नियत कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम समय देंगे।

(दो) महिलाओं के बारे में दक्षेस "सार्क" देशों के मंत्रियों की बैठक

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : 30 अप्रैल - 1 मई, 95 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित मंत्री परिषद के 14 वें सत्र में लिए गए निर्णयानुसार, बीजिंग में चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन की तैयारी के लिए महिलाओं के संबंध में मंत्री-स्तरीय बैठक ढाका में 29-30 जुलाई, 95 को आयोजित की गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) की राज्य मंत्री ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

दक्षेस क्षेत्र में महिलाओं के समक्ष आने वाली एक समान सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, दक्षेस देशों के मंत्रियों तथा प्रतिनिधियों ने यह निर्णय लिया कि चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन में इस क्षेत्र की महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में एक सामूहिक दृष्टिकोण अपनाएं। बैठक के अन्त में "महिलाओं के संबंध में ढाका संकल्प" को स्वीकार किया गया और चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन का आह्वान किया गया कि महिलाओं के संबंध में दक्षेस परिप्रेक्ष्यों को उचित रूप से परिलक्षित किया जाये।

महिलाओं के संबंध में ढाका संकल्प में दक्षेस देशों में निम्नलिखित सात सामान्य विषय क्षेत्रों पर जोर दिया गया है:

1. निर्धनता का उन्मूलन;
2. महिलाओं को सशक्त बनाना तथा मुख्यधारा में शामिल करना, जिसमें महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना भी सम्मिलित है;
3. महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय तंत्र को स्थापित एवं सुदृढ़ बनाना;
4. बालिकाओं की उत्तरजीविता, संरक्षण तथा विकास;
5. महिलाओं तथा बालिकाओं के साथ होने वाली हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए उपाय;
6. शैक्षणिक अवसरों तक समान पहुंच;
7. स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं तथा पोषाहार के संबंध में समान पहुंच;

यह भी निश्चय किया गया कि ढाका संकल्प की सामग्री को सितंबर, 1995 में बीजिंग में आयोजित होने वाले चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन के लिए दक्षेस देशों के अतिरिक्त निवेश के रूप में अग्रेषित किया जाये।

बीजिंग में होने वाले चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन में दक्षेस मंत्री-स्तरीय बैठक में पारित ढाका संकल्प सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं।

महिलाओं के संबंध में ढाका संकल्प

हमने सरकारों के मंत्रियों तथा प्रतिनिधियों ने "चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन की तैयारी के लिए दक्षेस मंत्री-स्तरीय बैठक में", ढाका बांग्लादेश में 29-30 जुलाई, 1995 को मिल बैठकर, दक्षेस क्षेत्र में नेरोबी फार्वर्ड-लुकिंग स्ट्रेटेजीस के कार्यान्वयन के स्तर की समीक्षा की तथा सितंबर, 1995 में बीजिंग में होने वाले चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन के लिए कार्यवाही मंच प्रारूप पर चर्चा की;

दक्षेस क्षेत्र में महिलाओं की सामान्य सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को विशेषकर इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, इस क्षेत्र की अधिकांश महिलाएं निर्धनता में जीवन व्यतीत करती हैं तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अवसरों से वंचित रहती है और महिलाओं तथा बालिकाओं के साथ भेदभाव और हिंसा तथा उनकी उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास के अधिकारों का उल्लंघन अभी भी विद्यमान है;

महिलाओं के लिए दक्षेस कार्रवाई योजना तथा दक्षेस बालिका दशक (1991-2000 ई0), वर्ष 1986 में शिलांग में आयोजित "विकास में महिलाएं" विषय पर दक्षेस मंत्री-स्तरीय बैठक तथा वर्ष 1993 में काठमाण्डू में, "महिलाएं तथा परिवार स्वास्थ्य" विषय पर आयोजित दक्षेस मंत्री-स्तरीय बैठक की सिफारिशों का अनुस्मरण करते हुए;

चतुर्थ-विश्व महिला सम्मेलन के समक्ष मुद्दों के बारे में दक्षेस की एक समान स्थिति, जैसा कि मई, 1995 में नई दिल्ली में आयोजित आठवें दक्षेस शिखर सम्मेलन में सहमति व्यक्त की गई थी, पर प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि करते हुए;

यह आशा व्यक्त करते हुए कि अन्तर-राष्ट्रीय समुदाय महिलाओं की स्थिति तथा उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक शक्ति सम्पन्नता के कार्य की एक कार्रवाई मंच के द्वारा संवीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है;

हम, सरकारों के मंत्री तथा प्रतिनिधि दक्षेस महिला परिपेक्ष्यों को, जो कि दक्षेस दस्तावेजों में दोहराये गये हैं तथा विशेष रूप से इस संकल्प में उल्लिखित हैं, उचित रूप से चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन में परिलक्षित करने के लिए आह्वान करते हैं।

1. निर्धनता का उन्मूलन

यद्यपि सदस्य राष्ट्र महिलाओं पर निर्धनता के बढ़ते हुए सतत बोझ के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, यह अनिवार्य है कि निर्धनता उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय प्रयासों को दक्षेस देशों के लिए अनुकूल अन्तर-राष्ट्रीय आर्थिक पर्यावरण द्वारा पुनर्बलित किया जाए, जिसमें बाजार, वित्तीय संसाधन तथा प्रौद्योगिकी तक समान पहुंच भी शामिल है। कार्यवाही मंच के प्रारूप के तहत अभिनिर्धारित नीतियों तथा उद्देश्यों के लिए नये और अतिरिक्त संसाधनों हेतु अंतर-राष्ट्रीय समुदायों की ओर से एक स्पष्ट प्रतिबद्धता एक अनिवार्य प्राथमिक पूर्वापेक्षा होगी।

2. मुख्य-धारा में शामिल करना, सशक्त बनाना और निर्णय लेने की प्रक्रिया

महिलाओं का दर्जा ऊंचा उठाने के लिए उनके परिप्रेक्ष्यों को मुख्यधारा में शामिल करना, उन्हें सशक्त बनाना तथा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया के सभी स्तरों पर उनका उत्थान करना अनिवार्य है। इसके लिए सभी स्तरों पर समुचित परिवर्तन, प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता है, जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं को शामिल करना सम्मिलित है

3. महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय तंत्र

महिलाओं को अपनी क्षमताओं का पूर्व अभिज्ञान कराने के लिए सक्षम बनाने हेतु नीतियों के अभिनिर्धारण, आयोजना तथा कार्यान्वयन के लिए एक प्रभावी राष्ट्रीय तंत्र आवश्यक है। अत: राष्ट्रीय तंत्र स्थापित और सुदृढ़ किये जायें और कर्मचारियों तथा संसाधनों से उन्हें समुचित रूप से युक्त किया जाए।

4. बालिकाओं की उत्तरजीविता, संरक्षण तथा विकास

शिखर स्तर पर प्रतिबद्धता के साथ बालिका की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालने में दक्षेस अग्रणी रहा है। दक्षेस ने पहले से ही बालिका दशक योजना अपना ली है तथा सदस्य राष्ट्र अपनी-अपनी राष्ट्रीय कार्य योजनाएं चला रहे हैं। दक्षेस ने संतुष्टि के साथ इस तथ्य को नोट किया कि उनके अग्रणी कार्य ने बालिका की विशेष आवश्यकताओं के बारे में अंतर-राष्ट्रीय समुदाय को सचेत कर दिया है।

यह आग्रह है कि बालिकाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभावों को उनके जीवन काल में समाप्त करने तथा विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार के क्षेत्र में सभी उपयुक्त उपाय करने की अपनी प्रतिबद्धता को उच्चतम स्तर पर दोहराएं। इस प्रयोजनार्थ, बालिका की विशेष आवश्यकताओं के प्रति अंतराष्ट्रीय समुदाय द्वारा इसी प्रकार की पुन: पुष्टि तथा प्रतिबद्धता अपेक्षित है।

5. महिलाओं तथा बालिकाओं पर हिंसा

दक्षेस के सदस्य राष्ट्र पहले से ही महिलाओं तथा बालिकाओं पर की जाने वाले हिंसा की घटनाओं, जिनमें महिलाओं का व्यापार भी शामिल है, से निपटने के लिए उपयुक्त उपाय करने की प्रक्रिया के लिए तैयार हैं। इन प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी तथा संस्थागत ढांचा प्रदान करके और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए।

6. **शैक्षणिक अवसरों तक समान पहुंच**

यह आग्रह है कि सभी राष्ट्र प्राथमिक शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक नीति का अनुसरण करें तथा महिलाओं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत एक शैक्षणिक पद्धति तैयार करें ताकि उन्हें शिक्षा तथा प्रशिक्षण के समान अवसर सुनिश्चित रूप से उपलब्ध कराए जा सकें। इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए अंतराष्ट्रीय समुदायों तथा बहुपक्षीय एजेंन्सियों की सहायता महत्वपूर्ण होगी।

7. **स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तथा पोषाहार के समान अवसर**

दक्षेस, महिलाओं के संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान उनकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त नीतियों तथा सेवाओं के विकास एवं कार्यान्वयन की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं की बहु-आयामी भूमिका तथा उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखा जा सके। इन नीतियों में, भोजन की निश्चिंतता, पर्याप्त पोषाहार, स्वास्थ्य तथा साफ सफाई तक सबकी पहुंच, और स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

कार्रवाई मंच के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय तथा बहु-आयामी वित्तीय संस्थानों की ओर से नये तथा अतिरिक्त संसाधनों के लिए एक स्पष्ट प्रतिबद्धता के साथ-साथ विकासशील देशों के सामान तथा सेवाओं के लिए बाजार तक निःशुल्क तथा निर्बाध पहुंच और प्रौद्योगिकी अंतरण, जिसमें नई प्रौद्योगिकी भी शामिल है, अपेक्षित है, ताकि इस क्षेत्र की महिलाओं की समस्याओं के समाधन हेतु राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय क्षमताओं को पुनर्बलित किया जा सके। यह भी संकल्प लिया जाता है कि इसका संकल्प की सामग्री चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन के लिए दक्षेस देशों के अतिरिक्त निवेश के रूप में अग्रेषित की जाये।

12.45 म.प.

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए निर्वाचन

स्क्वैड्रन लीडर कमल चौधरी (होशियारपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री विलास मुत्तेमवार, जिन्होंने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति से त्याग-पत्र दे दिया है, के स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।''

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ''कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312 ख के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री विलास मुत्तेमवार, जिन्होंने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.45 म.प.

सभा की बैठकों को रद्द/नियतन किए जाने संबंधी घोषणा

जल संसाधन विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि दलों तथा ग्रुपों के नेताओं के साथ कल समिति कक्ष में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया कि सभा की शुक्रवार, 11 अगस्त तथा सोमवार, 14 अगस्त, 1995 को निर्धारित बैठकें रद्द की जायें।

यह भी निर्णय किया गया था कि उसके बदले में सरकारी कार्य निपटाने के लिए सभा की बैठक शनिवार, 26 अगस्त 1995 को भी हो तथा प्रतिदिन 7.00 म.प. बजे तक बैठे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यदि आवश्यक हो तो।

12.46 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) इलायची उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता।

श्री के.एम. मैथ्यू (इदुक्की) : इलायची की अधिक पैदावार के साथ-साथ इस की कीमत और कम हो गई है। पिछले वर्ष इसका औसत मूल्य 350-400 रूपये प्रति किलोग्राम था। पिछले वर्ष इसका मूल्य लगभग 600 रूपये प्रति किलोग्राम था। अब यह 200-250 रूपये प्रति किलोग्राम है। यह मूल्य बहुत ही अलाभकारी है और इससे वास्तविक लागत भी पूरी नहीं होती। इससे उत्पादकों को बहुत कठिनाई हो रही है।

क्योंकि इस निर्यातोन्मुखी वस्तु का मूल्य विश्व-बाजार पर निर्भर करता है, विशेषकर ग्वाटेमाला से निम्न गुणवत्ता और कम मूल्य की इलायची की प्रतियोगिता के कारण इसकी कीमतों में स्थिरता लाने के लिए, ग्वाटेमाला के साथ कोई व्यवस्था किए जाने हेतु तत्काल कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मौजूदा आयात करने वाले देशों के गहन अभियान को मजबूत किया जाये और नए विदेशी बाजारों का पता लगाया जाये। देश के भीतर ही अधिक मात्रा में इसके उपयोग को बढ़ाये जाने की तरफ तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता

है। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इन उपायों के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया जाये ताकि इलायची उत्पादकों की कठिनाइयां दूर हो सकें।

12.47 म.प.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

(दो) पंजाब के पलाही शहर में बेहतर डाक सेवाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र फिल्लौर के फगवाड़ा विधान सभा में पलाही एक ऐतिहासिक कस्बा है। तीन गुरू साहिबान ने इस नगर में अपने चरण स्पर्श रखे थे। यहां के अधिकतर लोग यूरोप, कनाडा तथा अरब देशों में जाकर भारत की अर्थ व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। पलाही आदर्श कस्बा है जहां अस्पताल, पार्क स्कूल, बैंक कोआपरेटिव सोसाइटी, बायो-गैस प्लांट, पोलीटेकनिक तथा अन्य सुविधायें प्राप्त हैं। यह उत्तरी भारत का वह स्थल है जहां ग्रामीण युवकों को तकनीकी शिक्षा देकर स्वरोजगार के योग्य बनाया जाता है। परन्तु इतनी व्यवस्था होते हुए भी वहां के डाकखानों की स्थिति अच्छी नहीं है। यहां एक डाकखाना है जहां केवल एक डाक बांटने वाला कर्मचारी है जो पहले रानीपुर गांव जो फगवाड़ा से 8 कि.मी. है डाक लेने जाता है और फिर 5 कि.मी. वापस डाक लेकर पलाही पहुंचता है। अत: मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को पत्राचार के संदर्भ में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। समय की महत्ता को सम्मुख रखते हुए मैं भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि शीघ्रातिशीघ्र इस पोस्ट ऑफिस को सम्पूर्ण ऑफिस का दर्जा दिया जाये ताकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की कठिनाईयां दूर हो सकें।

[अनुवाद]

(तीन) पंजाब को आतंकवाद पर काबू पाने के लिए दिये गए ऋणों को माफ किए जाने की आवश्यकता।

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : पंजाब राज्य पर केन्द्र सरकार से मिले विशेष सावधि ऋण का भारी कर्जा है। यह कर्जा अशांति के दौरान आतंकवाद को समाप्त करने और राज्य के विकास के लिए लिया गया था। 20 अप्रैल, 1995 को प्रधानमंत्री ने 7 हजार करोड़ रूपये से भी अधिक ऋण की राशि को माफ करने की घोषणा की थी। देश की लड़ाई में उनकी ऐतिहासिक भूमिका के लिए पंजाबियों की सराहना की गई थी। इस घोषणा के बावजूद केंद्र सरकार ने पंजाब के वित्तीय हिस्से से मई और जून महीनों के 100 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि काट ली है।

मेरा केंद्र सरकार से और खासतौर पर प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी करें। राज्य को वित्तीय संकट से बचाने के लिए 7,000 करोड़ रूपये के कुल ऋण को तुरंत माफ किया जाये क्योंकि राज्य में इस समय बहुत अधिक संशय की स्थिति व्याप्त है।

(चार) वर्तमान चीनी मिलों की अधिष्ठापित पिराई क्षमता को बढ़ाने और नई चीनी मिलों को, विशेषकर से तमिलनाडु में, स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी किये जाने के लिये कदम उठाने की आवश्यकता।

श्री पी.पी. कालियापेरूमल (कुड्डालोर) : महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सरकार चीनी का आयात कर रही है। 1994-95 के पिराई मौसम के दौरान 5.17 लाख टन चीनी आयात की गयी थी। इससे स्पष्ट है कि भारत में चीनी की कमी है।

चीनी का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने "गन्ने के निरंतर विकास पर आधारित फसल प्रणाली" नामक एक विशेष प्रणाली प्रायोजित और लागू की है। 1994-95 के दौरान अनुमानत: 259.30 लाख टन चीनी का उत्पादन होगा। सरकार ने चीनी मिलों को गन्ने की मांग में सुधार लाने के लिए कई अन्य उपाय भी किये हैं।

इन सभी उपायों के बावजूद तमिलनाडु विशेषकर विल्लुपरम, रामास्वामी, पड्यटियार जिलों की चीनी मिलें वर्तमान पिराई मौसम के दौरान पिराई हेतु गन्ना लेने में असमर्थ हैं। इन जिलों में हजारों एकड़ भूमि में गन्ने को पिराई हेतु ले जाने में अत्यधिक देरी के कारण गन्ने में चीनी की मात्रा का ह्रास हो रहा है। किसानों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और मिलों द्वारा गन्ना 10 या 11 महीने बाद लेने के कारण उन्हें अपूरणीय क्षति हो रही है। अत: मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि विद्यमान चीनी मिलों की स्थापित पिराई क्षमता बढ़ाई जाये। नई चीनी मिलों को अब तक जारी किए आशय पत्रों को लागू किया जाये और तमिलनाडु में नई चीनी मिलों को पर्याप्त आशय पत्र दिये जायें ताकि चीनी का उत्पादन बढ़ सके और गन्ने की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके।

[हिन्दी]

(पांच) उत्तर प्रदेश में कम्पीयरगंज बस्ती, बांसी-बिढ़रघाट, सिकरीगंज, रामबानकी मार्ग और खास्टरगंज - अयोध्या मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता।

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत करमैनी से मेंहदावल, खलीलाबाद-बनघटा होते हुए बिढ़रघाट, सिकरीगंज से छावनी तथा बस्ती खास्टरगंज से गौर मार्ग धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं तथा सामयिक रूप से यातायात के लिए अपरिहार्य हैं।

कम्पीयरगंज से बस्ती के बीच में करमैनी से मेंहदावल 9 कि.मी. अत्यंत ही खराब है, जबकि सालौनी और नौतनवा से लखनऊ-गोरखपुर-खलीलाबाद होकर बस्ती जाना पड़ता है, जिससे कि दूरी 100 कि.मी. तक बढ़ जाती है तथा उसी के अनुसार यात्री-कर तथा माल भाड़े में भी वृद्धि होती है। बांसी-मेंहदावल-खलीलाबाद- धनघटा-बिड़हर मार्ग राप्ती घाघरा और कुआनों के बीच में घिरे हुए क्षेत्र को यातायात की सुविधा के लिए अत्यंत ही महत्व रखता है। इस मार्ग पर धर्मसिंहवा, कोपिया, तामेश्वरनाथ आदि स्थान बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत महत्व और आकर्षण के केंद्र हैं। कपिलवस्तु योजना के अंतर्गत बांसी तक तो मार्ग का निर्माण हो रहा है, किंतु इसे अभी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। इस मार्ग के बन जाने से कपिलवस्तु से वाराणसी और इलाहाबाद जाने वाले यात्रियों के लिए 125 कि.मी. की दूरी कम हो जाएगी। अभी नौगढ़-गोरखपुर होकर जाना पड़ता है।

बस्ती से गौर मार्ग तो निर्मित हो चुका है, बीच में वाराक्षत्तर घाट पर एक पुली की आवश्यकता है। पुल न होने से पूरी सड़क व्यर्थ पड़ी है। इस पुल के निर्माण से बस्ती से लखनऊ की दूरी 50 कि. मी. कम हो जाएगी।

सिकरीगंज से छावनी रामजानकी मार्ग का हिस्सा है, जो अत्यंत ही महत्व रखता है। यह बहुत ही खराब हो गया है।

ये सभी सड़कें जहां धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से महत्व रखती हैं, वहीं दो राष्ट्रीय राजमार्गों को भी जोड़ती है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं, एक - कम्पीयरगंज से बस्ती, दोबांसी से मेंहदावल-खलीलाबाद-धनघटा होते हुए बिड़हरघाट, तीन - सिकरीगंज से छावनी रामजानकी मार्ग, चार - बस्ती वाल्टरगंज से गौर वभनाम होते हुए अयोध्या तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करें। इन मार्गों के निर्माण के साथ इन पर पड़ने वाले वाराक्षत्तर और बिड़हर घाट पर पुल के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान कर धन उपलब्ध करायें।

(छ:) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांवों में विकास संबंधी गतिविधियों के लिए राजस्थान को दी गई धनराशि को बढ़ाने तथा इसके उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाए जाने की आवश्यकता।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, राजस्थान सरकार को भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा 18 करोड़ रुपये की राशि प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति व जनजातियों के गांवों के विकास के लिए दी जाती थी। जब कि उपरोक्त राशि अन्य राज्यों को दी जाने वाली सहायता राशि की अपेक्षा बहुत ही कम है। समाज कल्याण विभाग ने गत वर्ष कुल आठ करोड़ रुपये की राशि दी है और राशि के व्यय करने पर भी पाबन्दी लगा दी कि यह राशि राजस्थान के अनुसूचित जाति व जनजाति के गांव में पीने के पानी, सड़क, विद्युत की मदों पर खर्च नहीं की जायेगी जब कि अन्य राज्यों पर इस प्रकार की पाबन्दी नहीं लगा कर वहां इन कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। उपरोक्त राशि मार्च के अंतिम सप्ताह में दी गयी जिससे यह राशि आने वाले वर्ष के लिए स्वीकृति मिले बिना खर्च नहीं की जा सकती है।

अत: भारत सरकार से मेरी मांग है कि गत वर्ष की पूरी 18 करोड़ की राशि राजस्थान को तुरंत दी जाये व खर्च करने की जो पाबन्दी लगा रखी है उसे समाप्त कर गत वर्ष की राशि को खर्च करने की स्वीकृति दी जाये। इसके साथ ही इस 18 करोड़ की राशि को बढ़ा कर 30 करोड़ किया जाये।

(सात) स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : महोदय, शिक्षित बेरोजगार को जिला उद्योग केन्द्र द्वारा अधिक से अधिक 20 से 25 हजार रूपये दिये जाते थे, अभी भी दिये जाते है। प्रधानमंत्री द्वारा हाल में घोषणा की गयी कि बेरोजगारों को एक लाख रूपये का ऋण दिया जायेगा।

पूर्व में जिन शिक्षित बेरोजगारों को ऋण दिया गया, ऋण बैंक को नहीं लौटाने पर उनके द्वारा गिरफ्तारी वारंट, कुर्की जप्ती वगैराह आदि जारी किया जा रहा है। जब कि शिक्षित बेरोजगार युवक बैंक से ऋण लेते समय अपना प्रमाण पत्र बैंक में गिरवी रख कर ऋण लेते हैं।

मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जब शिक्षित बेरोजगार से प्रमाण पत्र बैंकों में गिरवी रखते हैं तो उसे सूद माफ कर देना चाहिए एवं देश के सभी शिक्षित बेरोजगार युवकों को एक-एक लाख रूपये उद्योग या अन्य धंधों के लिए दिए जाने चाहिए ताकि वे अपना जीवनयापन सही ढंग से कर सकें।

साथ ही पूर्व में जो शिक्षित बेरोजगारों को ऋण दिया गया, किसी कारणवश उसका उद्योग या रोजगार ठप्प हो गया हो तो उसे पुन: ऋण देकर प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि वह अपने जीवन स्तर को आगे ले जा सके।

[अनुवाद]

(आठ) नौवहन एजेंटों और कलकत्ता पत्तन न्यास के बीच विवाद को शीघ्र सुलझाने की आवश्यकता।

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, 14 जुलाई से शिपिंग एजेंटों ने निर्यात तथा आयात के लिए माल चढ़ाने और उतारने का काम रोक दिया है। तभी से कलकत्ता पत्तन न्यास में काम रूक गया है, उन्होंने भराव, उतराव, माल चढ़ाने और उतारने के काम न करने का भी निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप रूस को निर्यात की जाने वाली चाय, प्रशीतित वस्तुओं के अलावा मुख्य रूप से जापान को भेजी जाने वाली झींगा मछली और अन्य समुद्री उत्पाद के निर्यात भी प्रभावित हुए हैं। वस्तुत:, जहाज से माल भेजने वालों को आशंका

है कि यदि वर्तमान गतिरोध जारी रहता है तो इंजीनियरिंग सामान, जस्ता, जूट, जूट से बनी वस्तुओं को क्षति पहुंच सकती है।

मेरा भूतल परिवहन मंत्री से अनुरोध है कि वे इस विवाद को निपटाने के लिए वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और सुनिश्चित करें कि कलकत्ता पत्तन में शीघ्र सामान्य स्थिति बहाल हो और चाय, समुद्री उत्पादनों और निर्यात आदि पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

1.00 म.घ.

प्रारूप कृषि नीति संकल्प (यथा उपान्तरित) पर विचार करने के संबंध में प्रस्ताव-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम प्रारूप कृषि नीति संकल्प पर आगे चर्चा आरंभ करेंगे। श्री सुकदेव पासवान की बारी है, परन्तु श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे ने अनुरोध किया है कि उनको बोलने की अनुमति दी जाए क्योंकि उनको कोई अन्य कार्य है। अगर श्री पासवान सहमति हों, तो श्री वाड्डे को अनुमति दी जा सकती है।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : महोदय, उनको पहले बोलने का अवसर दे दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे बोल सकते हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको और श्री पासवान जी को बोलने की अनुमति देने के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय कृषि मंत्री महोदय ने कल ठीक ही कहा था कि दुर्भाग्यवश इन वर्षों में देश की कोई कृषि नीति नहीं थी। वर्ष 1948 में औद्योगिक नीति बनाई गई थी और तत्पश्चात उसमें आठ संशोधन किये जा चुके हैं। भारत की 75 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है परन्तु सरकार और योजना बनाने वालों ने कृषि नीति को बनाने की आवश्यकता ही नहीं समझी थी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर नीति बनाई जाती है, तो यह समुद्र में नाविकों के लिए आकाशदीप के समान कार्य करेगी। अगर सरकार नीति को पूरी ईमानदारी से लागू करती है, तो इससे कृषि क्षेत्र के विकास में काफी सहायता प्राप्त होगी।

महोदय, जापान ने 1961 में मूल कृषि कानून बनाया था। इसके दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था उत्पादकता को बढ़ाना और दूसरा था किसानों की आय को, अर्थव्यवस्था के अन्य, क्षेत्रों से जुड़े लोगों के समान बढ़ाना। इसी प्रकार, यूरोपीय समुदाय ने भी एक सामान्य कृषि नीति बनाई है।

कृषि नीति बनाने का पहला प्रयास वर्ष 1989-90 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार द्वारा किया गया। मैं इस नीति के निर्माण में श्री शरद जोशी की अध्यक्षता वाली स्थायी सलाहकार समिति का उस समय सदस्य था। हमने विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा की थी और एक प्रारूप भी तैयार किया था। निःसंदेह, बाद में उसमें संशोधन कर दिया गया था और अब इसे अति संक्षिप्त रूप में लाया गया है।

मैं इस संदर्भ में आपके ध्यान में कृषि संबंधी समिति द्वारा यथारूपान्तरित प्रारूप कृषि नीति के कुछ पहलुओं को लाना चाहता हूं जिसमें इस वर्तमान प्रारूप के ऊपर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया है। मैं उनके प्रतिवेदन से उद्धृत करना चाहता हूं :

"वे उसमें शामिल योजना और रणनीति से संतुष्ट नहीं है और मानते हैं कि प्रारूप में उल्लिखित चुनौतियों का कई पहलुओं से सामना करने में अक्षम है। चुनौतियों का सही ढंग से तथा विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाना चाहिये। प्रारूप सुस्पष्ट नहीं है और कृषि तथा उसके सम्पूर्ण विकास से संबंधित कई पहलुओं का वर्णन नहीं किया गया है।

समिति का निष्कर्ष है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम कृषि नीति को तैयार करने में केन्द्रीय मंत्रालय को पुनः निश्चयपूर्वक प्रयास करना चाहिए जिससे कई अन्य नीतियों को तैयार करने के लिये दिशा-निर्देश तैयार किया जा सकें"।

महोदय, यह एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं माननीय कृषि मंत्री और कृषि मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री की सभी सांसदों के सुझावों पर विचार करने का अनुरोध करना चाहता हूं और यदि आवश्यक समझा जाए तो वर्तमान प्रारूप को भी संशोधित कर दिया जाये।

सबसे पहले, मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय को पूरे सौहार्द और प्यार से यह कहना चाहता हूं कि मैं वर्तमान प्रारूप से काफी असंतुष्ट हूं। यह अस्पष्ट है और इसमें भारतीय कृषि की कमियों और पिछड़ेपन के कारणों को नहीं बताया गया है।

महोदय, हमारा देश बड़ा भाग्यशाली है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 50 प्रतिशत भाग फसलों के उगाने के उपयुक्त है और यहां काफी धूप भी निकलती है। हमारे देश में, प्रति वर्ष कम से कम एक या दो से तीन फसलें पैदा की जा सकती हैं। हमारी सिंचाई की क्षमता 178 मिलियन हैक्टेयर है जिससे सूखे क्षेत्रों में सिंचाई की जा सकती है। हमारे किसान रात और दिन मेहनत करते हैं।

अमरीका में 60 लाख किसान मिलियन टन खाद्यान्न पैदा करते हैं जबकि हमारे देश में 54 करोड़ 60 लाख किसान 180 मिलियन टन ही पैदा करते हैं। जापान में कुल सिंचित भूमि मात्र 460 लाख हैक्टेयर है और, वहां 360 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा होता है। लेकिन हमारे देश में 49 मिलियन हैक्टेयर सिंचित भूमि है। क्या यह किसानों की गलती है? बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल स्पष्टरूप से कहना चाहता हूं कि यह योजना बनाने वालों और सरकार की गलती है।

महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि उत्पादकता के मामले में भारत पिछड़ा क्यों है? गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में 38 वां स्थान है, चावल के उत्पादन में 54 वां स्थान है और मूंगफली के उत्पादन में 72 वां स्थान है। चावल की उत्पादकता, चीनी की उत्पादकता का 40 प्रतिशत भी नहीं है। इसलिये, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता

जिनकी खाद्य मंत्री महोदय को ही जानकारी होगी, वे इसकी घोषणा नहीं कर रहे हैं यह एक महत्वपूर्ण कारक है। भार्गव फार्मूले में इसकी सिफारिश की गई है कि लाभ का 50 प्रतिशत किसानों को दिया जाना चाहिये। दो या तीन वर्षों के पश्चात भी 'एल' फार्मूले की घोषणा नहीं की गई है और गरीब किसान को परेशानी उठानी पड़ रही है। आपको इसकी जानकारी नही है कि कानूनन उसे कितना भाग मिलना चाहिये। अत:, मैं सरकार से इस पर ध्यान देने और उपयुक्त कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

इसके पश्चात्, मुर्गी पालन, डेयरी, फल सब्जियां उगाना, झींगा और मछली पालन किसानों की आय बढ़ाने में काफी सहायक हैं। मैं इसे विस्तार से नहीं बताऊंगा और न ही इसके आंकड़े दूंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पौष्टिकता के स्तर के अनुरूप अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने और निर्यात के द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने की काफी गुंजाइश है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ छोटे बैंक किसानों की सहायता नहीं कर रहे हैं। इस सभा में अपनी पूर्ण जवाबदेही के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि वे अधिकांशत: बड़े किसानों की जिनके पास 5 लाख अथवा 10 लाख पक्षी या यहां तक कि 15 लाख पक्षी हों मदद करते हैं, उन किसानों की नहीं जिनके पास 500 या 1000 पक्षी है। उनका कहना है कि यह आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है।

यह वास्तविकता नहीं है। चाहे 500 पक्षी और अथवा 1000 पक्षी हों, इससे कृषक उसकी पत्नी और उसके बच्चों को मदद मिलेगी। वे अपने मुर्गीपालन केन्द्र में कार्य करते हैं और कुछ कमाते हैं। झींगा पालन के मामले में भी ऐसा ही है। एक अन्य दिन, मैंने माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया था और यहां तक कि मैंने पिछले शुक्रवार को भी इस संबंध में निवेदन किया था। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं आंध्र प्रदेश में हुए अपने दु:खद अनुभव के बारे में बताना चाहूंगा। यद्यपि पिछले पांच वर्षों में झींगा पालन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल में 6000 हेक्टेयर से 54000 हेक्टेयर तक की भारी वृद्धि हुई है फिर भी यह सारी वृद्धि किसान के खर्च पर हुई है। यह उसका अपना पैसा है अथवा उनके मित्रों अथवा संबंधियों से उधार लिया गया पैसा है, न कि वाणिज्यिक बैंकों से लिया गया पैसा है। वाणिज्यिक बैंकों ने इस कार्य के लिए छोटे किसानों के बजाए निगमिक (कारपोरेट) कंपनियों, निजी कंपनियों तथा बड़े व मध्यम दर्जे के किसानों को ही ऋण की सुविधा दी है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात पर गौर करें और सही अनुदेश जारी करे ताकि बैंक अपने वित्तीय समर्थन और बीमा कवरेज की सुविधा उन्हें प्रदान कर सकें। अन्यथा, झींगा पालन जिससे वर्ष 1994-95 के दौरान 2400 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है, वह जारी नहीं रह सकता है। कृपया यह सुनिश्चित कीजिए कि जिस कार्य से आपको फायदा हो रहा है वह कायम रहे और आप इसकी रक्षा करने का प्रयास कीजिए। अन्यथा यह कार्य समाप्त हो जाएगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में आप जानते है - आप एक महान् वैज्ञानिक और ज्ञानी व्यक्ति हैं - अब तक उपज लागत की गणना करते समय जोखिम को हिसाब में नहीं लिया जाता है। हम आन्ध्र प्रदेश में तटीय जिलों में रहने वाले लोग कई बार चक्रवाती तूफानों का सामना करते हैं। चक्रवाती तूफान, समुद्री लहरें तथा सूखा हमें प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर विचार नहीं किया गया है और उस पर गौर करना चाहिए।

लाभ की गुंजाइश के संबंध में किसी भी औद्योगिक उत्पाद के लिए आप लाभ की कुछ गुंजाइश तो छोड़ते ही हैं। लेकिन कृषकों के बारे में ऐसा नहीं है। इस अन्याय को दूर करना चाहिए। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आपने यह घोषणा की है कि संशोधित फसल बीमा योजना आरम्भ की जाएगी। लेकिन अभी भी शुरूआत नहीं की गई है। परीक्षण के तौर पर भी यह एक जिले और एक राज्य में पिछले तीन वर्षों से विचाराधीन है। अत्यावश्यक तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। अन्यथा कृषकों को भुगतना पड़ेगा। देश में मॉडल सहकारी कानून अत्यावश्यक है। मैं बहुत खुश हूं कि हमारी सरकार ने हाल ही में हैदराबाद में भारत सरकार द्वारा परिचालित मॉडल सहकारी कानून के अनुसार सहकारी कानून अपनाया है। सरकार को अन्य सभी राज्यों पर दबाव डालना चाहिये कि वे इस कानून को शीघ्रातिशीघ्र लागू करें। चूंकि उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पास ऊँचे लक्ष्य प्राप्त करने की काफी गुंजाइश है, अत: उस क्षेत्र से हमें वह लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त करने हैं। सरकार को इस संबध में कदम उठाने हैं।

'गैट' करार हस्ताक्षर हो जाने के बाद की स्थिति के बारे में यद्यपि आप यह कहते है कि हमारे पास काफी गुंजाइश है क्योंकि उन देशों में राज सहायता कम होने जा रही है, फिर भी मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह कुछ करें। हमारा यह अनुरोध राज सहायता प्राप्त करने का लालच नहीं है। जी नहीं। आप जानते है कि इस देश के कृषकों को वास्तव में राज-सहायता प्राप्त नहीं होती थी बल्कि उन पर कृत्रिम रूप से कीमतों को कम करने के लिए दबाव डाला जाता था। सरकार से मेरा सुझाव यह है कि उन्हें राज-सहायता देनी जारी रखना चाहिए ताकि उत्पादन लागत कम रहे और निर्यात के क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ प्राप्त कर सकें। वे देश राज-सहायता कम करने नहीं जा रहे हैं। हमारे देश में पूरी राज-सहायता की राशि लगभग 15,000 करोड़ रुपये है लेकिन अमरीका में यह 75 बिलियन डालर तक है और यूरोपियन समुदाय में यह 115 बिलियन डालर तक है। इसका अर्थ है 3,40,000 करोड़ रुपये की राज-सहायता। वहां कृषि क्षेत्र में केवल दो प्रतिशत कृषक है। वे छठे वर्ष में इसे केवल 20 प्रतिशत तक ही कम कर देंगे। फिर भी राज सहायता का स्तर काफी ऊँचा रहेगा।

आर्मो और अन्य फलों, सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए हवाई-भाड़े के संबंध में दी जाने वाली राज सहायता में कुछ प्रगति

हो रही है। यदि निर्यात के प्रयास को प्रोत्साहित करना है तो हवाई भाड़े के लिए राज-सहायता दी जानी चाहिए। एक वर्ष से अधिक समय से यह मामला मंत्रियों के एक दल के समक्ष विचाराधीन है लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर गौर करें और शीघ्रातिशीघ्र कोई निर्णय लें।

मैं बिना किसी दूरस्थ उद्देश्य अथवा मस्तिष्क में बिना कोई राजनीतिक मकसद रखे सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इन पहलुओं पर गौर करें। हम कृषि में उनके वास्तविक हित में यह कह रहे हैं और हम यह विचार आपके द्वारा इस माननीय सभा के समक्ष उसी भावना से रख रहे हैं और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे वास्तव में कृषि क्षेत्र में मदद करने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए तथा भारत को कृषि क्षेत्र में पूरे विश्व का नंबर एक देश बनाने के लिए कृषि नीति के संशोधित मसौदे के साथ सामने आये। हमारे पास हर प्रकार की क्षमता है। लेकिन हमें अपनी क्षमता केवल 35 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ है। आई.आर.आई. ने उसकी गणना की है कि यदि हमारी पूरी क्षमता की प्राप्ति हो जाती है तो हमारा सकल घरेलू उत्पाद और 100 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। हम उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कृषि नीति पर कई सालों के बाद बहस हो रही है। मैं इसके लिए कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वे तीन साल बाद कृषि नीति पर आज लोकसभा में चर्चा करा रहे हैं।

वर्ष 1926 में लिथगो के, मारकोस की अध्यक्षता में कृषि आयोग की नियुक्ति की गई थी। इस आयोग को भारत में विद्यमान कृषि स्थिति तथा ग्रामीण व्यवस्था के बारे में जांच करके रिपोर्ट देने तथा कृषि में सुधार हेतु ग्रामीण आबादी के कल्याण तथा समृद्धि को बढ़ावा देने के संबंध में सिफारिश करने के लिए कहा गया था। इसके बाद 1947 में हुए देश विभाजन के बाद कृषि क्षेत्र में फिर से असंतुलन पैदा हो गया। स्वतंत्रता मिलने के बाद पहली बार कृषि में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने का प्रयास किया गया, जिसका उद्देश्य उस विद्यमान कमी का सामना करना ही नहीं, अपितु विभाजन के फलस्वरूप हुए असंतुलन को दूर करना तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना एवं विकास हेतु इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण बनाने तथा जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था।

उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के 47-48 साल बाद भी भारत के किसानों की जो दुर्दशा है वैसी दुर्दशा विश्व के किसी अन्य देश में हो, ऐसी जानकारी मुझे नहीं है। कृषि मूल्य नीति के संबंध में कहना है कि कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि मूल्य नीति सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। कृषि मूल्य आयोग, जिसका नाम बदलकर कृषि मूल्य लागत आयोग रखा गया है, कई महत्वपूर्ण कृषि जींसों के संबंध में समर्थन मूल्य की सिफारिश करके कृषि उत्पादकों के लिए स्थिर और सकारात्मक मूल्यों के संबंध में वर्षों से सहायता की है, यह मात्र कहने के लिए है। किसानों की फसल के संबंध में कृषि मूल्य नीति का जो दोष है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो किसान परिवार से आते हैं और खासकर लोकसभा में किसान परिवार से हैं वे सही मायने में जानते होंगे कि किसान को किस तरह के कष्ट होते हैं। मैं एक छोटे से किसान परिवार से हूं इसलिए मुझे जानकारी है कि जब हम फसल उगाते हैं, चाहे वह कोई भी फसल हो, जैसे जूट की फसल है, जूट की फसल के मौसम में जूट का भाव ठीक रहता है। दो-तीन महीनों बाद जब किसानों के घर में जूट की फसल समाप्त हो जाती है, बिक जाती है तो मार्केट में वह दुगुने, चौगुने भावों में मिलती है। इसी तरह धान का, गेहूं का, चावल का मूल्य रहता है। उदाहरण के लिए सीजन में किसी फसल का मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल है तो दो महीने बाद फिर बाजार से खरीदने पर वही फसल 300-400 रुपया प्रति क्विंटल का मूल्य देकर खरीदनी पड़ती है।

मेरा मत है कि हमारी कृषि मूल्य नीति बिल्कुल दोषपूर्ण है। आप देखिये कि इसके निर्धारण में कौन-कौन लोग बैठते हैं। इस समय सदन में अरविन्द नेताम जी बैठे हैं और कृषि मंत्री जी मौजूद नहीं है। जिस व्यक्ति का कृषि से सीधा संबंध है, उसे आप कृषि मूल्य आयोग में क्यों शामिल नहीं करते हैं और कृषि जिंसों का मूल्य निर्धारित करते समय उसकी सलाह क्यों नहीं ली जाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति किसान परिवार से सीधे संबंधित हैं, ऐसे व्यक्तियों को सदस्य या प्रतिनिधि के रूप में आपको कृषि मूल्य आयोग में शामिल करना चाहिये क्योंकि वह जानता है कि फसल उगाने में एक किसान को कितनी परेशानी होती है। आपके पदाधिकारी या मिल-मालिक निश्चित रूप से कुछ नहीं जान पाते हैं कि किसान को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक पुनर्निर्माण के प्रयासों से कृषि को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान मिला है। आज कृषि क्षेत्र देश के लगभग 70 से 80 प्रतिशत श्रमिकों की आजीविका का साधन बना हुआ है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में इसकी 32 परसेंट की भागीदारी है। देश के निर्यात व्यापार में कृषि का बहुत बड़ा हिस्सा और गौरवपूर्ण स्थान है। आज किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या समय पर खाद, बीज और कीटनाशक दवाओं का न मिलना है। जब किसान के फसल बोने का समय आता है तो हम लोग देहातों में देखते हैं कि उचित समय पर जब किसान अपने खेतों में बीजा बोना चाहते हैं, खाद देना चाहते हैं, उन्हें खाद और बीज समय पर नहीं मिल पाता जिसके

कारण किसानों को इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक खाद की कीमतों का सवाल है, कुछ खपत की दृष्टि से अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन के बाद विश्व में भारत का चौथा स्थान है। इसके बावजूद हमारे देश में खाद की उपलब्धता की जो स्थिति है, उसे आप देखिये कि आज से चार-पांच साल पहले खाद की कीमत क्या थी और आज क्या हो गयी है। मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि चाहे शक्तिमान यूरिया हो या सुफला यूरिया हो, 50 किलो की बोरी 105 रूपये से लेकर 110 रूपये में मिल जाती थी लेकिन आज यूरिया की कीमत 250 रूपये से लेकर 300 रूपये प्रति 50 किलो का बैग है। जहां तक डी.ए.पी. खाद का सवाल है, पहले 50 किलो, डी.ए.पी. खाद का बैग 188.50 रूपये में मिलता था लेकिन आज उसकी कीमत बढ़कर 450 रूपये से 500 रूपये के बीच हो गयी है। दूसरी तरफ किसान जो फसल पैदा करता है, उसके मूल्यों की स्थिति देखिये। चार साल पहले विभिन्न जिन्सों के दामों में उतनी वृद्धि नहीं हुई है, जितनी वृद्धि खाद, बीज और कीटनाशक दवाओं के दामों में हुई है।

इसलिये मैं कृषि मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि देश में जब कृषि पर आधारित लोगों का प्रतिशत 70 से 80 है, उसके बावजूद किसानों की समस्याएं क्यों बनी हुई हैं। मैं समझता हूं कि आज किसान की मुख्य समस्या समय पर खाद का न मिलना, खाद सस्ते दामों पर उपलब्ध न होना, कीटनाशक दवाएं समय पर न मिलना तथा दूसरी आवश्यक सामग्री समय पर न मिलना है। समय पर इन चीजों को उपलब्ध कराने का आश्वासन यदि किसान को मिल जाए तो उसकी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं लेकिन यदि वह किसी कोआपरेटिव बैंक में जाता है तो जब उसकी गेहूं की फसल बिक जाती है तो उसे ऋण मुहैया होता है, मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी स्थिति क्यों है? जिस तरह पंजाब और हरियाणा में किसान को स्थिति है, मैं चाहता हूं कि वैसी ही सुविधायें किसानों को देश के अन्य प्रांतों में भी मिलनी चाहिये। यदि ऐसा हो जाता है तो मेरा विश्वास है कि विश्व में कोई देश नहीं होगा जो अन्न के मामले में हमारे देश से आगे निकल सके। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि देश के सभी प्रांतों में किसानों को उसी तरह की सुविधायें उपलब्ध कराई जायें जैसी सुविधायें पंजाब और हरियाणा में किसानों को उपलब्ध हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, देश में बाढ़ की जो स्थिति है और उससे किसान को कितनी कठिनाई होती है, वह कहने की बात नहीं है। किसान कितनी मेहनत से खेतों में फसल लगाता है, उसे सींचता है खाद, पानी देता है और जब फसल बड़ी हो जाती है, कटने के लायक होती है, तो अचानक बाढ़ आ जाती है और उसकी पूरी फसल तबाह हो जाती है। इस प्रकार से यदि देशभर में देखा जाए, तो प्रति वर्ष करोड़ों-अरबों रूपए की फसल नष्ट हो जाती है। यदि किसी छोटे किसान ने अपनी फसल को उगाने में दस हजार रूपए लगाए होते हैं, तो उसकी बाढ़ में फसल बर्बाद होने के कारण एक पैसा भी नहीं मिलता है। यह सब किसी से छिपा नहीं है। इसलिए हम कृषि मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहेंगे कि बाढ़ से फसल को बचाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं। बाढ़ से हर प्रदेश में फसल बर्बाद होती है। चाहे वह बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या कोई अन्य प्रदेश हो। सभी की लगभग एक जैसी ही स्थिति है। बाढ़ को रोकने के लिए निश्चित रूप से योजनाएं बननी चाहिए ताकि किसान को बाढ़ से राहत मिले और वह अपनी फसल को उगाकर घर ले जा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब बीजों के संबंध में कहना चाहता हूं। बीजों के बारे में भी स्थिति अच्छी नहीं है। बीज किसान को समय पर नहीं मिलते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय बीज निगम का स्थापना की थी और इसके सहयोग से मात्र 13 केन्द्र देश भर के 13 राज्यों में खोले गए थे। मेरा मंत्री जी से आग्रह होगा कि देश के सभी राज्यों में राष्ट्रीय बीज निगम के केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, देश में जो बंजर भूमि है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए शहरी एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो संसदीय स्थाई समिति है जिसके चेयरमैन हमारे भोंसले साहब हैं, उस कमेटी ने जो सिफारिश बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाने के बारे में की है, यदि उन सिफारिशों के अनुसार काम होगा, तो देश की तमाम बंजर भूमि को आप उपजाऊ बना सकेंगे। मेरा अनुरोध है कि इस दिशा में गम्भीर प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि हम देश में भूमि तो कहीं और से नहीं ला सकते हैं, लेकिन बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाकर उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, विश्व बैंक की सहायता से मार्च 1990 से 236.01 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय बीज निगम के तीसरे चरण का काम प्रारंभ किया गया है, लेकिन देश भर में किसी भी स्थान पर किसान को कम लागत पर अच्छे बीज उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए मेरा कृषि मंत्री महोदय से निवेदन है कि देश के किसानों को उन्नत किस्म के बीज कम दाम पर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए। जो व्यवस्था की गई है, वह पर्याप्त नहीं है क्योंकि किसानों को समय पर बीज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अक्तूबर, 1988 से बीजों के विकास की नई नीति लागू की गई है। बीज विकास निगम की नयी नीति के माध्यम से दुनिया के किसी भी स्थान से अच्छी किस्म के बीज भारतीय किसानों को उपलब्ध कराने की पक्की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी किसानों को समय पर बीज उपलब्ध नहीं होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में की गई। इसकी वर्तमान अधिकृत पूंजी 20 करोड़ रुपए तथा चुकता पूंजी 20.09 करोड़ रुपए है। चुकता पूंजी में से 8.11 करोड़ रुपए राष्ट्रीय

बीज कार्यक्रम प्रथम तथा द्वितीय के तहत राज्य बीज निगमों में हिस्सा पूंजी के रूप में निवेश किए हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय बीज निगम की वास्तविक हिस्सा पूंजी मार्च 1991 के अंत तक सिर्फ 11.98 करोड़ रुपए की थी। मार्च, 1991 के अंत तक निगम को कुल 24.51 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। कहीं न कहीं निश्चित रूप से गड़बड़ी है। पहले मनमानी करते हैं फिर सही ढंग से काम नहीं करते हैं और धन का सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं जिसके कारण घाटा होता है यदि उसके ऊपर निगरानी रखी जाए और उसका सही उपयोग किया जाए, तो किसी भी कीमत पर घाटा होने का सवाल नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत और नेपाल के सहयोग से जो नदी घाटी योजनाएं बनी है उनमें कोसी नदी की योजना भी है। जो लोग नेपाल भारत की सीमा पर गए हैं, उन्होंने देखा होगा कि कोसी नदी के बैराज पर भारत सरकार का अरबों रूपया खर्च हो गया है और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। इसमें सिल्ट आ गई है जिसके कारण तली में बहुत सारी मिट्टी जमा हो गई है। इसके कारण बिहार का क्षेत्र बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। 25-30 साल से नहर की सफाई नहीं हुई है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उसका सर्वेक्षण किया जाए और इस बात का पता लगाया जाए कि नहर की सफाई क्यों नहीं हो रही है और किसानों के खेतों में पानी क्यों नहीं जा पा रहा है।

बड़ी मुश्किल से किसान अपने खेतों में पानी ले जा पाता है। गरमा की जो फसल है, उसके बारे में आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एक एकड़ में बगैर खाद के 60-65 मन प्रति एकड़ गरमा की फसल होती है। अभी दो महीनें पहले वह किसानों को प्राप्त हुई है। अगर हम पानी की व्यवस्था कर दें तो इतनी ज्यादा गरमा की फसल, गेहूं की फसल व अन्य प्रकार की फसलें पैदा होगी, जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं है।

विश्व की सहायता से आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में प्रारम्भ किया गया क्षेत्र विकास, कर्नाटक में पनधारा परियोजना, तमिलनाडु में तिरूनेलवेलि में पनधारा क्षेत्र विकास परियोजना, पहाड़ी इलाकों के लिए समन्वित पनधारा क्षेत्र विकास परियोजना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब-हरियाणा प्रदेशों में चल रही है। मैदानी इलाकों के लिए समन्वित पनधारा क्षेत्र विकास परियोजना व विश्व बैंक की सहायता से गुजरात, उड़ीसा एवं राजस्थान में प्रारम्भ की गई है। वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा क्षेत्र विकास परियोजना, वर्षा पर निर्भर पनधारा क्षेत्र के विकास का केन्द्र द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परियोजना 1990-91 में 35 राज्यों में प्रारम्भ की गई है। इसमें बिहार प्रदेश का नाम नहीं है। बिहार को हमेशा मूल धारा से अलग रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, कई देशों की तुलना में भारत में कृषि पर सबसे ज्यादा खर्च क्यों होता है? इस प्रश्न को हमें गम्भीरता से लेना चाहिए। वह इसलिए होता है क्योंकि भारत में 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। अगर आप कृषि पर मजबूत रूप से बल देंगे तो निश्चित रूप से देश का आर्थिक विकास होगा। नई आर्थिक नीति कृषि के लिए लाभकारी नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जाने माने कृषि विशेषज्ञ व रिजर्व बैंक के निदेशक, प्रो. एस.एस. चहल ने नई आर्थिक नीति के खिलाफ कहा है कि अगर देश में नई आर्थिक नीति आएगी तो इससे कृषि को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कृषि के दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि पंचायत, ब्लाक और जिला इकाई को नहीं बल्कि पंचायत को प्राथमिक इकाई मानकर अगर किसानों के लिए खाद व बीज की व्यवस्था की जायेगी तो किसानों की दशा में सुधार होगा व भारत का विकास होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

अब, सभा 2.45 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.43 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.45 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.52 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोकसभा 2.52 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रारूप कृषि नीति संकल्प (यथा उपांतरित) पर विचार के संबंध में प्रस्ताव-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रतापराव बी. भोंसले।

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : महोदय, क्या मैं एक निवेदन करूं? कृपया मुझे कुछ मिनटों के लिए बोलने की अनुमति दीजिए क्योंकि मुझे किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव बी. भोंसले (सतारा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, कल इस सदन में माननीय कृषि मंत्री जी ने जो कृषि नीति संकल्प का मसौदा रखा है, उसके बारे में समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं।

वास्तव में इस विषय को बहुत जल्दी लाना चाहिए था, लेकिन दो ढाई साल के बाद कृषि नीति पर चर्चा इस सदन में हो रही है। मगर उसके लिए जो टाइम निर्धारित किया है, वह चार घण्टे का है। 70 फीसदी लोगों का प्रश्न है, ढाई साल के बाद यहां यह मसौदा लाया गया है और उसके लिए चार घण्टे का टाइम रखा है, इससे ही पता

लगता है कि किसानों के विषय में सरकार कितनी चिंतित है या इस विषय में, किसानों के विषय में सरकार को या सदन को कितनी चिंता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा...(व्यवधान)

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : सामने ये सारे बैंच खाली पड़े हैं, उनको कोई चिन्ता नहीं है...(व्यवधान)

श्री प्रतापराव बी. भौंसले : मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि इस विषय पर चर्चा की अवधि थोड़ी बढ़ाइये और जितने सम्माननीय सदस्यों को इसमें हिस्सा लेना है, उनको अपने विचार प्रकट करने की अवधि मिले।

कृषि विभाग के बारे में दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि हमेशा इस विभाग के बारे में अन्याय होता रहा है। वह इस तरह से होता रहा है कि पुराने कृषि विभाग और आज के कृषि विभाग में इतना अंतर किया गया, उसके इतने विभाग किये गये कि किसान नीति, कृषि विभाग और कृषि के बारे में जितने प्रश्न हैं, उसके बारे में सरकार ने बहुत ही लाइटली लिया है। इतने विभाग बनाये गये कि लगता है सरकार कृषि और किसान के बारे में चिंतित भी है या नहीं। मैं बलराम जाखड़ जी को जरूर धन्यवाद दूंगा कि वह कृषि के बारे में व्यक्तिगत चिंता करते हैं। उसके कार्यक्रम के बारे में उनकी नीति और नीयत बिल्कुल साफ है। मगर सरकार के बारे में जो टीका-टिप्पणी या कोई निंदा सदस्यों को करनी पड़े तो वह उसे व्यक्तिगत रूप में न लें, यह मेरा उनसे अनुरोध है।

इस देश में कितनी जमीन है, कितना क्षेत्रफल है, उसका आंकलन किया गया है। 32 करोड़ 90 लाख हेक्टेयर का पूरा क्षेत्र है। जिसमें उपजाऊ जमीन कितनी है, इसका ब्यौरा अलग-अलग रिपोर्ट्स में अलग-अलग है। कुछ रिपोर्ट्स में आंकड़े बताये गये है कि 16 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर जमीन उपजाऊ हो सकती है, कई में लिखा है कि 18 करोड़ के करीब है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में 14 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर तक उपजाऊ या जुताई वाली जमीन मानी गई है। इसका अर्थ यह है कि आज भी कम से कम ढाई से तीन करोड़ हेक्टेयर जमीन वैसे ही पड़ी है। इसका मतलब इस देश में 25 प्रतिशत से ज्यादा जमीन कहीं बंजर और कहीं अनुपजाऊ के रूप में पड़ी है। किसी जमीन को उपजाऊ बनाने में किसान सक्षम नहीं रहता। इस देश की अनुपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाना सरकार का पहला कर्त्तव्य होता है। उसके लिए एक अलग विभाग भी बनाया गया, लेकिन उन्होंने जो कार्यक्रम पिछले दो-तीन साल में अनुपजाऊ जमीन बनाने के लिए हमारे सामने रखें है, उससे लगता है कि अनुपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कम से कम 100-150 साल लगेंगे। क्या हमारा देश इतना समर्थ और धनवान है कि हम उस जमीन को ऐसे ही देखते रहें और 100 साल के बाद उसको उपजाऊ बनायें? मेरा कहना है कि यह जमीन कैसे उपजाऊ बन सकें, उसका उपयोग कैसे देश के गरीब किसान कर सकें, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हम हमेशा सुनते हैं कि उद्योग की नीति बनी है। उसके तहत सरकार का हर व्यक्ति बोलता है कि इंडस्ट्री के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाने की नीति बनाई है। कृषि के बारे में, किसानों के बारे में हमेशा खिड़कियां बढ़ाने का काम होता है। जिसके पास सम्पत्ति है, साधन है, जो कहीं पर जाकर अपने मामले का निपटारा कर सकता है, सरकार के दरवाजें खटखटा सकता है उसके लिए तो सिंगल विंडो सिस्टम, और किसानों के लिए अनगिनत खिड़कियां। अगर उसे बीज चाहिए तो बीज निगम के पास जाये, खाद चाहिए तो खाद निगम के पास जाये और अगर उसे ऋण लेना है तो बैंक के पास जायेगा। इस तरह से उसको 100 दरवाजें खटखटाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर उसका काम कभी-कभी होता है। जितनी खिड़कियां आपने बढ़ाई हैं, उनको कम करके किसान बिल्कुल आसानी से अपना काम कर सकें, इस विषय में सरकार को सोचना चाहिए।

ऋण नीति के बारे में भी वही नीति है। रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस है कि न्यूनतम 18 प्रतिशत किसानों को ऋण देना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह सबको पता है इसलिए मैं आंकड़ों के जाल में फसंकर सदन का समय नहीं लेना चाहता, उसको 10 प्रतिशत से ज्यादा ऋण नहीं मिलता है।

आज हर वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है। किसानों को ऋण देने के समय हम उसकी पर्सेंटेज कम करते जा रहे हैं।

3.00 म.प.

इसमें दूसरी चीज यह है कि किसी ने 5200 रुपया लागत लगाकर या इन्वेस्ट करके दुकान बनायी तो उसकी क्रेडिट फैसिलिटी फिक्सड हो जाती है, उसके लिए क्रेडिट लिमिट तुरंत निर्धारित होती है। मगर कितना भी बड़ा किसान क्यों न हो, उसके लिए कोई क्रेडिट नीति नहीं बनाई जाती, उसकी क्रेडिट लिमिट निर्धारित होगी। और ऋण लेने के लिए उसे दरवाजे पर जाना पड़ता है। इस जगह से उस जगह जाना पड़ता है। हर साल जब उसको कुछ कर्जा लेना है तो दस जगह जाना पड़ता है। सोसायटी के पास जाना पड़ता है, बैंक के पास जाना पड़ता है, सोसायटी के सेक्रेटरी के पास जाना पड़ता है। हर साल नये कागजात बनाने की आवश्यकता पड़ती है।

3.02 म.प.

[श्री तारा सिंह पीठासीन हुए]

क्योंकि क्रेडिट सिस्टम है। आप उसकी क्रेडिट लिमिट तय करिये और उसको क्रेडिट कार्ड दें और उससे सालभर का ऋण एक ही टाईम में तय करिए, टैक्स लें। जब तक उसके पास पैसा आयेगा, वह दुबारा ऋण चुकायेगा और जो पैसा वह चुकायेगा, दूसरे साल अपना पैसा वापस लेने के लिए सक्षम रहेगा। यह मानकर सरकार इस विषय को क्यों नहीं करना चाहती? मैं आपको बताता हूं कि मैं किसी

उद्योगपति के खिलाफ नहीं हूं, न ही उद्योग नीति के खिलाफ हूं। मगर हमेशा यह होता रहा कि पूंजीपति भी कभी-कभी धन डुबोते हैं। कभी-कभी तो दिवालिया बनकर अपना पोस्टल एड्रेज चेंज करके दूसरी कंपनियां निकालते हैं। इस देश के एक भी किसान ने आज तक दिवाला नहीं निकाला। अपना पोस्टल एड्रेस चेंज नहीं किया और ऋण के कारण अपना गांव छोड़कर कभी नहीं गया परन्तु फिर भी हमारे मन में किसान को ऋण देने के बारे में हमेशा आशंका रहती है। उसको ऋण देने के बारे में हमेशा अपनी नीति चेंज करते रहते हैं। मैं कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसको क्रेडिट कार्ड दीजिये, उसकी क्रैडिट लिमिट तय कर दीजिये ताकि उसको आसानी से ऋण मिल सके। ऐसी व्यवस्था कीजिये। मेरा तीसरा मुद्दा यह है कि उसकी जो ब्याज दर है उसको कम कीजिये। मैं दस सालों से यहां पर हूं। हम हमेशा सरकार को लिखते रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को लिखते रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखते रहे हैं कि कम से कम उसकी ब्याज दर कम कीजिये। यह कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। आज भी इस देश का 70 फीसदी किसान सूखे एरिया में काम करता है। उसके पास इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है फिर भी अपनी हिम्मत से अपना अपना काम कर रहा है। आज तक स्वतंत्रता के बाद किसानों ने जो देश के लिए काम किया, सरकार ने भी उसके लिए जरूर किया है। मैं बधाई दूंगा मगर उनकी जो दिक्कतें हैं, उसके बारे में सरकार इस समय नहीं सोचेगी तो कब सोचेगी। मैं आग्रह करूंगा कि ऋण पर जो ब्याज दर है, उसको 5 प्रतिशत किया जाये क्योंकि इस देश का ज्यादा से ज्यादा किसान कम सुविधा वाले इलाके में रहने वाला है। कभी बारिश आ जाती है तो कभी सर्दी पड़ती है या कभी बाढ़ आती है तो इस कारण से कम से कम उसको क्रोप लोन पर तो ब्याज दर 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह मैं अपने सब किसान भाईयों के माध्यम से कहना चाहूंगा।

दूसरी बात, मैं इस देश में जो मिट्टी बहती जा रही है, सोईल इरोजन का जो प्रॉब्लम है, यह बंजर जमीन जो है, उसके बारे में कहना चाहूंगा। इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि इस देश में जंगल की कटाई होने के कारण जो जमीन बंजर होती जा रही है, उसको रोकना सरकार का कर्तव्य है क्योंकि इससे दूसरे संकट पैदा होते हैं। अब वे संकट कौन-कौन से हैं : एक संकट तो यह है कि जो नदियों की बेड लेवल के ऊपर आ जाती है, बांध बनते है उसकी भी आयु इस कारण से कम होती है, बाढ़ का प्रकोप होता है। मैं समझता हूं कि इस देश के काबिल व्यक्ति टैक्नोलॉजी दूसरे देशों से ला सकते हैं, पैसा ला सकते हैं, डॉलर ला सकते हैं, मशीनरी ला सकते हैं, मिट्टी कहीं से नहीं ला सकते। मिट्टी को संभालना इस देश के किसानों के प्रति नहीं, देश के प्रति देशभक्ति का काम है। मगर मैंने [redacted] तक इतनी जगह तलाश की है कि मिट्टी जो बहती गई है, वह कितनी बहती गई है, इसके बारे में आंकड़ा देने को कोई भी तैयार नहीं है। किसी ने भी कोई संशोधन नहीं किया। न ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने किया और न ही दूसरे विभाग ने किया।

जब तक यह जानकारी नहीं कि कितनी मिट्टी बह रही है, किस कारण से नदी-नाले ऊपर आ रहे हैं, तब तक कुछ बताना मुश्किल होगा। बाढ़ का बढ़ना कोई ज्यादा बारिश होना, यही एक कारण नहीं है, यह संकट तो नदियों के बैड लेवल बढ़ने के कारण है। उस कारण को इस प्रोग्राम में महत्वपूर्ण मानकर उसको प्राथमिकता देकर ज्यादा निगरानी में रखना होगा। यदि इसको ठीक करने का प्रबंधन किया जायेगा तो इस देश का भला हो सकेगा।

तीसरी बात यह है कि इस देश में खाद की परिस्थिति क्या है? खाद में कितनी सब्सिडी देनी है या नहीं, यह बहुत ही टैक्नीकल बात है। क्या आप जानते है कि देश के विभिन्न राज्यों में खाद के उपयोग करने की क्षमता भी अलग अलग है। यह एक चिंताजनक विषय है क्योंकि इस देश के 5 राज्य ऐसे हैं जो कुल खाद का 50 प्रतिशत उपयोग करते हैं और शेष भारत बाकी का 50 प्रतिशत उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिये पंजाब में 171 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर खाद का उपयोग किया जाता है जबकि देश के अन्य राज्यों में कोई 10 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर भी नहीं करता है। यह कैसी डिस्क्रिपैंसी है? यही बिजली और पानी में है। मैं इन सभी विषयों पर राज्यवार के आंकड़े दे सकता हूं लेकिन आंकड़े देकर सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। कई राज्य तो एक परसैंट से भी कम खाद इस्तेमाल करते हैं। एक हैक्टेयर के लिए 5 कि.ग्रा. न्यूट्रीयंट्स से क्या होगा? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को छोड़कर सारे देश की यही हालत है। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसका मुख्य कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ना। हमारी बीमार कंपनियों में सरकारी ज्यादा हैं जो खाद बनाती है। कई कंपनियों की खाद की कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन 11 से 20 हजार रुपये प्रति टन है जिसे हम संभाल नहीं रहे हैं। इससे हमारा नुकसान हो रहा है। इसे किसानों के सिर पर लादे चले जा रहे है। आखिर यह कब तक चलेगा? मुझे लगता है कि एकाध कंपनी जो ठीक नहीं चल रही है, उसे उन कामगारों को चलाने के लिए दे दीजिये। को-आप्रेटिव सैक्टर के लोगों को चलाने दीजिए। वे उसे ठीक करें। जो सैंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सैक्टर पं. बंगाल, उड़ीसा या बिहार में ठीक नहीं चल रहे हैं, उन लोगों को दे दीजिये। किसान इस तरह की मंहगी खाद को किस प्रकार से बर्दाश्त करेंगे? इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, खाद देने की प्रक्रिया को भी हम सक्षम नहीं बना पाये हैं। हमारा पुराना ढांचा तो गोबर को गड्ढे में डाल देने की रही है। हमें जो यह खाद मिलती है, उसका नैट्रोजन का परसंटेज बहुत कम है। एक गड्ढे में डाला गया रॉ-मैटीरियल का 40 परसैंट इवैपोरेशन का लास है। मगर उसे यदि गोबर गैस प्लांट में परिवर्तित

किया जाये तो उसका 4 गुना नाइट्रोजन बढ़ जाता है। उसका रिसर्च किया गया है। इससे घर में बिजली और गैस मिलती है। इसके अलावा कई अन्य फायदे हैं। इकनामिक्स हर इंडस्ट्री से अच्छा है। यदि इसके आंकड़े सदन में रखूं तो आप लोगों को भरोसा नहीं होगा।

इस देश में कम से कम 4 करोड़ 20 लाख किसान ऐसे हैं जिनके पास जानवर हैं। उसमें से 120 लाख किसान ऐसे हैं जिनकी लोन लेने की कैपेसिटी है। उनके पास उपयुक्त स्थान है, जितने जानवर आवश्यक हैं, उतने जानवर उनके पास हैं। 120 लाख किसान ऐसे हैं कि आज भी उनके यहां गोबर गैस प्लांट बन सकता है। आपने कितने बनाए? पिछले साल की रिपोर्ट में 20 लाख के करीब बनाए है। 40 साल में आप 20 लाख प्लांट ही बना पाए हैं और 120 लाख गोबर गैस प्लांट लगाने में आपको कितना समय लगेगा और इसके कारण देश को कितना नुकसान होगा? 120 लाख लोग राह देख रहे हैं कि उनके घर में भी यह प्लांट लगे, उनको खाद मिले, बिजली मिले। यह आपके विभाग की ही रिपोर्ट है। इन प्लाण्ट्स को लगाने में बहुत कम पैसे लगेंगे लेकिन हमारी रूचि दूसरे विषयों में ज्यादा हो गई है। कोई एन.आर.आई. आ गया तो उसकी फाइल जल्दी निकलती है। कोई मल्टीनेशनल्स आ गए तो उनके लिए हम ऐसे बैठे हुए हैं जैसे हमारे दामाद आ रहे हैं और उनकी राह देखने के लिए हम बैठे हैं मगर किसानों का मामला आ गया तो कुछ नहीं होता और यहां के किसानों को बड़ी परेशानी होती है। इस विषय को टीका टिप्पणी के रूप में मत लीजिए। आप भी उसके लिए जिम्मेदार हैं और हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी किसी की इस विषय में कम नहीं है। हर चीज में यही हो रहा है और फिर भी हम दूसरे विषयों में सदन का और अपनी राजनीति का समय खराब करते हैं। इस विषय पर हमें जमकर विरोध करना पड़ेगा या सपोर्ट करना पड़ेगा कि यह काम इसी समय में होना चाहिए। इसकी टाइम लिमिट फिक्स होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात इरीगेशन की है। इस देश में किस क्रॉप को कितने दिन में कितना पानी चाहिए, कौन डिसाइड करता है? यह हर राज्य का कृषि विभाग डिसाइड नहीं करता है जिसको कृषि का ज्ञान नहीं है। वहां इंजीनियर जरूर हैं। रोटेशन वह तय करते हैं कि कौन सी कैनाल में कितने दिन के बाद पानी छूटेगा। ऐग्रीकल्चरिस्ट यह तय नहीं करते हैं और इस कारण से इतना परिवर्तन हुआ। क्रॉप सिस्टम चेंज हो गया है लेकिन फिर भी 50 साल पहले की नीति को हम चला रहे हैं। इस देश में कम से कम 11 करोड़ 30 लाख हैक्टेयर इरीगेशन पोटेशियल है मगर आज तक 45 साल से 8 करोड़ लाख हैक्टेयर पर इरीगेशन किया जा सका है। हमें देखना चाहिए कि सिस्टम कितना अच्छा या खराब है, उसमें कौन से सुधार चाहिए, ड्रिप इरीगेशन चाहिए या स्प्रिंकलर इरीगेशन चाहिए। मगर आज भी इस देश में 3 करोड़ 20 लाख का पोटेशियल बाकी है। यह आप कितने सालों में पूरा करेंगे? एक परियोजना 15-20 साल चलती

है। हम राह देखते रहते है। किसान आंखें लगाकर बैठे रहते हैं कि आज होगा, कल होगा। दूसरी बात मैंने देखी है कि कोई व्यक्तिगत रूप से लिफ्ट इरीगेशन की परमीशन मांगने गया तो तुरंत मना कर देते है। जहां 100 परसेंट पूंजी लगे और एक परसेंट मांगने गया तो तुरंत मना कर देते है। जहां 100 परसेंट पूंजी लगे और एक परसेंट भी रिटर्न न हो, वहां तुरंत आप हां करते है मगर किसान कोई कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर सरकार के पास जाते है तो उनको मना कर देते हैं कि पानी नहीं है। किसान अपनी मेहनत से सिंचाई करने वाले हैं, मगर सरकार का मना करने का तरीका बढ़ता जा रहा है। हर राज्य द्वारा यह हो रहा है। इसमें राज्य सरकार के मामले जरूर हैं मगर राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार कृषि के क्षेत्र में दो नहीं हो सकती। सबको मिलकर इस देश का फैसला करना है जो देश के किसानों के लिए लाभदायक हो, देश की कृषि के लिए लाभदायक हो। मैं समझता हूं कि इस विषय में हमारे कृषि मंत्री जी ने रूचि ली है। जो पानी है, उसका जो परिमाण है, प्रति हैक्टेयर पानी देने, उसको ड्रीप में परिवर्तित करने, स्प्रिंकलर में परिवर्तित करने या जो पुराने सिस्टम हैं उनमें परिवर्तित करना है। कम पानी में कैसे सिंचाई हो, इस पर ध्यान देना है। यह एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसलिए हमें इस नीति के बारे में दुबारा सोचना चाहिए।

कृषि शिक्षा नीति की बात आई। कृषि के बारे में अच्छे संशोधन हुए, कई अच्छे-अच्छे कृषि पण्डितों ने इस देश के लिए बड़ा योगदान किया है जिसके कारण से कृषि का उत्पादन बढ़ा है। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि जब कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विद्यापीठों में एडमिशन दिया जाता है तो एक भी लड़का यह नहीं कहता कि मैं किसान बनूंगा, खेती करूंगा। क्या यह हमारी सफलता है? उसको एडमिशन देते समय यह देखा जाता है कि वह किसान का लड़का है और जाने के बाद भी किसान बनेगा। जो जमीन से आया, जो किसान परिवार से आया वह भी खेती करने के लायक नहीं है या उसकी इच्छा नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारी नीति नौकरशाह बनाने की है। वह विद्यापीठ में आकर डिग्री लेकर वापस खेती में नहीं जाता तो उसका मतलब क्या है? हम खाली नौकरी बढ़ाने का काम कर रहे हैं और वे व्यक्ति खाली नौकरशाह बनकर, अच्छी तनख्वाह लेकर क्या मार्गदर्शन करेंगे? वे कभी मिट्टी में हाथ नहीं डालेंगे। उसे यह कहना चाहिए कि तू किसान का बेटा है, तू जाकर घर पर चाल साल काम करना, हम तुम्हें बाद में नौकरी देंगे, तुम घर की खेती का काम करना। लेकिन एक भी वापस नहीं जाता और वह शहर में ही रहने की कोशिश करता है। हम उसको कहते है कि वह सर्टिफिकेट लाए कि वह किसान का बेटा है। अगर किसान का लड़का आपके कब्जे में आ गया तो वह किसान नहीं रहा। हमारी नीति देश के लिए उपकारक है या अपकारक है, यह सोचने की बात है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इस नीति में कई परिवर्तन करने की

आवश्यकता है। उसे डिग्री देकर कहना चाहिए कि गांव में जाओ और देखो की बारिश क्या होती है, सर्दी क्या होती है, यह देखकर दो साल बाद में आ जाना तुम्हें अच्छी नौकरी तनख्वाह मिलेगी। मगर यह नहीं होता। वे अपनी नौकरी में चले जाते हैं, वे खाली किताबें पढ़ते हैं। इस देश में भूगोल सिखाने वाला कम पीरियड और कम टाइम की बात करता है, क्योंकि वह पढ़े बिना कुछ सिखा नही सकता। मगर भूगोल तो वही होता है लेकिन हर दिन पढ़े बिना वह स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता। इसी तरह अगर किताब पढ़कर कोई खेती सिखाता है तो इससे देश और भी पीछे जाएगा। इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से आग्राह करूंगा कि इस नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, कल माननीय मंत्री जी ने कहा था कि क्रोप इंश्योरेंस के बारे में मैं दुबारा सोचने को तैयार हूं। यह सही है कि क्या क्रोप इंश्योरेस स्कीम है। यह क्रोप इंश्योरेंस नहीं है, लोन इंश्योरेंस है। जो लोन होगा उसी के लिए यह स्कीम लागू होगी। जो किसान अपने घर में पैसा लगाएगा उसके लिए इंश्योरेंस नहीं है। जो अपने घर से पैसा लगाए, फसल लगाए उसके लिए इंश्योरेंस क्यों नहीं है? इसमें फसलें बहुत लिमिटेड है, उंगली पर गिनने लायक हैं, उन पर आपने इसे लागू किया है जबकि पूरे देश में यह योजना लागू होनी चाहिये। जितने देश में सूखे वाले इलाके हैं या जिन इलाकों में ज्यादा बारिश होती है या जहां ज्यादा बंजर भूमि है, वहां के लोग क्या करेंगे, कैसे अपनी जिन्दगी बितायेंगे, कहां से अपना संसार चलायेंगे? जिस तरह इंडस्ट्रीज के मामले में, उद्योग के मामले में हम इस विषय को लेते है, उसी तरह एग्रीकल्चर क्रोप इंश्योरेंस स्कीम लागू करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि मेरी राय से कृषि मंत्री जी सहमत होंगे।

तीसरी बात मैं एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के बारे में कहना चाहता हूं। ए.पी.एम.सी. के लिए ज्यादा जमीन की आवश्यकता होती है क्योंकि वहां किसान अपनी फसलों की पैदावार के बाद आता है और अपने गाड़ी बैल, ट्रक, ट्रैक्टर आदि लेकर आता है लेकिन उस पर भी आपने नॉन-एग्रीकल्चर यूज टैक्स लगा दिया है। इस देश में 10-15 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी भी मुनाफे में नहीं है लेकिन उन पर भी आपने इंकम टैक्स और दूसरे टैक्स लगा दिये हैं। आज उन पर करोड़ों रूपये टैक्स बकाया है और जल्दी ही वे सब बंद हो जायेंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं आग्रह करूंगा कि किसी पर्सनल बंधे पर, बिल्डिंग पर, दुकान या दफ्तर पर आप जरूर टैक्स लगायें लेकिन जहां किसान अपने बैलों के साथ आये, उस पर टैक्स क्यों लगाया जाये क्योंकि वहां सारा माल खेती का आता है। उस पर किसी तरह का नॉन एग्रीकल्चर यूज टैक्स नहीं लगाना चाहिये। आप जानते हैं कि नई मार्केट कमेटी बहुत अच्छी चल रही है लेकिन वे भी दो-चार साल में बंद हो जायेंगी। आप देखिये कि वहां कारोबार कैसा चलता है।

दूसरी तरफ दिल्ली की मंडी में चार दिन पहले मैं खुद गया था जहां हरियाणा और पंजाब के किसान अपने फल बेचने आये थे। फल बेचने का उनका तरीका शायद आप नहीं जाते हैं कि कैसे भाव बोले जाते हैं? एक बड़ा सा रूमाल हाथ पर डाला जाता है और उसमें उंगली अंदर से पकड़ते है। यहां बड़े-2 उद्योगों के बारे में राजवीर सिंह जी बोलते है। कि पारदर्शिता होनी चाहिये लेकिन यहां रूमाल के नीचे सब कुछ चल रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता क्योंकि हम दूसरा धंधा कर रहे हैं जिससे राजनीतिज्ञों का लाभ हो सकें। दिल्ली में जो कुछ चल रहा है, वह क्यों चल रहा है। किसी फल के एक कट्टे का भाव सुबह 30 रूपये होता है और शाम को उसी का भाव 125 रूपये हो जाता है। इस तरह हर चीज के दाम बीच के दलाल चार गुने, पांच गुने कर रहे हैं जबकि किसान को उसके 30 रूपये भी नहीं मिले जिसने साल भर तक उसे पैदा करने में मेहनत की। खाने वाले को वही फल 150 रूपये में मिलता है। यदि हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या इस स्थिति में हम परिवर्तन लाना नहीं चाहेंगे जब बाकी बड़ी-बड़ी चीजों में हम मिलकर काम करते हैं क्योंकि वह सब अखबारों में आता है और फल के कट्टे का भाव अखबारों में नहीं आता क्योंकि वह 30 रूपये का सवाल है किसान का बाग है। यदि एनरॉन की बात होगी तो वह सब अखबारों में आयेगी। हर स्थिति से हम लाभ उठाने की कोशिश क्यों करते हैं और हमारी मनःस्थिति क्या बन गयी है? हमें मालूम नहीं है कि हर शहर में इसी तरह नीलामी होती है, इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है, किसी सरकार का सवाल नहीं है और आज तो हर पार्टी की सरकार किसी न किसी प्रांत में है। सब जगह ऐसा ही चलता है। हमारे बंबई में भी वही बड़ा रूमाल डालकर और अंदर से उंगली पकड़कर भाव करने की प्रथा है। जिसने पैदा किया उसका कोई ध्यान नहीं। मैं आपको बताऊं कि इसमें खाली इनके मन में क्या है, जाखड़ साहब के मन में क्या है, इसका सवाल नहीं है, मन में परिवर्तन लाने का सवाल है। हम सबके मन में भी परिवर्तन आना चाहिए.... (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : हमारे मन में तो बहुत कुछ है। आपके मन में आना चाहिए।

श्री प्रतापराव बी. भोंसले : यह कृषि के बारे में चिंता का विषय है। ऐसे बहुत से विषय हैं जिनके बारे में परिवर्तन की आवश्यकता है।

सभापति जी, अब मैं दुग्ध विकास पर आता हूं। दुग्ध विकास के क्षेत्र में जरूर कई इलाकों में कुछ अच्छा काम हुआ है मगर आज भी 40-45 साल बाद, जब मैं अपनी कमेटी के साथ 4 राज्यों के दौरे पर गया और मैंने एक जगह पूछा कि आप दूध बढ़ाने के लिये कैसे काम करते हैं, कौन से प्रयास करते हैं तो मुझे बताया गया कि फ्रोजन सीमन का प्रयोग करते हैं, फिर मैंने पूछा कि फ्रोजन सीमन कहां से

लाते हैं तो कुछ जगहों के नाम मुझे बता दिये। फिर मैंने पूछा कि फ्रोजन सीमन जहां से आप लाते हैं वहां क्या कोई जैनेटिक टैस्ट किया हुआ सांड वगैराह का इंतजाम है तो इस प्रश्न का उत्तर तीन राज्यों में मुझे किसी अधिकारी ने नहीं दिया।

सभापति महोदय, इसका मतलब है कि इतनी टैक्नालोजी परिवर्तित हो रही है, दुनिया में सब चीजें हो रही हैं और हमारे यहां वही पुराना ढांचा चल रहा है। उसी को लेकर हम किसान के सामने जाते हैं। इस देश के आधे से ज्यादा राज्य है जहां किसी एक सांड का भी जैनेटिक टेस्ट नहीं हुआ होगा। क्या करेंगे हम? कैसे परिवर्तन होगा? उसमें कैसे बढ़ोत्तरी होगी? कैसे ज्यादा दूध निकलेगा? जो भैंस और गाय खरीदेंगे उनका तालमेल कैसे बैठाएंगे? जब तक हम इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक यह काम आगे नहीं बढ़ सकता है। दूसरे देशों में देखिये एमरियों ट्रांस्फर थ्यौरी सक्सेस फुल हो चुकी है और यहां तो हम और भी पीछे है।

सभापति महोदय : भौंसले साहब, आपका समय समाप्त हो गया। कृपया अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास कीजिए।

श्री तेजसिंह राव भौंसले : सभापति महोदय, यह मेरी मेडइन स्पीच है अर्थात दस साल में आज मैं पहली बार बोल रहा हूं। इसलिए कृपया घंटी न बजाइए। मैं स्वयं जल्दी समाप्त करूंगा।

दूध के बारे में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। कभी भी जैनेटिक टैस्ट के बारे में किसी से यह नहीं कहा कि कौनसी स्टेट इस बारे में चिन्ता नहीं कर रही है। हम इसके बारे में टिप्पणी करेंगे, तो यह आदेश निकालेंगे कि उसका इस तरह से गलत फहमी पैदा करना ठीक नहीं है। मैंने स्टेट में जब पूछा कि स्टैंडर्ड मिल्क में कितना फैट चिकनाई है, तो मुझे बताया गया कि 5.5 फैट। उन्होंने कहा कि इसमें 90 प्रतिशत भैंस का दूध है और 10 प्रतिशत गाय का दूध है। मैंने उनसे कहा कि आप हिन्दुस्तान के किसी भी गांव में चले जाइए और किसी भी भैंस का दूध निकाल लीजिए 7 प्रतिशत फैट से किसी भी दूध में कम हो, तो आप मुझे जो दंड चाहे दीजिए, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जानवर बेईमानी नहीं करते बल्कि आदमी करते हैं। कोई बोलने वाला नहीं। जब सात परसेंट फैट का दूध भैंस का होता है, तो फिर 5.5 परसेंट फैट का दूध क्यों लिया जाए। यह सरासर बेइमानी है और देश के लोगों को बेइमानी सिखाने का काम है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं कहता हूं कि इस देश के किसी भी गांव में चले जाइए और 15-20 दिन से ऊपर जिस भैंस का बच्चा दिए हो गए है, उसका दूध भी सात प्रतिशत से कम फैट का नहीं निकलेगा, फिर यह 5.5 प्रतिशत क्यों? इसका मतलब तो साफ यह है कि आप देश के लोगों को बेईमानी करने के लिए, एडल्ट्रेशन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और मिलावटी चीज खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं किसी प्रक्रिया कर के मिल्क की फैट कम हो जाए, उसके बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रक्रिया करने से पहले ही, स्टैंडर्ड मिल्क की जो फैट आपने फिक्स की है, उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इसका मतलब यह है कि आप देशवासियों को मिलावट करने का रास्ता बता रहे हैं। जब हर व्यक्ति इस देश में अपने-अपने तरीके से काम करने लगेगा, तो इस देश को कोई नहीं बचा पायेगा।

इसलिए सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस देश में जो राज्य अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको एक जगह बुलाइए, एक चर्चा-सत्र करवाइए और उसके माध्यम से कौन से तरीके इस को ठीक करने के लिए अपनाए जाये, उनके लिए एक माहौल बन सके, उसकी चिंता करिए।

सभापति महोदय, दूसरा मुद्दा मैं आज की परिस्थिति में बैल-पालकों का उठाना चाहता हूं। बैल-पालकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही है। देश के सभी भागों में बैल की खेती किफायती नहीं है। वह आज बड़ी परेशानी में है। लोग चाहते हैं कि हम ट्रैक्टर से खेती करें।

आज ट्रैक्टर के दाम काफी बढ़ गये हैं तथा उसके ऊपर जो ब्याज लगता है, वह भी काफी है। जो ट्रैक्टर खरीदता है उसके जो भाव हैं, उससे ज्यादा भाव ब्याज में देने पड़ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि खेतों के काम में जो ट्रैक्टर लगे, उसकी कीमत कम रहे तथा उसके ऊपर कम रेट में ब्याज दर लगायी जाये तथी इस देश के किसान अच्छी तरह से खेती कर सकेंगे। इस देश में जो बिजली है, उस पर काफी चिंता है। वह चिंता इसलिए है कि कई राज्यों में एक तो बिजली कम पैदा होती है जैसे उड़ीसा, असम, मध्यप्रदेश व आपके जो छोटे-छोटे स्टेट्स हैं, उनमें बिजली का उत्पादन बहुत कम है। खेती पर जो बिजली यूज हो रही है वह बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि अभी भी 28 प्रतिशत बिजली का उपयोग खेती पर नहीं हो रहा है। जबकि इस देश में रहने वाले 70 प्रतिशत किसान हैं और हम उनको केवल 28 प्रतिशत ही बिजली दे रहे हैं। वह भी पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन दो-तीन स्टेटों के अलावा किसी और स्टेट में 10-12 प्रतिशत से ज्यादा कृषि उत्पादन के लिए बिजली का उपयोग नहीं होता। ...(व्यवधान) मगर इस विषय को हम क्यों नहीं माने कि हम किसान हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कृषि पर आधारित देश है। हमें उसके बारे में दुबारा सोचने का संकल्प क्यों नहीं करते?

सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि हमें इस पर दुबारा सोचना चाहिए। खाद्य के बारे में मैंने बहुत स्पष्ट कहा है। मैं फर्टिलाईजर कमेटी का चेयरमैन रहा हूं। सब बातें तो रिपोर्ट में नहीं आ सकती। मगर दूसरे देशों में फर्टिलाईजर का जो यूज होता है, उसके आंकड़े मैं आप को बता सकता हूं। दूसरे देशों के आधार पर हम कहीं भी नहीं हैं। बंगलादेश में फर्टिलाईजर का एवरेज प्रति हैक्टेयर 99.3 कि.ग्रा. है, चाईना में 284.6, इंडिया में 68.7, जापान 417.9, कोरिया 407.4, दूसरे कोरिया में 425, नीदरलैण्ड में 642 व एशिया का 117 कि.ग्रा. एवरेज है। हमारा इस साल का एवरेज मात्र 66 कि.ग्रा. है।

इसका मतलब यह है कि केवल हंगामा ही होता रहता है कि यहां यह हो रहा है, वह हो रहा है जबकि कुछ नहीं हो रहा। दूसरे देशों के मुकाबले हम इस विषय में बहुत पीछे हैं।

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस विषय पर दुबारा सोचने की आवश्यकता है। फर्टिलाईजर की सब्सिडी न्यूट्रिएंट वाइज हो, क्वांटिटी वाइज हो, हैक्टेयर वाइज हो या प्रति क्विंटल उत्पादन पर हो, आप जिस तरीके से भी देना चाहें, तो वह दीजिए। अगर आप इसको ज्यादा कम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस देश के किसान कोई तरक्की कर सकेंगे। इसलिए मैं फर्टिलाईजर के बारे में आग्रह करूंगा कि आप इस पर दुबारा नीति बनाइये। सौर ऊर्जा जिसको हम पारम्परिक ऊर्जा कहते हैं तथा जो ऊर्जा हमें गोबर की तरफ से मिलती है, उसे हम अपारम्परिक ऊर्जा बोलते हैं।

इस देश में अपारम्परिक प्रोग्राम भी तेजी से चलाने की कोशिश कीजिए। जाखड़ जी, इस विषय में आपने कल अपने भाषण में जो चिंता व्यक्त की थी, उसमें हम सब आपके साथ हैं। आप अपनी हिम्मत बढ़ाइए, सरकार में बैठने के बाद हमारे प्रतिनिधि बनिए, सरकार के प्रतिनिधि मत बनिए। कोई भी पार्टी किसानों की अनदेखी करके इस देश को नहीं चला सकती, यदि किसानों के बारे में चिंता करेंगे तो सरकार चल सकेगी। इस देश को आगे ले जाने का सन् 2007 के लिए जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसानों को हिम्मत, ताकत, और समर्थ नेतृत्व देने का काम कीजिए।

मुझे सरकार के बारे में जो टीका-टिप्पणी करनी पड़ी, वह किसानों के नाते करनी पड़ी, मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस विषय को व्यक्तिगत न मानकर हमारी चिंता सरकार के ध्यान में लाने का कष्ट करें।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

3.38 म.प.

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, समय बचाने के लिए मैं न ही आंकड़ों में जाऊंगा और न ही दोहराऊंगा। जब जनता दल की सरकार थी तब कृषि नीति के प्रस्ताव की शुरूआत हुई और एक समिति का गठन भी हुआ। जो संसदीय स्थाई समितियां बनी हैं, उनमें फैली शुरूआत इसी समिति से हुई। वह चीज फिर भी नाकाफी थी। अभी जो प्रस्ताव कृषि नीति के बारे में है, उसमें भूमि सुधार और हदबंदी का जिक्र आया, विस्तार का मामला आया। मंत्री जी कहेंगे कि हम ग्रामीण विकास मंत्रालय के मातहत हैं। हम कैसे कृषि चाहते हैं? क्या अमरीका के रास्ते पर, जहां उस धरती की जो पुरानी आबादी थी, उसे कत्लेआम करके जो यूरोप के लोग गए थे, उन्होंने उसको गोरा देश बना दिया? वहां आबादी कम है, विशाल भूखंड है। उस नीति के आधार पर क्या लाख-लाख एकड़ का फार्म भारत में संभव है? यदि संभव भी हो तब भी क्या भारत का उद्योग बढ़ेगा? अन्य जो उत्पादन हम करेंगे, क्या पैसा देकर उसको खाने वाला भी कोई मिलेगा, खरीदने की सामर्थ्य भी रहेगी?

1947 के विभाजन के बाद भी आज भारत 92 करोड़ लोगों का देश है। इतनी बड़ी आबादी में जहां 92 करोड़ मस्तक हैं, 184 करोड़ हाथ हैं, ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं। ऐसी हालत में हमारी नीति क्या होगी। मेरा आग्रह है कि हमारा लक्ष्य खुद जोत की खेती (सेल्फ एम्प्लॉएड एग्रिकल्चर) भारत की ज्यादा जमीन, जो गैर-हाजिर जमीन के मालिक हैं, उनके हाथ में हैं।

वह सांसद हो, सरकारी अधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, वह हजारों मील की दूरी पर रहते हैं और कागज पर वह जमीन के मालिक बने हुए हैं। वह खुद खेती नहीं करेंगे। जो खेती करेगा, उसको जमीन की मिल्कियत हो, यह हमारे समाज में भयंकर दुविधा है और इसीलिए अगर इस चीज को हम दुरुस्त नहीं करेंगे तो इससे उत्पादन में भी बाधा होती है।

मैं अपनी मिसाल देता हूं। अगर मैं चुनाव में डैम के, नहर के सवाल को उठाता हूं तो मालूम पड़ता है कि मैं पागल होकर बोल रहा हूं, क्योंकि जो नौकर है, उसका उत्पादन में कोई हित नहीं है, उसका तो मुशहरा बढ़ना चाहिए, खेत में आग लगे, उसको कोई परवाह नहीं, नौकर संस्कार हमारे माननीय सदस्य ने सही शब्द जोड़ दिया है। नौकर संस्कार आज व्यापक हो गया है। इसलिए भूस्वामित्व के मामले में, खुद जोत की खेती को बढ़ावा देना है, ताकि जो खेती करता है, उसकी सारी जिंदगी उसी पर रहे और उसकी खुशहाली के लिए वह लड़ भी सके। वह हमसे टक्कर भी ले सके, वह मतदाता के रूप में भी अपने हक का इस्तेमाल कर सके और हमारे समाज में जो सामाजिक विषमताएं हैं, जाति-पाति की विषमता है, उसको भी तोड़ने में वह हमें मदद दें। हमारे यहां जो बूथ के कब्जे का मामला है, उसमें जनतंत्र को भी उसके द्वारा मजबूत होना है।

जो दूसरे बाकी लोग हैं, खुद 10 साल से, 20 साल से सांसद हैं, तो हम क्यों जमीन के मालिक रहेंगे, न हम खुद खेती करेंगे, न बेटों को खेतिहर बनाएंगे, न पोतों को खेतिहर बनाएंगे। कोई एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर चौथी श्रेणी का भी कर्मचारी है, जो चाहता है कि उसका बेटा खेतिहर हो? लेकिन वह खेत को नहीं छोड़ेगा। यह जो गैरहाजिर खेती है, यह भारत के लिए अभी सबसे बड़ा रोग है, इसलिए खुदजोत की खेती का नारा दीजिए। यह ठीक है कि हम लोग थोड़े ढीले पड़ गये हैं, मैं क्रान्तिकारी दलों की बात कहता हूं कि हममें थोड़ा जंग लग गया है। थोड़ा सम्प्रदायवाद, थोड़ा जातिवाद, इस जहर के चलते हममें थोड़ा पिछड़ापन आ गया है। लेकिन जो करोड़ों खेत में मेहनत करने वाले हैं, वह आगे उठेंगे और तब जो स्वर्गीय तत्कालीन गृह मंत्री चव्हाण साहब ने कहा था कि हरित क्रान्ति लाल क्रान्ति में बदलेगी, वह खतरा देश में पैदा होगा। इसीलिए यहां पर कुलकों की आबादी से कल का भारत नहीं बनेगा। उसको बदलना होगा। आप इंतजार कीजिए....(व्यवधान)... आप जरा ठहरिये। हमने कहा कि

हमारे हिजड़ेपन के बावजूद भी वह चीज आयेगी। इसलिए (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री झा, कृपया अध्यक्ष को संबोधित कीजिए, सदन के सत्ता पक्ष को नहीं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : मैं वही कह रहा हूं। इसीलिए मेरा आग्रह है कि जमीन के मामले में हदबंदी का जो कानून है, भूदान में जो जमीन खाली निकली हुई है, जंगल की जो परती जमीन निकली हुई है, उन सब जमीनों को जो मेहनत करने वाले है, उनको अधिकार देकर उस पर हम आगे बढ़े और इस रास्ते में खुद जोत की खेती को मुख्य आधार बनाकर आगे बढ़े। खेत मजदूरी बढ़ती जायेगी और इधर भूस्वामी बढ़ते जायेंगे और उनको हम मजदूरी देंगे, यह नक्शा नहीं रहना चाहिए। यह नक्शा रहना चाहिए कि जो भूमि का स्वामी होगा, वह खेती करेगा। नहीं तो आज दूसरी प्रवृत्ति पैदा हो रही है। आज पंजाब कृषि उत्पादन में हमारे देश का नेतृत्व कर रहा है। पंजाब आज कम जमीन वालों से जमीन छीनने में भी नेतृत्व कर रहा है। जहां पर कम जमीन वालों से ज्यादा जमीन वाले बंटाई लेते है, जहां पर आलू के राजा हैं, पोटेटो किंग हैं, 88-88 ट्रैक्टर वाले हैं। मैं समझता हूं कि घूमकर द्रविड़ प्राणायाम हो रहा है। यह द्रविड़ प्राणायाम...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जगमीत सिंह बरार : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : श्री झा, कृपया आप स्थान ग्रहण कीजिए। उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जगमीत सिंह बरार : महोदय, जो माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं, वह एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं उनसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि पंजाब में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि पंजाब में औसत जोत क्षेत्र दो एकड़ से भी कम है और इसलिए माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह सही नहीं है। वैसी स्थिति 40 अथवा 50 वर्ष पहले रही होगी। अब ऐसा कोई बड़ा किसान अथवा बड़ा जमींदार वहां नहीं है।

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। श्री झा अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : सभापति जी, मैं अपने मित्र के साथ कुछ जिलों में जाना चाहूंगा। वह कागज पर नहीं, ठेके पर जमीन लेते हैं, वह किश्त पर जमीन लेते हैं, तीन एकड़ जमीन इनकी है, दस साल के लिए मैंने ले ली, कानून में इनकी जमीन है, दखल में हमारी जमीन है।

मैंने यह कहा। यह उल्टी दिशा हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि द्रविड़ प्राणायाम से भितरघात हो रहा है। भूमि सुधार का मामला देश के सामने प्रस्ताव का मूल मामला है। मंत्री जी ने ठीक कहा है कि बहस के बाद हम प्रस्ताव में संशोधन कर राष्ट्रीय कृषि नीति के रूप में मिलकर आगे चलें।

इसके बाद मैं मूल्य नीति पर आता हूं। यह ठीक है कि इसके जरिये कुछ सिंचाई, कुछ भूमि सुधार, कुछ मूल्य नीति में सुधार और कुछ कृषि का उत्पादन बढ़ा है। जहां 1950 में पांच करोड़ टन पैदा करते थे, आज हम 19 करोड़ पैदा करते हैं। यह बहुत बड़ी सफलता नहीं है, लेकिन सफलता है, धीमी रफ्तार से है। जो हो सकता था वह नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह प्रगति नहीं है। यह हम नहीं कह सकते। इसमें मूल्य नीति का भी हाथ है। हम कहते हैं कि लाभप्रद मूल्य मिले। उसके बिना कोई खेती नहीं कर सकता। जब हम पी.एल. 480 के गुलाम थे और अमरीका से गल्ला मंगाते थे तो उसमें तम्बाकू आता था, लिपस्टिक आती थी। पेट भले ही भूखा रहे, लेकिन होंठ जरूर लाल रहने चाहिए। उस समय भी मैंने इस बात को उठाया था। उस समय मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे। यहां नहीं, वहां लाबी में उन्होंने कहा कि मेरे भाई जानते हो मैं इसके खिलाफ हूं। उससे हमें मुक्ति मिल गई, आज भी हम करीब-करीब आयात कर लेते हैं, लेकिन आयात पर निर्भर हैं, ऐसा नहीं कहूंगा। ऐसी हालत में कुछ तरक्की हुई है, मगर क्या नतीजा होता है? मैं अपने मित्रों से जानना चाहता हूं कि पूरे भारत में एक भी गांव ऐसा बता दें जिसमें बहुमत खुद उपभोक्ता नहीं हो खाद्यान्न का? साल भर अपना पेट भरकर फाजिल गल्ला बेचने वाले अल्पमत में हैं, यह किसी भी गांव में आप देख लें। बहुमत जिनका है उनको तीन महीने का कम जाता है, छः महीने का कम जाता है, नौ महीने का कम जाता है, वे उपभोक्ता भी हैं। दोनों के हितों का तालमेल कैसे करेंगे, शहरों को मैं किनारे रखता हूं, अभी गांव की बात करता हूं। इसलिए समेकित मूल्य नीति का निर्धारण आवश्यक है। वह ऐसे होगा कि लाभप्रद मूल्य कृषि पैदावार के लिए अनिवार्य कर दें, दूसरे कृषि पैदावार और औद्योगिक पैदावार के मूल्यों में लगातार एक तालमेल की नीति रहनी चाहिए। तीसरी बात कि वास्तविक उत्पादकों को मूल्य मिले, वास्तविक मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस सरकार की मैंने बात कहीं, जनता दल सरकार की, जिसके हम भी समर्थक थे, उसने दो बार गेहूं के मूल्य को बढ़ाया और वह भी तब बढ़ाया जब किसान के हाथ से गेहूं निकल गया। इससे व्यापारियों को फायदा हुआ, किसान को नहीं हुआ। इसलिए जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उसको पैसा मिले और जो मूल उपभोक्ता है, जो खाने के लिए खरीदता है, उसको जो देना पड़े उसमें 20-25 प्रतिशत की सीमा बांध दें, बैंक का ब्याज आदि लगाकर, उससे ज्यादा का फर्क न हो। अभी क्या हो रहा है कि जो वास्तविक किसान हैं वे शुरू में सस्ते दर पर बिक जाते है। उसके पास गल्ला रखने की ताकत नहीं है, पूंजी नहीं है। वही गल्ला चार-छः महीने के बाद दोगुने दाम पर उसको खरीदना पड़ता है, अपने पेट के लिए खरीदना पड़ता है। चाहे वह जमीन बेचकर खरीदे, कोई नौकरी करता है तब खरीदे, लेकिन

जो उपभोक्ता है उसको दोगुना दाम देना पड़ता है। बीच में बिचौलिये लूट लेते हैं, देश के थोक व्यापारी लूट लेते हैं। एक भी थोक व्यापारी देश में ऐसा नहीं है, मेरी जानकारी के अनुसार, जो अपने पैसे से थोक का व्यापार करता हो। बैंक का पैसा लेकर किसान से सस्ते में खरीद कर गोदाम में गल्ला रख लेता है। बाजार में गल्ला कम हो गया, अब एडम स्मिथ और मार्शल का अनर्थशास्त्र चालू हो गया, जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं कि बाजार में गल्ला भीतर रह गया, उपभोक्ता बाहर रह गया, कीमत बढ़ने लगी। इसलिए उपभोक्ता के हित की रक्षा, उत्पादक के हित की रक्षा, यह समेकित मूल्य नीति हो। साथ ही हम किसी उत्पादन का मूल्य बढ़ा दें, लेकिन खाद का मूल्य कई गुना ज्यादा, पानी का, बिजली का और ज्यादा, औजार का और ज्यादा और ऋण का सूदखोर का है वह बहुत ही भयंकर है। मैं बैंकों की बात अभी नहीं कर रहा हूं, गांवों में जो साहूकार हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो इन चीजों से कैसे किसान को फायदा होगा? इसीलिए जो कृषि के उपादान हैं पानी, बिजली, खाद, औजार, बीज, ऋण ये आवश्यक मात्रा में उनको मिले और सुलभ दर पर मिले।

यह समेकित मूल्य नीति हम कर सकते हैं। मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती चली जा रही है और हम किसानों को दोष देते हैं। यह सारे देश का मामला है। ऐसी स्थिति में आग्रह करूंगा कि यह कृषि के उपादान हैं वे भी निश्चित मूल्य पर आवश्यकता के मुताबिक उनको मिले।

श्री राजवीर सिंह : यहां कृषि मंत्री जी नहीं है, कृषि राज्य मंत्री भी नहीं और कोई भी कैबिनेट रैंक का मंत्री नहीं है। आप जरा देखें, यह कृषि के प्रति इस सरकार की हमदर्दी है और उनकी सूझबूझ दिख रही है? कोई तो रहना चाहिए। दो मंत्री यहो हैं लेकिन वे भी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई नोट नहीं कर रहा है। यह कृषि के प्रति कांग्रेस पार्टी की संवेदना है।

श्री भागेन्द्र झा : इसीलिए मैंने कहा कि बहु मूल्य नीति से न किसान को फायदा होता है न देश को फायदा होता है। कृषि नीति में समेकित मूल्य नीति का निर्धारण होना चाहिए। मैंने जो कृषि के उत्पादन के बारे में कहा उसी के संबंध में मेरा कहना है कि तकनीक का मामला आता है, ट्रैक्टर वगैरह हैं।

सभापति महोदय, जमीन बंटेगी, ज्यादा हाथ हैं उससे छोटे टुकड़े होंगें। मेरा कहना है कि हदबंदी के साथ चकबंदी को सारे देश में लागू करने की नीति भी होनी चाहिए। दो एकड़ जमीन है वह कई टुकड़ों में बंटेगी तो वह लाभप्रद स्थिति में नहीं रहेगी। किसान को इससे खेती के लिए उपादान लगाने में आसानी हो। मैं माकूल तकनीकी की बात कर रहा हूं जो कि छोटे खेतों में भी तकनीक में इस्तेमाल हो सके।

मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। नलकूप के रूप में बिहार में एक प्रभाकर पोटरीज है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि किसी को भेजकर वहां जांच करवा लें। इसको लेकर दरभंगा जिले के मधेर चौक के ईद-गिर्द लगभग 30 नलकूप 1982-83 से चालू हैं। लोहे को जंग लग जाए मगर पक्की मिटटी को तो जंग नहीं लगेगी भले ही हजारों साल हो जाए। मैं कह रहा हूं कि उसकी थोड़ी मदद कीजिए। बिहार सरकार कहती है कि यह नीति का मामला है। लोहे के नल देने वाले कसकर कमीशन देते है। जिसका पेट नहीं भरता है। वह कमीशन कहां से देगा। सारे देश में एक चौथाई खर्चे में मिट्टी के नीचे के पानी को आप ले आएंगे और मैं कह रहा हूं कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, आप देख लें, जांच कर लें और इसको बड़े पैमाने पर लागू कर दें नहीं तो सिंचाई के मामले में एक बड़ा आंदोलन हो जाएगा, खासकर भू-गर्भ जल को ऊपर लाने के मामले में। इसी के साथ मेरा आग्रह होगा कि हिमालय पहाड़ संसार का सबसे ऊंचा पहाड़ है। वहां तीस वर्ष सूखा रहे तो भी बर्फ जमेगी और वह पिघलेगी भी। वह पानी हमारे लिए अमृत है। वह हमारे लिए बड़ी सम्पत्ति है लेकिन हम उसका संरक्षण नहीं करते। यही कारण है कि उसी से सूखा पड़ रहा है।

यह ठीक है कि कृषि मंत्रालय से अलग है लेकिन कृषि नीति से अलग नहीं है। इसलिये जब कभी टिहरी या कभी नर्मदा या कभी कोयल-कारों के खिलाफ छोटी बातों को लेकर बात बन जाती है तो मेरा कहना है कि जहां तक पुनर्वास का मामला है, पहले दे दिया जाये लेकिन देश की नदियों पर नियंत्रण देश को कृषि और स्वावलंबी बनाने के लिये तथा जो पिछड़े इलाके में है, गरीबी में है, उनको आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस कृषि नीति को हमेशा बनाया जाये ताकि राष्ट्रीय नीति बने। इसलिये यह सारे देश को एक होने का मामला है। नदियों का पानी कभी समुद्र में चला जाये, कभी बाढ़ में डुबो दे या सूखा से तबाह कर दें, इसलिये इस मामले में हिम्मत के साथ बढ़ना होगा। इस बारे में एक माकूल तकनीक की बात की गयी थी, जब चौ. देवी लाल उप प्रधानमंत्री थे। उस समय ट्रैक्टर बनाने की बात कही गयी कि एक-दो एकड़ वाला किसान भी उसका उपयोग कर सकें। ऐसे ट्रैक्टरों का निर्माण किया जायेगा लेकिन इसके बारे में क्या हुआ? आप इसको भी देखिये।

सभापति महोदय, इसलिये मेरा आग्रह है कि माकूल तकनीक भी कृषि नीति का हिस्सा होना चाहिए। जो तकनीक हमारे छोटे खेतों के लिये हो, हमारे ज्यादा हाथ के लिये हो मगर उससे बिजली एक आवश्यक चीज है। पानी से या सूर्य की रोशनी से बिजली मिले। हमारे मित्रों ने कहा कि तकनीकी शिक्षा लेकर जो नौकर बनता है, वह सीधे नौकरी पाने के लिये बनता है। आप 4-5 साल के लिये उन लोगों को ऋण या अनुदान दीजिये ताकि वह आदर्श खेती कर सकें। यह केन्द्रीय कृषि सेवा के अंतर्गत किया जा सकता है। वह अपने गुण को लागू करे, व्यवहार से करे, उससे प्रगति करेगा तो देश की प्रगति होगी। यहां तक कि गांधी जी ने भी स्वराज के समय स्कूल-कालेजों

से कहा था कि गुलाम पैदा करने वाले कारखाने है। हमारी तकनीक भी जितनी है, सीधे नौकर पैदा करने के लिये कर रहे हैं। उसमें एक संस्कार हो गया है। यह गले में एक फंदा है। आप अनुदान की मांगों के समय भी हिम्मत के साथ बोले थे, मेरा आग्रह है कि आज भी इस पर हिम्मत के साथ बोलें, जैसा कल आप बोल रहे थे।

जहां तक पेटेंट कानून का सवाल है, उसमें कुछ साल के लिये अनुदान देने से बच जायेंगे लेकिन हमेशा से काम नहीं चल सकता है। वह मानवता पर हमला है। हमारा कानून जो प्रक्रिया पर पेटेंट है, उस पर है जो डब्ल्यू.टी.ओ. कहता है, वह प्रॉडक्ट्स पर कहता है। इसका मतलब है कि ज्ञान-विज्ञान पर रोक, मानवता पर रोक हो जायेंगी। हमारे नीतिश जी ने कहा कि जाखड़ साहब को भी मालूम है। इसमें घबराने की बात नहीं है। डंकुल का फंदा गले में है। जरा हिम्मत के साथ आगे बढ़िये क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि दलों के विचारों को जोड़कर किसानों के लिये हित में काम करें तो इससे देश का हित होगा।

अगर देहात के पेट में दाना नहीं रहेगा तो कारखाने का माल नहीं बिकेगा। अगर कृषि का उत्पादन नहीं बिकेगा तो उद्योगों के लिए कच्चा माल नहीं मिलेगा। इसलिए उद्योग बिना खेती बढ़ेगी, यह संभव नहीं है। इस मामले में कृषि हमारा आधारभूत कर्त्तव्य है और उसको लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए।

कल 9 अगस्त को यही पर जंतर-मंतर में अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से किसान इकट्ठे हो रहे हैं। मैं कृषि मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह भी यहां चलें और अपनी बात लोगों को कहें। अन्य सदस्य जो किसानों के लिए कुछ कहना चाहते हैं वह भी वहां चलें क्योंकि वह किसी पार्टी द्वारा आयोजित सभा नहीं है। उस किसान सभा का महासिचव मैं हूं, वे सही सुविधाओं की मांग कर रहे हैं और एक समय आयेगा जब वे जागेंगे। आप उनके दुख दूर करना चाहते हैं तो सबका सहयोग लेकर कृषि नीति आप लाएं नहीं तो बहुमत किसान उठेगा और बहुमत किसान से मेरा मतलब सीमांत किसान, लघु किसान और मध्यम किसान से है। जो बड़ा किसान है वह उठे या न उठे लेकिन छोटा किसान उठेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, कल जब इस विषय पर चर्चा प्रारंभ हुई, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उस समय यहां मौजूद नहीं था और बहुत कम सदस्य यहां पर मौजूद थे। आज के समाचार पत्रों में मैंने देखा कि मंत्री जी काफी तकलीफ में रहे और कम उपस्थिति को देखते हुए इन्होंने कह दिया कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि इसको पेश करूं या न करूं। इसके पीछे इनकी पीड़ा थी और जब भी इस प्रकार के मसलों पर चर्चा होती है तो सदन में उपस्थिति बहुत कम होती है। जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसका इस देश की अधिसंख्या आबादी से सीधा रिश्ता है। लेकिन जिस मसौदे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह ड्राफ्ट ऐग्रीकल्चरल पॉलिसी रिसौल्यूशन सरकार की तरफ से बहुत पहले रखा गया। उसका मौडिफाइड रूप भी शायद 14 मई, 1993 को रखा गया। उसके बाद आज हम इस पर बहस कर रहे हैं।

जो सरकार ने प्रारूप यहां पर रखा, उसको कृषि संबंधी स्थायी समिति को विचार के लिए सुपुर्द किया गया था। उस स्थायी समिति ने इस पर गहन विचार-विमर्श किया। देश भर के कृषि विशेषज्ञों को बुलाया गया, किसान नेताओं को बुलाया गया। जिनका भी खेती से वास्ता है, उन तमाम तबकों के प्रतिनिधि विचार समिति के समक्ष आए। सरकार की भी राय ली गई। कृषि मंत्रालय के लोग भी उसमें साक्ष्य के लिए आए और इसके अलावा इनसे संबंधित जितने मंत्रालय हो सकते हैं, चाहे वह जल संसाधन मंत्रालय हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो या खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय हो, सारे विभागों के लोगों को बुलाया गया और उनकी राय ली गई। इतनी मेहनत करने के बाद उसकी रिपोर्ट 10 मई, 1994 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई। उसके बाद सरकार ने स्थायी समिति की अनुशंसाओं पर कोई गौर किया या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं इनके द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट ऐग्रीकल्चरल पॉलिसी रिसॉल्यूशन स्थायी समिति को सुपुर्द हुआ, उसने अपनी अनुशंसाएं दी है और सदस्यों को मालूम है कि वह कितना महत्वपूर्ण दस्तावेज है, कितनी मेहनत करके वह तैयार किया गया है और कृषि से संबंधित किसी भी क्षेत्र का उसमें जिक्र न हो, ऐसा नहीं है। एक समय और समेकित दृष्टिकोण उसमें अपनाया गया है और आज भी हम इनके ड्राफ्ट ऐग्रीकल्चरल पॉलिसी रिसॉल्यूशन पर विचार कर रहे है।

यहां भी चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद जो कमेटी ज्यादा समय तक मेहनत करती रही उसकी भी रिपोर्ट आ गई, उसको भी इन्होंने देख लियां यहां जो चर्चा होगी उसको भी ये देख लेंगे और इसके बाद जो इनकी मर्जी होगी कृषि नीति की घोषणा कर देंगे। ऐसी स्थिति में यह सरकार की नीति हो सकती है, राष्ट्रीय कृषि नीति नहीं हो सकती।

राष्ट्रीय कृषि नीति के लिए आज से ही विचार नहीं चल रहा है। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी उस समय भी कृषि नीति का दस्तावेज लगभग तैयार हो चुका था। सरकार चली गई, दूसरी सरकार थोड़े दिनों के लिए आई उसने भी उस पर काम किया, लेकिन जब नई सरकार आई और बलराम जाखड़ जी कृषि मंत्री बन गए तो इन्होंने शुरू से फिर प्रारम्भ किया। जो कसरत हुई थी उसको छोड़कर ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी रेजोल्यूशन रखा और आज उसमें कोई संशोधन नहीं है। जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं उसमें 14 मोटे सूत्र हैं और 17 चुनौतियों का जिक्र है। हम लोगों ने कमेटी में कहा, देश के एक्सपर्ट लोगों को बुलाया, सदन के सामने वह रिपोर्ट है, सबने कहा कि और कुछ हो सकता है लेकिन एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं हो सकती। ड्राफ्ट

एग्रीकल्चर पॉलिसी रेजोल्यूशन पर देश के जितने जाने-माने विशेषज्ञ थे उन सबने एक स्वर से यह कहा कि और कुछ हो सकता है एग्रीकल्चर पॉलिसी तो हो ही नहीं सकती।

इनके कृषि सचिव भी समिति में आए। उनसे पूछा कि इतने लोगों ने हमसे बात की है, आपका क्या कहना है। लोगों का कहना कुछ भी हो सकता है लेकिन एग्रीकल्चर पॉलिसी रिज़ूलेशन तो अपर्याप्त है।

4.06 म.प.

[श्री पीटर जी. मरबनियांग पीठासीन हुए]

तो कृषि सचिव ने कहा कि मसौदे में सिर्फ चुनौतियों का उल्लेख भर नहीं होना चाहिए बल्कि इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए उस पर क्या व्यापक रणनीति होगी, उसका उल्लेख होना चाहिए और लॉंग टर्म स्ट्रेटजी क्या है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं इस बारे में भी इसमें बात कहीं आनी चाहिए। यह इनकी सरकार के कृषि सचिव का कमेटी के सामने मत है। हम लोगों ने समझा था कि हम लोगों ने जो रिपोर्ट दी उस पर सरकार विचार करेगी तथा विचार करने के बाद एक नया दस्तावेज हम लोगों के सामने आयेगा। उस रिपोर्ट में यदि कुछ त्रुटियां रह गई होंगी तो उसका भी सुधार होगा और सचमुच में एक राष्ट्रीय कृषि नीति का निर्माण होगा। लेकिन ये तो एक रस्म अदायगी कर रहे हैं। चुनाव का वक्त आ गया है, इसके पूर्व इनको बेचैनी नहीं थी। संसद के सत्र के आखिरी दिनों में इसको चर्चा के लिए रखा जाता था। इस बार चुनाव आ रहे हैं तो इनको बेचैनी है। जिस प्रकार से कुछ योजनाओं की इन्होंने घोषणा की उसी प्रकार से इस पर भी चर्चा कराना चाहते हैं, इसके सिवा इनका और कोई उद्देश्य नहीं है।

कल इन्होंने जो कुछ रखा है उसके बाद जो प्रवचन हुए हैं, जबाबदेह साहब की बहुत इज्जत करते हैं लेकिन ये जब भी कोई बात करते हैं तो कोई स्पेसिफिक बात नहीं कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये सामान्य ढंग से बोल देते हैं कि किसानों के हित में यह कर रहे हैं। अब ये कह गए कि मल्टीनेशनल्स मेरे अंगूठे के नीचे रहेंगे। यह बोलने में बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम कहते थे कि गैट एग्रीमेंट का कृषि पर कुप्रभाव पड़ने वाला है तो ये सीधे बोल देते थे कि कहीं कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे किसान तरक्की करेंगे, हम किसी को कुछ नहीं करने देंगे। इस तरह के भाषण देने में कोई रोक थोड़े ही है लेकिन आप कृषि मंत्री हैं कुछ भी बोलते हैं तो उसका कुछ मतलब होना चाहिए।

इस ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी में समिति की अनुशंसा के बाद इसको मोडिफाई करना चाहिए था। दूसरा, यह रिज़ूलेशन गैट एग्रीमेंट के पहले का है। गैट एग्रीमेंट से कृषि के क्षेत्र में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे, इसका कोई जिक्र नहीं है। हम खाली चर्चा के लिए चर्चा करना चाहते हैं तो बात अलग है।

आप देश में एक कांग्रेस बनकर राष्ट्रीय कृषि नीति नहीं बनाना चाहते। सरकार आएगी या जाएगी, चुनाव होने वाले हैं, सब जानते हैं कि आप सरकार में रहने वाले नहीं हैं, एक नई सरकार आएगी। एक लंबे समय तक आने वाले 25-30 वर्षों तक और कभी-कभी किसी मामले में 50 वर्ष तक यह दिशा निर्देश करे ऐसी कृषि नीति बनानी चाहिए। जबाबदेह साहब को हम कितना लेंगे। नरसिम्हाराव जी के प्रधानमंत्रित्व में ये कृषि मंत्री हैं। इनके पहले जो कृषि मंत्री हुआ करते थे उनका हश्र सोच लीजिए।

श्री राजवीर सिंह : इन दिनों अखबारों में यह छप रहा है कि प्रधानमंत्री जी इन्हें कृषि मंत्री से हटाकर संगठन में लेने वाले हैं। यह तो और भी दुर्भाग्य हो जाएगा।

श्री नीतीश कुमार : यह तो इनका अंदरूनी मामला है।

श्री राजवीर सिंह : अंदरूनी मामला है, लेकिन कृषि मंत्रालय को तो नुकसान हो जाएगा।

श्री नीतीश कुमार : ये इनकी कांग्रेस पार्टी के रिटर्निंग ऑफिसर थे उस समय नरसिम्हाराव जी नीचे से चुनाव होने से पहले ही अध्यक्ष घोषित हो गए थे। अभी ये कृषि मंत्री हैं।

अब कृषि मंत्रालय कितना छोटा हो गया है, जरा इसको देखिये। नरसिंह राव जी के मंत्रिमण्डल से पहले जो कृषि मंत्रालय था, उतना बड़ा विभाग भी अब वह नहीं रहा है। इससे पूर्ववर्ती सरकार के समय ग्रामीण विकास विभाग कृषि मंत्रालय के अंतर्गत होता था, उर्वरक विभाग भी होता था लेकिन अब दोनों हटा दिये गये। अब इनके पास क्या बचा? कृषि मंत्री, और सहकारिता नाम से अब एक नया विभाग बन गया है। पशु-पालन और डेरी तथा कृषि अनुसंधान के अलावा अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। आपकी बात अब कोई नहीं सुनेगा। उर्वरक पर आपका नियंत्रण नहीं है। अब यदि हम लोग चर्चा करें, कृषि नीति की बात करें तो अर्बन और रूरल इन्कम की बात आयेगी, उसमें भी इनकी बात कौन सुनेगा क्योंकि रूरल डेवलपमेंट भी इनके हाथ से बाहर हो गया है। नीति किसी एक विभाग की नीति नहीं है। कृषि से संबंधित सिंचाई है, कृषि से संबंधित ग्रामीण विकास है, खाद्य मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी है। कृषि का संबंध वनों से भी है। एक जमाना था जब वन विभाग हमारे कृषि मंत्रालय का एक हिस्सा होता था, फूड मिनिस्ट्री भी इसी का एक हिस्सा था लेकिन अब न केवल वह एक अलग विभाग बन गया है बल्कि उसके भी दो हिस्से हो गये हैं - फूड मिनिस्ट्री, सिविल सप्लाईज। कृषि मंत्रालय से जब इतने अलग अलग मंत्रालय बनते चले गये, उसी का नतीजा है कि आज आप केवल उसके एक छोटे से टुकड़े के मालिक रह गये हैं। एक जमाने में वन विभाग, सिंचाई विभाग, खाद्य विभाग और खाद्य प्रसंस्करण विभाग सब इसी में शामिल थे। अभी हम लोग जब दौरे पर गये तो मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि क्या मजाक बन गया है और मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं।

आनंद डेरी का जहां तक सवाल है, कोआपरेटिव के क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उसका बड़ा नाम है। आनंद के पैटर्न पर हमारे देश में कोआपरेटिव सोसायटीज का गठन होना चाहिये और दूसरी बातें होनी चाहिये। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। स्व. लाल बहादुर शास्त्री जी जब वहां गये तो उन्होंने प्रभावित होकर एन.डी.डी.बी. का गठन कराया था। यदि आज वहां देखा जाये तो आनंद में जो दूध उत्पादन का काम होता है, उस पर दो मंत्रालयों का नियंत्रण है। जो हिस्सा दूध का संग्रह करता है, वह जाखड़ साहब के अंतर्गत आता है और जिस हिस्से में दूध से घी, मक्खन या चाकलेट आदि बनता है वह भाग खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत है। दो अलग-2 विभागों पर वहां नियंत्रण है, फिर आपकी कृषि नीति का मतलब क्या रह गया।

इसलिये सबसे पहले कृषि से संबंधित जितने मंत्रालय हैं, उनके बीच में प्रभावकारी समन्वय होना चाहिये। प्रभावकारी समन्वय के लिये आज का कृषि मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कुछ हद तक वन विभाग को मिलाकर जब तक एक महा विभाग नहीं बनाया जायेगा, उस समय तक आप जो कृषि नीति यहां प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आपकी बात कौन सुनेगा? आप कृषि भवन से जो कुछ कहेंगे, आपकी बात कौन सुनेगा? इसलिये अगर सचमुच देश में आप एक राष्ट्रीय कृषि नीति का निर्माण करना चाहते हैं, कृषि नीति को क्रियान्वित करना चाहते हैं तो हम लोगों ने जो कुछ सुझाव दिये हैं, उन पर सरकार को विचार करना चाहिये और तदनुकूल व्यवस्था करनी चाहिये।

जहां तक ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी का सवाल है, मैं समझ नहीं पाया कि उसमें किस चीज पर आप जोर देना चाहते हैं। भारत विविधताओं से भरा देश है। दुनिया में 15 प्रकार की जलवायु पायी जाती है और सारी जलवायु हमारे देश में मौजूद है। दुनिया में जितने किस्म की मिट्टी मिलती है, उसे दो-तिहाई से भी ज्यादा किस्म की मिट्टी हमारे देश में पाई जाती है, यहां क्या नहीं है? दुनिया में खेती योग्य जमीन कुल जमीन की 11 प्रतिशत है, जिस पर खेती होती है लेकिन हमारे देश में कुल जमीन का लगभग 56 प्रतिशत भाग खेती योग्य है। हमारे यहां जिस जमीन पर खेती की जा सकती है, आपके ही आंकड़ों के अनुसार लगभग 91 मिलियन हैक्टेयर भाग का अभी भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि उसका इस्तेमाल होना चाहिये। हमारे सामने कौन सी चुनौतियां हैं?

महोदय, हमारे सामने कौन सी चुनौतियां हैं, सही मायने में आपने इन चुनौतियों को भी सुव्यवस्थित नहीं किया है। हमारे सामने पहली चुनौती है कि पहले अपने लोगों को खाना खिला दें। फूड सिक्योरिटी की बात है। आप फूड सिक्योरिटी का कंसैप्ट भूलते जा रहे हैं। कागज पर आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन सही मायने में जब तक

हम अपने देश के लोगों को अनाज नहीं खिला दें, तब तक आप अनाज बाहर भेजने की कल्पना तक मत कीजिए। अमेरिका अपने अनाज को समुद्र में बहा कर हमें और अन्य देशों को गुमराह कर रहा है। वह बड़ी चालाकी से कृषि से लोगों का ध्यान हटा रहा है। उसके पास अनाज का बहुत बड़ा भंडार है और रहेगा। जब हम अनाज पैदा करना बंद कर देंगे, तब वह उसी अनाज से दुनिया के देशों को अपनी हर शर्त मानने के लिए विवश कर देगा। इसलिए जब तक हमारे देश में खाद्यान्न का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में न हो जाए, तब तक बाहर भेजने की बात आप बिल्कुल मत कीजिए।

महोदय, 1990-91 तक कृषि मंत्रालय का अन्नोत्पादन का लक्ष्य शताब्दी के अन्त तक 240 मिलियन टन था और इनका अनुमान था कि इतने खाद्यान्न की हमें जरूरत होगी। अब हम लोगों ने पूछा, तो इन्होंने कहा कि नहीं इतने की नहीं, बल्कि कम की जरूरत होगी, हालांकि उसका बेस इन्होंने नहीं बताया कि अब किस आधार पर कह रहे हैं कि कम अन्न की जरूरत होगी। पहले इनका आकलन किस आधार पर था और बाद में अब किस आधार पर कम हो गया, यह इन्होंने हमें नहीं बताया, लेकिन हम उसी 240 मिलियन टन को लक्ष्य मान कर चले रहे हैं। कृषि की जो सकल विकास दर है उसको देखते हुए हम अधि से अधिक 180 या 190 मिलियन टन तक ही पहुंच पाएंगे। इस प्रकार से इन हालात में इनका लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है और जो देश की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति होने वाली नहीं है। यहां पर इनको इसलिए अनाज अधिक नजर आ रहा है क्योंकि देश में लोगों की क्रय-शक्ति समाप्त हो गई है। वाकई इस देश की आबादी को खिलाने के लिए जितने अन्न की आवश्यकता है, उतना अन्न अभी तक हम अपने देश में पैदा नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार से हमारे सामने चुनौती है और फूड सिक्योरिटी की बात है।

महोदय, इसी प्रकार से अब मैं जो हमारी धरती है, उसकी कमी के बारे में कहना चाहता हूं। जो धरती की कमी है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं एक तो उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाकर कमी को पूरा कर सकते है फिर दूसरा तरीका है कि हमारे सामने जो जमीन खाली पड़ी है, उसका प्रयोग करके हम धरती की कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इस कमी को पूरी करने के लिए इनकी कोई योजना नहीं दिखती है कि किस प्रकार से इस कमी को पूरा करेंगे। कृषि नीति के हिसाब से भी कोई योजना नहीं दिखती है।

महोदय, अभी भोगेन्द्र झा कह रहे थे कि जब तक जमीन का प्रबन्ध ठीक ढंग से नहीं करेंगे, तब तक यह समस्या दूर नहीं हो सकती है। भूमि-सुधार के मामले में यह सरकार बिल्कुल मौन है और मौन ही नहीं है बल्कि भू-हदबंदी की बात को भी यह बिल्कुल समाप्त करने जा रही है। महाराष्ट्र में यह सिलसिला शुरू हो चुका है। हार्टिकल्चर के नाम पर फूड प्रोसैसिंग के नाम, गैट के लागू होने के बाद, उदारीकरण और ग्लोबलीकरण के नाम पर, भू-हदबन्दी कानून,

लैंड सीलिंग एक्ट इनइफैक्टिव हो जाएंगे। जाखड़ साहब, आपके सिर हिलाने से कुछ नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र में यह सिलसिला शुरू हो गया है। हर राज्य सरकार आज फूड प्रोसैसिंग के नाम पर मल्टी नैशनल्स को आमंत्रित करने में होड़ कर रही है। इसका क्या मतलब है? आप कैपटिव फार्मिंग के नाम पर बड़े-बड़े लोगों को भूमि देना चाहते हैं। आखिर फूड प्रासैसिंग का क्या मतलब है। जो किसान पैदा करता है, उसको उसकी उपज का प्रोसैस के जरिये अच्छा दाम मिले। किसान के उत्पाद की कीमत को बढ़ाया जाए। यह काम किसान को फायदा पहुंचाने के लिए होना चाहिए, लेकिन उसके नाम पर मल्टी नैशनल्स को आमंत्रित किया जा रहा है और किसानों का नुकसान किया जा रहा है।

जाखड़ साहब, यहां बैठे हैं आप बताइए, पैप्सी को लाइसेंस दिया टमाटर की खेती करने का और उसके पदार्थ प्रोसस करके डिब्बाबंदी करके बाहर भेजने के लिए। बताइए वह क्या कर रहा है। आज पैप्सी बासमती चावल बाहर भेज रहा है और वह भी अन्य राज्यों से खरीद कर। क्या उसका मैंडेट था बासमती चावल के निर्यात का? यह मजाक हो रहा है। आप कहते हैं कि मल्टी नैशनल आपके अंगूठे के नीचे रहेंगे। मैं कहता हूं कि आपकी हुकूमत रहेगी, लेकिन आप की सरकार उनके अंगूठे के नीचे रहेगी क्योंकि आप ऐसे-ऐसे मल्टी नैशनल्स को बुला रहे हैं जिनका एक वर्ष का टर्नओवर ही हमारे देश के एक वर्ष के बजट से ज्यादा है। वे आपको निगल जाएंगे।

हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, उनको आप कैसे पूरा करेंगे, उनका आप कैसे मुकाबला करेंगे। जमीन के छोटे-2 टुकड़े होते जा रहे हैं। उन टुकड़ों का इस तरह से फ्रैगमैंटेशन हो रहा है उसको कैसे रोकेंगे?

हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए जो कि छोटे टुकड़ों में अधिक से अधिक उत्पादन दे, अधिक से अधिक चीजों का उत्पादन हो, इस प्रकार की हमारी नीति होनी चाहिये। आप कारपोरेट सैक्टर को जमीन देने जा रहे हैं जबकि कारपोरेट सैक्टर के पास दूसरे कामों के लिए जमीन है तो आप किसानों के लिए क्या बचा पायेंगे। किसान की खेती योग्य भूमि पब्लिक परपसेज के नाम पर ली जाती है। पब्लिक परपस की व्याख्या नये सिरे से होनी चाहिये कि पब्लिक परपस क्या है। यदि मल्टी नेशनल्स अपनी कंपनी लगाने के लिए आयेंगे तो उनको हम अपनी खेती योग्य जमीन दे देंगे? आप उनसे कहिये कि वे बंजर भूमि पर अपनी फैक्टरी लगा लें। जाखड़ साहब आपके बगल में ही मारुति उद्योग है। आप वहां जाकर देख लें कि कितनी भी जमीन मारुति उद्योग को दी गयी है, क्या उस सब जमीन का इस्तेमाल फैक्टरी के काम के लिए हो रहा है ? 500-600 एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है। आप उन सभी जमीनों को क्यों नहीं वापिस लेते? जिन किसानों से एक्वायर किया है, आप उनको वापिस क्यों नहीं लौटा देते? इतनी उपजाऊ जमीन को फैक्टरी वाले लेकर रखे रहे और उसका कोई इस्तेमाल न हो, यह तो बहुत गलत बात है।

आपकी जमीन के बारे में क्या पॉलिसी है। लैंड सीलिंग कहने के लिए रहेगा या इफेक्टिवली उसका इम्पलीमैंटेशन होगा। दूसरा, पब्लिक परपस के लिए जो जमीन ली, उसके बारे में आप क्या नई व्याख्या करेंगे। ठीक है कि हम अस्पताल, सड़क व स्कूल के लिए जमीन देंगे लेकिन इसके अलावा औद्योगिक कारखानों को लगाने के लिए भी हम खेती की जमीन देते चले जायें? इस पर आपको विचार करना होगा। नहीं तो धीरे-धीरे खेती के लायक जमीन बरबाद होती चली जायेगी। इस प्रकार से आपको इस पर ध्यान देना होगा। आप जो कहते हैं कि लैंड सीलिंग को खत्म नहीं कर रहे हैं तो आप जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देते जा रहे हैं...(व्यवधान)... अभी तो यह कृषि नीति शुरू हुई है। ...(व्यवधान) कृषि नीति पर चर्चा हो और भारत की 74 प्रतिशत जनता।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस विषय पर बोलने के लिए मंत्रणा समिति ने चार घण्टों का समय दिया है।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, समय बढ़ाया जाएगा।

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने इसका निर्णय लिया था। आपने तीस मिनट से अधिक समय लिया है।

श्री नीतीश कुमार : कृषि नीति पर चर्चा के लिए कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए। यह इस देश की 74 प्रतिशत जनसंख्या से संबंधित विषय है।....(व्यवधान)...

सभापति महोदय : इस विषय पर और सदस्यों को भी बोलना है।

श्री नीतीश कुमार : ठीक है, महोदय। हर एक सदस्य बोलेगा। हर एक सदस्य को बोलना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, आज खेती की क्या स्थिति है। जमीन के बारे में इनको ठोस बात करनी चाहिये। सिर्फ सरसरी तौर पर कहेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि इस देश में सबसे अधिक जमीन से संबंधित विवाद होते हैं। इसलिए जमीन के मामले में क्या राष्ट्रीय नीति होगी? वे यह कहकर नहीं निकल सकते कि यह सबजेक्ट स्टेट का है। जब राष्ट्रीय नीति बन रही है, इसमें सारे राज्यों को विश्वास में लिया जा रहा है तो इसके बारे में एक फैसला होना चाहिए।... (व्यवधान) वे जमीन लेंगे तो उसका नतीजा यही होगा। दूसरे लोग उस पर कब्जा करेंगे। अभी भोगेन्द्र झा जी ने ठीक ही कहा है कि आप पहले गैरझिरदारों को खत्म कीजिये। जाखड़ साहब यहां बैठे हैं और उनका फार्म ठीक-ठाक है।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : यह बिल्कुल गलत बात है। मैं यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि स्टेट्स ने कुछ प्वांइट पर सोचा था लेकिन किसी को भी मंजूर नहीं किया गया और न ही नीति में कोई परिवर्तन होगा। जमीन का अधिकरण करने का कोई मतलब ही नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : अगर आप इस काम को कर सकें तो आप बधाई के पात्र होंगे लेकिन जिस प्रकार से यह सिलसिला चला है, उसको देखते हुए हमारा फर्ज है कि इस सदन के सामने, इस देश के सामने यह बात रखें।

श्री बलराम जाखड़ : उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्यप्रदेश व कर्नाटक आदि ने लिखा है।

श्री नीतीश कुमार : ठीक है। आज कृषि की क्या स्थिति है, कृषि का क्या योगदान है? 1991-92 में सकल घरेलू उत्पादन में 56 प्रतिशत योगदान कृषि का था।

1992-93 में घटकर 32 प्रतिशत हो गया। गांवों में रहने वाले लोगों की संख्या में थोड़ी-बहुत कमी आई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पहले गांवों में 80 प्रतिशत लोग थे, अब 70 प्रतिसत हो गए। लेकिन हमारी चुनौती कितनी गंभीर है। आप कृषि विकास पर आबादी की वृद्धि की दर के करीब-करीब बराबर चल रहे हैं। खेती जो जी.डी.पी. में 56 प्रतिशत कन्ट्रिब्यूट करती थी, आज घटकर एक-तिहाई से भी कम हो गया है। इस पर 70 प्रतिशत लोग आधारित हैं। ऐसी हालत में इस देश का सबसे महत्वपूर्ण विषय कृषि है। हम उत्पादन को कैसे बढ़ाएंगे, आमदनी कैसे बढ़ाएंगे। कृषि नीति तो होनी ही चाहिए। इससे पहले थोड़ी-बहुत नीतियां खुदरे में होती रही है - कभी ग्रीन रेवोलयूशन की बात आ गई, कभी सब्सिडी की बात आ गई, कभी मार्केट इंटरवेन्शन स्कीम आ गई, कभी सपोर्ट प्राइस दे दिया। इस प्रकार से खुदरों में नीतियों को लागू किया गया लेकिन एक समग्र नीति कभी नहीं दी। इसलिए समग्र नीति तो होनी चाहिए थी। अभी आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं। आपने पिछले सप्ताह खरीफ की फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की। अब किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस से संतुष्ट होने वाला नहीं है, उसे लाभकारी कीमत मिलनी चाहिए। क्या इंडस्ट्रियल सैक्टर के लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस से संतुष्ट हो जाएंगे।

अभी ऐनरॉन का सौदा रद्द हुआ है। दूसरी जगह में एक कंपनी ने कह दिया कि हम पैसा घटा सकते हैं। आप बाहर के लोगों को काउंटर गारंटी दे रहे हैं और खेती वालों को कह रहे है कि हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दिया।

शहरों और देहातों की आमदनी के बीच भारी अंतर है। यदि आप चाहें भी कि किसानों का भला हो तब भी प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय आपके जिम्मे नहीं रहने दिया। आपके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय होता तो कुछ काम तो करवाते, बिना ग्रामीण विकास के कृषि का क्या विकास करवाएंगे। आप कहेंगे कि हम खेती का उत्पादन बढ़ायेंगे, किसानों को अच्छा बाजार देंगे लेकिन गांवों में जाने के लिए सड़क नहीं है तो क्या करेंगे।

इस देश में उर्वरा जमीन बहुत है, यहां की मिट्टी बहुत अच्छी है, यहां हर प्रकार की जलवायु है, आपके आंकड़ों के मुताबिक एक-तिहाई जमीन में सिंचाई है। आप जमीन के अंदर के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ इलाके ऐसे हो गये है जहां जमीन के अंदर का पानी इस्तेमाल करना उस इलाके साथ अन्याय है, एरिया डार्क और ग्रे हो चुका है, 80 प्रतिशत तक एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है। दूसरी तरफ वर्षा का पानी बेहतर चला आ रहा है। हमारी पहाड़ियों, हिमालय की ऊंची चोटियों से पानी बहकर समुद्र में जा रहा है। इसको रोकने का कोई उपाय नहीं है। कम वर्षा वाले इलाकों के लिए आप क्या करना चाहते हैं।

कृषि मंत्रालय ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बनाई - वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरियाज, उसमें लगभग 1300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। क्या इससे काम चल जाएगा?

अभी हम देखने गए थे, अन्ना साहब हजारे ने अपने गांव रालेगणसिद्धी में प्रशंसनीय ही नहीं स्तुत्य कार्य किया है। स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ते हुए उनको समाज सेवा की प्रेरणा मिली। उनको अनुभव हुआ कि मनुष्य को यह जीवन जनसेवा करने के लिए मिला है। वे उसी दिन वहां से निकल पड़े और सीधे अपने गांव में आ गये और वहां वाटरशेड का काम शुरू किया। आपके कृषि मंत्रालय का वाटरशेड स्कीम सुनकर हमें रोष है। आप वाटरशैड के प्रोग्राम को लकीर के फकीर की तरह चलाना चाहते है। वह एक अलग विषय है, उसकी चर्चा अभी करेंगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन जिस प्रकार से वाटरशैड प्रोग्राम किया गया है, सिंचाई मंत्रालय चाहेगा कि वाटरशैड हमारे यहां आ जाए, ग्रामीण विकास चाहेगा कि वाटरशैड हमारे यहां आ जाए, कृषि मंत्रालय में पहले से ही वाटरशैड है और मेरी समझ में जो कुछ भी हमने व्यवहार रूप में भी देखा है और आपके कृषि मंत्रालय के लोगों से बात करते हुए अनुभव के आधार पर भी हमने यही समझा है कि आज इस देश में जमीन को सिंचित करने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई कार्यक्रम हो सकता है, इस देश के लिए कोई माकूल कार्यक्रम हो सकता है तो वह कार्यक्रम वाटर शैड डवलपमैंट के आधार पर वाटर मैनेजमैंट है। वाटरशैड के आधार पर जल का प्रबंधन आप कीजिए, वर्षा के पानी को आप मत बहने दीजिए। हमारा प्रति वर्ष एक नुकसान होता है कि वर्षा के पानी के साथ-2 एक से.मी. टॉप सोइल बहकर चली जा रही है। सभी जानते है कि एक इंच मिट्टी की ऊपरी सतह के निर्माण होने में 300 साल लगते है और हमारी एक से.मी. टॉप सोइल हर साल बहकर चली जा रही है तो हम कहां जाएंगे। वैसे स्थिति में हमारे इस पानी का उपयोग हो, यह बहकर न चला जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि वाटरशैड का प्रोग्राम हम लें।

बहुत बड़ी-2 सिंचाई की योजनाएं आई। वह तो एक अलग सवाल है, जब तक सरफेस वाटर का, ग्राउण्ड वाटर का कंजक्टिव यूज नहीं होगा, तब तक मिट्टी में क्या-2 फायदा हो जायेगा, सैलाइन

होती चली जायेगी, उसका नुकसान होता चला जाएगा, लेकिन इन चीजों पर आपका कोई ध्यान नहीं है। हम लोग बैठकर इन बातों को देखते रहे कि कहीं कोई चर्चा हो कहीं आपकी कोई चिंता हो। मैं इस विषय पर नहीं बोलना चाहता था, चूंकि हम लोगों ने स्थाई समिति में काफी काम किया है। पहले मुझे लगा था कि आप शायद सुधार करके कोई नीति ला रहे हैं तो उसको हम लोग सुनेंगे। लेकिन जब पता चला कि उसी पुरानी चीज पर बहस होने वाली है, तब मैं अपने आप को रोक नहीं सका कि तब इतनी मेहनत करने का क्या मतलब है। कई प्रकार की चिंतायें हैं और इन चिंताओं पर क्योंकि बहस हो रही है, इसलिए हमारा धर्म बनता है कि उन चीजों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं।

वाटरशैड का कार्यक्रम इस देश के लिए बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है और उसको तीन-चार मंत्रालयों में नहीं फेंकना चाहिए। अगर सचमुच कृषि नीति दूरगामी उद्देश्य से बन रही है तो वाटरशैड का पूरा का पूरा काम एक मंत्रालय के जिम्मे रहना चाहिए और वह कृषि मंत्रालय के जिम्मे रहना चाहिए, वाटरशैड का प्रोग्राम एक तरह से इनका हो। यह नहीं कि आपका कृषि भवन बैठा रहे और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उसके आधार पर वह हलचल में न आये। वह आदमी सामने दिख रहा है, उन्होंने जब पता किया तो पता चला कि हमारा 49 प्रतिशत पानी बहकर चला जा रहा है, हमारी रोक के बाद भी, तो उस आदमी ने उसको चौड़ा किया, जो नहर किस्म का उन्होंने निर्माण किया है, फिर पानी और रुका है और उसमें नमी हुई, उन्होंने उसे तीन जगह रोका है, नये ढंग से रोकने का प्रयास किया है, आप उन प्रयोगों से सबक सीखिये, लकीर के फकीर बनकर चलने से कुछ नहीं होगा।

हम लोगों की तरफ मैदानी इलाके हैं, वहां उबड़-खाबड़ जमीन है या कहीं कहीं जमीन में अनडुलेशन है, वहां की बात तो दूसरी है, लेकिन जो समतल जमीन है क्या वहां पर वाटरशैड का सिद्धांत नहीं चल सकता है? वहां पर जरूरत है। वहां पर भी इसकी उपयोगिता है, लेकिन अलग-अलग जगहों पर अलग-2 इसकी टैक्नोलॉजी होगी, किसी एक रणनीति के साथ हम वाटरशैड के कार्यक्रम को पूरा नहीं कर सकते है। वाटरशैड के पीछे जो सिद्धांत है, जो मान्यता है उसको मानते हुए अलग-2 इलाकों के लिए अलग-2 ढंग से यह कार्यक्रम होना चाहिए। यह आपको करना चाहिए।

सचमुच इस देश के लोगों की न सिर्फ जो खाने-पीने की आवश्यकता है, उसको पूरा करना है, बल्कि लोगों की आमदनी में अगर इजाफा करना है तो आपको कई प्रकार के काम करने होंगे।

अब मॉडल कोआपरेटिव लॉ बनना चाहिए, कब से यह बात हो रही है कि मॉडल कोआपरेटिव लॉ बने, लेकिन राज्य उस पर अमल नहीं करते। एक कोआपरेटिव सोसायटी बनाकर किस प्रकार से गांव के किसानों की आमदनी में वृद्धि हो सकती है, 1964 और 1965 से उसका नाम होता है और सांसदों भी वहां पर जाते है, उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कहा था कि हम चाहते हैं कि आनंद पैटर्न को हम पूरे देश में रिप्लीकेट करें, लेकिन इस बात को कितना समय बीत गया है। यह कितनी अच्छी चीज है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बिहार में जो सब चीज बिगड़ती है, बिहार बदनाम है, लेकिन बिहार में भी पटना डेयरी प्रोजेक्ट है, उसको संभालने का जिम्मे एन.डी.डी.बी. को दिया गया, उसको संभाल कर वह चला गया और वह अब भी संभला हुआ है। पूरे जिले और पूरे इलाके के जो दुग्ध उत्पादक किसान हैं, उनको उससे लाभ होता है, उनको उससे अतिरिक्त आमदनी हो गई है। अब उसकी जगह पर आप कह रहे हैं कि हम तो मल्टी नेशनल को अंगूठे के नीचे रखेंगे तो दुग्ध उत्पादन पर जब हम आते हैं तो कोआपरेटिव सेक्टर का किस प्रकार से आप नाश कर रहे हैं, यह कोई छिपी हुई बात है?

हमें आप क्या पिला रहे हैं, हमने इसी सदन में आपको कहा था, डी.एम.एस. पर सवाल हमने उठाया था कि सॉलिड नॉट फैट कॉटेंट को बढ़ाने के लिए यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है। आपने कहा था कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है लेकिन बात सच थी।

यहां से निकल कर बाहर आप भी स्वीकार कर लेंगे। अभी नेस्ले की खबर छपी है, वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यह जो कंडेन्स्ड बेबी फूड बनाती है, उसके दूध की खबर छपी है, उसके लए आपने क्या किया है? उसने दूध में एस.एन.एफ. कॉटेंट बढ़ाने के लिए क्या काम किया है, क्या आपने इसकी जांच की है? क्या उसको यहां रहने का अधिकार देना चाहिए? उसने दूध में यूरिया मिला दिया। क्या यूरिया खाद्य पदार्थ है कि उसे कॉटेंट को बढ़ाने के लिए दूध में मिलाया जाए? वह हमें ही नहीं सारी दुनिया को अंगूठे के नीचे रखना चाहती है। मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा, इस पर अलग से बहस छेड़ना चाहते है। एक बार हमने चर्चा की थी, उसको लेकर आप इरफान में आये होंगे कि डी.एम.एस. के दूध की खबर आई थी। इसलिए हमारा कहना है कि जो कुछ भी अखबारों में छपता है, क्या आपने कभी जांच की है? हमें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ था, आप इस पर सफाई दें। हमारे देश में जो दुनिया की कंपनीज आयेंगी वह इस तरह से हमारी स्वास्थ्य को चौपट कर देंगी और मनमाने दाम लेकर चली जाएंगी। हम लोगों को दूध के नाम पर जहर पिलायेंगी। हम कैसे यह बर्दाश्त करेंगे?...(व्यवधान)... वह पार्टी से ऊपर उठकर बात करते हैं, हम लोग उनकी इज्जत करते हैं।

जहां तक उर्वरक का मामला है, अभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य जो यहां 1984 के सदस्य है, पहली बार बोले है, हमें अच्छा लगा, लेकिन एक बात है, जहां तक उर्वरक का सवाल है, जो कैमिकल फर्टिलाइजर का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, उससे हमारी जमीन चौपट होती चली जायेगी। इसलिए एक अभियान चलाना

चाहिए, किसानों को शिक्षित करना चाहिए, हम नहीं कहते कि अचानक इसका इस्तेमाल बंद कर दो, क्योंकि इससे उत्पादन में फर्क पड़ेगा लेकिन आर्गेनिक और इनआर्गेनिक का इस्तेमाल संतुलित ढंग से करें ताकि हमारे देश का उत्पादन भी बढ़े, प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और सस्टेनेबिलिटी की ओर भी बढ़े। ऐसा न हो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ते-2 जमीन के पोषक तत्व समाप्त हो जाए और सारी जमीन बंजर हो जाये। इसीलिए हमें एक ओर उत्पादकता में वृद्धि करनी है तो दूसरी तरफ जमीन भी खेती के लायक रहे, इसका भी प्रयास करना चाहिए।

कृषि एक ऐसा विषय है जोकि अनएंडिंग है। आप जहां कहे खत्म किया जा सकता है और जहां से कहें शुरू किया जा सकता है। आपका अगर आदेश है तो खत्म करना पड़ेगा। इसलिए यही पर बात को समाप्त करते हुए मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि इसको राष्ट्रीय नीति का स्वरूप दें, पक्ष और विपक्ष का न दें। इसको प्रोपेगेंडा की सामग्री न बनाये। संसदीय सलाहकार समिति की जो सिफारिशें हैं उनको अगर मान ले तो समग्र और स्थाई कृषि नीति का निर्माण हो जायेगा। हम लोगों को अनुभव हुआ था जब हम लोग मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट गये थे। वहां अच्छा काम हो रहा है। एक-एक रिसर्च पर अच्छा काम हो रहा है। आईसीएआर भी अनुसंधान में अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन आप पैसा नहीं देते हैं। जितना विकासशील देश देते हैं उतना भी नहीं देते हैं, विकसित देश तो 2 प्रतिशत देते है।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मीर्जापुर) : दुनिया में सबसे कम पैसा कृषि अनुसंधान में हिन्दुस्तान में दिया जाता है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश भारत है।

श्री बलराम जाखड़ : मैं स्वीकार करता हूं।

श्री नीतीश कुमार : ये सरकारी आंकड़े हैं, हम लोग उसको उद्धत कर रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। 0.32 प्रतिशत हम लोग पैसा देते हैं, कम से कम 1 प्रतिशत को कीजिए। हमने देखा है कि उनको रिसर्च के लिए दो एकड़ जमीन की जरूरत है। अगर जल्दी जमीन खरीदने की इजाजत नहीं देंगे तो कोचिंग डवलपमेंट अथॉरिटी बेच देगी, फिर जमीन नहीं मिलेगी। इसलिए समय पर निर्णय लें और अनुसंधान पर खर्च करें।

तो समय पर निर्णय भी लिया करिये और अनुसंधान पर भी खर्च करिये। जमीन आप ले नहीं सकते। रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए जमीन आपको नहीं मिलेगी। मैं कुछ मोटी बातों की और आपका इशारा करते हुए और जब तक इस समय जितने मंत्रालय है, विभाग हैं, मिलाकर एक महाविभाग का निर्माण नहीं होगा और एक कमांड के अंतर्गत नहीं लायेंगे, वह कमांड चाहे किसी के भी अंतर्गत हो, आप किसानों के प्रतिनिधि हैं, आप इस कमांड में हो जाइये, हम लोगों को बहुत खुशी होगी। इस मंत्रिमंडल में ऐसे-2 लोग भरे पड़े हैं। जिनको खेती-बाड़ी से कोई मतलब नहीं है। आप जिस वर्ग के प्रतिनिधि है, आप फार्म

वाले किसानों के प्रतिनिधि हैं और हम लोग यहां पर छोटे किसानों के प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हैं...(व्यवधान) तब हम फार्म वाले किसान की बात हम नहीं कह रहे है। वे तो कुछ भी कर लेंगे, उनकी पहुंच तो दुनिया के बाजारों तक हो जायेगी। यह जो ग्लोबलाइजेशन लिबरेलाइजेशन के खूबसूरत नारे है, ये तो बिक चुके हैं। आप किसान की आमदनी बढ़ाइये और कृषि के क्षेत्र में ऐसी तरक्की कीजिये जिससे आप हिन्दुस्तान को न सिर्फ खिला सके और जब खिलाने की स्थिति में होगा तो राजनैतिक रूप से दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में होगा। अत: इस प्रकार की राष्ट्रीय नीति बनाइये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अशोक आनंदराव देशमुख (परभनी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं श्री बलराम जाखड़ जी का धन्यवाद करता हूं कि पहली बार 40-45 साल में एग्रीकल्चर पॉलिसी के तहत उन्होंने पार्लियामेंट में बहस शुरू की है और शायद यह बहस जरूर अच्छी नीति बनायेगी। जरूर काम होगा और हिन्दुस्तान के किसान को इसका जरूर फायदा होगा। इसलिए मैं उन्हें फिर से धन्यवाद देता हूं। आज यह चर्चा सिर्फ पार्टी की हद तक नहीं है। जो भी सुझाव सब लोगों ने दिये हैं चाहे वह श्री नीतीश कुमार जी ने दिये हों, चाहे श्री प्रतापराव जी ने दिये हों, मैं समझता हूं कि सारे किसान आज एक हैं और एकत्रित रूप से आप से बोल रहे हैं। यहां कोई पार्टीबाजी नहीं है, न आज है और न कल थी। इस मामले में जो भी आज बहस कर रहे हैं, सारे किसानों का मामला आपके सामने रखा है और आप अच्छे किसान हैं, समझदार किसान हैं और मंत्री के नाते यह जिम्मेदारी आपकी होगी कि कैसे करना है और आप ही मजबूती के साथ यह कर सकते हैं। कई सारी कमेटी की रिपोर्ट आप ले चुके हैं। चोखाराम कमेटी भी हो चुकी है। उसकी भी रिपोर्ट आई है। नीतीश कुमार जी, की कमेटी ने भी अच्छा काम किया है। आप ने एग्रीकल्चर सैक्टर से अनुसंधान की भी बातें सुनी होंगी और आज जो चर्चा यहां पर चल रही है किसान के बारे में, उसमें हम लोग भी आते हैं, ये सुझाव भी आप जरूर मानेंगे, ऐसी आशा है। सभी मामलों में यह बताने की जरूरत नहीं क्योंकि सारे मामलों पर यहां बहस हो चुकी है। जैसे जमीन के संबंध में... वॉटरशैड सबसे महत्वपूर्ण है और मैं कहना चाहता हूं कि कुछ सुधार लाना है तो वॉटरशैड सबसे अच्छा तरीका है, उसे इम्पलीमेंट करें। यह बात नोट करनी चाहिये कि हर जगह, हर गांव में जो वॉटरशैड बनता है, उससे 2-4 गांवों को पानी मिलता है, देश को पानी मिलता है और पानी की समस्या हल होने से किसानों को भी लाभ होता है तो वॉटरशैड बहुत अच्छा है। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वॉटरशैड के प्रोग्राम चालू हैं और वॉटरशैडज सारे हिंदुस्तान में सफल करने के लिए उपाय करने चाहिए। इसमें पहाड़ी क्षेत्रों के लिए या पठारों के लिये या जो जमीन स्पाट है, उसके लिये टैक्नालॉजी होनी चाहिए? इस तरह के

वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अलग-2 हो सकते हैं लेकिन भूमि सुधार और अधिक उत्पादकता लाने के लिए यह प्रोग्राम अच्छे ढंग से लाने के लिए ठीक रहेगा।

सभापति महोदय, आपने ऋण देने का जो प्रावधान किया हुआ है, यह मानसून से पहले मिलना चाहिए ताकि किसान को व्यापारी के पास जाने की नौबत न आये। इसके साथ ही किसान इंश्योरेंस के लिए लोन बैंक से उठाता है। मैं चाहता हूं कि हर फसल के लिए इंश्योरेंस होना चाहिए।

किसानों को अपनी फसल को रखने के लिये गोदाम की आवश्यकता होती है। यदि उसे गोदाम उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे तो उसकी फसल खुली सड़क पर पड़ी रह जायेगी और वह जल्दी खराब हो जाएगी। इसलिए गांव में गोदामों की व्यवस्था की जाये ताकि वह अपना माल सुरक्षित रख सकें और जब आवयकता हो उसे दे सकता है। जैसे ही उसका माल गोदाम में आये उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का 50 प्रतिशत पैसा मिल जाना चाहिए। इससे किसानों को व्यापारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि उसे फसल का लाभ साथ ही मिलता जायेगा तो उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं रहेगी।

सभापति महोदय, खाद भी खेती के लिये जरूरी है। कहते है कि किसान को रोटी न मिले तो कोई बात नहीं लेकिन उसकी खेती के लिए फर्टिलाइजर जरूर मिलनी चाहिये। पिछले 10 सालों में खाद के दाम बहुत बढ़ गये हैं। खाद की आयात पॉलिसी पर तबदीली लाने की जरूरत है। खाद की खरीद-फरोख्त के बारे में किसानों के साथ कोई कम्प्रोमाईज नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट अलग हो सकता है। यदि इम्पोर्ट करते समय कोई एजेंसी ज्यादा दाम देती है और किसान को प्रति टन 60 डालर भी ज्यादा देने पड़े तो इससे काम नहीं चलने वाला है। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत फर्टिलाईजर आना भी जरूरी है, इरिगेशन आना जरूरी है, को-आप्रेटिव सैक्टर आना जरूरी है। इन सभी सैक्टर्स पर आपका कंट्रोल होना चाहिये। इसलिए मेरा निवेदन है कि फर्टिलाईजर्स के मामलों में आपको हमेशा ही ध्यान रखना होगा।

सभापति महोदय, मैं नई आर्थिक नीति का स्वागत करता हूं। मैंने इसके बारे में पहले भी कहा है लेकिन हमारी कृषि नीति एक समान होनी चाहिए। हमने 117 देशों के साथ आदान-प्रदान की व्यवस्था की है लेकिन जो पहले मुद्दे है, उन्हें तय नहीं कर पाये हैं। यह कहा गया था कि पेटेंट सीडस के लिये बिल लायेंगे लेकिन वह अब तक नहीं लाये हैं। यदि हम सीडस को प्रोटक्शन देने के बारे में बिल नहीं लायेंगे तो पीछे रह जायेंगे और हमारी सरकार को रायल्टी देनी पड़ेगी।

इसलिए हमारी जितनी भी वेराइटी आईसीएआर ने बनाकर रखी हैं उनको प्रोटैक्ट करने की आवश्यकता है, उनको रजिस्टर करने की आवश्यकता है। हिन्दुस्तान में कई कंपनियां हैं जिन्होंने अनुसंधान किया है और उसमें संशोधन भी किया है।

4.51 म.प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हिंदुस्तान की जिन कंपनियों ने इसमें रिसर्च किया है, उनको प्रोटैक्शन देने की आवश्यकता है, उनको रजिस्टर करने की आवश्यकता है ताकि कोई देश हमारे पास से उसको चोरी न कर पाए।

इस नीति में मार्केटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास जिस स्तर की मार्केटिंग होनी चाहिए वह नहीं है। दूसरे देशों में जिस तरह का इनफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास ऐसा इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे हम अच्छा निर्यात कर सकें। मराठवाड़ा क्षेत्र महाराष्ट्र को अकेले अनाज की सप्लाई कर सकता है। फल, सब्जियों के मामले में हमारे देश का उत्पादन अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया है। पिछले 40 सालों में उसने बहुत काम किया है।...(व्यवधान)...

श्री वीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि 40 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने बहुत काम किया है। मैं बताना चाहता हूं कि दूसरी लोकसभा में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के संसद सदस्य श्री विश्वनाथ गहमरी थे। उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और पूर्वी उत्तरप्रदेश की गरीबी पर सवाल उठाया था। उन्होंने इस सदन में बताया था कि उत्तर प्रदेश में इतनी गरीबी है कि आज भी कुछ जातियां इस तरह की हैं जो गोबर से अनाज निकालकर खाने का काम करती हैं और इस सवाल पर पंडित नेहरू रो पड़े थे और विश्वनाथ गहमरी भी रो पड़े थे...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : यह पॉइंट ऑफ आर्डर नहीं होता।

श्री वीरेन्द्र सिंह : गरीबी के सवाल पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सवाल पर मैं बोल रहा हूं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह जी यह उनकी राय है और हर व्यक्ति की राय एक दूसरे से भिन्न होती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के 40 साल के शासन की बात इन्होंने की है। उपाध्यक्ष महोदय, पंडित नेहरू ने उस समय पटेल कमीशन का निर्माण किया था और पटेल कमीशन ने पूर्वी उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण किया था।...(व्यवधान) पंडित नेहरू ने पटेल कमीशन के इंप्लीमेंटेशन के लिए आश्वासन दिया था लेकिन सरकार ने पटेल कमीशन का इंप्लीमेंटेशन नहीं किया और पटेल कमीशन का इंप्लीमेंटेशन होने पर ही पूर्वी उत्तर प्रदेश का समुचित विकास हो सकता है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह जी, जब आपको मौका मिलेगा तब आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह जी, यहां व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

मैं इस सभा के सदस्यों की सूचना में यह बात लाना चाहता हूं कि आज यह वाद-विवाद समाप्त होना चाहिए। अतः मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वह अपने भाषण को छोटा करें और केवल संबंधित बातों को ही सामने रखें ताकि माननीय मंत्री महोदय उसे नोट कर सकें और उसे लागू करने का प्रयास कर सकें।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया कट शॉर्ट करने के लिए न कहें। ये बढ़िया बोल रहे हैं और हर आदमी को बोलने का मौका दें। यदि 4 घंटे का समय है तो 4 घंटे और बढ़ा दीजिए। यह बहुत गम्भीर विषय है और हमारी बात कट शॉर्ट न की जाए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री जी, कार्य मंत्रणा समिति में इसका निर्णय लिया गया है। विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं ने सोचा था कि इस वाद-विवाद के लिए 4 घंटे का समय पर्याप्त होगा।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनंदराव देशमुख : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मार्केटिंग एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। निर्यात का मुद्दा भी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो किसान को फायदा और नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए नीति में तय करना चाहिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है, चाहे एयरकार्गो हो, गोदाम का हो या फलों का बाग है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना जरूरी है। उसके लिए मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जब यह नीति तय होने जा रही है तो आवाड़ साहब जरूर याद रखेंगे कि बाहरी देशों के साथ जिस तरह के रिश्तेनाते है, उनकी कृषि नीति कैसे है, उनके साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे और उनका क्या फायदा-नुकसान रहेगा, हमारा मार्किट कैसा रहेगा, उनका मार्किट कैसा रहेगा, हम सफल रहेंगे या नहीं हम अनाज में सफल होंगे या दलहन या तिलहन में सफल होंगे, ये सब बातें आनी चाहिए। जर्मनी में कौन से फल है, हमारे यहां क्या फल है, अमरिका में कौन सा धान होता है, कपास होती है या नहीं होती है। सारा मार्किट ट्रेडिंग के ऊपर निर्भ करता है। बाहरी देशों के मार्केट का हम सर्वे नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। जापान क्यों आगे गया है? जापान देखता है सुई से लेकर कौन सी चीज चलती है, उसका अध्ययन करता है। इजराइल एक बहुत छोटा देश है लेकिन उसकी कृषि नीति हमसे अच्छी है। हम लोगों के पास बिजली है, हमारे पास पानी है, हमारे पास हर तरह की सुविधायें है। हम फल व सब्जियों में आगे हैं। सब्जियां सड़ती है, मार्केटिंग नहीं होती, फल भी बिगड़ जाते हैं। कभी 50 पैसे दर्जन में बिकते हैं। मार्केटिंग से ही किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। यह तय होना चाहिए कि कितनी सपोर्ट प्राइस किसान को देनी चाहिए, कितनी बिचौलियों को मिलनी चाहिए और कितनी व्यापारियों को मिलनी चाहिए। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग की है।

आप जो पॉलिसी लाए है इसमें एक दो बाते और रही हैं। अभी तो रिसर्च हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है, उसको दोहराने की बात नहीं है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाये कम है। लेकिन उस संशोधन को खेत तक ले जाने के लिए उसका प्रसार तेजी से होना चाहिए। दुर्भाग्य से वह नहीं हुआ है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आपका जो कृषि विज्ञान केन्द्र है उनको ताकत देनी है। आवाड़ साहब, प्लानिंग कमीशन उनको पैसा नहीं देता है। कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में है उनको हर गांव में जाकर प्रचार करते हैं, वैराइटी का प्रचार करते है। ज्यादा प्रोडक्शन वाली चीजें वहां जाएंगी तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा और जो वैराइटी बाहर के देशों में चलती है उनका पता भी लगेगा।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है, हमारे महाराष्ट्र में भी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है, इसने जो मुद्दे रखे हैं उसके लिए राज्य सभा में भी आपने बताया कि हमने सारे मुद्दे ले लिये हैं।

लास्ट टाइम भी कुछ मुद्दे लिये गये थे और इसी कारण किसानों को सपोर्ट प्राइस इस बार कुछ ज्यादा मिला लेकिन अभी कुछ मुद्दे शेष रहते हैं। शायद उसमें खर्चा आप डाल नहीं पाये। मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का ऑफिस चाहे महाराष्ट्र में है या कहीं भी है, वे संबंधित ऑफिस को कह देते है कि थोड़ा मैनिपुलेट करके इतना लाओ, लेकिन यह तरीका गलत है। किसान को विभिन्न जिंसों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिये, उतना अवश्य मिलना चाहिए। इसलिए मैं आपसे दो-तीन चीजें विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं, जिनका सपोर्ट प्राइज किसानों को मिले, क्योंकि दो-तीन चीजों में किसान को सपोर्ट प्राइज कुछ कम मिला है।

इसके साथ ही मैं कृषि मंत्री जी को ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी लाने के लिये फिर से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे। कृषि मंत्री जी आप किसान हैं, किसान के नाते तो मैं आपको बधाई देता हूं लेकिन बार-बार कहता हूं कि आपके सामने स्टैन्डिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, हमारी अलग-2 पार्टियों के मैम्बर्स ने उसमें जो सुझाव दिये हैं, पार्टियों का सवाल इसमें नहीं है, क्योंकि वे पहले किसान है और उन्होंने कुछ अच्छे मुद्दे हमारे सामने रखे हैं, उन सबको ध्यान में रखते-हुए, कृषि अनुसंधान के लिए जो हमारा आई.सी.ए.आर. बना है, उसके आंकड़ों को इकट्ठा करके, इस

देश में कृषि को आगे ले जाने का काम आप करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राजवीर सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन में कल से कृषि नीति के प्रारूप पर चर्चा हो रही है। मैं कृषि मंत्री जी को केवल इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि 50 वर्षों से जिस नीति पर चर्चा नहीं हो सकी, जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी, आज भले ही आधे अधूरे मन से वे कृषि नीति का ड्राफ्ट सदन में लाये, चाहें उसमें स्थिति से निपटने की क्षमता हो या न हो, मगर वे लाये जरूर - देर आयद, दुरूस्त आयद - इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं।

अभी नीतीश जी कह रहे थे कि शायद यह चुनावों का वर्ष है, इसलिये कृषि नीति का प्रारूप सदन में लाया गया है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मगर आप लाये जरूर हैं। अभी मंत्री जी ने कहा कि यह ड्राफ्ट तीन साल पहले या दो साल पहले सदन में रख दिया गया था लेकिन इसमें मंत्री जी, आपका दोष नहीं है। आप तो चाहते थे लेकिन आपके संसदीय कार्य मंत्री जी ज्यादा पौलिटीशियन है, इसीलिये जान-बूझकर वे चुनावों के समय इसे सदन मे लाना चाहते थे और इसी कारण हमेशा उन्होंने इसे बाद के लिये रखा...(व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : आप भागो मत...(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : मैं कहां भाग रहा हूं। मैं भागने वाले लोगों में नहीं हूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं आप ही इस विभाग से न भाग जायें, इसका मुझे भयंकर डर है।

श्री बलराम जाखड़ : मैं कही नहीं भागता। आप डरिये मत।

श्री राजवीर सिंह : चलिये अच्छी बात है। हमारे देश में कृषि की उपेक्षा का परिणाम एक ही बात से उजागर होता है कि हमने उद्योग नीति आज से 50 साल पहले तय की थी लेकिन 50 वर्षों के बाद अभी हम कृषि नीति का खाली ड्राफ्ट ही लाये है। इससे कुछ स्पष्ट नहीं होता कि आप क्या तय करना चाहते हैं।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है लेकिन उसकी स्थिति ऐसी है कि हमारी कृषि बिल्कुल निकृष्ट स्थिति में आ गयी है। हमारी तरफ एक घाघ कवि हुये है, उनका एक दोहा मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूं -

उत्तम खेती, मध्यम बान, निखद चाकरी, भीख निदान।

मगर आज उसके विपरीत स्थिति हो गयी है। आज निखद चाकरी, कृषि भीख निदान हो गयी है, यह बात सच है। हम लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं और बहुत ऊंचे आंकड़े देते हैं मगर क्या हमने कभी उन लोगों को भी देखा है जो छोटी जोत वाले किसान हैं और जिनके पास एक एकड़ जमीन है, जिस पर उनका पूरा परिवार लगा हुआ है। उनकी स्थिति आज यह है कि उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती। अपने अनइकोनोमिक होल्डिंग खड़ी कर दी है। किसान का पूरा परिवार, उसके बच्चे दिन-रात मेहनत करते है लेकिन न तो उन्हें खाने को पूरा मिलता और न वे शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। आज स्थिति यह है कि किसान बैल भी नहीं खरीद पाता, बल्कि हाथ से, फावड़े से खेती करता है।

यह ठीक है कि हमारे कृषि मंत्री जी जैसे किसान बहुत कम हैं। कृषि मंत्री जी का नाम तो बहुत अच्छा है - बलराम - बलराम हलधर को कहते हैं। वे बलराम तो हैं मगर हलधर नहीं है बल्कि ट्रैक्टरधर हैं, हलधर नहीं है। अगर वे हलधर होते तो किसानों का दुख-दर्द इनकी समझ में बहुत पहले आ गया होता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। यहां पर टाटा कंसल्टेंसी के कुछ आंकड़े आए हैं। उसने कहा है कि 1990-91 में कृषि के द्वारा 1980-81 की कीमतों पर 11 हजार करोड़ रुपए मूल्य का शुद्ध उत्पादन किया गया है जबकि इन्हीं वर्षों में 23028 करोड़ का उत्पादन किया गया है। इस प्रकार से उद्योगों द्वारा कृषि का केवल 40 प्रतिशत ही उत्पादन हुआ। स्थाई कीमतों के आधार पर 1970-71 में कुल पूंजी निवेश की कुल 16 प्रतिशत पूंजी, 1985-86 में 12.6 प्रतिशत, 1989-90 में केवल 8.1 प्रतिशत पूंजी और 1992-93 में 9 प्रतिशत पूंजी का निवेश कृषि में हुआ। ऐसा क्यों हुआ, किस आधार पर हुआ, पूंजी निवेश की क्या नीति, कृषि व भारत सरकार के साढ़े पांच लाख गांवों के लिए अगर यही नीति थी, तो गांवों की गरीबी व बेरोजगारी के लिए क्या भारत के नीति निर्माता स्वयं उत्तरदायी नहीं? ये टाटा कंसल्टेंसी के आंकड़े हैं। मेरे नहीं हैं। यह बड़ी प्रसिद्ध कंसल्टेंसी है। इसकी हिन्दुस्तान में बड़ी मान्यता है। उसने यह स्थिति बताई है और हम बड़े खुश है। हम प्रगति का ढोल पीट रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी आधार पर अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारा सकल घरेलू उत्पाद, हमारे कृषि का अंशदान 1950-51 में 56 प्रतिशत था, 1995-96 में घटकर 32 प्रतिशत रह गया है जबकि इसी अवधि के दौरान गांवों में रहने वाली कृषि तथा कृषि पर आधारित जनसंख्या में कुछ कमी आई है। अर्थात अब 80 प्रतिशत से कम होकर 70 प्रतिशत रह गई है जिसका अर्थ हुआ कि बहुत कम जनसंख्या कृषि से दूसरे व्यवसायों में गई है और आप भी मानते हैं और सारा संसार जानता है कि जब तक कृषि पर बोझ कम नहीं होगा, तब तक कृषि लाभदायक नहीं होगी। कृषि पर बोझ कम करने के लिए हमने क्या किया है? उसके लिए हमने कुछ नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इस सदी के अंत तक हम पूरे 100 करोड़ हो जाएंगे और हमारी स्थिति क्या है आज हम 180 मिलियन टन का लक्ष्य रख कर चल रहे हैं। मंत्री जी से मेरी एक दिन बात हो रही थी मंत्री जी चिंतित थे कि पता नहीं टारगेट पूरा होगा या नहीं क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। उस समय बारिश नहीं हो रही थी। इसका मतलब है कि अभी तक हमारा टारगेट वर्षा पर निर्भर है। अच्छा हुआ,

उस दिन विरोधी दल ने यहां से वाक-आउट कर दिया, तो बारिश होने लगी। आप मंत्री जी, ऐसा विचार कीजिए कि जब आपकी इच्छा हो विरोधी दल से बात कर लिया कीजिए, वाक-आउट करवा दिया कीजिए, जल्दी बारिश हो जाया करेगी। अब वह बारिश, बारिश ही नहीं रह गई है, वह बाढ़ का रूप में परिवर्तित होती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब इस देश का और किसान का यह दुर्भाग्य है कि वह कभी सूखे से पीड़ित होता है और कभी बाढ़ से पीड़ित होता है। यह हम लोगों का दुर्भाग्य है। इसमें मंत्री जी का, बलराम जाखड़ जी का कोई दोष नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह कहूं कि यह मंत्री जी के निकम्मेपन के कारण है। नहीं मैं ऐसा नहीं कहूंगा यह तो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, पिछले 50 वर्षों से हमने जो उसकी अनदेखी की है, यह स्थिति उसके कारण है। इसके लिए मैं मंत्री श्री बलराम जाखड़ को कोई दोष नहीं देता।

उपाध्यक्ष महोदय, अब कृषि की जो प्रारूप नीति आई है, उसमें 17 चुनौतियां हैं जो आपने हमें लिख कर दिखाई हैं। अब उन चुनौतियों का सामना हम कैसे करेंगे, उसका कोई निदान नहीं बताया है। आपने यह तो बताया है कि वह चीज खाओगे, तो पेट में दर्द हो जाएगा, लेकिन अगर पेट में दर्द हो गया है तो वह कौन सी गोली खाकर दूर होगा, यह नहीं बताया है। आपने चुनौतियां हमारे सामने रख दी हैं, लेकिन उनसे देश कैसे निपटेगा, किसान कैसे निपटेगा, इसके लिए इनके पास कोई योजना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी ने जो कहा, उसका एक पैरा मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। प्रारूप कृषि नीति संकल्प का विस्तारपूर्वक अध्ययन करने के बाद यह समिति यह कहने को बाध्य है कि यह योजना और इसमें निरूपित नीति से यह समिति संतुष्ट नहीं है। चुनौतियों का सामना करने के लिए उनके कारणों को अनुपयुक्त पाया है। केवल वही नहीं, समिति यह भी महसूस करती है कि इन चुनौतियों का सुव्यवस्थित आंकलन किये जाने की आवश्यकता है। इसमें कृषि और उसके समग्र विकास से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों, जिनमें नीति का क्रियान्वयन भी शामिल है, के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए समिति ने सरकार से यह पूछना उचित समझा कि वह चुनौतियों का सामना करने हेतु अपनी नीतियों को किस तरह से क्रियान्वित करेगी क्योंकि समिति की राय में यदि प्रभावी रूप से तथा कुशलता के साथ इसका क्रियान्वयन करने की गुंजाइश नहीं है तो कोई भी नीति में केवल दीर्घकालिक परिपेक्ष्य में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पूंजीगत प्रयास के प्रमुख मापदण्ड दर्शाये गये हैं। उन कृषि क्षेत्रों में सरकार द्वारा देश के द्वारा किये जाने वाले प्रयासों का उल्लेख नहीं किया गया है। चूंकि कृषि देश में विभिन्न भागों में, भिन्न-2 जलवायु से संबंधित परिस्थितियों के अंतर्गत अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। अत: उन सभी को राष्ट्रीय दस्तावेज में शामिल नहीं किया जा सकता। यह बात समझ में आती है लेकिन समिति का कहना है कि तर्कों से वह पूर्ण आश्वासन नहीं है। इसलिये उसने प्रारूप कृषि नीति संकल्प के प्रत्येक पहलू पर अपनी पुनरीक्षित टिप्पणियां देने के लिए कहा है। विषय के मूल तक पहुंचने के लिए समिति ने विभिन्न सुविख्यात कृषि विशेषज्ञों, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों आदि से बातचीत की है। मैं उसको पूरा नहीं पढ़ रहा क्योंकि समय का अभाव है। थोड़ी देर में आप घंटी बजा देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : थोड़ी देर क्या, अभी बज जायेगी।

श्री राजवीर सिंह : अगर आप कहेंगे तो हम बैठ जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप 10 मिनट बोल चुके हैं।

श्री राजवीर सिंह : मुझे जो बात कहनी है वह यह है कि कृषि मंत्रालय के सचिव ने भी यह स्वीकार किया और हमारे सुझावों पर सहमति प्रकट की। उनका कहना है कि चुनौतियों का बखान करने के बजाय बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिये समिति ने प्रारूप कृषि नीति संकल्प के पैरा 4 में दिये गये सुझावों का पैरावार विश्लेषण करने का निर्णय किया। सचिव ने भी माना कि इसमें सुझाव दिए जा सकते थे लेकिन ऐसा लगता है कि सचिव ने इतनी ईमानदारी की बात कमेटी के सामने मानी और उसकी सजा उनको यह चुकानी पड़ी कि कृषि मंत्रालय के सचिव पद से उनको हटा दिया गया। जो भी नए सचिव आएंगे, जब उनसे मुलाकात होगी, बात होगी तो हमें उनकी संवेदनशीलता का पता चलेगा।

मैं इस विषय में क्या कहूं...(व्यवधान) मंत्री जी भी बदलने वाले है लेकिन वे कहते है कि मझे कोई भी नहीं हटा सकता।

आप अपनी जगह पर डटे रहिए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपने इसमें विपणन की कोई बात नहीं की। विपणन कैसे होगा? आज हालत यह है कि किसान के घर पर अनाज पैदा हो जाता है और उसको कर्जा चुकाने के लिए तुरंत पैसे की जरूरत पड़ती है। जैसे ही किसान के घर अनाज आने लगता है, वैसे ही अमीर कुर्की वारंट लेकर उसके पीछे घूमता है जिस वजह से वह अपना अनाज ओने-पोने दामों में बेच देता है जिसको बिचौलिया खरीदकर आपने सैंटर में बेचता है। क्या आपके पास विपणन करने की कोई व्यवथा है? अभी आपने खुद कहा था कि हमारे पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है। आपने न्याय पंचायत के स्तर पर एक-एक कदम बढ़ने की बात कहीं, क्या उस कदम में किसान अपनी बचत को रख दें और आपकी जो सपोर्टिंग प्राइस है, उस प्राइस पर उसको उतना लोन मिल जाएगा और बाजार के रेट पर उसको पैसा मिल जाएगा, नहीं तो वह अपना अनाज वहीं छोड़ देगा। इसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा है। एक भी जगह पर आपने यह नहीं कहा कि हम हर न्याय पंचायत के क्षेत्र में ऐसे कदम उठाएंगे जिसको बैंकिंग फैसिलिटी मिलेगी कि किसान अपना गेहूं, अपना अनाज...(व्यवधान) मैं बैठ जाऊं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, अभी दो मिनट हैं।

श्री राजवीर सिंह : मैं तो बोल नहीं सकता। मैंने तो अभी शुरू ही किया है, बाकी के मैम्बर 40-40 मिनट तक बोले हैं। यदि आपकी आज्ञा है तो मैं बैठ जाता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया मेरी बात समझिए। हर एक माननीय सदस्य को दस मिनट का समय दिया गया है। दस मिनट समाप्त होते ही घंटी बजेगी। यह माननीय सदस्य पर निर्भर करता है कि वह घंटी की आवाज सुनकर अपना भाषण समाप्त करें अथवा जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : यह मेरा ही दुर्भाग्य नहीं है किसान का दुर्भाग्य है कि जो उसके बारे में बोलेगा उसके ऊपर घंटी बजा दी जाएगी। वह बाहर भी बोल नहीं सकता, अंदर भी नहीं बोल सकता। यदि बोलने नहीं देंगे तो मैं नही बोलूंगा। मैं अनुशासन नहीं तोड़ूंगा। आपकी घंटी बजी है इसलिए मैं बैठ जाता हूं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजवीर सिंह जी, आप सही कह रहे हैं। दस मिनट के तुरंत बाद ही अध्यक्ष घंटी बजाएंगे। यह माननीय सदस्यों पर निर्भर करता है कि वह अपना भाषण समाप्त कर दें अथवा जारी रखें। पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, चौथी घंटी। इस प्रकार चार बार घंटी बजेगी।

श्री एम.आर. कादम्बुर जनार्दनन (तिरूनेलवेली) : आपकी बात ठीक है। लेकिन हम बोलने के लिए अधिक समय चाहते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि हमें पर्याप्त समय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बारे में पहले से ही निर्णय लिया गया था। कार्य मंत्रणा समिति ने यह समय आवंटित किया था। इस समिति का यह विचार था कि प्रारूप कृषि नीति पर चर्चा के लिए चार घंटे का समय पर्याप्त होगा। यह समिति की राय है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय का आदर करते हैं अथवा नहीं।

...(व्यवधान)

श्री एम.आर. कादम्बुर जनार्दनन : हमने कर्मकार प्रतिकर विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय लिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : वह हमारी गलती थी। यद्यपि एक घंटे का समय दिया गया था पर हमने 6 घंटे लिये थे।

श्री एम.आर. कादम्बुर जनार्दनन : यह एक सामान्य विषय है जिससे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का संबंध है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसी को देखते हुए हमें अपनी गलती का अहसास होना चाहिए। इसीलिए समय को नियमित करने का अध्यक्ष को अवसर मिला है। यह मेरा अनुरोध है। इस का आदर करना न करना आप पर निर्भर है।

श्री एम.आर. कादम्बुर जनार्दनन : यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम अध्यक्ष का आदर, करें।

उपाध्यक्ष महोदय : हम सब को मिलकर समय को नियमित करना होगा। यह अध्यक्ष की मर्जी पर निर्भर नहीं करता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसका हम सबको आदर करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : मैं गोदाम की व्यवस्था के बारे में कह रहा था। लाईसैंसशुदा गोदाम होने चाहिएं और ग्रामीण क्षेत्रों में होने चाहिएं क्योंकि वहां पर सस्ती जमीन मिलती है, ईंट भी सस्ती मिलती है, वहां निर्माण भी सस्ता होगा और फसलों को रखने के लिए जगह भी नजदीक पड़ेगी। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आप उसके संभरण की व्यवस्था तो करेंगे। आप किसान को कुछ मत दीजिए। आप समयबद्ध कार्यक्रम कीजिए। किसान आपसे भीख नहीं मांग रहा है। जब हमारे खाद्य मंत्री और प्रधानमंत्री विदेशों में भीख का कटोरा लेकर गेहूं मांगने जाते थे, उस समय हिन्दुस्तान के किसान ने लाल बहादुर शास्त्री के "जय जवान जय किसान" के नारे का सम्मान किया और हिन्दुस्तान को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने की कोशिश की। आपके भीख का कटोरा फिकवा दिया गया। लेकिन किसान को सुविधा तो दीजिए। आज किसान अपना उत्पादन बेचने के लिए बाजार नहीं ले जा सकता, उसके पास रास्ते नहीं हैं। साढ़े पांच लाख गांवों में से कितने गांव ऐसे हैं जो पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ 3-4 चीजें कर दीजिए जैसे आपने बड़े उद्योगों के लिए की है। आप यातायात के साधन दे दीजिए, गांवों तक सड़क पहुंचा दीजिए, खाद, बिजली, पानी का इंतजाम कर दीजिए। किसान को कुछ नहीं चाहिए, वह आपकी सब्सिडी के लिए नहीं रो रहा है लेकिन उसको बिजली, पानी तो दीजिए। किसान के पास सिंचाई करने के लिए पानी नहीं है। आप गांवों में 50 सालों में पीने का पानी भी नहीं दे पाए, सिंचाई के पानी की तो बात छोड़ दीजिए। आप किसान को खाद, बीज नहीं दे पा रहे हैं।

इतनी व्यस्तताओं के बाद कल कृषि मंत्री ने कहा कि हम कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे। मुझे डर लगता है, मुझे यह मीठी छुरी लगती है। कृषि को उद्योग देने के नाम पर कल को आप यह कहेंगे हमने उद्योगों पर टैक्स लगाया हुआ है। मुझे इस शब्दावली से चिढ़ है। कल आप कृषि को उद्योग बनाएंगे, उसके बाद खेती मल्टी नैशनल्स को देंगे। यदि आपने कृषि को उद्योग बना दिया तो आपको इस नीति में स्पष्ट लिखना पड़ेगा कि किसान के ऊपर किसी प्रकार का कराधान नहीं लगाया जाएगा, उसके प्रोड्यूस पर कोई विक्रीकर नहीं लगेगा, आयकर नहीं लगेगा कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। कृषि नीति में आपको इस बात का वायदा करना पड़ेगा, नहीं तो उद्योग का नाम सुनते ही बड़ा खतरा नजर आने लगता है।

अभी बात आई है, मैं उसको फिर कहना चाहता हूं। अभी हम

घूमने के लिए गये थे तो हमने अपने कृषि वैज्ञानिकों के काम को देखा, उसे बहुत सराहा। मुझे यह लगता है कि हमारे वैज्ञानिक बड़ी देशभक्ति की भावना से काम कर रहे हैं, उनको काम करने देना चाहिए। मगर स्थिति यह है कि वह काम किससे करें, विकासशील देश, विकसित देश जो हैं, वह अपने यहां रिसर्च पर दो प्रतिशत खर्च करते है। जो और विकासशील देश हैं, जो हमसे भी गये गुजरे हैं, वह 0.56 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। भारत जो विशाल देश हैं, कृषि प्रधान देश है, वह 0.32 परसेंट इस पर खर्च करता है। यह सरकारी आंकड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सरकारी आंकड़े के खिलाफ, जिसमें प्रधानमंत्री जी गये थे, जयपुर में जो विज्ञान कांग्रेस हुई थी, उस विज्ञान कांग्रेस को सम्बोधित करते हुए विज्ञान कांग्रेस के तत्कालीन प्रमुख डा. पी.एन. श्रीवास्तव ने अपने भाषण में यह सिफारिश की थी, उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया था कि अनुसंधान और विकास पर किया जाने वाला खर्च 1958-59 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 0.32 परसेंट से बढ़कर 1981 में 1.13 प्रतिशत हो गया था, किंतु झाल के वर्षों यह घटकर मात्र 0.9 प्रतिशत रह गया है। फिर आगे उन्होंने एक और अच्छी बात कही है।

इण्डस्ट्री के लोग एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के लिए फैक्टरी खोलते है, कहीं जूट की फैक्ट्री खुलती है, कहीं डिब्बाबंद प्रोसैसिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। इसकी रिसर्च पर यह कम खर्च कर रहे हैं तो उसके लिए भी उस कमेटी में, जयपुर कांग्रेस में एक बात आई। उन्होंने कहा कि विकसित देशों में, यहां तक कि कुछ नव औद्योगिक देशों में भी अनुसंधान और विकास दर पर होने वाले राष्ट्रीय खर्च में से करीब 40 प्रतिशत हिस्सा निजी उद्योगों द्वारा खर्च किया जाता है। जबकि भारत में पिछले कई वर्षों से 11 से 13 प्रतिशत के बीच यह स्थिर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुसंधान और विकास के बीच यह स्थिर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुसंधान और विकास पर कुल राष्ट्रीय खर्च बढ़ाकर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का दो प्रतिशत करने के लिए यह आवश्यक है कि निजी उद्योग अनुसंधान और विकास पर भी निवेश करें। देखिये मंत्री जी, मैं आपकी मदद कर रहा हूं, मैं खाली सरकार से नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह जो निजी उद्योग धंधे लगाये हुए हैं, वह रिसर्च एण्ड डवलपमेंट पर खर्च नहीं कर रहे हैं और सारा मुनाफा खाते चले जा रहे हैं। यह कृषि नीति में आना चाहिए कि जो प्राइवेट उद्योगपति धन लगाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से अपना निर्माण करेगा, उसको उस पर कम से कम इतना पैसा रिसर्च एण्ड डवलपमेंट पर खर्च करना ही होगा। यह पॉलिसी में लाना पड़ेगा, यह आपको करना पड़ेगा।

क्योंकि आप घंटी बजा रहे हैं, इसलिए मैं छोटा-2 करके खत्म करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे घंटी बजाने में भी डर लगता है। टाइम का थोड़ा डिसिप्लिन रहना चाहिए।

श्री राजवीर सिंह : मैं एक और बात कहना चाहता था। हमने हरित क्रांति की, ग्रीन रिवोल्यूशन की बात की है। हरित क्रान्ति में हमने केवल गेहूं को रख लिया है। धान पर हमने तवज्जह नहीं दी है। आप नाराज न हो, मैं बता रहा हूं, धान पर हमने उस हिसाब से तवज्जह नहीं दी, जिस हिसाब से तवज्जह देनी चाहिए थी। हम चावल के पीछे भाग रहे हैं कि बस बासमती चावल पैदा करो और फॉरेन एक्सचेंज लाओं। आप दुनिया का बाजार देख रहे हैं, आप भारत का बाजार देखिये। भारत 92 करोड़ लोगों का देश है। यहां बहुत बड़ा बाजार है। बासमती का 40 रूपये किलों का चावल गरीब मजदूर, जो मिल में काम कर रहा है, वह खरीदकर नहीं खा सकता है। उसको तो चार रूपये, पांच रूपये, छह रूपये किलो वाला चावल चाहिए। उसकी तो उपेक्षा हो रही है। मजे की बात यह है कि जो मोटा चावल होता है, उसका उत्पादन ज्यादा होता है, यह आपके लक्ष्य को ज्यादा जल्दी पकड़ा सकता है। सैंटिड राइस, जो बासमती राइस कहलाता है, इस चावल का उत्पादन कम होता है, यह तो आप मानते हैं न? मानते हैं तो कृपा करके खाली डालर के पीछे मत भागिये। आप डालर को छोड़िये और गरीबों का पेट भरिए। . . . (व्यवधान) पेट्रो डालर को छोड़िये, मैं तो खाली डालर की बात कर रहा हूं।

अभी दूध की बात आई थी, नीतीश जी ने बहुत कुछ कह दिया, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बात सच है, हमको बहुत जिम्मेदारी के साथ एक कमेटी में बताया गया कि दिल्ली मिल्क स्कीम में दूध में यूरिया मिलाया जा रहा है, वह यूरिया हम लोग पी रहे हैं। दूध में फैट बढ़ाने के लिए और उसमें गाढ़ापन बढ़ाने के लिए यूरिया डाल रहे हैं। मैं गम्भीरता से कहूंगा कि इसकी आप जांच कराईये। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हमारे कोआपरेटिव सेक्टर में मिल्क डेयरी काम करती है। इनमें प्रमुख आणंद है। उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में मिल्क डेयरी हैं। अभी हम आणंद डेयरी को देखने गये तो वहां नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन से बात हुई। उन्होंने चिंता प्रकट की कि बहुराष्ट्रीय कम्पनीज को आप दुग्ध उत्पादन का लाइसेंस देने जा रहे हैं। कितने वर्षों से प्रयास करके हमने जो सेटअप खड़ा किया है, अगर बहुराष्ट्रीय कम्पनीज आ गई तो वह खत्म हो जायेगा। क्या आप कोआपरेटिव सेक्टर का कम्पीटिशन बहुराष्ट्रीय कम्पनीज से कराना चाहते हैं? आज प्राइवेट सेक्टर के लोग इन कम्पनीज के सामने टिक नहीं रहे हैं और मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। इसलिए कृषि नीति में यह बात आनी चाहिए कि जो कृषि से संबंधित संस्थायें हैं, कोआपरेटिव सेक्टर है और अच्छा काम कर रहे हैं वहां बहुराष्ट्रीय कम्पनीज नहीं आयेगी। जबकि उन्होंने इतनी मेहनत करके किसानों का ख्याल करते हुए, लोगों का ख्याल करते हुए यह सैक्टर खड़ा किया और जब मुनाफा कमाने का समय आया तो वह सारा आप विदेशों में इन कम्पनीज के द्वारा डालर के रूप में भेजने का काम करना चाहते हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी हम लोगों ने कहा, मंत्री जी भी बैठे हैं, आप भी जानते हैं कि मैं हर मीटिंग में आपको अपने भय से परिचित कराता हूं। वह भय है कि हम जिस तरह से आंख मीचकर केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइडस और इनसेक्टिसाइडस का इस्तेमाल कर रहे है वह हमें कहां ले जाकर खड़ा करेगा? हम जिन खेतों में फर्टिलाइजर डालते हैं हर साल ज्यादा फर्टिलाइजर डालें तभी उपज बढ़ती है। आपके ही विभाग के वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर इस बहुतायत को नहीं रोकेंगे तो कुछ वर्षों में जमीन के अंदर इस फर्टिलाइजर की सिल्ट बन जायेगी। उसके बाद यह होगा कि लोहा भी उसको तोड़ नहीं पायेगा, पेड़ की जड़ की तो बिसात ही क्या है।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : उपाध्यक्ष महोदय, कल नेताओं और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कृषि नीति के मसौदे पर संभवत: चर्चा आज ही पूरी हो जाएगी जिसमें मंत्री महोदय का उत्तर भी सम्मिलित होगा। यद्यपि हमारे पास समय कम है और बोलने वाले सदस्यों की सूची बहुत लंबी है, अत: यदि आप सभा की भावना को समझें और यह निर्णय कर लें कि मंत्री महोदय कब उत्तर देंगे तो हम तदनुकूल व्यवस्था कर लेंगे। मैं आपने दल के सदस्यों के नाम कम करूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामवीर सिंह : आपके दल के सदस्य अलाटेड समय का दोगुना समय ले चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे अपना निवेदन पूरा करने दीजिए। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि हम देर तक बैठने के इच्छुक हैं। लेकिन गणपूर्ति की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि कृषि मंत्री जी उत्तर देना चाहें और जब वह उत्तर देने के लिए खड़े हों और कोई गणपूर्ति का प्रश्न उठाए तो इससे समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मैं यह बात आपके ध्यान में ला रहा हूं ताकि आप नेताओं की बैठक और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार सभा की कार्यवाही को विनियमित कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री जी यह बात सत्य है। कुछ मिनट पहले मैंने सारी बातें सदस्यों को बताई। यदि प्रत्येक सदस्य दस मिनट का समय ले तो बहुत से सदस्य वाद-विवाद में भाग ले सकते हैं। यह मेरा अनुरोध है। मेरा किसी भी माननीय सदस्य की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं है। मैंने केवल उचित प्रयोजन से ही यह बात कही है।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनंदराव देशमुख : कृषि नीति पर चर्चा हो रही है, पार्टी का सवाल नहीं है, किसान की बात है। इसमें समय की पाबंदी न रखें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम लोग बहुत देर तक बैठने के लिए तैयार हैं ?

श्री हरिकिशोर सिंह (शिवहर) : मैं मंत्री महोदय से कल उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

श्री अमंतराव देशमुख (वाशिम) : यदि आप सूची को देखें तो पता चलेगा कि बहुत से सदस्य बोलने का अवसर मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अत: यह चर्चा कल भी जारी रखी जा सकती है। अन्यथा सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा।...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम इसे जारी रखेंगे।

...(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मैं सदस्यों की भावनाओं से सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि हर एक माननीय सदस्य को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का और अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिले, लेकिन यदि माननीय सदस्यों का समय विनियमित किया जाता है जैसा कि आपने कृपा कर सुझाव दिया है, तो हम अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दे सकेंगे।

मैं अनावश्यक रूप से उनका समय कम करने के लिए नहीं कह रहा हूं अन्यथा यदि इसे कल के लिए ले जाया जाता है तो कल का कार्य प्रभावित होगा। अत: महोदय मेरा आप से अनुग्रह है कि सदस्यों से अपनी बात थोड़े समय में कहने का अनुरोध कीजिए ताकि हम इस वाद-विवाद को आज ही समाप्त कर सकें और कल दूसरा कार्य कर सकें।

. . . (व्यवधान) . . .

उपाध्यक्ष महोदय : हम सब इस वाद-विवाद में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। हर एक माननीय सदस्य को महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं। मेरा अनुरोध है कि हमें देर तक बैठ कर इसे समाप्त कर लेना चाहिए। मैं समय विनियमित करूंगा और यदि हर एक माननीय सदस्य लगभग दस मिनट का समय ले तो पीठासीन अधिकारी के लिए काफी आसानी रहेगी और हम सभा का कार्य भी पूरा कर सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामवीर सिंह : यह डिस्कशन में समय निकल गया। यह मेरा नहीं आ रहा है।...(व्यवधान)... उपाध्यक्ष जी, मैं शुरू करूं?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम एक काम करेंगे। श्री रेड्डी जी, श्री सिंह जी को अपना भाषण समाप्त करने दीजिए। उसके बाद आप जो कहना चाहते हैं, कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु (तेनाली) : महोदय, यह एक बहुत ही

महत्वपूर्ण विषय है। इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों की सूची बहुत लंबी है आरंभ में हर एक नेता ने 40 मिनट से एक घंटे का समय लिया है। यदि केवल उनके निवेदन के लिए छोटे दलों का समय कम करके पांच मिनट कर दिया जाए तो यह उचित नहीं होगा। अत: मेरा सुझाव है कि यदि आवश्यक हुआ तो इसे कल के लिए भी बढ़ा दिया जाए क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है इसलिए अन्य माननीय सदस्यों का समय कम करने का प्रश्न नहीं होगा।...(व्यवधान)...

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन : महोदय, उन्होंने जो कुछ कहा मैं उसका भरपूर समर्थन करता हूं।

. . . (व्यवधान) . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आरंभ से ही इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि हर एक माननीय सदस्य को केवल दस मिनट बोलना होगा। दस मिनट समाप्त होने पर घंटी बजेगी और माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त कर देंगे ताकि पीठासीन अधिकारी समय विनियमित कर सकें।

. . . (व्यवधान) . . .

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : इस बात पर जोर दिया गया है लेकिन इसे कार्यान्वित नहीं किया गया है।

. . . (व्यवधान) . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मान लीजिए दस मिनट बाद घंटी बजी और माननीय सदस्य ने उसका सम्मान नहीं किया, तो क्या होगा?

. . . (व्यवधान) . . .

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : महोदय, मेरा सुझाव है कि आप भावना का ध्यान रखें। हम इसे कल भी जारी रख सकते हैं।

. . . (व्यवधान) . . .

श्री नीतीश कुमार : महोदय, आप सभा की भावना को समझ सकते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए।...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : यदि श्री नीतीश कुमार के परामर्श को कार्यान्वित किया जाए तो मैं समझता हूं कि एक ही माननीय सदस्य पूरे दिन बोलेंगे। यह यहां से बाहर सम्मेलन आयोजित करने पर ही संभव है।

...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : महोदय, यह वाद-विवाद कृषि नीति पर है और इससे कृषकों के भाग्य का फैसला होगा।

...(व्यवधान)...

श्री भुपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : महोदय, राज्य सभा ने इस विषय के लिए चार घंटे का समय आवंटित किया है। राज्य सभा से हमारी संख्या दुगनी है अत: इस सभा को इस पर चर्चा करने के लिए कम से कम आठ घंटे की जरूरत है।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रावले जी, माननीय सदस्य श्री राजवीर सिंह माने नहीं हैं आप कैसे बोल सकते हैं?

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

डॉ. एस.पी. यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष जी, एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि राज्यसभा में आठ घंटे से ज्यादा बहस हुई, किराया कानून जो पास हो गया था, मकान मालिक किरायेदार वाला, उस पर इस हाउस को पश्चाताप करना पड़ा कि राष्ट्रपति के यहां चला गया है, उसको वापस लिया जाये, उसको वापस कीजिये। वह जल्दबाजी में पास हो गया था। जल्दबाजी में पास नहीं होना चाहिये। एग्रीकल्चर की जो पॉलिसी है, इतने लोगों से जुड़ी हुई है 74-75 करोड़ लोगों से।

श्री राजवीर सिंह : नहीं, 92 करोड़ लोगों से जुड़ी हुई है।

डॉ. एस.पी. यादव : मेरा आपसे निवेदन यह है शायद मंत्री जी को पता नहीं है कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या है?

श्री राजवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रासायनिक खादों के इस्तेमाल के बारे में कह रहा था कि इसको रोकना चाहिए। यह बहुत गंभीर मामला है। जैसे ड्रग एडिक्ट होता है, वैसे ही हम खाद एडिक्ट होते जा रहे हैं। यह चीज कृषि नीति में आनी चाहिए और रासायनिक खाद के स्थान पर बायो फर्टीलाइजर पर जोर दिया जाना चाहिए। इसी तरह से फसलों पर दवाइयों और खाद के इस्तेमाल को मैं यह नहीं कहता कि एकदम से रोक दिया जाना चाहिए, लेकिन धीरे-धीरे इनमें कमी की जानी चाहिए और प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। प्राचीन तौर-तरीकों की तरफ किसान को ले जाना चाहिए। आज जो दवाइयां छिड़की जा रही है, अमरीका में 240 इंसेक्टीसाइट्स, पेस्टीसाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है और वहां पर कारण बताया गया है कि इनके प्रयोग से स्वास्थ्य पर विपरीत असर हो रहा था, लेकिन हमारे यहां केवल 12-13 दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया गया है। दवाई छिड़कने के फौरन बाद सब्जी बाजार में बिकने के लिए आ जाती है और हम लोगों को पता नहीं होता और वह दवाई हमारे अंदर चली जाती है। आज आप देखिए कि 90 प्रतिशत लोग गैस्ट्रिक ट्रबल से पीड़ित है, अस्पतालों में बीमारों की लाईनें लगी हुई हैं। उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में क्या हम अपने देश के स्वास्थ्य को तबाह कर देंगे? इस बारे में हमारे वैज्ञानिकों को स्पष्ट राय देनी चाहिए। हमारे सामने तो वैज्ञानिक सही बात कह देते हैं, लेकिन मंत्री जी के सामने डर के मारे नहीं कहते कि कहीं हमारी नौकरी न चली जाए। राजा को यदि चीनी नुकसान दे रही है तो वैद्य का कर्तव्य है कि राजा को चीनी खाने के लिए मना करें। नहीं करेगा तो राजा की मौत हो जाएगी। यहां पर राजा मंत्री नहीं है, जनता है और आज देश की जनता मर रही है। पिछले दिनों एक साइंटिस्ट बता रहे थे कि यदि बाजार से फल लाएं

तो उसको पहले गर्म पानी में उबालें, इस तरह से पोंछ कर उसके बाद 3 दिन फ्रिज में रखें, फिर उसको खाएं। बेचारा गरीब क्या करेगा, उसको कौन बताएगा और वह कैसे यह सब कर सकेगा। इसलिए इस गंभीर विषय की तरफ शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए। कृषि वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं, उनको बुला कर इस पर विचार विमर्श कीजिए और इस विषय को कृषि नीति में शामिल कीजिए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। किसान को एजूकेट करने की आवश्यकता है। रेडियो और टेलीविजन पर एक अलग टीवी चैनल इसके लिए आवश्यक है। आज नित नए टीवी चैनल खुल रहे हैं, जिन पर नंगी फिल्में आ रही हैं, जिनको परिवार के साथ बैठ कर देखा नहीं जा सकता। तो क्या रेडियो और टीवी पर एक कृषि चैनल नहीं खोला जा सकता, जिस पर किसान जब चाहे जानकारी प्राप्त कर सकें। इस विषय में सूचना एवं प्रसारण मंत्री से बात करिए और इस चीज को करवाइए। इस बात को भी कृषि नीति में रखिए।

जहां तक खाद्य प्रसंस्करण की बात है, इसका विभाग अलग है। इसके लिए मल्टी नेशनल कंपनीज को लाइसेंस दिए जा रहे हैं। पहले पेप्सी कोला को लाइसेंस दिया गया था और कहा गया था कि इसमें कोई सांठगांठ या लेनदेन की बात नहीं, बल्कि मटीनेशनल कंपनी को लाइसेंस इसलिए दिया गया है कि हमारे किसान के टमाटर, गोभी, आलू, शलजम, मूली तथा फल आदि डिब्बा बंद होकर विदेशों में जाएंगे। 1986 से 1995 तक 9 साल हो गए हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि कितना प्रिजर्वेशन पेप्सी कोला द्वारा किया गया और कितना एक्सपोर्ट किया गया। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने यह भी कहा था कि प्रत्येक जिले में प्रोसैसिंग सैंटर और शिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। आज तक एक भी केंद्र किसी जिले में नहीं खोला गया। लिखने भर से नीति नहीं बन जाती है, उस पर अमल भी होना चाहिए था। आज किसान के साथ अन्याय हो रहा है, उसको धोखा दिया जा रहा है। बासमती चावल का एक्सपोर्ट पेप्सीकोला कर रही है, जिसकी विदेशी मुद्रा अमरीका को जा रही है, सारा मुनाफा अमरीका को जा रहा है। यदि हमारी सरकार बासमती चावल का निर्यात करती तो यह मुनाफा हमारे देश को मिलता। मल्टीनेशनल के एक्सपोर्ट को बासमती राइस में बदलने की क्या जरूरत थी, जबकि बासमती राइस हाथ जोड़कर विदेशों में मांगा जाता है।

इसके लिए किसी नो हो की आवश्यकता नहीं थी मगर ले लिया गया है। क्योंकि सांठ-गांठ हुई है, क्या हुआ है, खुदा जाने। यह रोका जाना चाहिए और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को इस पर लगाम लगानी चाहिए। अब समय आ गया है कृषि मंत्री जी जब हमें कृषि नीति बनाते समय भूमि-सुधारों पर विचार करना होगा। इस समय से अच्छा समय और कोई नहीं हो सकता। इसके लिए हम देश के विद्वानों को बुलाएं कि इसके लिए क्या होना चाहिए, कितनी खेती होनी चाहिए, कैसे उसमें सुधार होने चाहिए। हमारे भूमि-सुधारों में गड़बड़ी है। जरा-जरा सी बातों में झगड़े हो रहे हैं।

हमारे मंत्री जी ने बात उठाई थी कि औद्योगिक घरानों को जमीन कितनी दी जाए और कितनी वह खरीद रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जो कृषि योग्य भूमि है उस पर उद्योग नहीं लगना चाहिए। हमारे देश में परती भूमि बहुत है और हम उसे कृषि योग्य बनाने की स्थिति में नहीं है। मेरा कहना यह है कि नये उद्योगों को उसी परती भूमि पर उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस दिया जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? नया उद्योग अब गुड़गांवा में लगेगा, नया उद्योग अब बरेली में बनेगा और हमने इसकी सिफारिश भी की है। समिति के समक्ष मारूति उद्योग का भी उदाहरण लाया गया है। दूसरा उदाहरण हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची का है। जिसकी दो हजार एकड़ भूमि में से 500-600 एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। इसे किसी भी काम में नहीं लिया जा रहा है। बरेली में भी एक रबड़ फैक्टरी के पास सैकड़ों एकड़ भूमि है जिस पर कुछ नहीं हो रहा है और जो कृषि योग्य भूमि है। अब उस भूमि में कारखाना भी खड़ा कर लिया गया है, फिर भी काफी बड़ी तादाद में कृषि योग्य भूमि उसके पास खाली पड़ी हुई है। मेरा आग्रह है कि इस भूमि को वापिस लिया जाए। अभी भी 51 मिलियन हैक्टेयर भूमि बेकार पड़ी हुई है। इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि आपका विभाग ही अलग है ऊसर सुधार महकमा ही अलग है। उसका आपसे कोई मतलब ही नहीं है। आखिर आप मंत्री बने ही किसलिए हैं? मैं आपकी जगह होता तो इस्तीफा दे देता। इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। आप किसानों की सहायता करने जा रहे हैं लेकिन आपके पास ऊसर भूमि नहीं है, उसके पास फर्टिलाइजर नहीं है, आपके पास कैमिकल्स नहीं है। आपके पास है क्या? जल-संसाधन आपके पास नहीं है। आपके पास सिवाए सद्भावना के कुछ भी नहीं है।

5.42 म.प.

[श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए]

सभापति महोदय : कितना समय और लेंगे आप?

श्री राजवीर सिंह : जितना आप बोले थे उससे कम बोलेंगे।

सभापति महोदय : उतना आप बोल चुके हैं।

श्री राजवीर सिंह : सभापति जी, आप तो किसान हैं, आप तो हमसे हमदर्दी रखेंगे। पानी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पानी के ऊपर अब तक आपका 45 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ है और कुल 16 मिलियन हैक्टेयर में सिंचाई हो रही है। कुल 33 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और कुल 16 मिलियन हैक्टेयर में सिंचाई हो रही है। कुल 33 प्रतिशत में सिंचाई हो रही है और 67 प्रतिशत भूमि बिना सिंचित पड़ी है। 50 वर्ष में 45 हजार करोड़ रुपया खर्च करके भी खेत प्यासे के प्यासे हैं। 67 प्रतिशत खेत आज भी सिंचित नहीं है। यह आंकड़े तो आपके हैं और कहीं कोई प्राइवेट कंपनी के आंकड़े

इसके बारे में मिल गये तो मुझे यकीन है वह बहुत ही भयावह होंगे। अब आप वाटर रिसोर्सिज का, जल प्रबंधन का क्या करेंगे? अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जैसा हमारे माननीय सभापति नीतीश जो बोल रहे थे और अन्ना हजारे का जिक्र कर रहे थे।

हम उनकी काबलियत और त्याग-तपस्या पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। आप उसे माडल बनाइये और गांव-गांव में भेजिये। मुझे उस गांव में जाकर आश्चर्य हुआ। वह गांव स्वर्ग हो गया है। वह प्राचीन काल के भारत जैसा दिखायी देने लगा है। जैसे प्राचीन काल में हम घरों में ताले नहीं लगाते थे, वहां भी ताले नहीं लगाये जाते हैं। वहां एक मंदिर है जिस में सोने की मूर्ति है। वहां ताला नहीं लगाया जाता है। वह अन्ना हजारे का गांव है। वहां कोई चोरी नहीं होती। वहां कोई मुकदमा थाने और कचहरी में नहीं जाता। कोई पुलिस वाले वहां नहीं जाते। मुझे डर है कि कहीं आपकी उस पर दृष्टि न पड़ जाये। अगर आपकी दृष्टि पड़ गई तो गड़बड़ हो जायेगा।

मैं 1-2 बातें कह कर खत्म कर दूंगा। आज एग्रीकल्चर पर कितना इनवैस्टमेंट हो रहा है? आप कृषि को उद्योग का दर्जा देने की बात करते हैं लेकिन इनवैस्टमेंट दूसरे कामों पर कर रहे हैं। आज 70 परसैंट लोग खेती करते हैं और 92 करोड़ लोगों का पेट भरते है। उस पर इनवैस्टमेंट न के बराबर है। आपको इसके लिए कुछ करना चाहिये। कृषि नीति में यह बात आनी चाहिये...(व्यवधान)

92 करोड़ के मुल्क में 370 मिलियन मवेशी हैं। पशुओं की भी जान होती है। उनके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। पशु हमारी कृषि की रीढ़ की हड्डी है। आज पशु कम हो रहे हैं। इसी कारण खाद कम हो रही है। पशुओं का पेशाब और गोबर दोनों खेती के लिए अमृत है। आप उस पर ध्यान दीजिये और अपनी नीति में यह कहिये कि पशु मांस का निर्यात डालर कमाने के लिये नहीं किया जायेगा, पशु अगर मरेगा तो खेत के खूंटे पर ही मरेगा, उसकी खाद आखिर तक मिलेगी। आज पशु मांस का निर्यात करने के चक्कर में अच्छे जानवरों का कत्ल होता जा रहा है। 50 रूपये डाक्टर को देने पर वह कह देता है कि यह पशु कटने लायक है। बहुत खतरनाक बात हो रही है। आप इसको रोकें।

तिलहन और दलहन की बात आ गई। मैं अपने वैज्ञानिकों से अपील करना चाहता हूं कि वे ऐसी वैराइटी रिसर्च करके लाये जिसमें कम पानी की जरूरत पड़े। आज दालों का क्यों अभाव होता जा रहा है? आज चने की दाल क्यों महंगी होती जा रही है? पहले चना आम गरीब आदमी खाता था और गेहूं रईस आदमी खाता था। आज उल्टा हो गया है। अब चना रईस खाता है और गेहूं आम आदमी खाता है। पहले चना ज्यादा इसलिये पैदा होता था हमारे पास वैसे फर्टिलाइजर नहीं थे जिस में अधिक पानी लगता था आज हर खेत में चना बेकार हो रहा है। आप उस इलाके को बांटिये जहां चना पैदा होता है।

आप परिवार नियोजन पर अरबों रूपया खर्च करते हैं। आपने चौराहों में घड़ियां लगा दी है। क्या ऐग्रीकल्चर की प्लानिंग कभी होगी? क्या आपने कभी इस बात का असैसमेंट किया है कि देश को कितना गेहूं, चावल, गन्ना, दालें और सब्जियां चाहिये? मैं कानून बनाकर इस बात को नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं इसके विरोध में हूं। इसके लिए किसान को ऐजुकेट करना पड़ेगा। इससे आपका और किसान दोनों का भला होगा। कई बार चीनी विदेशों से इसलिये मंगानी पड़ती है कि गन्ना पैदा नहीं होता है। आप ऐग्रीकल्चर मैनेजमेंट के लिये योजना बनाइये और उसके हिसाब से किसानों को ऐजुकेट कीजिए। रेडियो और टेलिविजन पर एक चैनल देकर किसानों को ऐजुकेट किया जा सकता है और इसका प्रचार किया जा सकता है। उसमें कृषि वैज्ञानिकों और भूमि जोतने वाले किसानों को लाया जाये, भले ही उसे अंग्रेजी बोलनी न आती हो, लेकिन वे बोले। मुझे बहुत दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि कृषि पर जितने भी रिसर्च हुए हैं, वे खेती करने वाले की भाषा में नहीं छपे।

रीजनल भाषाओं में साहित्य नहीं छप रहा है। कृषि भवन, कृषि मंत्रालय की लाईब्रेरी में अंग्रेजी भाषा का साहित्य भरा पड़ा है लेकिन उसका अनुवाद नहीं होता है। भारत का किसान अंग्रेजी जानता है? मैं चाहता हूं कि उस साहित्य का रीजनल लैंग्वेज में अनुवाद कराईये। क्या इस देश में रीजनल लैंग्वेज में ऑरिजिनल लिट्रेचर नहीं लिखा जा सकता है।

सभापति महोदय, अभी मैं आईसीएआर का सदस्य था। वहां एक मीटिंग में गया तो देखा कि सारे लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। मैं गया तो था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मीटिंग में, लेकिन ऐसा लगा कि इंग्लैंड की किसी परिषद की बैठक में गया हुआ हूं। मंत्री जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केरल के एक सज्जन बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे थे। ऐसा नहीं कि सभी लोग हिंदी नहीं जानते हैं। नहीं, वे बोलना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि एक दूसरे दर्जे के आफिसर्स है। सब को हिन्दी में बोलना चाहिए।...(व्यवधान)... मैं तो चाहता हूं कि क्षेत्रीय भाषा में साहित्य मिले। ऐसा मालूम होता है कि वे अंग्रेजी की मानसिकता की दासता से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाये हैं।

सभापति महोदय, मेरे पास कहने को तो बहुत सी बातें है लेकिन समय की सीमा है। फिर हम लोगों ने जो बातें उठायी हैं, यदि इनको ही मंत्री जी ने अपनी कृषि नीति के मसौदे में स्थान दिया तो इसका फायदा होगा। जो इन्होंने ड्राफ्ट बनाया हुआ है, उसे रद्दी की टोकरी में फैंक दे। इसके अलावा कृषि की स्थायी समिति ने जो प्रयास करके रिपोर्ट दी है यदि इसको एज ईट ईज स्वीकार कर लें तो इसमें आपका और सारे देश और किसानों का भला होगा। आप हिम्मत के साथ इन सब मंत्रालयों पर कब्जा करें लेकिन मुझे डर लग रहा है कि आपकी स्थिति अजीब हो गयी है - अरबा सत्ता ज्यों का त्यों, सारा कुनबा डूबा क्यों? इस बारे में एक वाकया याद आता है कि एक विद्वान थे

जिनको अपने परिवार के साथ नदी पार करनी थी क्योंकि उस पर कोई पुल नहीं था तो उन्होंने पहले स्वयं को नापा, फिर पत्नी को और फिर बच्चों को नापा। और सब अनुमान लगाने पर बोले कि सब निकल जायेंगे। इसलिए आ जाओ और पार कर लें लेकिन पानी में उतरते ही सब के सब डूब गये। इसलिये कहा कि अरबा सत्ता ज्यों का त्यों, सारा कुनबा डूब क्यों। आपकी भी वही स्थिति है। गिनती तो आपकी सही है, आंकड़े सभी है लेकिन किसान पीछे क्यों है? उसकी गरीबी दूर क्यों नहीं हो रही है? आप ईमानदारी से इन सब बातों को अमल में लाये तो किसान का हित होगा और तब मैं आपको साधुवाद दूंगा।

श्री भुपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वे ये पालिसी यहां लेकर आये और यह मेरा सौभाग्य है कि इस कृषि पालिसी पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है।

सभापति महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां पर मेरे बहुत सारे साथी जो बातें बोलें हैं, मैं सारी बातों में से इस बात के लिये सहमत हूं कि इस पालिसी को यहां लेकर आने से काम नहीं चलेगा लेकिन इस बात के लिए बधाई दूंगा कि इन्होंने इस पालिसी को लेकर जो कदम उठाया है, मंजिल तक भी ये पहुंचाने का काम करेंगे। कृषि भारत का ऐतिहासिक और परम्परागत पेशा है जिसमें 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग लगे हुये हैं। यदि कृषि के इस इतिहास में पं. जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और चौ. चरण सिंह का उल्लेख न करें तो कृषि का विकास का इतिहास पूरा नहीं होगा।

1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था -

[अनुवाद]

हर चीज इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं।

[हिन्दी]

चौधरी चरण सिंह ने अपनी किताब 'द इकोनोमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया' में कहा कि - "यदि हमारी निवेश संबंधी प्राथमिकताएं समुचित होती तो हमारी अर्थव्यवस्था का विकास कई गुणा तेजी से हुआ होता।"

[हिन्दी]

ये सार है इस नीति की सारी बातों को जो मंत्री जी लेकर आए है। उनका भी यही मंतलब है कि ऐग्रीकल्चर सैक्टर में जो इन्वेस्टमैंट हुआ है वह जितना होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ और नतीजा यह हुआ कि वित्तीय आवंटन में भारतीय कृषि औद्योगिक क्षेत्र से पिछड़ गई है। शहरी लोगों और उद्योगपतियों की मिलीभगत से कृषि को नुकसान हुआ है।

[हिन्दी]

कृषि नीति में मंत्री जी ने बहुत सी चुनौतियों की चर्चा मुख्य रूप से की है जिनका मुकाबला हमें करना है। 17 चैलेन्जेज इन्होंने बताए हैं और मुख्य रूप से उसमें कृषि में निवेश, कृषि क्रेडिट, कृषि मूल्य नीति, कृषि उत्पादनों का निर्यात, किसानों को खाद, बिजली तथा सिंचाई के साधन कम कीमत पर उपलब्ध कराना शामिल है। यदि आज हम इन मुद्दों पर दूरगामी परिणामों को समझकर पूरी तरह से फैसला नहीं ले पाए तो जो हमारी लिबरलाइजेशन की पालिसी है, उससे किसानों को फायदा होने के बजाय बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। देश की खाद्य नीति में भी आज काफी कनफ्यूजन है। फूड और सिविल सप्लाइज मिनिस्ट्री में चार सैक्रेटरी हैं। शायद उनको भी यह पता नहीं है कि किस विषय में उनको निर्णय लेना है।

इस प्रारूप में सबसे अहम मुद्दा सिंचाई का है। पानी का जहां तक सवाल है, आने वाले समय में जिस प्रकार से पानी की कीमत दी जा रही है, हमारे लिए एक बूंद भी सोने से महंगा होने जा रहा है और उसके बारे में अगर आज हम गंभीरता से विचार नहीं करेंगे तो कितनी ही ड्राफ्ट पालिसी आप लाएं, कितना ही करें, हमारे कृषि क्षेत्र में कोई विकास होने वाला नहीं है। मेरा कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि

[अनुवाद]

जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति होना चाहिए।

[हिन्दी]

और उसका मैनेजमैंट एक राष्ट्र द्वारा होना चाहिए। मेरे साथियों ने बोलते हुए चर्चा की कि पंजाब और हरियाणा सरप्लस अनाज पैदा करता है। उसका एक ही कारण है कि 1946 में चौधरी छोटू राम ने भाखड़ा डैम की कल्पना की और हरियाणा पूरे देश का पेट भरने में समर्थ है। जहां तक वॉटर मैनेजमैंट का सवाल है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जितना पानी सर्फेस इर्रीगेशन से हम प्रयोग करते हैं, उसका 10 प्रतिशत पानी हमारे पौधों के लिए उपयोग होता है और 90 प्रतिशत पानी व्यर्थ जाता है। सरफेस इर्रीगेशन कैनाल्स हमने बना दी लेकिन सब सॉइल ड्रेनेज व्यवस्था नहीं बनायी जिससे पानी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो सके। ड्रिप इर्रीगेशन जो आज से कई साल पहले आना चाहिए था, हमारे कृषि मंत्री जी ने 50 प्रतिशत सब्सिडी भी उस पर दी है, अब भी कितना ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल किया जाए वही हमारे हित में होगा। आज पंजाब-हरियाणा में पानी का झगड़ा है। हर दो राज्यों में यह है। अगर वॉटर मैनेजमैंट ठीक हो तो पंजाब-हरियाणा का झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। आज पानी का इक्वीटेबल डिस्ट्रिब्यूशन नहीं है चाहे वह पंजाब-हरियाणा का झगड़ा हो, चाहे हरियाणा के अंदर अपने इलाकों का झगड़ा हो। हरियाणा के अंदर 20 प्रतिशत जनसंख्या को और 30 प्रतिशत एरिया को 70 प्रतिशत से ज्यादा पानी उपलब्ध है।

6.00 म.च.

और 80 परसैंट जनसंख्या और 70 परसैंट एरिया को 30 परसैंट पानी उपलब्ध है। यह पानी का बंटवारा है। वाटर मैनेजमैंट द्वारा ही

इसका समाधान निकाला जा सकता है। अब तक 25 हजार करोड़ रूपया हमने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाया जिसके द्वारा 16 मिलियन हैक्टेयर पोटेंसियल तैयार किया। लेकिन 6 मिलियन हैक्टेयर पोटेंसियल अभी तक हमने यूटिलाइज नहीं किया। इरिगेशन जिस जमीन में है वहां एक हैक्टेयर में 4 से 5 टन फूड ग्रेन पैदा हो सकता है लेकिन आज हमारा एवरेज 1.7 टन फूड ग्रेन का है और 7 मलियन हैक्टेयर जमीन वाटर लोगिंग से या सैलेनाइजेशन की वजह से खराब हो गई है। मैं साइंटिस्टों का विचार बता रहा हूं। पंजाब में जो धरती आज सोना उगल रही है, अगर इसी तरह वाटर लोगिंग होता रहा तो 10 साल के बाद उसमें कुछ भी पैदा होने वाला नहीं है। इसलिए वाटर मैनेजमेंट एक अहम मुद्दा है। हमारे देश में जितनी जमीन पर कृषि हो सकती है उसका 33 परसेंट एरिया आज तक इरिगेटेड एरिया है। 1949-50 में यह इरिगेटेड एरिया 17.8 प्रतिशत था और 1990 तक 33 परसेंट तक पहुंचा है। इतने वर्षों में 15 परसेंट एरिया ही बढ़ा है। अगर यही चलता रहा तो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए फूड ग्रेन का जो टार्गेट है वह पूरा नहीं हो सकेगा।

प्रतापराव जी भोंसले जी ने जिक्र किया और सभापति जी, आपने भी जिक्र किया उसका मायना एक ही है। उन्होंने अपने तरीके से कहा और आपने अपने तरीके से कहा लेकिन वही असलियत है। उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम की बात की और कहा कि किसान को यह सर्विस मिलनी चाहिए। आपने भी कहा। जहां तक मेरा मानना है सिंगल विंडो सर्विस तभी कामयाब हो सकती है जब यह सिस्टम आपके मंत्रालय का होगा।

सभापति महोदय : 6 बज रहे हैं, आपकी अनुमति हो तो समय बढ़ाया जाए।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग - अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : आज हमने यह व्यवस्था की है इस चर्चा को पूरा किया जाए और इस पर उत्तर दिए जाएं। अत: आज आप सभा में समय को एक घंटे और बढ़ा दें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : यह बड़ा इंपोर्टेंट इश्यू है, इस पर समय बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय : बोलने वाले 25 है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : कम से कम एक घंटा तो बढ़ाया ही जाए।

[अनुवाद]

श्री एम. आर. कादम्बु जनार्दनन : महोदय, मैं सुबह से प्रतीक्षा कर रहा हूं।

सभापति महोदय : आप को अवसर मिलेगा।

श्री एम.आर. कादम्बु जनार्दनन : आप हमारी पार्टी से किसी को नहीं बुला रहे हैं जबकि आप दूसरी पार्टियों के सदस्यों को नाम लेकर बुला रहे हैं।

सभापति महोदय : सूची के आधार पर नामों को बुलाया गया है। जब आप का नंबर आएगा तो मैं आपका पुकारूंगा। कृपया आप चिंता न करें और नाराज न हों। आप को अवसर दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : सभापति जी, मैं कह रहा था कि सिंगल विंडो तभी कामयाब हो सकती है जब कृषि मंत्रालय के पास यह स्कीम हो।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : वे जल्दी से कन्क्लूड करना चाहते हैं। उनको अपनी बात समाप्त करने दें। आपने स्वयं ने कहा था कि यह महत्वपूर्ण मामला है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सदन का समय 7.00 बजे तक बढ़ा दिया गया है और चेयर से कहा जा चुका है।...(व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मेरा मत है कि आज कृषि मंत्रालय के अंतर्गत जितने विभाग हैं, अन्य विभागों से अलग होकर उनके जरिये कृषि का पूरी तरह विकास नहीं हो सकता, चाहे वह वाटर रिसोर्सेज हो, रूरल डैवलपमेंट हो या फर्टिलाईजर हो। जब तक केन्द्र सरकार में इंटीग्रेटिड सिंगल विंडो सिस्टम नहीं बनेगा, कृषि का विकास इतना आसान नहीं है।

कृषि मंत्री जी सदन में जो मुद्दे लाये हैं, वे ठीक हैं और उनका समाधान इंटीग्रेटिड तरीके से हो सकता है। जहां तक फर्टिलाईजर का सवाल है, उस पर मिलने वाली सब्सिडी का सवाल है, जुलाई, 1991 के बाद, जब से फर्टिलाईजर पर सब्सिडी विदड्रा करने की बात कही गयी है, फर्टिलाईजर की कीमतों में 236 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है। जो डी.ए.वी. खाद का बैग पहले 180 रूपये में मिलता था, आज उसके दाम बढ़कर 450 रूपये प्रति बैग हो गये हैं। यूरिया के दामों में 60 परसेंट की वृद्धि हुई है। उसका एक बोरा पहले 108 रूपये में मिलता था लेकिन आज वही बैग 175 रुपये में मिलता है। इसका प्रभाव हमारी कृषि पर पड़ा है और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो किसान एक किलो, फर्टिलाईजर इस्तेमाल करता है, उसके बदले साढ़े सात किलो फूडग्रेन पैदा होता है। यही कारण है कि हमने जो 195 मिलियन टन खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य रखा था, उसके अगेन्स्ट हम केवल 185 मिलियन खाद्यान्न उत्पादन कर ही स्टैग्नैंट हो गये हैं।

इसके साथ-साथ जहां तक रूरल कम्पोस्ट की बात है, जैसा अभी राजवीर सिंह जी ने कहा, हमारे देश में कुल 650 मिलियन टन रूरल

कम्पोस्ट उपलब्ध है, जिसमें से 263 मिलियन टन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। इसके अलावा अर्बन कम्पोस्ट हमारे पास 16 मिलियन टन उपलब्ध है, जिसमें से हम केवल 6 मिलियन टन का इस्तेमाल ही कर रहे हैं। यदि फर्टिलाईजर का पूरा प्रोडक्शन हो और उसकी डिलीवरी समय पर किसान को की जाये तो किसान को काफी लाभ हो सकता है। आवश्यकता के समय खाद न मिलने की समस्या आज हमारे सामने है और उसका समाधान इतना आसान नहीं है।

जहां तक विभिन्न जिन्सों के रैम्यूनरेटिव प्राईस की बात कही गयी, कृषि मंत्री जी ने 25 कमोडिटीज की मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स की है और हर कमोडिटी की प्राइस उन्होंने फिक्स करने की कोशिश की है लेकिन यह भी सत्य है कि इस सरकार के समय में और कृषि मंत्री जी के समय में जितना ज्यादा रैम्यूनरेटिव प्राइस किसानों को मिला है, उतना पहले कभी नहीं बढ़ाया गया। इस सबके बावजूद, जब पूरे देश के किसानों में चर्चा होती है तो वे कहते है कि 40 रुपये से लेकर 50 रूपये हर साल रैम्यूनरेटिव प्राइस बढ़ रही है लेकिन किसानों का लिविंग स्टैन्डर्ड पहले से भी ज्यादा बदतर होता जा रहा है क्योंकि रीयल टर्म्स में किसान को उसका फायदा नहीं हो रहा है। यदि 1980-81 के आंकड़ों से तुलना करके देखा जाये तो उस समय किसान को किसी जिंस के दाम यदि 100 रूपये क्विंटल मिलते थे तो आज वे घटकर 60 रूपये रह गयी है यानि 1980-81 की तुलना में उसकी आमदनी 100 रूपये से घटकर आज 60 रूपये रह गयी है। इसके कई कारण हैं।

यहां रूरल क्रेडिट की बात कही गयी। इंदिरा जी ने अपने समय में देश में बैंकों को नेशनेलाइज किया था। राजीव गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री और चौधरी चरण सिंह का भी इसमें बड़ा योगदान रहा है। इंदिरा गांधी जी के जमाने में बैंकों को नेशनेलाइज करने के साथ-साथ प्रियोरिटी सैक्टर भी फिक्स किया गया और उसमें से 18 प्रतिशत कृषि के लिये ईयरमार्क हुआ लेकिन आज वह घटकर 11 परसेंट रह गया है। आज रूरल बैंकों को मर्ज करने की चर्चा इस देश में चल रही है। जब रूरल बैंक बने थे तो वे कोई लाभ कमाने के लिये नहीं बने थे।

सभापति महोदय, वे तो कृषि क्षेत्र में, कृषि को मदद देने के लिए बने थे। यदि आज सब्सिडी जिस रूप में है वह विथड्रा कर दी जाए, तो गेहूं के दाम पर हरियाणा में 51 प्रतिशत किसान की ज्यादा लागत लगेगी और पंजाब में 34 प्रतिशत ज्यादा लागत आएगी। धान की लागत बंगाल में 56 प्रतिशत ज्यादा हो जाएगी और पंजाब में 21 प्रतिशत बढ़ जाएगी और जो गेहूं चार रूपए किलो बिक रहा है वह सब्सिडी विथड्रा होने के बाद आठ रूपये किलो में भी उपलब्ध नहीं होगा। अगर ऐसी स्थिति हो गई, तो लोग गेहूं नहीं खरीद सकेंगे और उनको भूखे ही सोना पड़ेगा।

सभापति महोदय, रूरल क्रेडिट की बात हो रही थी। मैं बताना चाहता हूं कि आज भारत में किसान को, जितनी भी बैंक या कोआपरेटिव संस्थाएं या अन्य संस्थाएं है जिनसे किसानों को, ग्रामीणों को ऋण दिया जाता है वह उनकी जरूरत का कुल 35 प्रतिशत है। बाकी 65 प्रतिशत ऋण ये लोग किसान साहूकारों से चार या पांच रूपए सैकड़े की दर पर ब्याज से रूपया लेते हैं। आज स्थिति यह है जब कि नैशनल इंकम वाले कृषि क्षेत्र के लिए कृषि क्षेत्र से 35 प्रतिशत है और इंडस्ट्री की नैशनल इंकम 20 प्रतिशत है, यानी 20 प्रतिशत वाली इंडस्ट्री को तो ऋण 35 प्रतिशत दिया जाता है और 35 प्रतिशत इंकम होती है उसके लिए 18 प्रतिशत ऋण फिक्स कर रखा है जबकि मिलता 11 प्रतिशत से भी कम है। जब यह स्थिति है, तो देश का भला कैसे होगा? इसलिए ये सब बातें देखने की हैं।

सभापति महोदय, यहां पर चर्चा की गई काम्प्रीहेंसिव क्राप इंश्योरेंस की और जो स्थिति उसके बारे में हमारे साथी श्री प्रतापराव बी. भौंसले बोल रहे थे, उन्होंने बताई थी, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि आज हमारे देश में जो क्राप इंश्योरेंस स्कीम है, वह इंश्योरेंस की नहीं बल्कि लोन रिकवरी की स्कीम है इस बारे में एक स्कीम पूरे कई साल से कंसीडरेशन है, उस पर अमल किया जाए। सारी क्राप के लिए वह हो और उसकी जो यूनिट है वह विलेज या रैवेन्यू सर्किल माना जाए, तहसील या डिस्ट्रिक्ट नहीं। यह जल्दी किया जाए।

सभापति महोदय, अभी एक्सपोर्ट की चर्चा आई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की दुनिया में जो कम्युनिकेशन के साधन हैं, वे इतने बढ़ गए हैं कि दुनिया छोटी हो गई है। कृषि का एक्सपोर्ट हो सकता है। उससे बहुत ज्यादा आय इस देश को हो सकती है, लेकिन देश का एक्सपोर्ट तो 1950 में जितना था, ऐग्रीकल्चर और अलाइड प्रोडक्टस में उसका 95 प्रतिशत हिस्सा था। आज वह हिस्सा घट गया है। अभी 15 हजार करोड़ रुपए हमें इन्फ्रास्ट्रक्चर को बनाने में लगेंगे, तब हम इस देश में जितना फ्रूट और वेजीटेबल पैदा होता है, उसके सिर्फ 25 प्रतिशत भाग को ही प्रोसेस्ड करके बाहर भेज सकने की स्थिति में आएंगे। उसके एक्सपोर्ट का असली फायदा किसान को पहुंचता है या नहीं, यह भी कृषि नीति में शामिल होना चाहिए। आज चाहे गेहूं का एक्सपोर्ट हो, चाहे प्रोसैस्ड फूड का या बासमती चावल का एक्सपोर्ट हो, किसान को यानी उत्पादक को उसका फायदा नहीं मिलता है। जो बीच में है उन्हीं को लाभ होता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि नीति में ऐसा प्रावधान किया जाए कि एक्सपोर्ट का सीधा फायदा किसान को होना चाहिए। आज बासमती चावल इंटरनैशनल मार्केट में 4 हजार रुपए प्रति क्विंटल है और किसान को वहां मुश्किल से एक हजार या ग्यारह सौ रुपए प्रति क्विंटल के दाम मिलते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बीच का मुनाफा काटकर सीधा किसान को फायदा पहुंचे, ऐसा काम किया जाए।

सभापति महोदय : अब आप कन्क्लूड करिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : सभापति जी, जब आप भाषण कर रहे थे, तो आप ने कहा कि यह विषय बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए इसमें तो समय लगेगा ही अब आप वही हमारे ऊपर भी लागू करेंगे, तो काम कैसे चलेगा मैं तो जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा।

सभापति महोदय : क्या हाउस ने मेरी बात को मान लिया था?

सभापति महोदय : मैं अभी चेयर पर हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अब मैं आपकी जगह पर हूं।

सभापति महोदय : एक घंटे के लिए समय बढ़ाया है। अगर आप कृपा करके थोड़ा कम बोलें तो और माननीय सदस्य बोल लेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैं रेलेवैंट प्वाइंट बोल रहा हूं। मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा। मैं एग्रीकल्चर एजुकेशन तथा रिसर्च पर चर्चा कर रहा था। जैसा हमारे साथियों ने कहा है कि जो एग्रीकल्चर का टोटल जीडीपी है, उस पर 0.3 खर्च होता है जबकि स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमैंड कर रखा है कि उस पर कम से कम 1 प्रतिशत खर्च होना चाहिये। अगर रिसर्च एजुकेशन पर खर्च नहीं करेंगे तो आगे हम अच्छे बीज नहीं पैदा कर पायेंगे। सबसे अहम मुद्दा एक और है, जो महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि जब तक गांव में पूंजी का निवेश नहीं होगा, तब तक उस देश का व इस देश के देहात का विकास नहीं हो सकता। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस में लगातार कमी आ रही है पब्लिक सैक्टर कैपिटल फार्मेशन जो एग्रीकल्चर में है, उसमें 1980 के बाद से लगातार कमी आती जा रही है। 1980-81 में कैपिटल फार्मेशन 1892 करोड़ रुपए थे जबकि 1990-91 में वह 1313 करोड़ रुपए रह गया। पब्लिक इन्वैस्टमैंट कम हुआ है। वह चाहे लिंक रोड्स पर हो, चाहे केनाल सिस्टम में हो, चाहे रूरल पावर सप्लाई में हो। इसी वजह से प्राइवेट इन्वैस्टमैंट भी कम हो रहे हैं। पिछले दो-तीन साल से प्राइवेट इन्वेस्टमैंट में वृद्धि आयी है लेकिन जब तक पब्लिक इन्वेस्टमैंट पूरी तरह से नहीं लाया जायेगा तब तक प्राइवेट इन्वेस्टमैंट भी नहीं आयेंगे। यही कारण है कि अगर आप आज आकलन करें तो उसका सबसे बड़ा आंकड़ा पर कैपिटा इंकम के साथ हो सकता है। आज अगर एग्रीकल्चर से पर कैपिटा इंकम देखें तो 1988-89 में 420.7 था और नॉन एग्रीकल्चर में देखें तो परकैपिटा 1988-89 में 1783 था। 1970-71 में डिस्पैरटी रेशियों 1-2.2 था जो आज बढ़कर 1-4.2 हो गया। एग्रीकल्चर में जो पर कैपिटा इंकम है, वह पूरी तरह से घट रहा है और दूसरों का बढ़ रहा है।

तीसरी बात मेकनाइजेशन की है। अगर आप आज टर्म ऑफ ट्रेड का हिसाब लगायें तो वह एग्रीकल्चर के हित में नहीं है। आज से 20 साल पहले थोड़ा सा गेहूं बेचने पर किसान छोटा सा ट्रैक्टर खरीद सकता था लेकिन आज 10 गुना फालतू गेहूं बेचेगा तब उसको लायेगा। हमारी होल्डिंग बहुत कम हो गयी है। उसके हिसाब से आप एग्रीकल्चर मशीनरी और इम्पलीमैंटस नहीं लायें। मैं साउथ कोरिया और जापान गया था वहां आधे एकड़ के लिए छोटे-छोटे ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर इम्पलीमैंटस उपलब्ध थे, हमारी फ्रैगमैनटेशन छोटी हो गयी, होल्डिंग कम हो गयी। जब तक उस किस्म के एग्रीकल्चर इम्पलीमैंटस, ट्रैक्टर्स और अन्य चीजें नहीं लायेंगे तब तक हम डेवलप नहीं करेंगे, हम कामयाब नहीं होंगे। कुछ बातें मैंने आपको कहनी हैं। सिंगल विंडो सिस्टम ऊपर से नीचे तक होगा।

सभापति महोदय : रिपीट करने की जरूरत नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि कृषि मंत्री जी आये हैं। इनकी तरफ पूरा देश देख रहा है।

सभापति महोदय : आपकी तरफ पूरा सदन देख रहा है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : धन्यवाद। आज भी आप कृषि का विकास नहीं कर सकें जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी किसान के बेटे हैं, हमारे कृषि मंत्री जी किसान के बेटे हैं, हमारे फूड मंत्री जी किसान के बेटे हैं, हमारे स्पीकर साहब किसान के बेटे हैं और चेयरमैन साहब किसान के बेटे हैं।

मैं समझता हूं कि यह समय है जब ऐसी नीति लाई जाए। मैंने टोटल आठटलें प्लान में इर्रीगेशन की चर्चा की। यदि आप फस्ट फाइव ईयर प्लान देखें तो टोटल आठटले प्लान का 28.1 प्रतिशत इर्रीगेशन के लिए ऐलॉट था और आज 7 या 8 प्रतिशत है। पूरी कृषि के लिए जब तक 40 प्रतिशत टोटल आठटले प्लान नहीं होगा तब तक 70 प्रतिशत जनता का, जो कृषि पर निर्भर है, विकास नहीं हो सकेगा। मैं उम्मीद करता हूं और इस पॉलिसी का समर्थन करता हूं। कृषि मंत्री ने इसकी पहल की है, आज उन्होंने कदम बढ़ाया है तो हमको मंजिल तक जरूर ले जाएंगे।

6.21 म.प.

कार्य मंत्रणा समिति

तिरपनवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का तिरपनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

6.22 म.प.

प्रारूप कृषि संकल्प (चवालीसवां संशोधन) पर विचार के संबंध में प्रस्ताव जारी

श्री एम.आर. कादम्बुर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, आप धन्यवाद के पात्र हैं कि सुबह से लंबी प्रतीक्षा करने के बाद आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं केवल एक ही बात कहूंगा। प्रारूप नीति के चौदह नंबर के अनुसार -

"किसानों को उनके गांव में या उसके निकट उन्नत किस्म की बीजों, कृषि उपकरण और मशीनरी, और दूसरे महत्वपूर्ण आदान उपलब्ध कराना।"

यही वाक्य है जो प्रारूप नीति में लिखा हुआ है।

सर्वप्रथम, किसानों के लिए अति महत्वपूर्ण वस्तु बीज है। यही एक मुख्य लागत है। कृषि उत्पाद के पोषणनीय विकास के लिए हमें अच्छे बीजों का होना आवश्यक है। इसके लिए दो राष्ट्रीय बीज निगम है।, एक स्टेट फार्म कारपोरेशन ऑफ इण्डिया है, 13 बीज निगम है, 19 राज्य अभिप्रमाणित अभिकरण हैं, और 86 स्टेट सीड टेसटिंग प्रयोगशालाएं हैं। ब्रीडर सीड प्रथम स्तर है, फाउण्डेशन सीड द्वितीय चरण है और बीजों को प्रमाणित करना तीसरी अवस्था है। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि संकरित बीज किसी भी किसान को आसानी से उपलब्ध नहीं है जो गांवों में रहते हैं। किन्तु वार्षिक रिपोर्ट में, मैं वाक्य पाकर बहुत चकित था -

"भारतीय किसानों को विश्व में कहीं भी सबसे अच्छी किस्म के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना और इस विचार के साथ उनके उत्पादन को बढ़ाना और कृषि मूल्यों को बढ़ाना।"

वही वाक्य है जो वार्षिक रिपोर्ट में लिखा हुआ है। किन्तु हमारे किसान इस संकरित बीजों को आसानी से पाने में अक्षम है। केवल वे ही लोग जो प्रभावशाली है वही संकरित बीज पाने में सक्षम हैं। इसलिए मैं इसे मंत्री महोदय को सूचित करना चाहता हूं जो किसानों के शुभचिंतक हैं कि ब्रीडर बीज और फाउण्डेशन बीज आसानी से साधारण और सीमांत किसानों को उपलबध नहीं है और सर्टीफाइंग बीज की जिसकी उनको आवश्यकता है उपलब्ध नहीं है। किसानों को प्राथमिक अचूक बीज किसानों को उपलब्ध नहीं है।

मुख्य और मूलभूत बात यह है कि केन्द्रीय सरकार को यह करना और देखना चाहिए कि फूलप्रूव बीज किसानों को आसानी से और समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं। रबी की फसल के लिए खरीफ बीजों को बेचा जा रहा है और खरीफ की फसल के लिए रबी के बीजों को बेचा जा रहा है। यह इसलिए क्योंकि बीज उद्योग में व्यक्तिगत वितरण को प्राप्त कर रहे हैं। केवल 20 प्रतिशत या 10 प्रतिशत बीजों को ही सरकारी एजेन्सियों द्वारा वितरित किया जा रहा है। और अधिकतर बीज व्यक्तिगत एजेन्सियों द्वारा वितरित किया जाता है। इसलिए एक कठोर निरीक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। बिना, ठीक व कारगर बीजों के बीमा स्कीम को लागू किए जाने का कोई उचित उपयोग नहीं है। जैसा कि एक कृषि विशेषज्ञ होकर आप उसे जानते हैं। इसलिए वे व्यक्तिगत उद्योग जो किसानों को बीज सप्लाई करते हैं, उनको अवश्य जानना चाहिए कि जर्मिनेशन प्रक्रिया ही केवल एक मुख्य चीज नहीं है। उन्हें मौसम फसलों के बारे में भी देखना चाहिए। द्वितीय, इस पर बहुत से विवरण दिए गए हैं। किसानों की भूमि और बीज ही मुख्य है। एक किसान जो जमीन रखता है वह चाहे मेरे गांव में हो, या कादम्बूर या किसी भारत में किसी और दूसरे स्थानों में हो, कुछ लाख रुपए या कुछ हजार रुपए ही पैदा करेंगे, जबकि एक व्यक्ति जो दिल्ली, मद्रास या कलकत्ता में रहता है और जमीन रखता है वह करोड़ों रुपए पैदा कर सकता है। यही असंतुलन है। मेरे अनुसार यही सामान्य जन के बीच असामान्यता है और इसमें आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी किसान हैं, किंतु संसद में कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह वास्तविक किसान है। यहां सब किसान हैं, किंतु सही अर्थों में हम किसान नहीं है जो वास्तविकता है जिसे सभी को अवश्य रूप से स्वीकार करना चाहिए क्योंकि जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की उस समय गांधी जी जीवित थे और बैल गाड़ी का चिन्ह था जिसने यह संकेत दिया कि सरकार, किसानों के लिए है, किसानों के द्वारा है और किसानों की है। किंतु एक बार वह बैलगाड़ी का चिन्ह चला गया तो वह नीति भी चली गई।

मैं यहां अंग्रेजी में बोल रहा हूं किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अंग्रेजी का गुलाम हूं। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि जो लोग अंग्रेजी में बोलते है वे भाषा के गुलाम हैं। मैं यह कह सकता हूं कि मैं विश्व में किसी दूसरी भाषा का गुलाम नहीं हूं। तमिल भाषा के अतिरिक्त, जो मेरी मातृभाषा है और यह है।

माननीय सदस्य का वह शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया गया है और इसीलिए, मुझे अपने विचार अथवा मत भी अवश्य बताने चाहिए। हम कहते हैं कि केवल तमिल ही एक मुख्य भाषा है ..(व्यवधान)

इसका कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि मंत्री जी तथा आप भी इसे समझें। मैं तमिल में भी बोल रहा हूं, लेकिन आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए था। वृक्षों तथा पौधों की कोई भाषा नहीं होती। वे हमें फल देते हैं, वे केवल परिणाम ही प्रस्तुत करते हैं....(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया उत्तेजित न हो...(व्यवधान)

श्री एम.आर. कादम्बुर जनार्दनन : इसका कारण यह है कि उनकी बात को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया गया है। हम माननीय सदस्य को यह बताना चाहते हैं हमारे तमिल भाषी संसद सदस्य केवल भाषा के मुद्दे के कारण ही यहां है। मैं तो कोई महान व्यक्ति नहीं हूं।. ..(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री झा, कृपया बैठ जाइये। यदि आप बोलना चाहते हैं, तो आपको पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। भोगेन्द्र झा जी, आप कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, जो तमिल के बारे में बोले हैं तो इसमें कोई दो राय सदन में या देश में नहीं है।

सभापति महोदय : अच्छा, आपकी पंचायती की जरूरत नहीं है। आप बैठिये न। समय बर्बाद हो रहा है न।

श्री भोगेन्द्र झा : तमिल हमारे देश की प्राचीनतम भाषाओं में से है, इसके मुकाबले संस्कृत को छोड़कर कोई भाषा नहीं है। और यह आप जानते हैं।

सभापति महोदय : वह अपने सेंटीमेंट एक्सप्रैस कर रहे हैं, वह सक्षम हैं। वह अपने सेंटीमेंट एक्सप्रैस करेंगे, फिर एग्रीकल्चर पर बोलेंगे।

[अनुवाद]

अब, श्री जनार्दन अपना भाषण जारी रख सकते हैं। अब हम भाषा के मुद्दे से कृषि नीति पर आते हैं।

श्री एम.आर. कादम्बुर जनार्दनन : महोदय, उन्होंने उक्त शब्द बोले हैं और वह वाक्य कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया गया है। इसलिये मैंने वह कहा था।

सभापति महोदय : ठीक है, आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री एम.आर. कादम्बुर जनार्दनन : क्रमांक तेरह में उल्लिखित नीति में कहा गया है कि सिंचाई क्षमता के उपयोग में वृद्धि जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना तथा इसमें प्रबंधन को अत्यंत दक्षता से निर्वाह करना है।

यहां मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि भूमि के नीचे का जल नीचे जाता है। भारत में हम सभी नई आर्थिक नीति, अन्तर्राष्ट्रीयकरण नीति, आदि को अपना रहे हैं। लेकिन हमें तो पानी चाहिए। भारत में कई नदियां हैं। भगवान ने ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, कावेरी, गोदावरी आदि नदियां दी हैं। नदियों का पानी समुद्र में यूं ही बेकार चला जाता है।

एक पुस्तक में दिए गए आंकडे कितनी जमीन पर फसल उगायी जाती है और उस के अनुपात में कितनी जमीन की सिंचाई की जाती है इसके आधार पर राज्यों का वर्गीकरण करते हैं।

अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा 0-20 प्रतिशत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, गुजरात, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, मणिपुर 20-40 प्रतिशत की श्रेणी में आते हैं। जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उ.प्र. 40-60 प्रतिशत की श्रेणी में आते हैं। तमिलनाडु जिसके पास कोई पानी नहीं है, उस श्रेणी के अंतर्गत आता है। हरियाणा 60-80 प्रतिशत श्रेणी के अंतर्गत आता है। पंजाब 80 प्रतिशत की श्रेणी के अंतर्गत आता है। यहां ये आंकडे दिए गए हैं। लेकिन पंजाब के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उनके राज्य में जल-संसाधन कम हैं।

हम पनधारा सिंचाई पर काफी बड़ी धनराशि खर्च करते हैं। रिसन योजना, जिसका जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, उसका अधिकारियों द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा है क्योंकि वे सही स्थलों का चयन नहीं करते। अपने निर्वाचन क्षेत्र में मैंने कई बार अधिकारियों से यह अनुरोध किया है कि वे सही रिसन-स्थलों का चयन करें लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके परिणामस्वरूप, समस्त योजना व्यर्थ जा रही है। मैं कहता हूं गांधी जी तथा नेहरू जी के नाम पर योजनाओं पर धनराशि व्यर्थ करने की बजाय, हमें भगवान द्वारा प्रदान किए गये जल स्त्रोतों का उपयोग करना चाहिए। नदियों के रूप में पानी हमें भगवान द्वारा दिया गया उपहार है, लेकिन यह व्यर्थ जा रहा है। हमारे पास उपयुक्त पनधारा प्रबंधन योजना होनी चाहिए। केवल तभी हम अपनी कृषि आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध करा सकते हैं।

एक योजना ऐसी है जिससे वाणिज्यिक स्थिति को कृषि के लिए लाभकारी बनाया जा सकता है इसके परिणामस्वरूप स्त्रोतों को अधिकाधिक मात्रा और संख्या में उपलब्ध कराया जा सकता है। संसाधनों के प्रवाह को बढ़ाने तथा पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि भी की जा सकती है। इस संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप आकलन के लिए बीजाई के समय को आधार बना रहे हैं। मानसून तथा जलवायु की अनिश्चितता के कारण प्राय: हमारे आकलन गलत निकलते हैं। इसलिए मेरा विचार है कि अनुमानित आकलन केवल फसल पुष्पित होने के समय किया जाना चाहिए। यदि आप मूल्य आकलन के लिए फसल पुष्पित होने के समय को ही आधार बनाते हैं तभी किसान लाभान्वित हो सकेंगे। आप केवल पूर्वानुमान लगा रहे हैं आप तो ख्याली पुलाव पका रहे हैं यदि बीजाई के समय को आधार बना कर मुद्रास्फीति का आकलन करते हैं, तो आप का अनुमान सदैव गलत ही होगा।

पिछले वर्ष भी, कपास के संबंध में हमारे आकलन गलत साबित हुए और उसका परिणाम हम सभी जानते हैं। इसीलिए मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मूल्य अनुमान के लिए फसल कटाई के समय को आधार माना जाये, जिससे देश का कल्याण होगा। फसल पुष्पित होने का समय विभिन्न राज्यों में अलग-2 है। उत्तर में कपास के लिए फसल पुष्पित होने का समय अक्तूबर है जबकि दक्षिण में दिसंबर अथवा जनवरी है। विशेषकर नकदी फसलों के लिए मूल्य आकलन विभिन्न फसलों, जैसे कि कपास, मूंगफली, मिर्च आदि के पुष्पित होने के समय को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए। केवल तभी मूल्य सट्टेबाजी नहीं होगी और इससे किसानों को फायदा होगा।

कई सदस्यों ने उर्वरकों की कीमतों के बारे में चर्चा की थी। कोडैइकनाल पहाड़ियों में किसान, जो प्राकृतिक खाद का प्रयोग करके पौध तैयार कर रहे हैं, उन किसानों से 15 प्रतिशत अधिक उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। कपास के संबंध में भी, उर्वरकों के बजाय गोबर की खाद के प्रयोग से उत्पादन बेहतर हो रहा है। समय तेजी से बदल रहा है, जैसा कि आपने ठीक ही कहा है, रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की ऊपरी सतह बेकार हो गयी है। इसलिए केन्द्र सरकार को भूमि, बीज तथा जल पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। सब जगह कृषि के लिए एक ही समाधान उपयुक्त नहीं होता क्योंकि तमिलनाडु से कश्मीर तक अलग-अलग है। प्रत्येक राज्य में बीजाई का मौसम अलग है और भूमि की उर्वरता भी अलग-2 है। पंजाब की भूमि

तमिलनाडु की भूमि से अधिक उपजाऊ है। भूमि की उर्वरता प्रत्येक राज्य में भिन्न है। विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है और इस संबंध में राज्यों को अधिक शक्ति और अधिक धनराशि प्रदान की जानी चाहिए। केन्द्र सरकार के पास विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निगरानी प्रणाली होनी चाहिए।

मैं यह तमिल में कहना चाहता हूं "उलदुवनकक औरू आलाक चेन मिच्यम" इसका अर्थ है कि जमीन को जोतने वाले को एक चौथाई मिलता है। अब स्थिति यह है कि उसे वह भी नहीं मिलता।

तमिल में एक कहावत है जिसमें कहा गया है : "केयीले वेन्नाई वैयुकोन्डु नेविक्कु अलैवा नेम"। इसका अर्थ है : "जब आपके हाथ में इतना अधिक मक्खन है, तो आप घी के लिए क्यों भटक रहे हैं"? नदियों के देवताओं ने आपको इतना अधिक पानी दिया है, तो आप पानी की चिंता क्यों करते हैं। युवाओं के हृदय में निष्ठा पैदा करो. अन्य योजनाओं को छोड़ दें। और पैसा भी आयेगा। देश की एकता और अखण्डता भी स्वत: कायम हो जाएगी और किसानों की जमीन सोना पैदा करेगी। भारत की सभी नदियों को परस्पर जोड़ा जाना चाहिए। केवल तभी गांधी जी की दो बैलों वाली गाड़ी और नेहरू जी जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता प्राप्त की, के सिद्धांत सार्थक होंगे। इन शब्दों के साथ, ए.आई.ए.डी.एम. की ओर से, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

मुझे खेद है कि मैं उत्तेजित हो गया था और टिप्पणी पर भावुक हो गया था कि जो अंग्रेजी में बोलता है वह उस भाषा का गुलाम है। उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। यह इस संसद के लिए और किसी भी भारतीय के लिए न्यायोचित है। यदि कोई पार्टी भाषा को मुद्दा बनाती है, तो वह बुरी तरह पराजित होगी।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं। अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, सदन में राष्ट्रीय महत्व के विषय पर चर्चा हो रही है। आज देश के 75 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं और भारत कृषि प्रधान देश है। जब तक कृषि का विकास नहीं होगा तब तक हमारा देश समृद्ध नहीं हो सकता। कृषि नीति का जो प्रारूप और संकल्प है उसे सदन के सामने लाया गया है। आज ही नहीं 14 मई, 1993 को यह सदन के पटल पर लाया गया था। बचपन में हम लोगों ने तीन काल पढ़े थे, वर्तमान काल, भूत काल और भविष्य काल। और हेतु-2 मद्भुत काल भी होता है, जिसमें करना है, करेंगे, देखना है आता है। यह अर्थहीन प्रारूप है। इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जो राष्ट्रीय नीति का स्पष्ट संकेत होना चाहिए वह कहीं नहीं है। जिस तरीके से किसी एजेंडा को लाकर रख देते हैं उसी तरह से रख दिया है। क्योंकि इन्हें लंबा चलना है, चुनाव आ रहे हैं और ये प्रतिनिधि हैं। किसान पूरे देश को भोजन खिलाने का काम करता है। आज गांव गरीबी का पर्यायवाची शब्द बन गया है। आज इस 75 प्रतिशत आबादी का ही सवाल नहीं है, पूरे देश को भोजन खिलाने वाला समुदाय है और हिंदुस्तान में अकेला किसान समुदाय ही ऐसा है जो बेईमानी नहीं कर सकता है।

मैं यहां पर एक व्यावहारिक बात करना चाहता हूं। जब तक खेत में हल नहीं चलेगा, सिंचाई का प्रबंध नहीं होगा, अच्छी किस्म का बीज नहीं होगा, लेबर ऑफ सुपरविजन नहीं होगा तब तक उसमें अच्छी पैदावार नहीं हो सकती, लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। आप इंजीनियरिंग साइड में चले जाइये उसमें यदि 5 किलोमीटर की रोड बनानी है तो एक किलोमीटर रोड बनाएंगे और 4 कि.मी. का हिसाब पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हरेक सैक्टर में बेईमानी करने की गुंजाइश है। परन्तु खेती में यदि बेईमानी की जाएगी तो लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती है, टारगेट को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए खेत में हल चलाना ही पड़ेगा, पानी देना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। अभी हमारे साथ झुझु जी बोल रहे थे। वह हमारे अच्छे मित्र हैं। वह लोकसभा की एक कमेटी में भी हमारे साथ हैं, मैं उनको जानता हूं। वह आते तो किसान वर्ग से हैं लेकिन पता नहीं जिस बैंच पर वह बैठे हैं उसका उनको कुछ असर हो गया है वह कहते हैं कि नरसिंह राव किसान का बेटा है। महोदय, इस देश में किसान कितने तरह के होते हैं-बंगला वाला किसान, मेड़ वाला किसान, हल वाला किसान, छाता वाला किसान पता नहीं यह कौन से किसान की बात करना चाहते हैं क्योंकि यह जो कृषि ड्राफ्ट आया है यह बगला वाला किसान की तरह का ड्राफ्ट है। यह अर्थ विहीन है।...(व्यवधान) मैंने इस ओर इसलिए ध्यान दिलाया है क्योंकि यह जो कृषि ड्राफ्ट तैयार किया गया है, यह जो संकल्प है, यह संकल्प तो है ही नहीं, इसलिए इस पर बहस करने से पहले संकल्प शब्द को डिलीट कर देना चाहिए। यह जो कृषि नीति बनाना चाहते हैं इसमें कुछ है ही नहीं, यह तो ऐसी है जैसे भानुमती के पिटारे से निकाली है और ज्यों की त्यों है। यह एजेंडा ला करके रख दिया है, अब नीति तय करें। यह 1993 से चल रही है और आज 1995 में इस पर बहस हो रही है, और यह लागू कब होगी, जब देश का वर्तमान और भविष्य खतरे में पड़ जाएगा तब भी यह लागू नहीं होगी।...(व्यवधान)

मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आज खेती सबसे ज्यादा घाटे का व्यवसाय बन गया है। यह किस के कारण बना है? 47 वर्षों की आजादी के बाद जो सबसे ज्यादा शासन में रहे हैं उनकी जिम्मेदारी थी कि भारत के कृषि प्रधान देश को खुशहाल बनाने के लिए कृषि को समृद्ध बनाते, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। वे जिम्मेदारी से नहीं मुकर सकते हैं। ठीक है आज ये ड्राफ्ट लेकर आये हैं। अब जन जागृति होगी, किसान भी संगठित होगा, आज तो किसान बोल रहे हैं, पहले तो किसान बोलते ही नहीं थे। अब काफी बोल-चाल में चला है, पता नहीं इसको इतने प्रतिशत लागू किया जायेगा। मैं यह कहना चाहता था कि खेती आज घाटे का

व्यवसाय क्यों बना हुआ है, उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है, मैं स्पष्ट रूप से एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। इन्होंने अभी कृषि उत्पादन के समर्थन मूल्य का जिक्र किया है, पहले तो मूल्य तय कैसे होता है, मूल्य प्राइस कमीशन के द्वारा तय होता है, कृषि भवन के जरिए तय होता है, जो लागत समझ नहीं सकता है। किसान को उसमें कितनी लागत होगी, उसमें कितने पानी की जरूरत है, कितने बीज की जरूरत है, कितने श्रम की जरूरत है, कितनी लेबर ऑफ सुपरविजन की जरूरत है, इसकी जानकारी नहीं है। इसको अनभिज्ञ लोग तैयार करते हैं। लेकिन आज जो कारखानों में माल तैयार होता है उसका मूल्य कौन तय करता है, उसका मूल्य उद्योगपति, जो उद्योग चलाते हैं वे अपनी मर्जी से तय करते हैं, वे खरीदगार की चिंता नही करते, उसकी क्रयशक्ति की चिंता नहीं करते हैं। आज किसान जो पैदा करता है उसका मूल्य एयरकंडीशन में बैठे हुए प्राइस कमीशन के जरिए तय होता है। वह क्या समझेगा?

"कि दुख जाने दुखिया कि दुख जाने दुखिया की माय
जांके पांव न फटे बिवाई वो क्या जाने पीर पराई"

वे किसानों की भावना नहीं समझ सकते हैं। वह अनाज का दाम तय करते है जिसने बाजरे का नाम नहीं सुना होगा, जो नहीं देखा होगा, मक्का नहीं देखा होगा, जिसने पौधा नहीं देखा और महुआ का तो नाम ही नहीं सुना, कि यह क्या है...(व्यवधान) जाखड़ साहब जानते होंगे, क्योंकि वैरायटी टैस्ट के लिए इनके पास आया होगा।

मखानों के बारे में मैं बताना चाहता हूं। मखाना सबसे ज्यादा उत्तर बिहार के मधुबनी, दरभंगा और सहरसा जिले में पैदा होता है। कृषि विभाग इसको कमल का बीज कहता है, जबकि मछुआरे बड़ी मुश्किल से पानी में इसकी खेती करते है। लेकिन उसको मिलता है 45 रुपए किलो। यहां तक आते आते वह 160 रुपए किलो दिल्ली में हो जाता है और अमरीका में इसकी कीमत है 3300 रुपए किलो। इससे यदि फूड प्रोसेसिंग किया जाए तो यह फास्ट फूड की तरह बन सकता है और इसकी विशेषता यह है कि यह कोलेस्ट्रोल फ्री है। इसके निर्यात से काफी विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। लेकिन हमारा कृषि विभाग इसको कमल का बीज कहता है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों को खिलाइए तो सही।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : कृषि विभाग तो इसको कमल का बीज कहता है।

सभापति महोदय : इसीलिए तो खिला दीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इसके प्रोसेसिंग की तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई सेल्स सेंटर नहीं खोला, कोई प्रोसेसिंग सेंटर नहीं खोला।

आज सरकार समर्थन मूल्य का हर जगह, लोकसभा में, राज्यसभा में ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है। कहा जाता है कि इसें अनाज की कीमत 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दी गयी, इसकी 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई, लेकिन किस अनाज की कीमत बढ़ाई जाती है, जो बड़े लोगों के काम आता है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले जिस अनाज का उपयोग करते है, उस मोटे अनाज के समर्थन मूल्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और यह समर्थन मूल्य किस को मिल पाता है, मंत्री महोदय के प्रदेश में, पंजाब-हरियाणा में मिल जाता होगा, क्योंकि वहां पर हर स्थान पर व्यवस्थित मंडियां है। लेकिन क्या राजस्थान में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उत्तरी बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में समर्थन मूल्य मिल पाता है। क्या एफ.सी.आई. का कोई कर्मचारी वाहन लेकर गांव के किसान को उचित मूल्य देने के लिए पहुंचता है, जबकि भारत सरकार का सर्कुलर है कि गांव में जाकर कर्मचारी किसान को उचित मूल्य देगा। गांव में जो गरीब किसान के यहां अनाज पैदा होता है, उसको सुबह-2 जाकर खलिहान से ही बिचौलिया खरीद लेता है और मुनाफा कमाता है। किसान उसको देने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए, जीवन यापन के लिए उसको धन की आवश्यकता होती है। इस तरह से किसान का कच्चा माल बिचौलिया खरीद रहा है और किसान का शोषण हो रहा है, किसान की कमर टूट रही है। गांव के गरीब किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिलता, इस बात के लिए मैं चुनौती देना चाहता हूं। मैं भारत सरकार की 1994-95 की आर्थिक समीक्षा से एक उद्धरण देना चाहता हूं, आप देख लीजिए कि इसमें क्या दिया हुआ है।

ये किस अनाज का उत्पादन बढ़ा रहे है? कह रहे हैं कि उत्पादन बढ़ गया, लेकिन किस चीज का? कह रहे हैं कि कृषि का उत्पादन बढ़ गया जोकि देश के लिए गौरव है। मैं पूछना चाहता हूं कि किस चीज में वृद्धि हो रही है? वृद्धि हो रही है बासमती चावल की, स्पेशल वैरायटी ऑफ व्हीट की। लेकिन मोटे अनाज का क्या हाल है? मैं आपकी नजर उस ओर डालना चाहता हूं। इसमें साफ लिखा है कि पिछले वर्ष 1992-93 में कुल मोटे अनाज के अधीन क्षेत्र 344 लाख हैक्टैयर था जोकि पिछले वर्ष से तीन प्रतिशत अधिक था। लेकिन 93-94 में मोटे अनाज का उत्पादन पिछले वर्ष से कम हुआ और 94-95 में उत्पादन के बढ़ने की संभावना है। 93 से घट गया 94 में और वह घटता जा रहा है। दूसरा प्रहार यह हुआ है कि हमारे देश में गरीबी की रेखा से नीचे करीब 40 प्रतिशत लोग जीवन बसर करते है। यह लोग जौ, महुआ, मक्का आदि मौटा अनाज खाते हैं और आज उनका उत्पादन घटता जा रहा है। एक आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि मोटे अनाज के अधीन रहने वाले क्षेत्रों में कमी करके अधिक क्षेत्रों में उच्च कीमत वाली फसलें तैयार की जाती हैं। सरकार को गरीबों के खाद्यान्न को बढ़ाने की चिंता नहीं है। इसीलिए मोटे अनाज का मैंने यहां जिक्र किया है।

सभापति महोदय, मैंने समर्थन मूल्य के विषय में भी जिक्र कर दिया है। इसकी क्या स्थिति है। कृषि नीति में कानूनी स्तर पर, बजट

के स्तर पर, कर्ज नीति के स्तर पर, इस कृषि ड्राफ्ट में आमूल बदलाव लाने की जरूरत है। अभी जो समर्थन मूल्य की उन्होंने घोषणा की है। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं क्योंकि सब कुछ अखबार में छप चुका है। धान का मूल्य 340 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 360 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया है यानि 20 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ा है। इसके बाद अरहर, मूंग, उड़द, का 760 रूपये प्रति क्विंटल से 800 रूपये प्रति क्विंटल करके बड़ा भारी काम किया है। उसके बाद कहते हैं कि मोटे अनाज को पैदा करने वालों को विशेष प्रोत्साहन दिया जायेगा। यह सब अखबार में छपा हुआ है और यह तथ्यहीन बात है। यह सब मैं कृषि मंत्री जी के नोटिस में ला रहा हूं। जब वह जवाब देंगे तो इसका जवाब जरूर देंगे। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया है कि जो सर्वहारा वर्ग के लोग है, जो मोटा अनाज खाते है, आज उनकी स्थिति क्या है? आज उनके मोटे अनाज के उत्पादन में कमी आती जा रही है। इससे उनको परेशानी होगी। पिछले दिनों सरकार ने कहा था कि जो अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान है उसने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। संस्थान ने कहा है कि कृषि में विविधिकरण पर बड़ा जोर देने की आवश्यकता है। दूसरा कहा है कि कृषि में पूंजी निवेश में वृद्धि करने की आवश्यकता है। तीसरा कहा है कि कृषि अनुसंधान विस्तार के लिए अधिक परिव्यय करने की जरूरत है। चौथा, चालू सिंचाई परियोजनाओं को तुरंत पूरा करने की आवश्यकता है। पांचवा कहा है कि संस्थागत ऋण में तेजी से वृद्धि करने की आवश्यकता है। छठा है, ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार कर इसमें सरकारी और दूसरे संगठनों को लगाने की जरूरत है। उसमें यह प्रशंसा की गई है। मैं इसीलिये इसका जिक्र कर रहा हूं। मैं रिपोर्ट में से कुछ उद्धत नहीं करना चाहता हूं। केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि एस.आर.सेन कमेटी की रिपोर्ट में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भूमिगत जल की हालत और उसके दुरूपयोग के बारे में जिक्र किया गया है। उसमें ग्रोथ रेट ऑफ फूड प्रोडक्शन का भी जिक्र किया गया है। गंडक और कोसी के कमांड एरिया में वाटर लॉगिंग की प्राबलम के बारे में कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है। बिहार की जमीन उर्वरा है 1951 से 1961 तक फूड प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट 5 परसेंट था। 1981 के बाद वह 1.2 परसेंट ही हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की 1985 की रिपोर्ट में फूड प्रोडक्टीविटी इन ईस्टर्न इंडिया का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि उड़ीसा, बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल में सिंचित जमीन 33 परसेंट ही है। दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरनगर की भूमि खरीफ सीजन में बिल्कुल बाढ़ से बर्बाद हो जाती है। ऐसे में उत्पादन कैसे होगा? क्या इसके लिए विशेष योजना सरकार ने बनाई है, इस ड्राफ्ट में इसका भी जिक्र नहीं है।

कृषि नीति में कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं। सारंग, सीवान, वैशाली की जमीन के बारे में भी रिपोर्ट यही कुछ कह रही है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में ज्यादा छूट ऋण में दी जानी चाहिए ताकि गरीब उसका फायदा उठा सकें। बाजार बहुत कम पैसा देता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार को 50 करोड़ रुपए दिये, उड़ीसा को 37 करोड़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश को 130 करोड़ रुपए दिए गये।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, आपने मुझे पर बहुत कृपा की है मैं आपके दो मिनट और लूंगा

7.00 म.प.

सभापति महोदय, किसान सारे देश को अन्न खिलाने का काम करता है, उसे 13 प्रतिशत पर ऋण दे रहे हैं जबकि इंडस्ट्री को 18 प्रतिशत पर देते हैं। क्या इसको घटा कर 8-9 प्रतिशत नहीं कर सकते हैं? किसानों को भी सहूलियत प्रदान की जा सकती है। यदि किसानों के लिए दर्द और उनका जीवन स्तर उठाना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा उदार होना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं यह भी चाहता हूं कि राज्य मुख्यालय पर एक कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिये जिसका पालिसी में जिक्र नहीं किया गया है। यह ड्राफ्ट पालिसी ठीक नहीं है। किसानों द्वारा उत्पादित फल और सब्जियों के लिए भंडारण व्यवस्था नहीं है। भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं होने से 30 प्रतिशत फल और सब्जियां सड़ जाते हैं। प्रखंड स्तर पर भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिये। देश में केवल 25 प्रतिशत ऐरिया में सिंचाई की व्यवस्था है जबकि चीन में यह 50 प्रतिशत है। पता नहीं सरकार किस ओर जाना चाहती है?

सभापति महोदय, डुंकल के नाम पर और उदारीकरण की नीति से सरकार लालच में आ गयी है। वह चाहती है कि सारा का सारा अमेरिका का कारखाना यहां पर आ जाये। इससे किसानों की आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हो सकता है। इससे तो रोजगार खत्म हो जायेंगे और जब बेरोजगारी बढ़ती है तो गरीबी पहले पैदा होती है। मैं साफ संकेत में कहना चाहता हूं कि यह कृषि नीति किसी काम की नहीं है। इससे देश का वर्तमान और भविष्य दोनों ही खतरे में पड़ जायेंगे। समर्थन मूल्य कम होता जा रहा है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकारी सहायता कम की जाती रहेगी और जो जीएटीटी का समझौता है, उसके दबाव में सरकार काम कर रही है। हमारे राष्ट्र की 1947 से विदेश नीति तो बनी है लेकिन कृषि नीति के न रहने से देश की अर्थ व्यवस्था विदेशियों के हाथों में गुलाम होती जा रही है। इसकी शुरूआत हो गयी है।

सभापति महोदय, आज पीडीएस में अनाज कम किया जा रहा है। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि धीरे-धीरे पीडीएस खत्म हो जायेगा और किसानों के लिये जो सबसिडी दी जा रही है, वह खत्म कर दी जायेगी।

मैं अन्तिम बात यह कह कर अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं कि आज जिस कृषि नीति पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसका हश्र क्या होगा। मैं एक शेर कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। :

शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है,
कातिल ही मुहाफिज, कातिल ही सिपाही है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं सभा का मत लेता हूं।

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : यह बहुत रूचिकर तथा महत्वपूर्ण चर्चा है। प्रश्न यह है कि इस चर्चा के लिए चार घंटे निर्धारित किए गये थे। अब सात घंटे हो गये हैं। केवल यही एक प्रश्न नहीं है।

एक अन्य मुद्दा यह है कि आज सभी सदस्य एकमत से यह चर्चा चाहते थे। दिनांक 11 तथा 14 को हमारी बैठक नहीं है। इसलिए हमें कार्य पूरा करना है। यही कारण हैं कि इस चर्चा के किसी भी तरह से स्थगित नहीं किया जा सकता। अत: इसे आज ही पूरा किया जाना चाहिए? कृपया इसे सुनिश्चित करें। (व्यवधान) महोदय, समिति में नेताओं द्वारा इस पर सहमति हुई है। कल बैठक में विभिन्न नेताओं द्वारा इस पर सहमति हुई थी। (व्यवधान) हम आपसे पूर्णतया सहमत होंगे। लेकिन कुछ समय तो निर्धारित करना ही है। इसलिए सहयोग तो होना ही चाहिए?

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : सभापति जी, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। एक घंटे का समय बढ़ा दिया गया था? अब कल तक के लिए सदन स्थगित कर दें।

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : हमारे लिए देर तक बैठना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : सभापति जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसको हाई-फाई ढंग से न लिया जाए।

सभापति महोदय : और थोड़ी देर बैठ सकते हैं?

अनेक माननीय सदस्य : जी नहीं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कल 9 अगस्त, 1995 को 11 म.प. पुन: समवेत होने तक स्थगित होती है।

7.04 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 9 अगस्त, 1995/18 श्रावण, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।